रजिस्ट्री सं० डी०—(डी एन)—128

REGISTERED NO. D—(DN)—128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थागार CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY 14.1.88 GOVT. OF INDIA भारत सरकार

सं० 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 12, 1987 (अग्रहायण 21, 1909)

No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 12, 1987 (AGRAHAYANA 21, 1909)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate Compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचना सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications Including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर

(भारतीय स्टेट बैंक का सहयोगी)

त्रिवेन्द्रम दिनांक 20 नवम्बर 1987

सूचना

सं० एम० डी०/1151—7 नवम्बर 1987 की सूचना के सिलसिले में और समनुषंगी बक साधारण अधिनियम की धारा 34 के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25 (1) (डी) के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों को स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के बोर्ड में निदेशकों के रूप में चुना गया है :—

1. श्री एन० एस० श्रीनिवासन
   टी० सी० 41/983 कुटिट्काड
   मणक्काड पी० ओ०
   त्रिवेन्द्रम—695 009

2. श्री सी० पी० गोपालन नायर
   आई० ए० एस० (सेवा निवृत्त)
   नं० 36 ब्लाक नं० 5ए०
   कोरामंगला
   बैंगलूर—560 034

बी० गुप्त
प्रबन्ध निदेशक

स्टेट बैंक आफ इन्दौर

(भारतीय स्टेट बैंक का सहयोगी बैंक)

प्रधान कार्यालय

इन्दौर-452003, दिनांक 28 नवम्बर 1987

सूचना

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि स्टेट बैंक आफ इन्दौर के अंशधारियों की साधारण सभा गुरूवार दिनांक 14-

जनवरी, 1988 को 11 बजे (मानक समय रविन्द्र नाट्य गृह आर. एन. टी. मार्ग, इन्दौर में भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 25(1) (डी) के अनुसरण में दो व्यक्तियों का बैंक के बोर्ड के निदेशक के रूप में निर्वाचित करने के प्रयोजन हेतु आयोजित की जाएगी जो बैंक के बोर्ड के निदेशक (1) श्री पी. एस. बापना एवं (2) श्री लक्ष्मण प्रसाद भार्गव के स्थान पर होंगे, जो उक्त अधिनियम की धारा 26(2) के अनुसार 15 जनवरी, 1988 को सेवानिवृत्त होंगे किन्तु उक्त अधिनियम की धारा 26(3) के अंतर्गत पुनः निर्वाचन हेतु पात्र हैं ।

प्रेम प्रकाश,
प्रबंध निदेशक

पंजाब नेशनल बैंक

कार्मिक प्रभाग

प्रधान कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 नवम्बर 1987

बैंककारी कंपनी (उपक्रम का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब नेशनल बैंक का निदेशक मंडल भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से पंजाब नेशनल बैंक (अधिकारी) सेवा विनियमावली 1979 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

2. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ (1) इन विनियमों का नाम पंजाब नेशनल बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियमावली, 1979 होगा ।

(2) ये विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

3. विनियम 19(1)

सरकार द्वारा समय-समय पर जारी हिदायतों के अनुसार निदेशक मंडल जो शर्तें निर्धारित करेगा उनके अनुसार अधिकारियों को सेवा निवृत्ति की आयु मानी जाएगी ।

परन्तु बैंक अपने विवेक से इन विनियमों में इसके बाद उल्लिखित ढंग से विशेष समिति/विशेष समितियों द्वारा समीक्षा के बाद उप विनियम (2) के अनुसार 55 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद अथवा अधिकारी कर्मचारी के रूप में अथवा/और/या 30 वर्ष की बैंक सेवा पूरी कर लेने पर अथवा उसके बाद (जो भी पहले हो) किसी अधिकारी को सेवा निवृत्त कर सकता है ।

परन्तु साथ ही किसी अधिकारी कर्मचारी को सेवा निवृत्त करने से पहले कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस अथवा तीन महीने के कुल वेतन/वेतन और भत्ते के बराबर की रकम ऐसे अधिकारी कर्मचारी को दी जाएगी होगी ।

परन्तु साथ ही उपविनियम (2) में की गई व्यवस्था के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के आदेशों से असंतुष्ट अधिकारी आदेश जारी किए जाने के एक माह के भीतर सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के विरोध में निदेशक मंडल को लिखित प्रतिवेदन दे सकता है और संबंधित अधिकारी से इस प्रकार का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर निदेशक मंडल द्वारा उस पर विचार किया जाएगा और 3 महीने के भीतर निर्णय लिया जाएगा जहां निदेशक मंडल यह निर्णय करता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश न्यायोचित नहीं है संबंधित अधिकारी को इस प्रकार बहाल किया जाएगा मानो सक्षम प्राधिकारी ने कोई आदेश न दिया हो ।

परन्तु साथ ही इस विनियम में उल्लिखित कोई भी बात ऐसी नहीं समझी जाएगी कि कोई अधिकारी कर्मचारी बैंक में मौजूद नियमों के अनुसार अपने विकल्प का प्रयोग करते हुए पहले सेवा-निवृत्त हो जाए ।

स्पष्टीकरण

कोई अधिकारी कर्मचारी उस महीने के अंतिम दिन सेवा निवृत्त होगा जिसमें वह अपनी सेवा निवृत्ति की आयु पूरी कर लें ।

नियम 19(2)

बैंक एक ऐसी विशेष समिति/विशेष समितियों का गठन करेगा जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे जो इस बात की समीक्षा करेगी कि क्या इस विनियम के पहले परन्तुक के अनुसार किसी अधिकारी को सेवा निवृत्त किया जाना चाहिए अथवा नहीं । ऐसी समिति/समितियां समय-समय पर प्रत्येक अधिकारी के मामले की समीक्षा करेंगी और किसी भी अधिकारी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक विशेष समिति/विशेष समितियां सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में अधिकारी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति की सिफारिश न कर दें ।

विनियम 12(1)

इन विनियमों में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी नियत तिथि से तत्काल पूर्व बैंक में सेवारत किसी अधिकारी को यह विकल्प प्राप्त होगा कि नए वेतनमान में अपनी फिटमेंट की सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर बैंक को सूचित करते हुए नियत तिथि से पूर्व अपने पर लागू वेतनमान में उसके बाद भी रहे ।

परन्तु ऐसा विकल्प तब तक जारी रहेगा जब तक विनियम 4 में उल्लिखित वेतनमानों में से किसी ऐसे वेतनमान में उसकी पदोन्नति न हो जाए जो नियत तिथि से तत्काल पूर्व उसको पात्रता के वेतनमान से ऊंचा हो और विनियम 7 के अनुसार उसके अनुरूप हो ।

विनियम 12(2)

उप विनियम (3) में बताए अनुसार यदि किसी अधिकारी ने ऐसा विकल्प दिया हो तो वह नियत तिथि से तत्काल पूर्व बैंक सेवा में अपनी पात्रता के अनुसार वेतन और भत्ते प्राप्त करता रहेगा ।

परन्तु किसी भी हालत में ऐसी पात्रता के अंतर्गत कोई अधिकारी परिलब्धियों का पात्र नहीं होगा बल्कि उसे वही परिलब्धियां दी जाएंगी जो इन विनियमों के अंतर्गत उसे देय हों।

विनियम 12(3)

कोई अधिकारी जिसने उपविनियम (1) में बताए अनुसार विकल्प दिया हो और उपविनियम (2) के अनुसार नियुक्ति की तारीख से तत्काल पहले सेवा में पात्रता के अनुसार वेतन और भत्ते लेता रहा हो 1-2-84 को तब से विनियम के अनुसार लागू होने वाले वेतन और भत्ते के लिए विकल्प दे सकेगा। इस प्रकार का विकल्प देने के बाद विनियम 8 में बताए गए अनुसार नियुक्ति की तारीख से नए वेतनमान में उनका सैधांतिक (नोशनल) फिटमेंट किया जाएगा और 31-1-84 तक इन विनियमों के अनुसार उन्हें मिलने वाली वेतनवृद्धियां देकर दिनांक 1-2-1984 को सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार विनियम (4)(1) में बताए अनुसार वेतनमान में उनका फिटमेंट किया जाएगा।

परन्तु यदि उपर्युक्त के अनुसार फिटमेंट करने पर अधिकारी का वेतन और भत्ते 31-1-84 को उसे मिलने वाले वेतन और भत्तों से कम हों ऐसी फिटमेंट से दोनों का अंतर उसे व्यक्तिगत भत्ते के रूप में दिया जाएगा और उसका समायोजन भावी वेतन वृद्धियों में प्रत्येक वेतन वृद्धि में से 33-1/3 प्रतिशत की दर से अथवा प्रत्येक वेतन वृद्धि के परिणाम स्वरूप वेतन में होने वाली बढ़ोतरी के (जो भी कम हो) 33-1/3 प्रतिशत की दर से किया जाएगा।

विनियम 6(2)

उपविनियम (1) के अंतर्गत पदों की श्रेणियां बनाने के उद्देश्य से बैंक की प्रत्येक शाखा का वर्गीकरण बैंक द्वारा सरकार की हिदायतों के अनुरूप छोटी, मध्यम, बड़ी बहुत बड़ी तथा अपवाद स्वरूप बहुत बड़ी श्रेणी में किया जाएगा।

विनियम 41(1)(1)

2925/- रुपए प्रति मास अथवा उससे अधिक पाने वाले अधिकारी रेल-गाडी में ए० सी० प्रथम श्रेणी से अथवा हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हैं। यदि कोई अधिकारी हवाई जहाज से यात्रा करता है तो जब तक निदेशक मंडल द्वारा सामान्य अथवा विशेष निर्णय द्वारा व्यवस्था न की गई हो वह केवल बचत श्रेणी के किराए के लिए पात्र होगा।

(2) 2650/- रुपए प्रति मास और उससे अधिक परन्तु 2925/- रुपए प्रति मास से कम पाने वाले अधिकारी रेलगाडी से प्रथम श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं। बहरहाल यदि यात्रा की दूरी 500 किलोमीटर से अधिक हो अथवा रात की यात्रा हो तो वे रेलगाडी में प्रथम श्रेणी ए० सी० से यात्रा कर सकते हैं और यदि सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति ले ली जाए तो वे हवाई जहाज से भी यात्रा कर सकते हैं। यदि कोई अधिकारी हवाई जहाज से यात्रा करता है तो वह केवल बचत श्रेणी के किराए के लिए पात्र होगा।

(3) 2650/- रुपये प्रतिमास से कम वेतन पाने वाले अधिकारी रेलगाड़ी में प्रथम श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं परन्तु कार्य की आवश्यकता अथवा जनहित को देखते हुए यदि सक्षम प्राधिकारी किसी अधिकारी को अनुमति दे तो वे स्थाई जहाज से भी यात्रा कर सकते हैं।

(4) 2925/- रुपये प्रतिमास और उससे भी अधिक वेतन पा वाले अधिकारी ऐसे स्थानों की यात्रा कार से भी कर सकते हैं जहां के लिये वायुयान अथवा रेलगाड़ी से यात्रा करने की सुविधा न हो बशर्ते कि यात्रा के स्थान की दूरी 500 कि० मी० से अधिक न हो।

बहरहाल, जब दो स्थानों के बीच की अधकांश दूरी वायु मार्ग अथवा रेलमार्ग से तय की जा सकती हो तो केवल शेष दूरी को ही कार द्वारा यात्रा से पूरा किया जाना चाहिये

विनियम 22(3)(11)

यदि कोई अधिकारी, अपने घर में रह रहा हो तो वह उस पर विनियम संख्या (2) में उसी के आधार पर मकान किराया भत्ता पाने का हकदार होगा मानो वह निम्नलिखित "क" अथवा "ख" में से अपनी रकम के 12वें हिस्से के बराबर की रकम मासिक किराये के रूप में दे रहा हो :—

(क) निम्नलिखित को जोड़ें :—

(1) आवास के सम्बन्ध में देय नगर पालिका कर; और

(2) भूमि की कीमत सहित आवास का पूंजीगत लागत का 12% और यदि वह आवास किसी भवन का हिस्सा हो तो उस आवास के लिये दी गई भूमि की पूंजीगत लागत का आनुपातिक हिस्सा परन्तु उसमें विशेष फिक्सचर वैसे ऐयर कंडिशनर आदि शामिल नही होंगे, अथवा

(ख) आवास के सम्बन्ध में नगर पालिका के निर्धारण के लिये माना गया वार्षिक किराया सम्बन्धी मूल्य।

विनियम 41(3)

1–1–87 को तथा इस तारीख से निम्नलिखित सारणी के कालम (1) में उल्लिखित ग्रेड/स्केल वाले अधिकारी अपने ग्रेड/स्केल के सामने कालम न० (2) में उल्लिखित दरों पर विराम भत्ता पाने के हकदार होंगे :—

अधिकारी का ग्रेड/स्कीम	प्रमुख "क" श्रेणी के नगर	दैनिक भत्ता एरिया I	(रुपये) अन्य स्थान
1	2	3	4
स्केल 6 और 7	100.00	80.00	60.00
स्केल 4 और 5	100.00	80.00	60.00
स्केल 2 और 3	70.00	60.00	50.00
स्केल 1	70.00	60.00	50.00

परन्तु यदि—

(क) अनुपस्थिति की कुल अवधि 8 घण्टे से कम परन्तु 4 घण्टे से अधिक हो तो उपर्युक्त दरों पर विराम भत्ता दिया जायेगा।

(ख) विभिन्न ग्रेड/स्केल के अधिकारियों को वास्तविक होटल खर्च की प्रतिपूर्ति की जा सकती है लेकिन वह भारतीय पर्यटक विकास निगम (आई० टी० डी० सी०) के एक बिस्तर वाले कमरे के प्रभार तक सीमित होगी बशर्ते वह नीचे बताई गई सीमा में हो :—

अधिकारी का ग्रेड/स्केल	ठहरने की पात्रता	प्रमुख "क" श्रेणी के नगर	भोजन का प्रभार रुपये)	
			एरिया 1	अन्य स्थान
(1)	(3)	(3)	(4)	(5)
स्केल 6 और 7	4* होटल	100.00	60.00	80.00
स्केल 4 और 5	3* होटल	100.00	80.00	60.00
स्केल 2 और 3	2* होटल (गैर वातानुकूलित)	70.00	60.00	50.00
स्केल 1	1* होटल (गैर वातानुकूलित)	70.00	60.00	50.00

(ग) जहां विराम के स्थान पर निशुल्क आवास की व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई हो तो विराम भत्ते का 3/4 दिया जायेगा।

(घ) जहां विराम के स्थान पर निशुल्क भोजन की व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई हो तो विराम भत्ते का 1/2 दिया जायेगा।

(ङ) जहां विराम के स्थान पर निशुल्क आवास और निशुल्क भोजन की व्यवस्था करवाई गई हो तो विराम भत्ते का 1/4 दिया जायेगा।

(च) सभी निरीक्षणकर्त्ता अधिकारियों को मुख्यालय से बाहर निरीक्षण ड्यूटी पर रुकने पर 10/- रु० प्रतिदिन की दर से पूरक दैनिक भत्ता दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण

दैनिक भत्ते की गणना के उद्देश्य से "प्रतिदिन" का अर्थ है 24 घंटे की प्रत्येक अवधि अथवा उसका कोई हिस्सा और उसे वायु यात्रा के सम्बन्ध में प्रस्थान के समय से और अन्य यात्राओं के सम्बन्ध में प्रस्थान के निर्धारित समय से पहुंचने के वास्तविक समय तक गिना जायेगा। यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 24 घण्टे से कम हो तो "प्रतिदिन" का अर्थ है कम से कम 8 घण्टे की अवधि।

विनियम 23(5)

यदि किसी अधिकारी को बैंक के बाहर सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह उन परिलब्धियों को प्राप्त करने का विकल्प दे सकेगा जो उस पद से संलग्न हैं जिन पर उसे प्रतिनियुक्ति किया गया है। वैकल्पिक रूप से वह अपने वेतन के अतिरिक्त, वेतन का 15 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता और ऐसे अन्य भत्ते प्राप्त कर सकेगा जो वह उस दशा में प्राप्त करता जब उसे उस स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात किया जाता।

परन्तुक–I

परन्तु यदि उसे ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्ति किया जाता है जो उसी स्थान पर अवस्थित है जहां वह अपनी प्रतिनियुक्ति से ठीक पूर्व तैनात था तो वह अपने वेतन के 7½% के बराबर प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त करेगा।

परन्तुक–II

परन्तु साथ ही बैंक के प्रशिक्षण संस्थान में सकाय सदस्य के रूप में अथवा बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड में प्रतिनियुक्त पर जाने पर अधिकारी अपने वेतन के 7½% की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ते का पात्र होगा।

विनियम 23 (11)

यह भी निर्णय लिया गया है कि पी० एन०बी० अधिकारी सेवा विनियमावली से विनियम 23(11) को काट दिया जाये।

विनियम 5(1)

विनियम 4 में विभिन्न वेतनमानों में बताये अनुसार वेतनवृद्धि सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति मिलने पर वार्षिक आधार पर देय होगी और देय होने के महीने के पहले दिन से दी जायेगी।

"परन्तु 1–1–85 को और उसके बाद से ऐसे अधिकारी जो जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल–I और मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल II और III में अपने वेतनमान के अधिकतम तक पहुंचते हैं, अपने वेतनमान के अधिकतम तक पहुंचने के बाद, प्रत्येक 5 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अन्तिम वेतन वृद्धि के बराबर निष्क्रियता (स्टेगनेशन) वेतन वृद्धि दी जायेगी परन्तु जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल–I के अधिकारियों को ऐसी अधिकतम दो वेतन वृद्धियां तथा मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल–II और III के अधिकारियों को ऐसी एक वेतनवृद्धि दी जायेगी।

[illegible] के मामले में जिन्होंने अपने सम्बन्धित वेतनमान में 5 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली है, पहली [illegible] वेतनवृद्धि उस तारीख से जब वह देय हो अथवा 1 जनवरी, 1985 से, इनमें से जो भी बाद में हो, दी जानी है परन्तु इस प्रकार की दूसरी वेतन वृद्धि पात्र अधिकारियों को दी जानी है परन्तु 1-1-1987 से पहले नहीं।"

विनियम 5(2)

सी० ए० आई० आई० बी परीक्षा का प्रत्येक भाग उत्तीर्ण करने के लिये वेतनमान में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि दी जायेगी ।

परन्तु दिनांक 1-2-84 को तथा उसके बाद से ऐसे अधिकारी जो अपने वेतनमान तक पहुंच गये हैं, अपने वेतनमान में अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पूरा करने के बाद सी० ए० आई० आई० बी० परीक्षा का भाग-1 उत्तीर्ण करने के लिये उन्हें 100/-- रु० प्रतिमाह का व्यावसायिक योग्यता भत्ता दिया जायेगा और वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के दो वर्ष पूरे करने के बाद सी० ए० आई० आई० बी परीक्षा के दोनों भाग उत्तीर्ण करने के लिये 200/- रु० प्रतिमाह दिये जायेंगे।

विनियम 22(2)

दिनांक 1-2-84 को तथा उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक की ओर से आवास की सुविधा न दी गई हो तो वह मकान किराया भत्ता पाने का हकदार होगा जो उसके वेतनमान के पहले चरण के वेतन के 10 से अधिक उसके द्वारा आवास के लिये दिये जाने वाले वास्तविक किराये के बराबर होगा परन्तु इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित दरें होंगी :--

यदि कार्य स्थल निम्नलिखित स्थानों पर है	निम्नलिखित मकान किराया भत्ता दिया जायेगा
(1) सरकार की हिदायतों के अनुसार बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट बड़े "ए" श्रेणी के नगर तथा ग्रुप "ए" में परियोजना एरिया सेंटर	मूलवेतन का 17 1/2% जिसकी अधिकतम सीमा 500/— रु० प्रतिमाह होगी।
(2) उपर्युक्त मद (1) के अन्तर्गत न शामिल एरिया-1 तथा ग्रुप "बी" में परियोजना एरिया सेंटर	मूल वेतन का 15% जिसकी अधिकतम सीमा 400/- रु० प्रतिममाह होगी।
(3) उपर्युक्त मद (1) तथा (2) के अन्तर्गत न शामिल एरिया-II और राज्य राजधानियां	मूल वेतन का 12/1/2% जिसकी अधिकतम सीमा 300/-- रु० प्रतिमाह होगी
(4) एरिया-III	मूल वेतन का 10% जिसकी अधिकतम सीमा 250/- रु० प्रतिमाह होगी।

टिप्पणी: उपर्युक्त अनुसार किराये की रसीद प्रस्तुत करने पर मकान किराये भत्ते का भुगतान किया जायेगा। नगर उपर्युक्त दरों पर कोई अधिकारी प्रमाण पत्र के आधार पर निम्नलिखित सीमा तक मकान किराये भत्ते का दावा कर सकता है :—

"बड़े "ए" श्रेणी के नगर तथा ग्रुप "ए" में परियोजना एरिया सेंटर	अधिकतम 275/-रु०
एरिया-I में अन्य स्थान तथा ग्रुप "बी" में परियोजना ऐरिया सेंटर	अधिकतम 225/-रु०
एरिया-II तथा राज्य राजधानियां और संघशासित क्षेत्रों की राजधानियां	अधिकतम 165/-रु०
एरिया-III	110 /— रु० (नियत)

विनियम 23(4)

1-1-87 को और इसके बाद से यदि किसी अधिकारी को शैक्षिक वर्ष के बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान को अन्तरित किया जाता है और यदि उसकी एक या अधिक सन्तान पूर्ववर्ती स्थान में विद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययन कर रही है तो उस तारीख से जिस तारीख को वह पश्चात् कथित स्थान पर रिपोर्ट करता है, शैक्षिक वर्ष के अन्त तक, सभी सन्तानों की बाबत 150 रु० प्रतिमास शैक्षिक वर्ष के मध्य अन्तरण भत्ता परन्तु ऐसा भत्ता उस दशा में बन्द हो जायेगा जब सभी सन्तानें पूर्ववर्ती स्थान पर अध्ययन करना बन्द कर देंगी।

विनियम 23(6)

दिनांक 1-1-1985 तथा उसके बाद से यदि उससे कम से कम 7 दिन की निरन्तर अवधि के लिये या किसी कैलेण्डर मास के दौरान कुल 7 दिन के लिये किसी उच्चतर स्केल में किसी पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है तो स्थानापन्न कार्य करने की अवधि के लिये उसके द्वारा प्राप्त किया जाने वाला स्थानापन्न भत्ता उसके वेतन के 10% के बराबर होगा, परन्तु यह अधिकतम 250/— रु० प्रतिमाह होगा । स्थानापन्न भत्ता भविष्य निधि के प्रयोजनों के लिये वेतन होगा और अन्य प्रयोजनों के लिये नहीं।

परन्तु यदि कोई अधिकारी मात्र विनियम 6 के अधीन पदों के प्रवर्गीकरण के पुनर्विलोकन के परिणामस्वरूप उच्चतर वेतनमान में स्थानापन्न के रूप में कार्य करता है तो वह उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिये स्थानापन्न भत्ते का पात्र नहीं होगा जिस तारीख को प्रवर्गीकरण का पुनर्विलोकन प्रभावी होता है।

विनियम 23(10)

दिनांक 1-1-1985 तथा उसके बाद से यदि वह नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित स्थान पर

सेवारत है तो उसके स्तम्भ 2 में उस स्थान के सामने उल्लिखित दर पर पहाड़ और ईंधन भत्ता—

सारणी

स्थान	दर
1	2
माध्य समुद्र तल से 1500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई पर स्थित कार्यालय	वेतन का 10 प्रतिशत जो अधिक से अधिक 130/— रु० प्रतिमाह होगा।
माध्य समुद्र तल से 1000 मीटर और उससे अधिक किन्तु 1500 मीटर से कम ऊंचाई पर स्थित कार्यालय	वेतन का 8 प्रतिशत, जो अधिक से अधिक 100/— रु० प्रतिमाह होगा।

विनियम 24

दिनांक 1-1-87 तथा उसके बाद से निम्नलिखित बीमारियों के सम्बन्ध में किया जाने वाला चिकित्सा व्यय जिसके लिये आवासीय इलाज की आवश्यकता हो, मान्यता-प्राप्त अस्पताल के प्राधिकारियों तथा बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित होने पर उसे हास्पिटललाइजेशन व्यय के रूप में माना जायगा और अधिकारी के मामले में 75 तथा परिवार के सदस्यों के मामले में 50 प्रतिशत की सीमा तक उसकी प्रतिपूर्ति की जायेगी:—

कैंसर, तपेदिक, लकवा, हृदय से सम्बन्धित बीमारियां, ट्यूमर, चेचक, उरोग्रह (प्लूयूरिस), डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग, गुर्दे की बीमारियां।

विनियम 42 (2) (11)

दिनांक 1-1-1987 से तथा उसके बाद से पूरे वैगन के लिए पात्र अधिकारी यदि रेलवे की "कन्टेनर सेवा की सुविधा प्राप्त करता है तो जूनियर अथवा मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड में होने पर उसे एक कन्टेनर के तथा वरिष्ठ अथवा "टाप" मैनेजमेंट ग्रेड में होने पर उसे दो कन्टेनरों के वास्तविक प्रभार की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यदि रेल से जुड़े हुए स्थानों पर सड़क द्वारा सामान भेजा जाता है तो बिल प्रस्तुत करने पर वास्तविक भाड़ा प्रभार की प्रतिपूर्ति की जाएगी बशर्ते उसकी लागत मालगाड़ी द्वारा अधिकतम सामान भेजे जाने की पात्रता की लागत से अधिक न हो। यदि तैनाती के पुराने अथवा नए स्थान पर कोई रेलवे स्टेशन अथवा रेलवे "आउट एजेंसी" न हो तो अधिकारी को सड़क द्वारा माल भेजने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन अथवा रेलवे "आउट एजेंसी" तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यदि दोनों स्थानों पर कोई रेलवे स्टेशन/आउट एजेंसी न हो तो अधिकारी को अनुमोदित परिवहन आपरेटर द्वारा निर्दिष्ट वजन तक सड़क द्वारा माल के परिवहन की वास्तविक लागत दी जाएगी।

विनियम 42 (3)

दिनांक 1-1-1987 को तथा उसके बाद से स्थानान्तरण होने पर अधिकारी बैंकिंग, न्यू स्थानीय परिवहन, सामान का बीमा आदि कराने के लिए नीचे बताए अनुसार एक मुश्त राशि पाने का पात्र होगा :—

ग्रेड	एक मुश्त राशि
टाप मैनेजमेंट तथा सीनियर्ड्ड मैनेजमेंट	1500/- रु०
मिडिल मैनेजमेंट तथा जूनियर मैनेजमेंट	1000/- रु०

विनियम 44(2)

दिनांक 1-1-1987 को तथा उसके बाद से जब कोई अधिकारी प्रत्येक चार वर्ष में एक बार छुट्टी यात्रा रियायत लेता है तब उसे एक साथ अधिक से अधिक एक मास की विशेषाधिकार छुट्टी समर्पित करने और उसके लिए नकद राशि प्राप्त करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी। ऐसी नकद राशि प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए छुट्टी यात्रा रियायत आरम्भ होने के माह में देय वेतन अनुज्ञ होगा।

परन्तु अधिकारी को एक दिन की अतिरिक्त विशेषाधिकार छुट्टी के बदले में नकद राशि प्रधानमंत्री सहायता कोष में दान करने के लिए विकल्प देने की अनुमति होगी बशर्ते वह इस संबंध में बैंक को पत्र दे तथा कोष में राशि भेजने के लिए बैंक को प्राधिकृत करें।

राशिद जिलानी
कार्यकारी निदेशक

इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय

कलकत्ता-700001, दिनांक 20 नवम्बर 1987

सं० विधि/6/87—सा०का०नि० बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इलाहाबाद बैंक का निदेशक मंडल भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

2. संक्षिप्त शीर्षक एवं आरंभ : (1) इन विनियमों का नाम इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1987 होगा। (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

3. इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा नियम, 1979 का विनियम 41 (4) निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

"41(4) 1-1-1987 से, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 1 में उप-वर्णित श्रेणी/वेतनमान का अधिकारी उसके स्तम्भ 2 में

उप वर्णित तत्स्थानी दरों पर विराम भत्ते का हकदार होगा:—

अधिकारियों की श्रेणी/वेतनमान	दैनिक भत्ता (रुपए)		
	प्रमुख "क" वर्ग नगर	क्षेत्र—1	अन्य स्थान
1	2	3	4
वेतनमान VI एवं VII	100/—	80/—	60/—
वेतनमान IV एवं V	100/—	80/—	60/—
वेतनमान II एवं III	70/—	60/—	50/—
वेतनमान I	70/—	60/—	50/—

परन्तु—

(क) यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 8 घण्टे से कम, लेकिन 4 घण्टे से अधिक है तो विराम भत्ता उपयुक्त दरों से आधी दरों पर संदेय होगा।

(ख) विभिन्न श्रेणी/वेतनमान के अधिकारियों को, नीचे दी गई सीमाओं के अध्यधीन, आई०टी०डी०सी० होटलों में एकल कमरे के प्रवासी प्रभार तक सीमित वास्तविक होटल व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी :—

अधिकारियों की श्रेणी/वेतनमान	ठहरने की पात्रता	भोजन खर्च (रुपए)		
		प्रमुख "क" वर्ग नगर	क्षेत्र—I	अन्य स्थान
1	2	3	4	5
[illegible]	V 4* होटल	100/—	80/—	60/—
वेतनमान एवं V	3* होटल	100/—	80/—	60/—
वेतनमान II एवं III	2* होटल (गैर-वातानुकूलित)	70/—	60/—	50/—
वेतनमान—I	1* होटल (गैर-वातानुकूलित)	70/—	60/—	50/—

(ग) जहां किसी विराम स्थान पर निःशुल्क आवास की व्यवस्था की जाती है वहां विराम भत्ते 3/4 अनुज्ञेय होगा।

(घ) जहां किसी विराम स्थान पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है वहां विराम भत्ते का 1/2 अनुज्ञेय होगा।

(ङ) जहां किसी विराम स्थान पर निःशुल्क आवास और निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है वहां विराम भत्ते का 1/4 अनुज्ञेय होगा।

(च) समस्त निरीक्षण अधिकारियों को निरीक्षण कार्य पर मुख्यालय से बाहर विराम के लिए प्रतिदिन 10 रु० के हिसाब से अनुपूरक दैनिक भत्ते का संदाय किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण :

विराम भत्ते की संगणना के प्रयोजन के लिए "प्रतिदिन" से 24 घण्टे की प्रत्येक अवधि अथवा उसका पश्चातवर्ती भाग अभिप्रेत है जिसकी गणना वायुयान द्वारा यात्रा की दशा में प्रस्थान हेतु रिपोर्ट करने के समय से तथा अन्य दशाओं में प्रस्थान के अनुसूचित समय से, आगमन के वास्तविक समय तक की जाएगी। जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि 24 घण्टे से कम है, वहां "प्रतिदिन" से कम से कम 8 घंटे की अवधि अभिप्रेत है।

एम० आर० सर्वाधिकारी
सहायक महाप्रबंधक (विधि)

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान, मद्रास

मद्रास, दिनांक 18 नवम्बर 1987

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस)

सं० 3-एस० सी० ए० (8)/8/87-88—रेगूलेशन 10 (1) की धारा (4) जिसे चार्टर्ड-एकाउन्टैन्ट्स के रेगूलेशन 1964 के अधिनियम 10(2)(बी) के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित सदस्यों को कार्य करने का प्रमाण-पत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द समझे जाएंगे क्योंकि उन्होंने कार्य प्रमाण पत्र हेतु वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं किया था।

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	6843	श्री ए० जगन्नाथन, एफ० सी०ए०, 8407, पैज ग्लेन-ऐव, स्प्रिंगफील्ड, वी०ए०-22152 यू०एस०ए.	1—8—1986
2.	19209	श्री अब्राहम मोहन जोस, ए०सी०ए०, कोट्टूराथु जोस-विल्ला, टैम्पल रोड, चेंगानूर पोस्ट 689 121	1—8—1986
3.	23156	श्री गुनुपुती सुब्बा राव, ए०सी०ए०, मैनेजर, आन्ध्रा-बैंक, अडोनी, कुरनूल डिस्ट० ए०पी०	1—8—1985

1	2	3	4
4.	23391	श्री वी० चन्द्रासेकरन, ए०सी०ए०, 38, मोतीलाल-स्ट्रीट, टी० नगर, मद्रास 600 017	1-8-1986

सं० 3-एस० सी० ए० (8) /9/87-88—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 1964 के विनियम 10 (1) खण्ड (तीन) के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किए प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण पत्र को रखने के इच्छुक नहीं हैं।

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	2063	श्री टी० दोराइस्वामी, ए० सी०ए०, फ्लैट नं० 18/1, फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट स्ट्रीट, अभिरामापुरम, मद्रास-600 018	1-4-1987
2.	2476	श्री एस०टी० वॉचीनाथन, एफ०सी०ए०, "करपाका", 97, रोयापेट्टाह हाई रोड, माइलापोर, मद्रास-600 004	19-10-1987
3.	11937	श्री जी० बालासुब्रामनियन, ए०सी०ए०, बी०-4, रामलीला, 33, थर्ड स्ट्रीट, अभिरामापुरम, मद्रास-600 018	31-10-1987
4.	18672	श्री आर० भास्कर, ए०सी० ए०, एजे, 63, अन्ना नगर, मद्रास-600 040	31-7-1987
5.	18729	श्री वी० मेकर, ए०सी०ए०, 27, रोजरी चर्च 2 लेन, सन्थोम, मद्रास-600 004	1-4-1987
6.	20027	श्री मनुकोन्डा अंजानेयुलु, ए०सी०ए०, प्लाट नं० 71, मधुसुधना नगर, मलकाजगिरी, हैदराबाद-500 047	31-5-1987
7.	20282	श्री ए० एन० लक्ष्मनन, एफ०सी०ए०, 3/7, वेलकम-कोलीनी, अन्ना नगर वैस्ट, मद्रास-600 101	16-8-1987
8.	22797	श्री एम० अब्दुल कासिम, ए०सी०ए०, मुस्ताज कोटेज, पी०एच० रोड, कोचीन-682 018	24-2-1987
9.	23712	श्री टी० सेणा विक्रमादित्या सर्मा, ए०सी०ए०, एकाउन्ट्स-आफिसर, हिन्दुस्तान जिंक लि०, डब्ल्यू० बी०-62, वेस्टर्न-कालोनी, विशाखापत्तनम-530 015	1-4-1987
10.	24747	श्री एन० सीथा रामन, ए०सी०ए०, 10, स्वामी मुदा-लियर स्ट्रीट, बंगलौर-560 001	21-10-1985
11.	25557	श्री पी० एस० नारायनन, ए०सी०ए०, 49, कार स्ट्रीट, त्रिप्लीकेन, मद्रास-600 005	31-7-1987
12.	26026	श्री० ए० शाह नवाज, ए०सी०ए०, 13, वीरास्वामी-मैन स्ट्रीट, आयनावरम, मद्रास-600 023	1-7-1987
13.	26226	श्री सी०जी० मुरलीधरन, ए०सी०ए०, एक्स-49, कोवाइ-पुदुर, कोयम्बाटोर-641 042	24-9-1987
14.	26741	श्री सी० श्रीनिवास, ए०सी० ए०, 30/3, आर० टी० प्रकाशम नगर, हैदराबाद-500 016।	18-9-1987

दिनांक 19 नवम्बर 1987

3-एस० सी० ए० (5)/9/87-88 :— इस संस्थान की अधिसूचना नं० 3-एस० सी० ए० (4)/7/85-86 दिनांक 30 सितम्बर 1985, के सन्दर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में श्री एन० वी० एन० राम साई, ए० सी० ए०, 49, डाक्टर्स कालोनी, सीथाम्माधरा, विसाखा-पटनम-530013 का नाम पुनः 15 अक्तूबर 1987 से स्थापित कर दिया है उसकी सदस्यता संख्या 200/22398 है।

3-एस० सी० ए० (5)/10/87-88 :- इस संस्थान की अधिसूचना नं० 4-एस० सी० ए० (1)/9/79-80 दिनांक 15 मार्च 1980, के सन्दर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद के अपने सदस्यता रजिस्टर में श्री टी० श्रीनिवासा चारलु, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट 686, 10 ए० मैन रोड, 4 ब्लोक, जयानगर, बंगलौर 560011 का नाम पुनः 2 नवम्बर, 1987 स्थापित कर दिया है। उसकी सदस्यता संख्या 9502 है।

दिनांक 23 नवम्बर 1987

3-एस० सी० ए० (4)/6/87-88 :- चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 की उपधारा (1) (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनके आगे दी गई तिथि से हटा दिया है।

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	1971	श्री एस० श्री निवासाअयर अजन्था, थिरूनावक्करा, कोट्टायाम 686001	14-7-1987
2.	8903	श्री सी० जी० राजगोपालन, चथापुरम, पालघाट-3	16-9-1987
3.	25409	मिसिज श्यामला संकरा नारायनन, फ्लैट नं० 9 "कनारा कोम्पलैक्स", 21, वेंकटानारायना रोड, टी० नगर, मद्रास-600017	12-7-1987

आर० एल० चोपड़ा,
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 20 नवम्बर 1987

शुद्धिपत्र

सं : आर० 12/19/9/84-बीमा-1-भ्रमणशील चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष को कोई अन्य विशेषज्ञ सहयोजित करने के लिए प्राधिकृत करने से संबंधित भारत के राजपत्र के भाग-3 अनुभाग-4 दिनांक 7-3-1987 में पृष्ठ 1084 पर प्रकाशित अधिसूचना संख्या : आर० 12/19/9/84-बीमा-1 दिनांक 24 फरवरी 1987, में निम्नलिखित शुद्धि की जाएगी, अर्थात् :-

पृष्ठ 1084 पर तीसरी लाइन में "150" अंक को शुद्ध कर के "1950" कर दिया जाए।

पृष्ठ 1084 पर आठवीं लाइन में अंग्रेजी के "ओथारीटीज" शब्द को शुद्ध करके अंग्रेजी में ही "ओथोराइजिज" कर दिया जाए।

नरोत्तम व्यास
बीमा आयुक्त

गुजरात क्षेत्रीय कार्यालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अहमदाबाद, दिनांक 23 नवम्बर 1987

क्रमांक : 37-बी० 253 (गठन)/87-स्थापना-अधिसूचित किया जाता है कि, क० रा० बी० (सामान्य), विनियम, 1950 के विनियम 10-अ के अन्तर्गत इस कार्यालय की सम-संख्यक अधिसूचना दि० : 21-7-1984 द्वारा नवसारी क्षेत्र के लिए गठित स्थानीय समिति का इस अधिसूचना की तिथि से निम्नलिखित सदस्यों के साथ पुनर्गठन किया गया है :-

1. जिलाधीश, जिलाधीश का कार्यालय, वलसाड़	अध्यक्ष क० रा० बी० (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 10-अ 1 (अ) के अन्तर्गत।
2. वरिष्ठ फैक्टरी निरीक्षक वलसाड़	गुजरात सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि (क० रा० बी०) (सामान्य विनियम, 1950 के विनियम, 10-अ 1 (ब) के अन्तर्गत।
3. प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी योजना औषधालय, नवसारी	निदेशक, चिकित्सा सेवाएं डी०-1, कर्मचारी राज्य बीमा क० रा०बी० योजना, अहमदाबाद-14 द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि, (क० रा० बी०) (सामान्य), विनियम, 1950 के विनियम 10-अ 1 (क) के अन्तर्गत)
4. श्री बाबूभाई लाखानी अध्यक्ष, नवसारी चैम्बर्स आफ कोमर्स एंड इंडस्ट्रीज लाखानी स्टोर, सत्तापीर, नवसारी।	नियोजकों के प्रतिनिधि
5. श्री रविन्द्र भाई जमनादास कंसारा उपाध्यक्ष, द्वारा, नवसारी उद्योगनगर सहकारी संघ, उद्योगनगर, नवसारी	नियोजकों के प्रतिनिधि

6. श्री अरविन्द भाई मगनभाई बारोड सचिव, द्वारा, मजूर महाजन मंडल, महारानी, शांतादेवी रोड, नवसारी — नियोजकों के प्रतिनिधि

7. श्री दिनकर भाई देसाई (सामान्य सचिव, रूरल लेबर एसोसिएशन, नवसारी) द्वारा, 3-अ, नवसारी हाईस्कूल, शोपिंग सेंटर नवसारी — श्रमिकों के प्रतिनिधि

प्रबन्धक, स्था० का० नवसारी सदस्य-सचिव
स्था० का० नवसारी,
क० रा० बी० निगम, नवसारी

आदेश से

स्वामीनाथन गोपालन,
कृते क्षेत्रीय निदेशक एवं
सदस्य सचिव, गुजरात रीजनल बोर्ड
क० रा० बी० नि० गुजरात, अहमदाबाद-14

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक दिसम्बर 1987

सं०पी०-11/1(10)/84—आबंटन नियम कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5 की उपधारा (7) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से केन्द्रीय बोर्ड कर्मचारी भविष्य- निधि केन्द्रीय बोर्ड कर्मचारियों (निवास का आबंटन) नियम 1972 में पुनः संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाता है अर्थात् :

(1) ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि केन्द्रीय बोर्ड कर्मचारी (निवास आबंटन संशोधन) नियम, 1987 कहलाएंगे।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. कर्मचारी भविष्य निधि केन्द्रीय बोर्ड कर्मचारी (निवास आबंटन) नियम 1972 में :—

(क) नियम 5 के नीचे तालिका के स्थान पर निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :

"तालिका"

निवास की श्रेणी	पात्र अधिकारियों की श्रेणी आबंटन वर्ष के प्रथम दिन को कर्मचारियों की मासिक परिलब्धियां
(i)	रु० 950/- से कम
(ii)	रु० 1500 से कम परन्तु 950/- से कम नहीं
(iii)	रु० 2800/- से कम परन्तु 1500 से कम नहीं
(iv)	रु० 3600/- से कम परन्तु 2800/- से कम नहीं।
(v)	रु० 4500/- से कम परन्तु 3600/- से कम नहीं
(vi)	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी/ अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त।
(vii)	केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

(ख) अनुसूची "क" के अन्त में वर्तमान तालिका से निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी। अर्थात्

पात्र अधिकायों की श्रेणी/ वेतनसीमा	निवास की श्रेणी
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त	VII
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी/ अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त	VI
रु० 4500/- प्रतिमाह से कम परन्तु 3600/- प्रतिमाह से कम नहीं	V
रु० 3600/- प्रति माह से कम परन्तु रु० रु० 2800/- प्रतिमाह से कम नहीं.	IV
रु० 2800/- से कम परन्तु 1500/- प्रतिमाह से कम नहीं	III
रु० 1500/-प्रतिमाह से कम परन्तु 950/-रु० प्रतिमाह से कम नहीं	II
रु० 950/- प्रतिमाह से कम	I

वि० का० भट्टाचार्य,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त
तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि।

पाद टिप्पणी :

1. अधिसूचना सा० स० नि० दिनांक के द्वारा भारत के राजपत्र के भाग-II, धारा 3(1) में प्रकाशित मूल नियमावली द्वारा संशोधित

2. भारत के राजपत्र के भाग-II, धारा 3(1) में प्रकाशित सा० सं० नि० सं० 1318 दिनांक 1 दिसम्बर, 1973

3. भारत के राजपत्र के भाग-II धारा 3(1) खण्ड-II में प्रकाशित अधिसूचना संख्या जैड-17011/7/74, पी० एफ०-1, दिनांक 24-12-1975

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

39वीं वार्षिक रिपोर्ट 1986–87

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 35 के अधीन निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट

अध्याय 1

परिचालन वातावरण और परिप्रेक्ष्य

1.01 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (औविनि) का निदेशक बोर्ड 30 जून, 1987 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षित लेखा विवरण सहित भाऔविनि के परिचालनों पर 39वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता है।

1.02 यह प्रासंगिक ही है, कि 1986–87 में भाऔविनि की परिचालन गतिविधियों, कार्य प्रगति और कार्य परिणामों की पृष्ठभूमि के रूप में परिचालनात्मक आर्थिक और औद्योगिक वातावरण, उद्योग की सामान्य प्रगति तथा भविष्य के प्रति दृष्टिकोण की संक्षिप्त चर्चा सामान्यतः की जाये।

(क) आर्थिक परिदृश्य

1.03 कुछ चिन्ताजनक लक्षणों के बावजूद, 1986–87 में भारतीय अर्थव्यवस्था यह प्रदर्शित कर सकी कि वह उच्च विकास-पथ की ओर अग्रसर है। 1986–87 के प्रमुख आर्थिक सूचकों से, पिछले वर्षों में प्राप्त आर्थिक स्तरों की तुलना में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई दी, और उनमें से अनेक सूचक, वर्ष के लिये निर्धारित लक्ष्यों के काफी निकट अथवा बराबर रहे।

1.04 तीन लगातार कमजोर मानसूनों के बावजूद खाद्य स्थिति सन्तोषप्रद रही। औद्योगिक उत्पादन पिछले वर्ष से बेहतर रहा, और विकास दर के भी पिछले वर्ष की तुलना में कुछ अधिक ही रहने का अनुमान है। मुद्रा स्फीति नियंत्रण में रही, तथा व्यापार घाटा कम हो गया। पूंजी बाजार में गड़बड़ी के बावजूद पूंजी निर्माण प्रक्रिया प्रभावित नहीं हुई। सकल पूंजी निर्माण दर, प्रचलित बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, जो 1985–86 में 24.1 % प्राप्त रही थी, उसके 1986–87 में कुछ बेहतर होने की संभावना है।

1.05 सारणी 1 में, 1985–86 और 1986–87 दोनों वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ प्रमुख सूचक तथा 1985–86 की तुलना में 1986–87 में प्रतिशत परिवर्तन प्रस्तुत किये गये हैं:

सारणी : 1 भारतीय अर्थव्यवस्था के विशिष्ट सूचक

आधारभूत आर्थिक सूचक	इकाई	1985–86 (अप्रैल–मार्च)	1986–87 (अप्रैल–मार्च)	1985–86 की तुलना में 1986–87 में प्रतिशत अन्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
—जनसंख्या	करोड़	75.4	77.0*	2.1*
—सकल राष्ट्रीय उत्पाद (सराउ) (1970–71 मूल्यों के आधार पर)	रु० करोड़	64,583	67,750*	5.0*
—सराउ प्रति व्यक्ति (1970–71 मूल्यों के आधार पर)	रु.	856	680*	2.8*
—कृषि उत्पादन सूचक	1969–70=100	158.0	159.6	1.0
—खाद्यान्न उत्पादन	मिलि० टन	150.5	151.0	0.7
—उर्वरक उत्पादन (पोषकों के आधार पर नाइट्रोजन पोटाश खाद)	मिलि० टन	5.7	7.1	23.0
—बिजली उत्पादन	बिलियन किलोवाट	170.0	187.6	10.3
—कोयला उत्पादन	मिलि० टन	154.2	165.8	7.5
—तेल उत्पादन	मिलि० टन	30.1	30.4	1.0
—सीमेंट उत्पादन	मिलि० टन	33.1	36.5	10.2
—विक्रययोग्य इस्पात उत्पादन	मिलि० टन	7.7	8.2	5.7
—रेलवे द्वारा राजस्व अर्जक माल यातायात	मिलि० टन	258.5	277.4	7.3
—प्रमुख बन्दरगाहों पर माल का लदान उतार	मिलि० टन	120.0	124.7	3.9
—औद्योगिक उत्पादन (सामान्य सूचकांक)	1980–81=100	142.1	154.7*	8.9*
—निर्यात	रु० करोड़	11,012	12,550	14.0
—आयात	रु० करोड़	19,766	20,063	1.5
—व्यापार सन्तुलन	रु० करोड़	(–) 8,754	(–) 7,513	(–) 14.2
—विदेशी मुद्रा रिजर्व (स्वर्ण एवं विशिष्ट आहरण अधिकारों को छोड़कर)	रु० करोड़	7,384	7,645	3.5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
—विदेशी सहायता (संवितरण वर्ष की समाप्ति पर)	रु० करोड़	2,938	3,841	30.7
—ऋण शोधन	रु० करोड़	1,367	1,600	17.0
—मुद्रा पूर्ति (मुद्रा)	रु० करोड़	1,18,330	1,39,320	17.7
—बैंक प्रदत्त उधार	रु० करोड़	56,067	62,757	11.9
—वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा	रु० करोड़	85,404	1,02,127	19.6
—थोक मूल्य सूचक (औसत)	1970–71=100	357.8	377.4	5.4
—औद्योगिक कामगारों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचक (औसत)	1960=100	620	674	8.7
—मुद्रा स्फीति दर (सी० पी० आई डब्ल्यू० पर आधारित (बिन्दु से बिन्दु आधार पर)	(प्रतिशत)	8.9	7.5	—

*केवल अनुमानित

1.06 1986–87 की एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी, वर्ष के लिये निर्धारित लक्ष्य से आगे बढ़कर निर्यात में 14.0 की वृद्धि। इसी प्रकार, 1.5 की आयात विकास दर पिछले 10 वर्ष के रिकार्ड से भी न्यूनतम रही। इन दोनों स्थितियों के परिणामस्वरूप व्यापार घाटा 14.2 % कम हो गया जबकि 1985–86 में इसमें 62.4 % की वृद्धि परिलक्षित हुई थी।

(ख) निवेश वातावरण

1.07 निम्नलिखित सारणी 2 में 1985 और 1986 में औद्योगिक निवेश वातावरण के चुनिन्दा सूचकों के सम्बन्ध में आंकड़े दिये गये हैं।

सारणी 2 : औद्योगिक निवेश वातावरण के चुनिंदा सूचक

सूचक	इकाई	1985 (जनवरी-दिसम्बर)	1986 जनवरी-दिसम्बर	1985 की तुलना में 1986 में प्रतिशत अन्तर
(1)	(2)	(4)	(4)	(5)
—विदेशी सहयोग	संख्या	1,024	957	(–) 6.5
—अनुमोदित विदेशी निवेश	रु० करोड़	126.86	106.90	(–) 15.7
—जारी किये गये आशय पत्र	संख्या	1,457	1,130	(–) 22.4
—प्रदान किये गये औद्योगिक लाइसेंस	संख्या	985	718	(–) 37.3
—औद्योगिक पंजीकरण	संख्या	1,961	1,162	(–) 40.7
—पूंजी माल निर्बाधता	रु० करोड़	747	1,211	48.7
—पूंजी निर्गमों के लिये अनुमति (बोनस निर्गम सहित)	रु० करोड़	2,579	6,168	139.2
शेयरों और डिबेंचरों के पूंजी निर्गम	रु० करोड़	2,111	4,576	116.8

1.08 हालांकि, भारतीय उद्योग के प्रौद्योगिकीय आधार की निरन्तर मजबूती और उदार लाइसेंसिंग की सरकारी नीतियों के कारण, जिनका उद्देश्य अनेक उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना और औद्योगिक उत्पादों का विस्तृत वर्गीकरण करना था, विदेशी सहयोगियों की संख्या अथवा जारी किये गये आशय पत्रों, औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या में गिरावट आई, किन्तु जहां तक नये निर्गम बाजार का सम्बन्ध है, शेयरों और डिबेंचरों के माध्यम से निगमित कुल पूंजी में 116.8 की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। ये निवेश निवल घरेलू बचतों का लगभग 11 % भाग रहे, जबकि पांच वर्ष पहले ये निवेश निवल घरेलू बचतों के केवल 2 से 3% तक हुआ करते थे।

1.09 एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता 1986 में शेयरों और डिबेंचरों के पूंजी निर्गमों की थी, संपरिवर्तनीय डिबेंचरों और साधारण शेयर निर्गमों की तुलना में गैर संपरिवर्तनीय डिबेंचर निर्गमों (2,556 करोड़ रुपये) की प्रमुखता। पूंजी बाजार के इतिहास में इससे पूर्व कभी भी गैर-संपरिवर्तनीय डिबेंचरों के माध्यम से इतनी अधिक राशि नहीं जुटाई गई।

1.10 स्टाक बाजार स्थिति भी कुल मिलाकर फरवरी, 1987 तक उत्साहजनक बनी रही। फरवरी, 1987 के बाद से स्टाक बाजार में परिलक्षित मन्दी की स्थिति को सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक स्टाक एक्सचेंजों और सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा किये गये समयोचित उपायों से नियंत्रित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप बाजार निदेशकों का विश्वास दुबारा प्राप्त कर सके। पूंजी बाजार का गहन अध्ययन करने के लिये, अस्थिरता के कारणों की जांच करने तथा यह देखने के लिये कि संतत प्रगति दर किस प्रकार और किस सर्वोत्तम विधि से प्राप्त की जा सकती है तथा पूंजी बाजार में अस्थिरता की पुनरावृत्ति को कैसे रोका जा सकता है, सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक दोनों ने "उच्च अधिकार प्राप्त कार्यकारी दलों" का अलग अलग गठन भी किया है।

(ग) औद्योगिक प्रगति

औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्ति

1.11 1986–87 में उद्योग की प्रगति मे निम्नलिखित पहलुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा :

—सरकारी नीतियों में, बेहतर क्षमता उपयोग, टक्नोलाजी उन्नयन, उत्पादन का बेहतर आर्थिक पैमाना और स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा एवं विद्यमान नीतियों के उदारीकरण तथा कार्यविधियों के सतत सरल और कारगर बनाने पर अधिक महत्व दिया जाना,

—प्रगति-उन्मुख राजकोषीय, मुद्रा एवं साख नीतियां;

—पहली अप्रैल, 1987 से 15 % की दर से अधिक सभी बैंक उधार ब्याज दरों में 1 % की कमी के साथ-साथ ऋण का सरल प्रवाह और संवितरण;

—प्रमुख मूलभूत अवस्थापना क्षेत्र जिसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 10 % की लगातार औसत विकास दर से निरन्तर प्रगति;

—बेहतर और सुधरे हुए औद्योगिक सम्बन्ध, पिछले वर्ष की तुलना में हड़तालों और तालाबन्दी से नष्ट होने वाले श्रम दिवसों की संख्या में 24.7 की कमी।

1.12 औद्योगिक उत्पादन का औसत सामान्य सूचक (आधार 1980-81=100) जो 1983–84 में 120.4, 1984–85 में 130.7, 1985–86 में 142.1 था, 1986–87 में बढ़कर अनुमानतः 154.7 हो गया। अनुमानित औद्योगिक विकास की विकास दर 1986–87 में 8.9 % रही, जबकि 1984–85 और 1985–86 में यह क्रमशः 8.5 % और 8.7 % हासिल रही थी।

1.13 प्रवृत्ति अनुसार, औद्योगिक उत्पादन का मासिक सरकारी सूचक, पिछले महीने की तदनुरूप अवधि की तुलना में लगातार वृद्धि एवं अपेक्षाकृत बेहतर प्रगति का द्योतक रहा, जैसा निम्नलिखित सारणी 3 से स्पष्ट है।

सारणी 3: औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक

1980–81=100

मास	1985–86	1986–87	प्रतिशत अन्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
अप्रैल	128.9	137.4	6.7
मई	131.5	139.9	6.4
जून	134.8	141.8	5.2
जुलाई	133.1	144.0	8.2
अगस्त	135.5	144.7	6.8
सितम्बर	135.5	149.7	10.5
अक्तूबर	141.1	152.8	8.3
नवम्बर	141.5	150.8	6.6
दिसम्बर	159.4	164.5	3.1
जनवरी	152.5	174.1	14.1
फरवरी	146.1	169.2	15.8
मार्च	165.1	186.9	13.2
अप्रैल से मार्च के दौरान औसत	142.1	154.7	8.9

1.14 1985–86 और 1986–87 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में क्षेत्रवार प्रवृत्तियां (क्रमशः वास्तविक और अनुमानित) आगामी पृष्ठ पर सारणी 4 में दी गई है :

सारणी 4: औद्योगिक उत्पादन में क्षेत्रवार प्रवृत्ति

1980–81=100

भार	क्षेत्र	पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि 1985–86 (अप्रैल–मार्च)	1986–87 (अप्रैल–मार्च)
(1)	(2)	(3)	(4)
11.5	खान एवं खदान	4.2	6.2
77.1	विनिर्माण	9.7	9.0
11.4	बिजली	8.5	10.3
100	समस्त उद्योग	8.7	8.9

1.15 औद्योगिक उत्पादन की प्रगति की प्रमुख उल्लेखनीय विशेषता है, खानन और खदान क्षेत्र तथा बिजली जनन के सूचक में वृद्धि। 1986–87 में विकास दर में कमी प्रमुखतः विनिर्माण क्षेत्र मे हुई, जिसका सूचकांक में औसत भार तीन चौथाई से भी अधिक है।

1.16 विनिर्माण क्षेत्र में, बिजली मशीनरी, उपकरणों और साधनों (जिनमें इलैक्ट्रानिक्स शामिल है) की प्रगति 17.8% की विकास दर से सर्वाधिक प्रभावशाली रही। इसमें से कम्प्यूटरों और उनके उपंगों में 35.5% की वृद्धि हुई। लेकिन, इंजीनियरिंग समूह के आटोमोबाइल उद्योग की प्रवृत्ति मिश्रित रही। हालांकि वाणिज्यिक वाहनों का उत्पादन सामान्यतः और विशेष रूप से, मध्यम तथा भारी वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन में 1986–87 में गिरावट आई, हल्के वाणिज्यिक वाहनों का उत्पादन 7% बढ़ गया। यात्री कारों का उत्पादन 21.3% अधिक रहा और जीपों का 2.9%। दुपहिये और तिपहिये में हालांकि मोटर साइकिलों तथा स्कूटरों का उत्पादन क्रमशः 13.5% और 37.4% बढ़ गया, किन्तु मोपेड का उत्पादन 2.6% कम हो गया। यद्यपि, तिपहियों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 12% की वृद्धि परिलक्षित हुई।

1.17 रसायन तथा रसायन उत्पाद उद्योग समूह में यद्यपि उर्वरक स्टाक का अधिक्य होते हुए भी, उर्वरकों के

टिप्पणी: पैरा 1.16, 1.17 और 1.18 में दिये गये आंकड़े अप्रैल, दिसम्बर 1986 की अवधि के लिये उत्पादन आंकड़ों पर आधारित है।

उत्पादन में 23% वृद्धि हुई। डी० एम० टी० उत्पादन में 163.3% की सर्वाधिक प्रगति परिलक्षित हुई। कैल्शियम कार्बाइड के उत्पादन में 25.1% की वृद्धि हुई, और उच्च घनत्व पोलिथिलीन में 14.09% मानव निर्मित रेशों में से पोलिएस्टर रेशे और पोलिएस्टर फिलामेंट धागे के उत्पादन में क्रमश 49.7% तथा 22.8% की वृद्धि हुई।

1.18 सूती वस्त्र उद्योग, 3 से कम गांठ की मन्द प्रगति पर रुद्ध बना रहा। 1986-87 में पटसन के उत्पादन और प्रेषण में 4% से अधिक गिरावट आई, पश्चिम बंगाल में वर्ष 1986-87 के दौरान बन्द होने वाली पटसन मिलों की संख्या बढ़कर 14 हो गई।

1.19 1986-87 में चीनी उद्योग की प्रगति अहैछी रही। संभावना यह है कि चीनी का अनुमानित उत्पादन, 1981-82 में प्राप्त 8.4 मिलियन टन के अधिकतम उत्पादन तक पहुंच जायेगा।

क्षमता उपयोग की प्रवृत्तियां

1.20 संस्थापित क्षमता के इष्टतम उपयोग द्वारा उत्पादन अधिकतम करने के लिये सरकार द्वारा अपनाये गये नीति उपायों, अर्थात् क्षमता का पुनः पृष्ठांकन, उद्योगों का विस्तृत वर्गीकरण, परिचालन के न्यूनतम आर्थिक पैमाने, निर्यात संवर्द्धन को प्रोत्साहन आदि के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में कुछ बेहतर औद्योगिक क्षमता का उपयोग हुआ। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि अप्रैल-दिसम्बर 1986 के दौरान 131 औद्योगिक उपक्रमों द्वारा लाइसेंस शुदा क्षमता के पुनः पृष्ठांकन के अन्तर्गत लाभ उठाया गया, जबकि अप्रैल-दिसम्बर, 1985 की अवधि के दौरान यह संख्या 52 थी। फिर भी, क्षमता उपयोग में सुधार, विस्तृत पैमाने पर कार्य करने वाली सम्पन्न बड़ी औद्योगिक संस्थाओं तक सीमित रहा। औद्योगिक संस्थायें जो या तो न्यूनतम पैमाने पर परिचालन कर रही थीं, जैसे लघु इस्पात, लघु सीमेंट, लघु कागज, आदि अथवा जो सीमांत थीं, अपने क्षमता उपयोग में पर्याप्त मात्रा में सुधार नहीं ला सकीं। एक मूल्यांकन के अनुसार सीमांत औद्योगिक इकाइयों में असुरक्षा की भावना उनके बढ़ते हुए प्रतियोगी बाजार में प्रवेश करने और अपने उत्पाद बेचने में सफल हो पाने में उनकी अपनी असमर्थता के कारण बनी रही, विशेषतया, जबकि अन्तिम रूप से उपयोग करने वाले उत्पादकों को यह विकल्प प्राप्त था कि वे उन्हें अधिक प्रतियोगी मूल्यों पर विदेश से आयात कर सकें। वास्तव में, मध्यम और मध्यम बड़े आकार की अधिकांश औद्योगिक इकाइयों के सामने मुख्य समस्या बाजार द्वारा अदा किये जाने वाले मूल्य पर अपेक्षित किस्म के माल का उत्पादन करने में असमर्थता और बाजार में उच्च गुणवत्ता—उन्मुख उत्पादों के लिये उपभोक्ताओं की वरीयता से सम्बन्धित थी।

1.21 बिजली की कमी वाले राज्यों, जैसे बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में और यहां तक केरल में भी औद्योगिक इकाइयां अपने उत्पादन स्तर नहीं बढ़ा सकीं, जिसका कारण अंशतः बिजली की अत्यधिक कटौती और अनियमित पावर सप्लाई थी। आन्तरिक उपयोग के लिये डीजल के माध्यम से पावर जनन की अनुमति और इसे अनेक औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपनाये जाने से निश्चन्देह उत्पादन स्तर बना रहा, लेकिन इसके साथ ही यह उत्पादन लागत में वृद्धि का कारण भी बन गया।

1.22 इस रिपोर्ट के परिशिष्ट I में वर्ष 1986-87 के लिये 55 चुनिंदा उद्योगों की संस्थापित क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग प्रतिशत तथा उनके सन्दर्भ में, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की 645 वित्तपोषित संस्थाओं से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर समकक्षी आंकड़े दिये गये हैं।

उद्योगों की वित्तीय प्रगति

1.23 उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1986-87 में अधिकांश औद्योगिक इकाइयों (सर्वोच्च बड़ी कम्पनियों के सिवाय) की वित्तीय प्रगति, 1985-86 में उपलब्ध विकास दरों की तुलना में दबी रही। संरक्षित और नियंत्रित वातावरण से अधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक वातावरण में पदार्पण के फलस्वरूप अल्प काल में अन्तरण से समायोजन की कई समस्यायें सामने आई, जिनके परिणामस्वरूप अधिकांश वित्त पोषित इकाइयां 1986-87 में अपनी वित्तीय प्रगति में सुधार प्रदर्शित नहीं कर सकीं। विशेषतः उन उद्योगों में, जिनमें उत्पादन लागत में वृद्धि होने से अथवा बेहतर टेक्नोलॉजी या प्रक्रिया अपनाकर इसकी लागतों को कम करने के लिये उद्योग तत्काल सक्षम नहीं था, और जिनका मूल्य ढांचा व्यवस्थित और/या नियंत्रित है, लाभप्रदता में सुधार नहीं हो सका।

(ब) नीति, गतिविधियां और परिप्रेक्ष्य

1.24 औद्योगिक क्षेत्र को नियंत्रण और अनुशासन से मुक्त करने के लिये सातवीं पंचवर्षीय योजना से आरम्भ की गई प्रक्रिया को लागू रखे जाने की संभावना है और इसमें नीति ढांचे को तर्कसंगत बनाने एवं पुनः संरचना करने पर विशेष बल दिया जाना अपेक्षित है। न्यूनतम आर्थिक क्षमतायें 73 उद्योगों के लिये विनिर्दिष्ट कर दी गई है। लाइसेंस मुक्त करने की योजना, जो 17 रसायन उद्योगों पर लागू की गई थी, ताकि उन्हें अपनी टेक्नोलोजी अद्यतन करने और संयंत्रों के आधुनिकीकरण में सहायता मिल सके, अब 44 विस्तृत उद्योग समूहों पर और 82 मूलाधार औषधियों के सम्बन्ध में भी लागू कर दी गई है। एम० आर० टी० पी० कम्पनियों को एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 21 और 22 से छूट 52 और उद्योगों को भी प्रदान कर दी गई तथा अब यह 79 उद्योगों पर लागू है जिनमें नौपरिवहन और होटल उद्योग शामिल हैं। एम० आर० टी० पी० और फेरा कम्पनियों को क्षेत्र "क" (उद्योग रहित/विशेष खण्ड) अधिसूचित पिछड़े जिलों में बिना किसी निर्यात दायित्व के और लघु पैमाने के क्षेत्र के लिये आरक्षित मदों के सम्बन्ध में भी श्रेणी "ख" और "ग" जिलों में 25% के घटे हुए

निर्यात दायित्व पर परिशिष्ट I उद्योगों से भिन्न उद्योग लगाने की अनुमति प्रदान की गई है। लाइसेंस क्षमता की पुनः पुष्ठांकन योजनाओं को 94% की पूर्ववर्ती सीमा की बजाय 80% क्षमता उपयोग प्राप्त करने वाली इकाइयों को भी इसकी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये उदार बनाये रखा गया है। यह योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना की सम्पूर्ण अवधि के दौरान लागू रहेगी। उद्योगों के विस्तृत वर्गीकरण की योजना, उद्योगों के 32 से अधिक विस्तृत समूहों पर लागू कर दी गई है, जिनमें कांच, इस्पात की पाइपें और ट्यूबें, सिन्थोटिक रेशा और फिलामेंट धागा, बिजली की केबलें और तारें, बाल और रोलर बेयरिंग्स, विनिर्दिष्ट कृषि मशीनरी, सोया उत्पाद, रसायन उत्पाद तथा वस्त्र मशीनरी शामिल है।

1.25 18 दिसम्बर, 1986 को नई औषधि नीति की घोषणा की गई। इस नीति के अन्तर्गत, औषधि और फार्मास्युटिकल उद्योगों के विकास सम्बन्धी मामलों पर सलाह देने के लिये राष्ट्रीय औषधि एवं फार्मास्यूटिकल प्राधिकरण नामक शिखर संस्था की स्थापना का विचार है। नियंत्रित मूल्य व्यवस्था के अन्तर्गत औषधियों के मूल्य निर्धारण और उनमें संशोधन की समग्र प्रक्रिया को शीघ्र ही सुव्यवस्थित बना दिये जाने की संभावना है। औद्योगिक लागत एवं कीमत ब्यूरो, रसायन और पैट्रो रसायन विभाग के साथ, औषधि निर्माताओं से मूल्य निर्धारण और इसके संशोधन के लिये प्राप्त आवेदनों के शीघ्र निपटान की व्यवस्था बनाने हेतु विचार कर रहा है। पेट्रो-रसायन उद्योग के विकास और प्रगति के लिये राष्ट्रीय पेट्रो-रसायन विकास परिषद की स्थापना की गई है जिसमें अद्यतन टेक्नोलाजी बड़े पैमाने की किफायतों, ऊर्जा संरक्षण, आदि के उपयोग पर विशेष बल दिया जाना अपेक्षित है।

1.26 सीमेंट उद्योग की लाभप्रदता में सुधार लाने की दृष्टि से सरकार ने 15 दिसम्बर, 1986 से सभी सीमेंट इकाइयों के लेवी दायित्व को 10% कम कर दिया है। पहली अप्रैल, 1986 को या उसके बाद उत्पादन आरम्भ करने वाली नई इकाइयों के लेवी दायित्व को 15% और भी कम कर दिया गया है।

1.27 1986–90 की अवधि के लिये 12 दिसम्बर, 1986 को नई चीनी नीति की घोषणा की गई। दोहरे मूल्य सहित चीनी पर आंशिक नियंत्रण की नीति लागू रहनी है, और मुक्त बिक्री चीनी नियतांश के अनुपात को 45% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 के अधीन चीनी मिलों के पुनःस्थापन और आधुनिकीकरण को सुविधाजनक बनाने, चीनी उद्योग के विकास के उद्देश्य से अनुसन्धान और विकास कार्यक्रमों को अनुदान प्रदान करने, गन्ना विकास की योजनाओं को लागू करने, चीनी के मूल्यों को स्थिर रखने के उद्देश्य से चीनी के भारी भण्डार जमा करने और इनका रख रखाव करने पर व्यय करने, आदि के प्रयोजन हेतु "चीनी विकास निधि" की स्थापना की गई है।

1.28 वस्त्र इकाइयों के आधुनिकीकरण हेतु भाऔवि बैंक के केन्द्र एजेन्सी के रूप में "वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना" पहली अगस्त 1986 से लागू हो गई है। केन्द्रीय सरकार द्वारा 18 सितम्बर, 1986 को पटसन उद्योग के लिये घोषित "पैकेज सहायता" की शर्तों के अधीन भाऔविनि के केन्द्र एजेन्सी के रूप में "जूट आधुनिकीकरण निधि" योजना 1 नवम्बर, 1986 से लागू हो गई है। इसके अतिरिक्त, पटसन उद्योग की अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार लाने की दृष्टि से कृषि क्षेत्र, अनुसन्धान और विकास, श्रम के औचित्यकरण, आदि के सम्बन्ध में सहायता प्रदान करने के लिये सरकार ने 100 करोड़ रुपये की राशि से एक विशेष "जूट विकास निधि" की स्थापना की है।

1.29 निर्यात को बढ़ावा देने के लिये दिसम्बर, 1986 में कम्प्यूटर साफ्टवेयर नीति की घोषणा की गई। सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 434 करोड़ रुपये मूल्य के कम्प्यूटर आयात करने के लिये विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी तथा अन्य संगठनों को पहले ही अनुमति दे दी है।

1.30 लाइसेंसिंग प्रक्रिया को भी काफी सरल बना दिया गया है। मई, 1987 में सरकार ने प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिये बनाये गये उपायों की एक शृंखला घोषित की। कार्यान्वित न किये गये आशय पत्र पांच वर्ष की अवधि के बाद स्वतः ही व्ययगत हो जायेंगे, यदि उन्हें इसी अवधि में पुनः विधिमान्यकृत न किया गया। अब सहायकीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है, और औद्योगिक लाइसेंसों के लिये आवेदनों पर उनके द्वारा किये जाने वाले सहायकीकरण के स्वरूप और मात्रा की विशेष शर्त लगाई जाती है। 1986–87 में पारित किये गये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 को आगामी वर्षों में सक्रिय रूप से क्रियान्वित किये जाने की संभावना है। विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 के उपबन्धों का भी कड़ाई के साथ अनुपालन अपेक्षित है।

1.31 उद्योग, कृषि और व्यापार के लिये अल्पावधि तथा दीर्घावधि दोनों प्रकार के वित्त और साख के प्रवाह का समग्र जायजा लेने की दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक से सरकार के साथ परामर्श करके राष्ट्रीय वित्त एवं साख परिषद की स्थापना की है। राष्ट्रीय वित्त एवं साख परिषद पूंजी और मुद्रा बाजार की गतिविधियों पर उनके कार्य और दक्षता बढ़ाने की दृष्टि से विचार करेगी। इसकी प्रथम बैठक 24 दिसम्बर, 1986 को आयोजित की गई। राष्ट्रीय वित्त एवं साख परिषद की, मुद्रा प्रणाली के कार्यपालन की समीक्षा के लिये गठित समिति की, और राष्ट्रीय वित्त एवं साख परिषद द्वारा गठित मुद्रा बाजार कार्यकारी समूह की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए राजकोषीय, मुद्रा और साख नीतियों द्वारा व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाये जाने की पूरी संभावना है।

1.32 निर्यात संवर्द्धन के लिये पहली जुलाई, 1986 से एक नई योजना, "नकद क्षतिपूर्ति सहायता योजना' आरम्भ की गई है। मार्च, 1990 तक की अवधि के लिये 220 मदों को नकद क्षतिपूर्ति सहायता पहले ही घोषित कर दी गई है। शुल्क वापसी दरों की समीक्षा, कम की गई लागत, टेक्नोलाजी उन्नयन और विदेशी बाजारों में भारतीय वस्तुओं के अधिक प्रभावशाली संवर्द्धन द्वारा निर्यात को प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के लिये अनेक उपाय किये गये हैं।

1.33 निदेशकों को अधिक लोच प्रदान करने के लिये और शेयरों में निवेश की गई पूंजी की तरलता बढ़ाने के लिये भी पूंजीगत अभिलाभ कर के गणन के प्रयोजन के लिये न्यूनतम धरण अवधि को तीन वर्ष से कम करके एक वर्ष कर दिया गया है। निवेशों के अधिकारों के संरक्षण के लिये तथा व्यापार अनाचार को रोकने के लिये सरकार ने स्टाक एक्सचेंजों और प्रतिभूतियों के विनियमन एवं सुव्यवस्थित संचालन के लिये एक अलग बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन किया गया है, ताकि बैंक पारस्परिक निधियां स्थापित कर सके। पिछले वर्ष भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा स्थापित पारस्परिक निधि के अनुरूप भारतीय स्टेट बैंक ने भी एक पारस्परिक निधि स्थापित करने का निर्णय लिया है। सरकारी क्षेत्र की इकाइयों द्वारा निर्गमित बांडों के लिये माध्यमिक बाजार के विकास की दृष्टि से भारतीय स्टेट बैंक ने सरकारी क्षेत्र के इन बांडों की बिक्री तथा खरीद के लिये संस्थानात्मक सुविधा देने का भी निर्णय किया है। नये बचत पत्र जैसे, इन्दिरा विकास पत्र, 10% कर मुक्त बांड और सरकारी क्षेत्र की इकाइयों द्वारा 80ठ के अन्तर्गत कर-लाभ प्राप्त 14% बांड प्रारम्भ किये गये हैं।

1.34 पहली अप्रैल, 1987 से उदार मूल्य ह्रास दरें लागू की गई हैं, ताकि उद्योग द्वारा पूंजीगत उपकरणों को शीघ्र बदला जा सके और उनका आधुनिकीकरण किया जा सके। पूंजीगत माल के लिये आयात शुल्क ढांचे की पुनः संरचना की गई है, और उसे तर्कसंगत बनाया गया है। पूंजीगत माल उत्पादन करने वाले उद्योगों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले कुछ आयातित उत्पादेयों, जैसे, वस्त्र मशीनरी, बायलर, और टरबाइन पर आयात शुल्क कम कर दिया गया है।

1.35 ग्रामीण एवं लघु उद्योग क्षेत्र की प्रगति और विकास के लिये सरकार ने कई सहायक नीतियां अपनाई हैं और कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैं। मई, 1986 में "लघु उद्योग निधि" की स्थापना और अगस्त, 1987 में भाऔवि बैंक द्वारा "राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना" का लागू किया जाना ऐसे उल्लेखनीय उपाय हैं जो कुटीर, अति लघु और लघु पैमाने के क्षेत्र की नई इकाइयों की प्रगति में न केवल उत्प्रेरक का कार्य करेंगे अपितु इनसे विद्यमान इकाइयों के विस्तार, विशाखन, आधुनिकीकरण और पुनर्स्थापन में भी सहायता मिलेगी।

(ङ) संभावनायें

1.36 उपर्युक्त गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में समुचित उच्च औद्योगिक प्रगति दर प्राप्त करने के लिए सामान्य आर्थिक वातावरण काफी प्रेरक हो गया है। यद्यपि 1987–88 में मानसून के भ्रामक रहने के कारण देश के बड़े भाग में अभूतपूर्व सूखा पड़ा है, और इसके साथ ही उत्तर-पूर्वी भाग और पूर्वी भाग के कुछ भागों में अभूतपूर्व बाढ़ आई है, और इनसे कुछ सीमा तक कृषि उत्पादन और कृषि आधारित उद्योगों पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है लेकिन, अनाज के समुचित भण्डार तथा चीनी के बफर स्टाक को देखते हुए स्थिति के समग्र नियंत्रण में रहने की संभावना है। पिछले तीन वर्षों के दौरान मानसून के लगातार भ्रामक रहने के बावजूद भी उक्त वर्षों में कृषि उत्पादन काफी सन्तोषजनक रहा है और इसने "हरित क्रान्ति" की सफलता को ठोस आधार पर सिद्ध किया है। फिर भी, स्थिति से सावधानी-पूर्वक निपटने की आवश्यकता अवश्यंभावी है।

1.37 यद्यपि औद्योगिक क्षेत्र पर कृषि का प्रभाव नकारा नहीं जा सकता तो भी समुचित मार्किटिंग कौशलताओं के साथ निर्यातों में वृद्धि करने से और औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन तथा गुणवत्ता में ठोस प्रयासों द्वारा इसकी प्रगति को बनाये रखा जा सकता है।

1.38 1986–87 में अवस्थापना क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, और 1987–88 के दौरान भी इसके इसी प्रकार बने रहने की संभावना है। आने वाले वर्षों में पावर आपूर्ति में भी उल्लेखनीय सुधार परिलक्षित होने की आशा है, यद्यपि अभी कुछ वर्षों तक मांग और आपूर्ति में अन्तर बना रह सकता है। उत्साहवर्धक बात यह है कि देश में 1986–87 के दौरान थर्मल पावर स्टेशनों का औसत संयंत्र भार गुणक 53.2% तक पहुंच गया जो पिछले 10 वर्षों में प्राप्त से सर्वधिक है। आने वाले वर्षों में इसमें और सुधार हो सकता है। अपर्याप्त वर्षा से संभवतः हाइडल पावर जेनरेशन के लक्ष्य से कम रहने की संभावना है, परन्तु परमाणु पावर व्यवस्था के द्वारा बेहतर परिणाम दिखाने की अपेक्षा है। आवश्यकता लेकिन इस बात की है कि ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा के वैकल्पिक तथा नवीकरणीय साधनों का बेहतर उपयोग किया जाये।

1.39 परिरक्षित एवं संरक्षित बाजार से खुले प्रति-स्पर्द्धात्मक वातावरण में आने पर प्रगति और विकास की प्रक्रिया में और अधिक गुणवत्ता, सचेत औद्योगिक आधार बनाने में प्रारम्भिक वर्षों में उद्योग को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जितनी जल्दी उद्योग नवीन पद्धतियां अपनाकर ज्ञात चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने का प्रण लेता है उतनी ही जल्दी यह असुरक्षा एवं अनिश्चितता की वर्तमान स्थिति से बाहर निकलकर आशापूर्ण भविष्य की ओर अग्रसर हो सकता है।

1.40 आर्थिक लक्षणों के सम्बन्ध में कहा जा सकता है; कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में कुल

आर्थिक विकास की औसत दर लगभग 5% वार्षिक रही है, और विकासात्मक व्यय के लिये आबंटित संसाधनों के नियमित विस्तार से विकास की गति बढ़ने की संभावना है, यह भी संभावना है, कि सातवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान देश, वास्तविक अर्थों में योजना लक्ष्यों के 60% से अधिक लक्ष्य प्राप्त कर लेगा, और यदि ऐसा हुआ, तो यह एक ऐसी उपलब्धि होगी, जो पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में कभी भी प्राप्त नहीं की जा सकती थी।

1.41 माल और सेवाओं दोनों के निर्यात की सशक्त और लगातार प्रगति, आयात प्रतिस्थापन पर अधिक बल देने, और बेहतर तथा दक्ष संसाधन प्रबन्ध व्यवस्था से, अदायगी सन्तुलन स्थिति नियंत्रण में रह सकती है। खाद्यान्नों की सन्तोषजनक आपूर्ति, स्थिरता और योजनेतर व्यय रोकने के लिये सरकार द्वारा किये गये अनेक उपायों तथा उपलब्ध स्रोतों के अन्यथा विवेक सम्मत उपयोग से मुद्रा स्फीति दबावों के भी नियंत्रण में रहने की पूरी संभावना है।

अध्याय 2

परिचालन, संसाधन एवं कार्य परिणाम

(क) परिचालन :

समग्र परिचालन :

2.01 भाऔविनि के परिचालनों में 1986–87 में उल्लेखनीय प्रगति हुई। वर्ष के दौरान मंजूरियां पहली बार 800 करोड़ रुपए की सीमा पार कर गईं, जो एक वर्ष में 270 करोड़ रुपए से अधिक वृद्धि की द्योतक थीं। 1986–87 के दौरान मंजूरियों की वृद्धि दर 47.2% रही जो भाऔविनि के अस्तित्व के दौरान किसी भी वर्ष की सर्वाधिक है। संवितरण पहली बार 500 करोड़ रुपए की सीमा पार कर गए और 1985–86 में किए गए संवितरणों से 22.5% अधिक रहे। उद्योग की समग्र वित्तीय प्रगति के धीमे रहने के बावजूद औसत ऋण वसूली अनुपात में भी सुधार हुआ, लेकिन यह केवल 1% ही रहा। किन्तु यह वृद्धि, पिछले वर्ष की 7 प्रतिशत वसूली अनुपात में वृद्धि के ऊपर थी।

परिचालन गतिविधियां :

2.02 उल्लेखनीय संस्थानात्मक गतिविधियां जिनका भाऔविनि के कार्यों के विकास में योगदान रहा, इस प्रकार थीं :

— औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) अधिनियम, 1986 (1986 का 50) का अधिनियम, जो 2 फरवरी, 1987 से प्रभावी हुआ और इससे भाऔविनि की गतिविधियों के क्षेत्र और विस्तार में पर्याप्त वृद्धि हुई। भाऔविनि की संविधि अर्थात् औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 में किए गए संशोधन का स्वरूप और सीमा इस रिपोर्ट के परिशिष्ट–II में दिए गए हैं।

— सामूहिक वित्तपोषण व्यवस्था को पहली सितम्बर 1986 से सरल और कारगर बनाना तथा वर्ष के अन्त में पुनः इसे युक्तिसंगत बनाना।

— सरकार से प्राप्त मार्गनिर्देशों के अनुसार तथा अपने अनुभव एवं अधिकांश परियोजना-मूल्यांकन कार्य का कम्प्यूटरीकरण करके विशेषतः तुलन-पत्र और कार्य परिणामों का विश्लेषण, अनुभूति विश्लेषण, घरेलू संसाधन लागत का गणन, आन्तरिक प्रतिलाभ दर एवं विभिन्न अन्य माप-दण्ड और अनुपात, सहायता की मंजूरी के लिए अन्तर-संस्थानात्मक तथा सक्षम प्राधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम्प्यूटरीकृत मानक प्रपत्रों का प्रयोग करके परियोजना मूल्यांकन तकनीकों में सुधार।

— सभी वित्तपोषित संस्थाओं को उनकी अवस्था और स्थिति के आधार पर श्रेणीबद्ध करके अनुरक्षण प्रणाली में ए० बी० सी० विश्लेषण धारणा प्रारम्भ करना, ताकि उन वित्तपोषित संस्थाओं पर अधिक ध्यान दिया जा सके जिन्हें गहन अनुरक्षण की आवश्यकता है अथवा जो इकाइयां अपने विस्तार, विशाखन, आधुनिकीकरण, पुनर्स्थापन अथवा पुनरुद्धार से सम्बन्धित कार्यक्रम में लिप्त हों।

— 'अग्रणी संस्थान' धारणा को गहन करना जिसका उद्देश्य उद्यमियों की परियोजनाओं का 'एक ही स्थान पर निपटान', 'एक ही बार दस्तावेजीकरण,' 'एक ही संस्थान द्वारा अनुरक्षण और अनुवर्तन' तथा 'देय राशियों की एक ही संस्थान द्वारा वसूली'।

— 'परियोजना वित्तपोषण भागीदारी योजना' के क्षेत्र को 6 फरवरी, 1987 से विस्तृत करना ताकि सभी सरकारी वित्तीय संस्थान, अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम और इसकी चार सहायक कम्पनियां तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट को रुपया सावधि ऋण, हामीदारी और/अथवा शेयरों/डिबेंचरों/बांडों/अन्य प्रतिभूतियों में प्रत्यक्ष अभिदान, गारंटियों और प्रति-गारंटियों (सामूहिक रूप से वित्तीय सहायता के रूप में ज्ञात) के रूप में परियोजना वित्तपोषण में भागीदारी योजना के अधीन लाया जा सके।

— पहली अक्तूबर, 1986 से सरलीकृत मानक साझा ऋण करार लागू करना तथा साझे ऋण करारों के निर्गम की कार्यविधि को सरल बनाना।

2.03 उपर्युक्त के अतिरिक्त, वर्ष के दौरान कुछ विद्यमान योजनाओं, जैसे मुख्यतः उपस्कर वित्त योजना और आधुनिकीकरण सहायता योजना की समीक्षा की गयी तथा चीनी, वस्त्र और जूट उद्योगों के विकास एवं आधुनिकीकरण के लिए विशेष योजनाएं परिचालित की गईं। "गिनमित अस्पतालों/बहुमुखी-औषधालय स्वास्थ्य केन्द्रों के वित्तपोषण" के लिए एक योजना को अन्तिम रूप दिया गया और 1 फरवरी 1987 से इसे लागू किया गया।

2.04 औद्योगिक इकाइयों को उनके निर्यात बढ़ाने के लिए और अधिक प्रोत्साहित करने की दृष्टि से औद्योगिक इकाइयों को निर्यात के आधार पर रुपया ऋण पर ब्याज में छूट देने के लिए एक नई योजना पहली दिसम्बर 1986 से लागू की गई जिसके अन्तर्गत न केवल 100% निर्यातोन्मुख इकाइयां अपितु सभी औद्योगिक इकाइयों को शामिल किया गया। होटलों को भी इस योजना के दायरे में 24 मार्च 1987 से लाया गया।

2.05 उन वित्तपोषित औद्योगिक इकाइयों की कठिनाइयों को कम करने के लिए जिन्हें पहली मार्च 1987 से पूर्व वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तीय सहायता मंजूर की गयी थी, और जिनके पूंजीगत माल और/अथवा उपस्कर को उस तारीख से पहले सीमा शुल्क से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ था, तथा जिनके परिणामस्वरूप वित्तपोषित औद्योगिक इकाइयों की पूंजी लागत, सीमा शुल्क दरों के बढ़ने के कारण बढ़ गई थी, स्वतः ऋण व्यवस्था योजना आरम्भ की गयी जिसकी व्यवस्थाओं के अनुसार, देय अतिरिक्त शुल्क के 90% की सीमा तक और अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक, सावधि ऋण सहायता स्वयमेव आधार पर उपलब्ध की जा सकती है।

2.06 उपरलिखित अनेक नई योजनाएं, कारोबार विकास और प्रगति पर महत्व, विद्यमान प्रणालियों और कार्यविधियों को कारगर बनाने के लिए सतत प्रयास, परिचालनों में अनावश्यकता को दूर करने के उपक्रम तथा सुनिश्चित लेकिन समस्या सुलझाने के लिए सुदृढ़ दृष्टिकोण का प्रतिपादन, आदि ऐसे कुछ अन्य उपाय थे जिनका भाऔविनि की उत्पादकता और प्रगति में समग्र सुधार में योगदान रहा।

वित्तीय सहायता के लिए आवेदनों की प्राप्ति :

2.07 वर्ष 1986–87 के दौरान भाऔविनि ने स्वयं अपनी ओर से अथवा संयुक्त वित्तपोषण आधार पर 548 पात्र संस्थाओं से कुल 3,285.68 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के लिए रिकार्ड संख्या में आवेदनों पर विचार किया। 17.82 करोड़ रुपए की सहायता के लिए 5 संस्थाओं के आवेदनों को या तो आवेदकों द्वारा वापस ले लिया गया अथवा प्रगति के अभाव में या प्रस्तावित परियोजनाओं के व्यवहार्य न होने के कारण बन्द किया हुआ मान लिया गया। वर्ष की समाप्ति पर संयुक्त वित्तपोषण आधार पर कुल 184.08 करोड़ रुपए की सहायता के लिए भाऔविनि के अग्रणी दायित्व में केवल 41 संस्थाओं (35 संयुक्त वित्तपोषण आधार पर) के आवेदन विचाराधीन थे। वर्ष के दौरान 502 संस्थाओं के अन्य सभी आवेदनों पर वित्तीय सहायता मंजूर की गयी — 94.9% मामलों में निपटान पूरी सूचना एवं आंकड़ों की प्राप्ति की तारीख से चार माह से भी कम अवधि में किया गया।

2.08 भाऔविनि के अग्रणी दायित्व में 41 संस्थाओं के आवेदनों के अतिरिक्त, 2,806.26 करोड़ रुपए की समग्र सहायता (अधिकतर संयुक्त वित्तपोषण आधार पर) 133 संस्थाओं के आवेदन भाऔवि बैंक और भाऔऋानिनि के अग्रणी दायित्व में विचाराधीन थे, इनमें भाऔविनि को भी सम्मिलित किए जाने तथा भागीदार बनाए जाने की संभावना आगामी समय में थी।

2.09 जहां तक आवेदनों की आवती का सम्बन्ध है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, दमण और दीव तथा लक्षद्वीप के सिवाय, भाऔविनि को सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्राप्त हुए। वित्तीय सहायता के लिए सबसे अधिक आवेदन महाराष्ट्र से प्राप्त हुए और क्रमवार उसके बाद गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान रहा। उद्योग-वार वस्त्र उद्योग से प्राप्त होने वाले आवेदनों का स्थान अग्रणी बना रहा, और इसके पश्चात् बिजली मशीनरी एवं उपकरण। (जिनमें इलैक्ट्रानिक्स शामिल है), रसायन और रसायन उत्पाद, लोहा व इस्पात, परिवहन उपस्कर एवं पुर्जे, सीमेंट, कृत्रिम रेजिन्स और प्लास्टिक, विविध खाद्य उत्पादों तथा चीनी का स्थान रहा।

मंजूरियां एवं संवितरण :

2.10 भाऔविनि की सभी वित्तीय सहायता योजनाओं के अन्तर्गत कुल निवल मंजूरियां, वर्ष के दौरान (रद्द की गई मंजूरियों के पश्चात्) 493 पात्र संस्थाओं की 556 परियोजनाओं के लिए 853.02 करोड़ रुपए रहीं। 1986–87 में मंजूरियों में, विकास दर 1985–86 की 365 परियोजनाओं के लिए 579.45 करोड़ रुपए की मंजूरियों के मुकाबले में 47.2% अधिक रही। वित्तपोषित परियोजनाओं की संख्या में भी पिछले वर्ष के आंकड़ों की तुलना में 52% की वृद्धि परिलक्षित हुई।

2.11 1986–87 में भाऔविनि के कुल संवितरण 506.85 करोड़ रुपए के रहे। यह 1985–86 के दौरान किए गए 413.92 करोड़ रुपए के कुल संवितरणों के मुकाबले में 22.5% अधिक थे।

2.12 संचयी रूप से, जून 1987 की समाप्ति तक भाऔविनि द्वारा 2,541 परियोजनाओं को कुल 4,042.58 करोड़ रुपए की मंजूरियां दी जा चुकी थी। 30 जून 1987 तक संवितरण 2,886.54 करोड़ रुपए के रहे थे जिसमें से 'नकद संवितरण', अर्थात् दी गयी गारंटियों को छोड़कर संवितरण 2,819.78 करोड़ रुपए के थे। 30 जून 1987 तक संवितरित कुल संचयी सहायता, उक्त तारीख तक की गई कुल संचयी मंजूरियों का 71.4% रही। 30 जून, 1987 की स्थिति के अनुसार बकाया सहायता, ऋणी संस्थाओं द्वारा निवल पुनर्अदायगी के पश्चात् 2,211.86 करोड़ रुपए की थी।

मंजूरियों और संवितरणों का सुविधा-वार वर्गीकरण :

2.13 सारणी 5 में, 30 जून 1987 की स्थिति के अनुसार मंजूरियों, संवितरणों एवं बकायों का उल्लेख करते हुए 1986-87 के दौरान भाऔविनि की मंजूरियों एवं संवितरणों और संचयी कार्यों का सुविधा-वार वर्गीकरण दिया गया है।

सारणी 5 : मंजूरियों और संवितरणों और बकाया का सुविधा-वार वर्गीकरण : (करोड़ रुपए

सुविधा	1986–87 (जुलाई-जून)		30 जून, 1987 तक संचयी		30 जून, 1987 की स्थिति के अनुसार
	मंजूरियां रु०	संवितरण रु०	मंजूरियां रु०	संवितरण रु०	बकाया रु०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रुपया ऋण . . .	600.64 (70.5%)	389 27 (76.8%)	2,886.06 (71.4%)	2,276.48 (78.9%)	1,785.98 (80.7%)
विदेशी मुद्रा ऋण . .	194.49 (22.8%)	103.77 (20.5%)	748.41 (18.5%)	460.83 (16.0%)	331.12 (15.0%)
हामीदारियां . . .	54.58 (6.4%)	5.88 (1.2%)	276.74 (6.9%)	63.88 (2.2%)	41.19 (1.9%)
प्रत्यक्ष अभिदान . .	2.06 (0.2%)	6.69 (1.3%)	20.13 (0.5%)	18.59 (0.6%)	31.64* (1.4%)
गारंटियां					
आस्थगित अदायगियों के लिए .	1.25 (0.1%)	1.24 (0.2%)	74.27 (1.8%)	38.85 (1.3%)	17.17 (0.8%)
—विदेशी ऋणों के लिए .	—	—	36.97 (0.9%)	27.91 (1.0%)	4.76 0.2)
जोड़ . . .	853.02 (100%)	506.85 (100%)	4,042.58 (100%)	2,886.54 (100%)	2,211.86 (100%)

टिप्पणी : (i) कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ों जोड़ के प्रतिशत के द्योतक हैं ।

(ii) *ऋणों/डिबेन्चरों के शयरों में संपरिवर्तन के द्वारा अर्जित शेयर/डिबेन्चर सम्मिलित है ।

2.14 भाऔविनि द्वारा प्रदान की गयी सुविधा-वार सहायता का एक उभरती हुई प्रवृत्ति इसकी सहायता में विदेशी मुद्रा ऋणों का बढ़ता हुआ भाग है । वर्ष 1986-87 में भाऔविनि की मंजूरियों और संवितरणों में, विदेशी मुद्रा ऋणों की मंजूरियों और संवितरणों का भाग क्रमशः 22.8% और 20.5% रहा, और दोनों में पिछले वर्ष की तुलना में विदेशी मुद्रा ऋणों की मंजूरियों और संवितरणों में वृद्धि की दर, क्रमशः 26.9% और 19.2% रही ।

भाऔविनि की सहायता की विशेषताएं (1986–87)

(क) नई परियोनाओं को सहायता :

2.15 1986–87 में भाऔविनि द्वारा मंजूर की गई कुल सहायता में से 60.3% (514.51 करोड़ रुपए) 203 नई परियोजनाओं को प्राप्त हुआ । इनमें से 17 परियोजनाओं की प्रत्येक की पूंजी लागत 3 करोड़ रुपए तक थी, 47 परियोजनाएं अलग-अलग 3 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए की पूंजी लागत के बीच की थीं, 61 परियोजनाओं की, प्रत्येक की पूंजी लागत 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए के बीच थी, 52 परियोजनाओं की, प्रत्येक की पूंजी लागत 10 करोड़ रुपए से 20 करोड़ रुपए के बीच थी, और 26 परियोजनाएं ऐसी थी जिनकी पूंजी लागत प्रति परियोजना 20 करोड़ रुपए से अधिक थी ।

(ख) विस्तार और विशाखन परियोजनाओं के लिए सहायता

2.16 1986–87 में 40 परियोजनाओं को उनके विस्तार एवं विशाखन कार्यक्रमों के लिए 69.70 करोड़ रुपए (कुल सहायता का 8.2% भाग) की सहायता प्राप्त हुई । यह पिछले वर्ष इन्हीं प्रयोजनों के लिए मंजूर की गयी सहायता से 13.9% अधिक थी ।

(ग) आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के लिए सहायता :

2.17 वर्ष के दौरान, 135 परियोजनाओं को आधुनिकीकरण प्रयोजनों के लिए 128.71 करोड़ रुपए (कुल सहायता का 15.1% भाग) की सहायता प्राप्त हुई जबकि 1985–86 में 104 परियोजनाओं को 84.62 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई थी, जो उक्त प्रयोजनों के लिए अनुमोदित वित्तीय सहायता में 52.1% की वृद्धि का द्योतक थी । आधुनिकीकरण परियोजनाओं की संख्या में भी पिछले वर्ष की तुलना में 29.8% की वृद्धि हुई ।

2.18 भाऔविनि द्वारा 1986–87 में मंजूर की गयी आधुनिकीकरण सहायता का योजना-वार वर्गीकरण सारणी 6 में दिया गया है ।

सारणी 6 : आधुनिकीकरण सहायता का योजना-वार वर्गीकरण

(करोड़ रुपए)

आधुनिकीकरण सम्बन्धी योजनाएं	परियोजनाओं की संख्या	राशि (रु०)
(1)	(2)	(3)
उदार ऋण योजना	61 (45.2%)	58.20 (45.2)
वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना	49 (36.3)	33.36 (25.9%)
पटसन आधुनिकीकरण निधि योजना	1 (0.7%)	0.98 (0.8%)
आधुनिकीकरण प्रयोजनों के लिए अन्य सहायता	24 (17.8%)	36.17 (28.1%)
जोड़ :	135 (100%)	128 1 (100%)

2.19 वर्ष 1986–87 के दौरान उदार ऋण योजना के अधीन सहायता में कुछ बढ़ोतरी परिलक्षित हुई । उदार ऋण योजना के क्षेत्र में वर्ष की समाप्ति पर कुछ और उदार करने का विचार था । तदनुसार कास्टिक सोडा इकाइयों को मेम्ब्रेन सेल टेक्नोलोजी में संपरिवर्तित करने के लिए उदार शर्तों पर सहायता 4 करोड़ रुपए की सामान्य सीमा के स्थान पर 6 करोड़ रुपए तक हो सकती है । इसी प्रकार, 2,500 टन दैनिक पिराई क्षमता (पहले यह क्षमता 1,500 टन दैनिक थी) तक विस्तार करने वाली चीनी इकाइयों को भी मामले-वार आधार पर उदार ऋण योजना के अन्तर्गत पूर्ववर्ती 4 करोड़ रुपए के स्थान पर 6 करोड़ रुपए की सीमा तक सहायता प्राप्त हो सकती है ।

2.20 पहली अगस्त, 1986 से लागू वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना दो वर्ष की अवधि के लिए आरम्भ की गयी थी और तत्पश्चात् उसकी समीक्षा की जानी थी, वर्ष के दौरान इनमें उभार परिलक्षित हुआ । हालांकि, योजना के परिचालन और प्रवर्तक अंशदान के भाग के रूप में विशेष ऋण उपलब्ध करवाने का प्रमुख दायित्व भाऔविबैंक का ही रहा, किन्तु योजना के अन्तर्गत मंजूर आधुनिकीकरण ऋणों में भाऔविनि का भी भाग रहा ।

2.21 वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना के ढांचे के अनुसार पहली नवम्बर, 1986 से जूट आधुनिकीकरण निधि योजना आरम्भ की गई जिसके परिचालन के लिए भाऔविनि को प्रमुख एजेंसी के रूप में नामित किया गया । इस योजना को विद्यमान पटसन मिलों (अधिकांश पश्चिम बंगाल में) से अधिक स्वीकार्यता प्राप्त नहीं हो सकी, क्योंकि ऐसी मिलों में बिक्री कर, कच्चे पटसन पर देय कर राशि की अदायगी, श्रमिक औचित्यकरण आदि मामलों से सम्बद्ध पहलू अभी निपटाए जाने शेष थे । वर्ष के दौरान, केवल एक ही पटसन मिल योजना के अन्तर्गत विशेष ऋण (प्रवर्तक अंशदान के लिए) और आधुनिकीकरण ऋण (संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर के आधुनिकीकरण/नवीकरण के लिए) की सुविधा का लाभ उठा सकी । संस्थानात्मक और सरकारी दोनों स्तरों पर ही योजना की स्थिति लगातार समीक्षाधीन रही ।

(घ) स्वतः ऋण व्यवस्था सहित अधि-व्यय सहायता :

2.22 133 परियोजनाओं को उनकी परियोजना लागत में अधि-व्यय को पूरा करने के लिए और उपस्कर, पुनर्स्थापन आदि को संतुलित करने के लिए 111.08 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की गई । 1987–88 के लिए बजट प्रस्तावों के अनुसार पहली मार्च 1987 से, मशीनरी और उपस्कर, आदि पर सीमा शुल्क की दरों में वृद्धि के कारण देय अतिरिक्त शुल्क की राशि में 90% सीमा तक उपलब्ध करवाई जा रही 'स्वतः ऋण व्यवस्था' भी इस सहायता में शामिल है ।

(ङ) उपस्कर वित्त योजना के अन्तर्गत सहायता

2.23 वर्ष के दौरान, उपस्कर वित्त योजना का पुनरवलोकन किया गया, और संतोषप्रद प्रगति रिकार्ड एवं सुदृढ़ वित्तीय स्थिति वाली विद्यमान औद्योगिक संस्थाओं को देश या विदेश से कोई भी उपस्कर (किसी विशेष परियोजना या योजना का भाग नहीं) खरीदने के लिए ऋण सहायता प्रदान की गई । योजना को वर्ष में पर्याप्त स्वीकार्यता प्राप्त हुई, और इसके अन्तर्गत 45 इकाइयों को 29.02 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की गई । यह पिछले वर्ष उपस्कर वित्त योजना के अन्तर्गत मंजूर की गई सहायता के दुगुने से अधिक थी और इस प्रकार इसमें 130.9 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई ।

(च) नए उद्यमियों/प्रवासी भारतीयों द्वारा प्रवर्तित परियोजनाओं को सहायता

2.24 वर्ष के दौरान, वित्तपोषित 203 नई परियोजनाओं में से 26 परियोजनाएं ऐसी थीं, जिनका प्रवर्तन नए और तकनीकज्ञ उद्यमियों द्वारा किया गया था । इन्हें 42.96 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई । परियोजनाओं की संख्या तथा सहायता राशि पिछले वर्ष के रिकार्ड से लगभग दुगुनी रही जो प्रथम-पीढ़ी उद्यमियों के विकास तथा देश में उद्यमीयता आधार को विस्तृत करने में महत्वपूर्ण प्रगति का द्योतक है । नए उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित ये परियोजनाएं प्लास्टिक उत्पाद, रसायन उत्पाद, इलैक्ट्रानिक्स, परिवहन उपस्कर, अधातु खनिज उत्पाद, विविध खाद्य उत्पाद, आदि, उद्योगों से संबंधित है । वर्ष के दौरान, वित्तपोषित नई परियोजनाओं में से तीन परियोजनाओं का प्रवर्तन प्रवासी भारतीय द्वारा किया गया ।

(छ) प्रदूषण नियंत्रण और उपशमन उपाय करने वाली परियोजनाओं को सहायता

2.25 पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के बढ़ते हुए महत्व के कारण भाऔविनि ने नई और विद्यमान परियोजनाओं को अपनी सभी मंजूरियों में, उद्योग द्वारा किए जा रहे प्रदूषण नियंत्रण और उपशमन उपायों पर विशेष बल दिया। वर्ष के दौरान वित्तपोषित बहुत सी परियोजनाओं की परियोजना लागत में, व्यर्थ पदार्थ निपटान, वायु, मिट्टी और जल प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के परिरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए गए।

(ज) वैकल्पिक और नवीकरणीय ऊर्जा साधनों का निर्माण और उपयोग करने वाली परियोजनाओं को सहायता

2.26 वैकल्पिक/नवीकरणीय ऊर्जा साधनों के निर्माण तथा उपयोग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से रियायती वित्त प्रदान करने के लिए एक योजना भाऔविनि में पहले ही सितम्बर, 1981 से लागू है। वर्ष के दौरान, जिन परियोजनाओं को सहायता मंजूर की गई उनमें से छः परियोजनाएं ऐसी थीं जो अधिकतर सौर, वायु अथवा जीव-पुंजऊर्जाओं पर आधारित वैकल्पिक/नवीकरणीय ऊर्जा के विनिर्माण अथवा उपयोग से किसी न किसी रूप में सम्बद्ध थीं।

(झ) निर्यात-उन्मुख तथा आयात-प्रतिस्थापन परियोजनाओं को सहायता

2.27 संस्थानात्मक वित्तपोषण के लिए किसी औद्योगिक परियोजना की उपयुक्तता पर विचार करते समय, इकाइयों की निर्यात प्रगति तथा नई इकाइयों की निर्यात संभावना पर वर्ष के दौरान पर्याप्त ध्यान दिया गया। इसी प्रकार, विदेशी मुद्रा की बचत करने के उद्देश्य से आयात प्रतिस्थापन वाली परियोजनाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया। वर्ष के दौरान, वित्तपोषित ऐसी निर्यात-उन्मुख और आयात-प्रतिस्थापन औद्योगिक परियोजनाओं की संख्या 27 रही जिन्हें 113.01 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई।

(ञ) विदेश से प्रौद्योगिकी अन्तरण करने वाली परियोजनाओं को सहायता

2.28 वर्ष के दौरान, वित्तपोषित 556 परियोजनाओं में से 47 परियोजनाएं, जिन्हें 239.10 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई थी, विदेशी सहयोग और/अथवा विदेशों से प्रौद्योगिकी अन्तरण पर आधारित थीं। उपर्युक्त में से, 15 परियोजनाएं तकनीकी तथा वित्तीय दोनों प्रकार के सहयोग पर आधारित थीं जबकि शेष 32 परियोजनाएं केवल तकनीकी सहयोग से सम्बद्ध थीं। जिन देशों से और जितनी परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी प्राप्त की गई, वह क्रमानुसार है : जर्मन संघीय गणराज्य (13), जापान (9), संयुक्त राज्य अमरीका (8) स्वीडन (5), इंगलैंड (4), इटली (3), स्विटजरलैंड (1) स्पेन (1), आस्ट्रेलिया (1), फ्रांस (1) और ताइवान (1)। शेष परियोजनाएं देश में उपलब्ध प्रौद्योगिकी, तकनीकी प्रक्रियाओं, आदि पर अथवा देश में विकसित प्रौद्योगिकी पर आधारित थीं जो देश की प्रौद्योगिकी क्षमित और बढ़ती हुई क्षमताओं का द्योतक है।

भाऔविनि द्वारा वित्तपोषित कुछ परियोजनाओं की प्रमुख विशेषताएं (1986-87)

2.29 औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) अधिनियम, 1986 से भाऔविनि के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, चिकित्सा, स्वास्थ्य अथवा अन्य समवर्गीय सेवाओं के लिए सहायता प्रदान करना संभव हो गया। इसके अनुसरण में, भाऔविनि ने वर्ष के दौरान, निजी निगमित क्षेत्र में कोयम्बटूर में स्थापित किए जाने वाले एक चिकित्सा केन्द्र और अस्पताल को तथा दिल्ली में स्थापित किए जाने वाले एक स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र को सहायता मंजूर की। इसी प्रकार, औद्योगिक सम्पदाओं के वित्तपोषण की इसकी योजना के अधीन भाऔविनि ने पहली बार, सहकारी क्षेत्र में गुजरात की एक औद्योगिक सम्पदा के वित्तपोषित तथा राज्य इलैक्ट्रानिक्स निगम द्वारा पश्चिम बंगाल में स्थापित किए जाने वाले इलैक्ट्रानिक्स काम्पलैक्स के विकास के लिए मंजूरी प्रदान की। वर्ष के दौरान, वित्तपोषित कुछ परियोजनाएं देश में पहली बार कुछ उत्पादों का निर्माण करेंगी, उदाहरणार्थ, थर्मोप्लास्टिक पॉलियूरेथेनम रेसिन्स/कम्पाउंड, विशेष प्रयोजन इलैक्ट्रोड्स के लिए कोर राड, वीडियो डेक्स, इलैक्ट्रानिक पुश बटन टेलीफोन, चाय और सीमेंट की पैकिंग के लिए मल्टीवाल पेपर सैक, ब्रश रहित आल्टर्नेटर, आदि। वर्ष के दौरान, भाऔविनि द्वारा वित्तपोषित अन्य अनेक परियोजनाओं की ईंधन बचत प्रधान या पावर बचत प्रधान टेक्नोलाजी, उप-उत्पादों अथवा व्यर्थ माल के पूर्ण उपयोग अथवा देश में विकसित बेहतर और उन्नत प्रौद्योगिकी को पहली बार प्रारम्भ करना, आदि है।

सहायता का क्षेत्र-वार वर्गीकरण

2.30 27 अप्रैल, 1983 को केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन योजनाओं के आधार पर, पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए संस्थानात्मक योजना 31 मार्च, 1987 तक और उसके बाद भी इस शर्त पर लागू रही कि पिछड़े क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए पहली अप्रैल, 1987 और उसके बाद से मंजूर की गई सहायता को केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित की जाने वाली संशोधित योजना के अनुसार समीक्षा की जाएगी। वर्ष की समाप्ति के समय केन्द्रीय सरकार से घोषणा की अपेक्षा थी।*

2.31 वर्ष 1986-87 के दौरान, अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों की 296 परियोजनाओं को भाऔविनि की सहायता 426.39 करोड़ रुपये रही। यह वर्ष के दौरान मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता की कुल राशि का 50 प्रतिशत भाग है।

*प्राप्त सूचना के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने वर्तमान योजना की अवधि को 31 जनवरी, 1988 तक बढ़ा दिया है।

2.32 श्रेणी "क", "ख" और "ग" के अन्तर्गत पिछड़े जिलों/क्षेत्रों के वर्गीकरण की विद्यमान योजना के अनुसार श्रेणी "क" (उद्योग रहित/विशेष क्षेत्र) जिलों में स्थित 76 परियोजनाओं को 127.05 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई श्रेणी "ख" जिलों/क्षेत्रों में स्थित 128 परियोजनाओं को 189.54 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई, श्रेणी "ग" जिलों/क्षेत्रों की 92 परियोजनाओं को 109.80 करोड़ की सहायता प्राप्त हुई। अधिसूचित पिछड़े जिलों की प्रत्येक श्रेणी, अर्थात् श्रेणी "क", "ख" और "ग" को, पिछड़े क्षेत्रों की परियोजनाओं को मंजूर की गई कुल सहायता में प्राप्त भाग, क्रमशः 29.8 प्रतिशत, 44.5 प्रतिशत और 25.7 प्रतिशत रहा।

2.33 श्रेणी "क" (उद्योग रहित/विशेष क्षेत्र) जिलों की परियोजनाओं को 1986–87 में प्रदान वित्तीय सहायता में पिछले वर्ष के रिकार्ड की तुलना में 38.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। श्रेणी "क" (उद्योग रहित/विशेष क्षेत्र) जिलों/क्षेत्रों में वित्तपोषित परियोजनाओं की संख्या 1985–86 के 40 की तुलना में 1986–87 में 76 हो गई, जोकि 90.0 प्रतिशत वृद्धि की द्योतक थी। उद्योग रहित/विशेष जिलों/क्षेत्रों में पनपने वाली। परियोजनाओं पर इस प्रकार पर्याप्त ध्यान दिया गया। अधिसूचित श्रेणी "ख" और श्रेणी "ग" जिलों/क्षेत्रों की परियोजनाओं को सहायता की राशि में 1985–86 की तुलना में 1986–87 में क्रमश. 42.3 और 10.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.34 संचयी रूप से, 30 जून, 1987 तक भाअौविनि ने अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में स्थित 1,184 परियोजनाओं को 2,109.87 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता मंजूर की जो भाअौविनि की कुल निवल संचयी मंजूरियों का 52.2 प्रतिशत भाग है।

सहायता का सेक्टर-वार वर्गीकरण

2.35 सारणी 7 में वर्ष के दौरान तथा 30 जून, 1987 तक संचयी रूप से, परियोजनाओं और उनको मंजूर की गई सहायता का सेक्टर-वार वर्गीकरण दिया गया है।

सारणी 7 : मंजूर और संवितरित की गयी सहायता का क्षेत्रवार वर्गीकरण (करोड़ रुपए)

क्षेत्र	1986–87 (जुलाई–जून)			30 जून, 1987 तक संचयी		
	मंजूरियां		संवितरण	मंजूरियां		संवितरण
	परियोजनाओं की संख्या	राशि रु०	राशि रु०	परियोजनाओं की संख्या	राशि रु०	राशि रु०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
निजी .	428	620.65 (72.8%)	358.29 (70.7%)	1,765 (69.5%)	2,684.58 (66.4%)	1,856 18 (64.3%)
संयुक्त .	62	93.35 (10.9%)	67.52 (13.3%)	221 (8.7%)	534.74 (13.2%)	364.12 (12.6%)
सरकारी .	40	93.71 (11.0%)	37.87 (7.5%)	254 (10.0%)	443.83 (11.0%)	324.96 (11.3%)
सहकारी .	26	45.31 (5 3%)	43.17 (8.5%)	301 (11.8%)	379.43 (9.4%)	341.28 (11.8%)
जोड़ .	556	853.02 (100%)	506.85 (100%)	2,541 (100%)	4,042.58 (100%)	2,886.54 (100%)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े जोड़ के प्रतिशत के द्योतक हैं।

(क) सहकारी क्षेत्र को सहायता

2.36 वर्ष के दौरान, भाअौविनि ने सहकारी क्षेत्र की 26 परियोजनाओं को 45.31 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की। इनमें 13 चीनी सहकारिताएं थीं। जिन्हें 17.88 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई, 11 वस्त्र सहकारिताएं थीं। जिन्हें 10.43 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई, एक उर्वरक सहकारिता को 15.00 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई तथा एक सहकारिता को औद्योगिक काम्पलैक्स स्थापित करने के लिए 2 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई। 1986-87 में औद्योगिक सहकारिताओं को मंजूर की गई कुल सहायता, 1985–86 में औद्योगिक सहकारिताओं को मंजूर की गई सहायता से 3.7 प्रतिशत अधिक रही।

2.37 30 जून, 1987 तक संचयी रूप से भाऔविनि ने सहकारी क्षेत्र की 301 परियोजनाओं को 379.43 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की, जिसमें से 341.28 करोड़ रुपए (89.9 प्रतिशत) पहले ही संवितरित किए जा चुके थे। सारणी 8 में 30 जून, 1987 तक औद्योगिक सहकारिताओं को मंजूर और संवितरित सहायता का उद्योग-वार वर्गीकरण दिया गया है।

सारणी 8 : औद्योगिक सहकारिताओं को सहायता (1948–87)

(करोड़ रुपये)

उद्योग की प्रकृति	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर की गई राशि रु०	संवितरित राशि रु०
(1)	(2)	(3)	(4)
चीनी	200	224.25	217.73
वस्त्र	86	84.90	71.23
पटसन	1	0.79	0.79
कागज	4	4.45	4.34
उर्वरक	4	47.75	42.60
कृत्रिम रेशे	2	13.00	2.50
वनस्पति तेल	1	0.22	0.22
कोकोआ प्रोसेसिंग	1	1.87	1.87
रसायन	1	0.20	—
औद्योगिक सम्पदा	1	2.00	—
जोड़	301	379.43	341.28

(ख) निगमित क्षेत्र को सहायता

2.38 वर्ष के दौरान, 530 परियोजनाओं को 807.71 करोड़ रुपये की सहायता निगमित क्षेत्र को दी गई। निजी निगमित क्षेत्र, जो हमेशा भाऔविनि से सर्वाधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करता रहा है, को 428 परियोजनाओं के लिए 620.65 करोड़ रुपये (कुल का 72.8 प्रतिशत) की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई जो पिछले वर्ष 284 परियोजनाओं को मंजूर की गई 399.23 करोड़ रुपये की सहायता से 55.5 प्रतिशत अधिक है।

2.39 संयुक्त क्षेत्र में हालांकि वर्ष के दौरान सहायता प्राप्त करने वाली परियोजनाओं की संख्या पिछले वर्ष की 40 की तुलना में 62 हो गई, कुल मंजूर राशि 93.35 करोड़ रुपये रही जबकि 1985–86 में 97.68 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई थी। सरकारी क्षेत्र की 40 परियोजनाओं को 93.71 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई जबकि पिछले वर्ष 21 परियोजनाओं को 38.86 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई थी। इस प्रकार 141.1 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई।

2.40 30 जून, 1987 की स्थिति के अनुसार संचयी रूप से भाऔविनि की कुल सहायता में से निगमित क्षेत्र की परियोजनाओं की सहायता का भाग 90.6 प्रतिशत था जिसमें से निजी, संयुक्त और सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं का भाग, क्रमशः 66.4 प्रतिशत, 13.2 प्रतिशत और 11.0 प्रतिशत रहा। निगमित क्षेत्र को मंजूर कुल सहायता में से संचयी संवितरण 69.5 प्रतिशत रहा।

सहायता का उद्योग-वार प्रसार

2.41 वर्ष के दौरान तथा 30 जून, 1987 तक संचयी रूप से सहायता का उद्योग-वार प्रसार सारणी 9 में दिया गया है।

सारणी 9 : सहायता का उद्योग-वार प्रसार

(करोड़ रुपए)

उद्योग	1986–87 (जुलाई-जून)			30 जून, 1987 तक संचयी		
	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि रु०	कुल का प्रतिशत	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि रु०	कुल का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
चीनी :						
—सहकारिताएं	13	17.88	2.1	200	224.25	5.5
—अन्य	11	12.42	1.4	72	70.73	1.8
वस्त्र	106	85.60	10.0	496	533.98	13.2
पटसन उत्पाद	2	1.36	0.2	28	20.82	0.5
रसायन :						
—मूल रसायन	26	40.65	4.8	120	254.01	6.3
—उर्वरक व कीटनाशक	17	70.37	8.2	64	266.35	6.6
—कृत्रिम रेशे	12	51.30	6.0	51	232.45	5.8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
—कृत्रिम रेशिम, प्लास्टिक उत्पादन व उत्पाद	14	12.45	1.5	61	69.49	1.7
—अन्य रसायन व रसायन उत्पाद . .	35	43.62	5.1	120	124.23	3.1
सीमेंट	30	61.02	7.1	138	416.47	10.3
कागज व कागज उत्पाद . . .	17	15.99	1.9	110	195.38	4.8
रबर उत्पाद	5	8.41	1.0	37	71.79	1.8
लोहा व इस्पात . . .	37	55.68	6.5	167	260.49	6.4
मशीनरी	24	26.97	3.2	139	138.77	3.4
परिवहन उपस्कर व पुर्जे . . .	31	69.02	8.1	122	215.60	5.3
बिजली मशीनरी व उपस्कर (इलेक्ट्रानिक्स सहित)	53	123.30	14.5	162	255.28	6.3
अलौह धातूएं	4	7.39	0.9	35	71.19	1.8
अधातु खनिज उत्पाद . . .	26	33.91	4.0	92	149.32	3.7
होटल	19	19.08	2.2	63	80.76	2.0
विविध अन्य उद्योग . . .	74	96.60	11.3	264	391.22	9.7
जोड़	556	853.02	100.0	2,541	4,042.58	100.0

2.42 उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों तथा अन्य चुने महत्वपूर्ण उद्योगों को (जो सामान्यतः 2 फरवरी, 1973 के समय-समय पर यथा संशोधित औद्योगिक नीति विवरण के परिशिष्ट–1 उद्योगों के रूप में विख्यात हैं) वर्ष के दौरान, मंजूर कुल सहायता का 78.9 प्रतिशत प्राप्त हुआ। कुल मिलाकर दशक (1977–87) के दौरान भाग्रौविनि द्वारा मंजूर की गई सहायता का 80 प्रतिशत से अधिक भाग उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों और अन्य चुने हुए महत्वपूर्ण उद्योगों को प्राप्त हुआ।

2.43 जिन उद्योगों को 1986–87 के दौरान भाग्रौविनि की सहायता में विशिष्ट भाग प्राप्त हुआ, वे हैं : इलेक्ट्रिक मशीनरी, उपकरण और पुर्जे तथा इलैक्ट्रानिक्स (14.5 प्रतिशत), वस्त्र (10.00 प्रतिशत), रसायन और रसायन उत्पाद (9.9 प्रतिशत), उर्वरक एवं कीटनाशक (8.2 प्रतिशत), परिवहन उपस्कर और पुर्जे (8.1 प्रतिशत), सीमेंट (7.1 प्रतिशत), लोहा व इस्पात (6.5 प्रतिशत), कृत्रिम रेशे (6.0 प्रतिशत), विविध खाद्यउत्पाद (4.2 प्रतिशत), चीनी (3.6 प्रतिशत)। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इलैक्ट्रानिक्स, परिवहन उपस्कर और खाद्य उत्पादों ने देश के औद्योगिक परिवेश में महत्वपूर्ण स्थान लेना आरम्भ कर दिया है। वर्ष के दौरान, वस्त्र उद्योग ने भी वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना का समुचित लाभ उठाया और 1986–87 में भाग्रौविनि की सहायता में परियोजना–संख्या–वार इसकी स्थिति अच्छी रही।

2.44 समग्र रूप से, वस्त्र, सीमेंट और रसायन एवं रसायन उत्पाद भाग्रौविनि की सर्वाधिक सहायता प्राप्त करने वाले उद्योगों के रूप में उभर कर आए जिन्हें भाग्रौविनि की कुल सहायता का 32.9 प्रतिशत प्राप्त हुआ और उसके बाद चीनी (7.3 प्रतिशत), उर्वरक और कीटनाशक (6.6 प्रतिशत), लोहा व इस्पात (6.4 प्रतिशत), बिजली मशीनरी एवं उपकरण (6.3 प्रतिशत), कृत्रिम रेशे (5.8 प्रतिशत), परिवहन उपस्कर (5.3 प्रतिशत), कागज (4.8 प्रतिशत), आदि का स्थान रहा।

2.45 उत्पादों के उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार वर्ष 1986–87 के दौरान मंजूर तथा 30 जून, 1987 की स्थिति के अनुसार मंजूर संचयी सहायता का उद्योग-वार वितरण सारणी 10 में दिया गया है।

2.46 पिछले वर्ष की तुलना में 1986–87 में पूंजी माल उद्योगों द्वारा प्राप्त की गई सहायता में 250.3 प्रतिशत की असाधारण वृद्धि हुई, उसके बाद सेवा उद्योगों में 143.7 प्रतिशत, उपभोक्ता माल उद्योगों में 97.1 तथा मध्यवर्ती माल उद्योगों में 28.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान, उपभोक्ता माल उद्योगों की वित्तपोषित परियोजनाओं की संख्या में सर्वाधिक, अर्थात् 88.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, और उसके बाद सेवा उद्योगों में 69.2 प्रतिशत, पूंजी माल उद्योगों में 68.7 प्रतिशत, मध्यवर्ती माल उद्योगों में 56.5 प्रतिशत तथा मूल उद्योगों में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सारणी 10 : उत्पादों के उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार सहायता का उद्योग-वार वितरण (करोड़ रुपए)

उद्योग	1986–87 (जुलाई–जून)			30 जून 1987 तक संचयी		
	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि रु०	कुल का प्रतिशत	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि रु०	कुल का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मूल उद्योग : (अर्थात मूल धातु अद्योगिक, मूल औद्योगिक रसायन, उर्वरक, सीमेंट, खनन, शक्ति जनन, आदि)	122 (115)	249.30 (276.41)	29.2 (47.7)	555 (509)	1,406.77 (1,167.34)	34.8 (36.1)
पूंजी माल उद्योग : (अर्थात मशीनरी व उपांग, बिजली मशीनरी और उपकरण, परिवहन उपस्कर, आदि)	108 (64)	219.29 (62.60)	25.7 (10.8)	423 (345)	609.65 (400.31)	15.1 (12.4)
मध्यवर्ती माल उद्योग : (अर्थात रसायन उत्पाद, धातु उत्पाद, अधातु खनिज उत्पाद, पटसन, टायर एवं ट्यूब आदि)	108 (69)	175.09 (136.44)	20.5 (23.5)	479 (430)	770.37 (610.63)	19.0 (18.9)
उपभोक्ता माल उद्योग : (अर्थात चीनी, अन्य खाद्य उत्पाद, सूती/ऊनी वस्त्र, कागज और अन्य विविध उद्योग)	196 (104)	186.63 (94.68)	21.9 (16.4)	1,020 (929)	1,174.89 (990.82)	29.1 (30.6)
सेवा उद्योग : (अर्थात होटल, चिकित्सा सेवाएं, जहाजरानी आदि)	22 (13)	22.71 (9.32)	2.7 (1.6)	64 (59)	80.90 (62.57)	2.0 (2.0)
जोड़	556 (365)	853.02 (579.45)	100.0 (100.0)	2,541 (2,272)	4,042.58 (3,231.67)	100.0 (100.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से सम्बन्धित अथवा 30 जून 1986 की स्थिति अनुसार है ।

सहायता का राज्य-वार प्रसार

2.47 वर्ष 1986–87 में और 30 जून 1987 तक संचयी रूप से भामौविनि की सहायता का राज्य-वार प्रसार सारणी 11 में दिया गया है ।

सारणी 11 : सहायता का राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार प्रसार (करोड़ रुपए)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1986–87 (जुलाई–जून)			30 जून, 1987 तक संचयी		
	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि रु०	कुल का प्रतिशत	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि रु०	कुल का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आंध्र प्रदेश	60	143.30	16.8	223	433.71	10.7
अरुणाचल प्रदेश . . .	—	—	—	1	0.16	—
असम	9	8.87	1.0	28	36.81	0.9
बिहार	9	15.33	1.8	68	82.69	2.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
गोवा	3	4.15	0.5	14	15.91	0.4
गुजरात	74	98.00	11.5	246	458.34	11.3
हरियाणा	24	29.67	3.5	116	132.92	3.3
हिमाचल प्रदेश	9	7.17	0.8	29	39.95	1.0
जम्मू व कश्मीर	3	7.54	0.9	18	21.65	0.5
कर्नाटक	32	28.30	3.3	179	233.01	5.8
केरल	11	15.87	1.9	72	98.40	2.4
मध्य प्रदेश	26	58.00	6.8	106	195.76	4.8
महाराष्ट्र	73	112.40	13.2	442	597.91	14.8
मेघालय	1	1.71	0.2	4	5.25	0.1
नागालैण्ड	—	—	—	3	2.09	0.1
उड़ीसा	12	21.76	2.5	58	121.38	3.0
पंजाब	32	44.87	5.2	107	192.96	4.8
राजस्थान	32	28.32	3.3	111	225.59	5.6
सिक्किम	—	—	—	2	1.90	—
तमिलनाडु	38	45.57	5.3	215	314.85	7.8
त्रिपुरा	1	1.47	0.2	2	2.63	0.1
उत्तर प्रदेश	70	153.14	18.0	286	590.88	14.6
पश्चिम बंगाल	23	15.07	1.8	163	175.88	4.4
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	1	0.91	—
चण्डीगढ़	1	0.75	0.1	3	1.30	—
दादरा व नगर हवेली	1	0.65	0.1	3	2.14	0.1
दिल्ली	7	6.32	0.7	26	41.48	1.0
पांडिचेरी	5	4.79	0.6	15	16.12	0.4
जोड़	556	853.02	100.0	2,541	4,042.58	100.0

2.48 वर्ष के दौरान, माला के अनुसार उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों को भाओविनि की सहायता में प्रथम पांच स्थान प्राप्त हुए जब कि परियोजना संख्या-वार प्रथम पांच स्थान गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु को प्राप्त हुए।

2.49 पिछले वर्ष की तुलना में आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय और उड़ीसा राज्यों की वर्ष के दौरान भाओविनि की सहायता में उनके अपने भाग की बढ़ोतरी एवं उन्नति हुई।

2.50 अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दमण और दीव, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों को, 1986–87 के दौरान वित्तीय सहायता के लिए आवेदनों के अभाव में इन राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई; अन्यथा लगभग प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में माला अनुसार तथा परियोजना संख्या-वार 1986–87 में उल्लेखनीय वृद्धि परिलक्षित हुई। पंजाब में न केवल सहायता की माला 1985–86 के 39.20 करोड़ रुपये से बढ़कर 1986–87 के 44.87 करोड़ रुपये हो गई, अपितु सहायता प्राप्त करने वाली परियोजनाओं की संख्या भी 1985–86 के 26 से बढ़कर 1986-87 में 32 हो गई। संस्थानों ने पंजाब के नए उद्योगों के लिए प्राथमिकता प्रवृत्ति, रियायती सहायता प्रदान करने की अपनी नीति कायम रखी और इस सुविधा को 31 मार्च, 1988 तक किए जाने के लिए सहमति व्यक्त की गई।

2.51 संचयी रूप से, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य 30 जून, 1987 के अनुसार भाओविनि की कुल सहायता में प्रथम पांच स्थानों पर रहे। उसके बाद क्रमवार कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल का स्थान रहा।

योजना-वार मंजूरियां और संवितरण

2.52 छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85) के दौरान भाओविनि की कुल मंजूरियां और संवितरण 1,510.51 करोड़ रुपए और 1,119.84 करोड़ रुपए के रहे, जो पांचवी

पंचवर्षीय योजना अवधि तथा उसके बाद के दो वर्षों, अर्थात् 1978–79 और 1979–80 की मंजूरियां और संवितरणों से क्रमश: 156.1 प्रतिशत और 189.2 प्रतिशत अधिक थे। सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के प्रथम दो वर्षों, अर्थात् 1985–86 और 1986–87 में भाग्रौविनि की कुल मंजूरियां और संवितरण, छठी योजना अवधि के प्रथम दो वर्षों के संबंधित आंकड़ों से क्रमश: 210.9 प्रतिशत और 186.0 प्रतिशत अधिक थे।

निवेश परिचालन

2.53 वर्ष के दौरान, भाग्रौविनि ने इक्विटी शेयरों के लिए 123 संस्थाओं को 52.48 करोड़ रुपये की एवं डिबेंचरों के लिए 3 संस्थाओं को 2.10 करोड़ रुपये की हामीदारी सहायता मंजूर की, जो पिछले वर्ष मंजूर की गई कुल हामीदारी सुविधा से 36.0% अधिक थी। 1986-87 के दौरान हामीदारी सुविधा मंजूर की गई संस्थाओं की संख्या में भी पिछले वर्ष से 72.6% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

2.53 वर्ष के दौरान, प्रत्यक्ष अभिदान से सम्बन्धित मंजूरियों में भी पिछले वर्ष के रिकार्ड से उल्लेखनीय वृद्धि परिलक्षित हुई। जबकि 1985-86 में 6 संस्थाओं के लिए 0.41 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष अभिदान मंजूर किया गया जो पूर्णत: शेयरों के संबंध में था, 1986-87 में 14 संस्थाओं के शेयरों के लिए 2.06 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष अभिदान मंजूर किया गया जो कि राशि में 402.4% तथा संस्थाओं की संख्या में 133.3 की वृद्धि का द्योतक रहा।

2.55 वर्ष के दौरान, कुल 24.33 करोड़ रुपये की राशि के भाग्रौविनि द्वारा हामीदारीकृत, शेयरों के 51 निर्गम और एक इक्विटी-डिबेंचर निर्गम, बिक्री के लिए बाजार में प्रस्तावित किए गए। हामीदारी दायित्व के अनुसार भाग्रौविनि को 7.73 करोड़ रुपये की राशि के शेयर लेने पड़े। इसके अतिरिक्त, भाग्रौविनि ने 22 कम्पनियों के शेयरों और डिबेंचरों में 6.69 करोड़ रुपये का वास्तविक अभिदान किया, जबकि 1985-86 में यह अभिदान 0.98 करोड़ रुपये का था।

2.56 हाल के वर्षों में, सार्वजनिक निर्गमों की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि को तथा सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से पूंजी जुटाने में लघु नई कम्पनियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, वर्ष की समाप्ति पर भाग्रौविनि ने अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर ऐसी कम्पनियों को सार्वजनिक निर्गम के बदले इक्विटी पूंजी में प्रत्यक्ष अभिदान सुविधा की सीमा को 50 लाख रुपये की वर्तमान सीमा से बढ़ाकर 1.000 करोड़ रुपये करने का निर्णय किया।

2.57 भारत सरकार ने वर्ष के दौरान, पूंजी बाजार के व्यवस्थित कार्यचालन को नियमित करने तथा उद्योग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से यथेष्ठ समीक्षा की, और पूंजी निर्गमों की हामीदारी, बोनस शेयरों के निर्गम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा विद्यमान शेयरों/निर्गमित पूंजी की बिक्री/डिबेंचरों के निर्गम, वित्तीय संस्थानों के पास निजी रूप से धारित डिबेंचरों के नियंत्रित करने की कार्य-विधि, डिबेंचरों के शोधन, डिबेंचर विमोचन रिज़र्व के सृजन, प्रतिभूतियां सूचीबद्ध करने आदि के संबंध में नए/पूरक मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किए।

2.58 भारतीय जहाजरानी साख एवं निवेश निगम लिमिटेड (भाजसानिनि) के प्रारंभिक अभिदाता के रूप में भाग्रौविनि ने 5.00 करोड़ रुपये की सीमा तक इसकी इक्विटी शेयर पूंजी में अभिदान किया जिसमें से 2.50 करोड़ रुपये वर्ष के दौरान अदा किए गए। भाग्रौविनि ने हिन्दुस्तान तेल अन्वेषण कम्पनी लिमिटेड (हितेअक) की प्रारम्भिक शेयर पूंजी में भी 10.00 लाख रुपये का अभिदान किया। भारतीय जहाजरानी साख एवं निवेश निगम द्वारा जहाजरानी उद्योग को वित्त प्रदान किए जाने, तथा हिन्दुस्तान तेल अन्वेषण कम्पनी लि० द्वारा देश में तेल अन्वेषण कार्य को गहन किए जाने की आशा है।

संपरिवर्तनीयता मार्ग-निदेशक सिद्धान्त

2.59 सरकार द्वारा पहले जारी किए गए संपरिवर्तनीयता मार्गनिदेशक सिद्धान्तों में वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

2.60 वर्ष के दौरान की गई मंजूरियों के संबंध में 80 मामलों में वर्तमान मार्गनिदेशक सिद्धान्तों के अनुसार संपरिवर्तनीयता खण्ड की शर्त लगाई गई। वर्ष के दौरान, 8 मामलों में संपरिवर्तनीयता अधिकार का प्रयोग किया गया और 36 मामलों में छूट प्रदान की गई।

2.61 संचयी रूप से, संपरिवर्तनीयता मार्गनिर्देशक सिद्धान्तों के लागू किए जाने से लेकर भाग्रौविनि ने 1,125 मामलों में संपरिवर्तनीयता खण्ड लागू किया, 114 मामलों में संपरिवर्तनीयता विकल्प का प्रयोग किया और 439 मामलों में, सभी सम्बन्धित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उससे छूट प्रदान की।

नामित निदेशक

2.62 वर्ष के दौरान, भाग्रौविनि ने 229 वित्तपोषित संस्थाओं के बोर्डों में नामित निदेशक (शासकीय तथा गैर-शासकीय) नियुक्त/प्रतिस्थापित किए। इनमें 76 संस्थाएं ऐसी थीं जिनमें नई नियुक्तियां/चक्रानुक्रम परिवर्तन किए गए। भाग्रौविनि द्वारा वित्तपोषित कुल 2,077 संस्थाओं में से 834 मामलों में भाग्रौविनि अग्रणी था। भाग्रौविनि ने 30 जून, 1987 तक 576 वित्तपोषित संस्थाओं के बोर्डों में 298 नामित निमुक्त किए थे जिनमें 138 शासकीय थे और 160 गैर-शासकीय।

2.63 सरकार द्वारा जारी मार्गनिदेशक सिद्धान्तों के अनुसार भाग्रौविनि द्वारा गठित नामित निदेशक कक्ष, वित्तपोषित संस्थाओं के अनुरक्षण में यथोचित ध्यान देता रहा,

और भाआवित्रि तथा सम्बन्धित नामित निदेशकों के बीच प्रभावशाली कड़ी के रूप में कार्य करता रहा।

2.64 सरकारी उपक्रमों पर गठित संसदीय समिति (कोपू) ने भी अपनी 27वीं रिपोर्ट में वित्तीय संस्थाओं द्वारा निदेशक नामित किए जाने की पद्धति की वर्ष के दौरान समीक्षा की। समिति ने पद्धति के संबंध में कुछ सिफारिशें कीं/सुझाव दिए, जो वर्ष की समाप्ति पर सरकार तथा वित्तीय संस्थानों के बीच विचाराधीन थे।

ब्याज दर

2.65 रुपया ऋण पर लागू मूल उधार ब्याज दर में वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन, पहली दिसम्बर, 1986 को या उसके बाद ऋणी संस्थाओं द्वारा निष्पादित ऋण करारों के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा ऋणों पर लगाए जाने वाले ब्याज की दरों को पहली दिसम्बर, 1986 से निम्नानुसार कम कर दिया गया :

—डालर ऋण पर प्लवमान दर	लिबोर से 1.5% वार्षिक अधिक
—के०एफ०डब्ल्यू० ऋण तथा जर्मन मार्क आवर्ती निधि में से जर्मन मार्क उप-ऋण	9.5% वार्षिक
—जापानी येन उप-ऋण	8.5 वार्षिक

2.66 ब्याज परिकलन पद्धति में एकरूपता लाने की दृष्टि से, सभी मामलों में (चाहे रुपया ऋण हो अथवा विदेशी मुद्रा उप-ऋण) वास्तविक दिनों की संख्या के आधार पर और 365 दिन का एक वर्ष मानते हुए ब्याज परिकलन करने का निर्णय किया गया।

भाआवित्रि के सामान्य विनियमों में संशोधन

2.67 वर्ष के दौरान, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 43 की व्यवस्थाओं के अनुरूप भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद भाआवित्रि सामान्य विनियम, 1982 में कुछ संशोधन किए गए। महत्वपूर्ण संशोधन (क) वार्षिक महासभा/विशेष महासभा के कोरम के प्रयोजन के लिए शेयरधारियों की संख्या और (ख) भाआवित्रिबैंक से भिन्न शेयरधारियों द्वारा, केन्द्रीय सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखा-परीक्षकों के पैनल में से लेखा-परीक्षकों को चुनाव की व्यवस्था करने से सम्बन्धित थे। वार्षिक महासभा अथवा किसी अन्य विशेष महासभा में कोरम, ऐसी बैठक के प्रारम्भ होने के समय मत देने के हकदार, प्रॉक्सी अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित शेयरधारियों का एक तिहाई अथवा पांच शेयरधारी का, जो भी कम हो, होगा।

जन-हित में की गई मंजूरियां

2.68 वर्ष के दौरान, ऐसा कोई मामला नहीं था जिसमें औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 26(2) की व्यवस्थाओं के अनुसार निवेशकों के हितबद्ध होने के कारण भाआवित्रि को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (विनिर्दिष्ट औद्योगिक संस्थाओं के साथ कारोबार का संव्यवहार) विनियम, 1982 की शर्तों के अनुसार जन-हित में सहायता मंजूर करनी पड़ी हो।

भाआवित्रि के परिचालनों का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

2.69 भाआवित्रि के परिचालन देश के औद्योगिक विकास ढांचे तथा देश के नियोजित आर्थिक विकास युग के दौरान हुए संरचनात्मक परिवर्तनों की लघु स्तरपर लेकिन महत्वपूर्ण रूप में छवि प्रस्तुत करते है। सहायता की राशि अथवा भाआवित्रि द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की संख्या से अधिक महत्वपूर्ण है भाआवित्रि का उत्प्रेरक दायित्व जो 30 जून, 1987 तक वित्तपोषित 2,541 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 32,558.91 करोड़ रुपये के समग्र संसाधन जुटाने में सहायक रहा है।

2.70 1986-87 में भाआवित्रि के परिचालनों से, 446 परियोजनाओं की (1986-87 के दौरान परियोजनाओं की लागत, आदि में पूर्णतः अभिव्यय के वित्तपोषण के लिए अतिरिक्त सहायता की मंजूरियों के 110 मामलों के सिवाय) वित्तपोषण प्रवृत्ति अध्ययन के अनुसार पता चलता है कि भाआवित्रि ऐसी औद्योगिक परियोजनाओं में निवेश के लिए 5,013.60 करोड़ रुपये के साधन जुटाने में सहायक रहा, जिसका विवरण सारणी 12 में दिया गया है।

2.71 प्रत्यक्ष आर्थिक योगदान की दृष्टि से, 1986-87 में भाआवित्रि द्वारा वित्तपोषित 243 में से 236 नई और विस्तार/विशाखन परियोजनाओं के अध्ययन से पता चलता है, कि वर्ष के दौरान मंजूर की गई भाआवित्रि की सहायता से उद्योगों में व्यापक रूप से अतिरिक्त क्षमताओं के सृजन की आशा है। उपर्युक्त परियोजनाओं से लगभग 54,720 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। इन का मूल्य अनुमानतः 4,502.94 करोड़ रुपये होने की संभावना है। सकल मूल्य वृद्धि के 1,593.06 करोड़ रुपये होने की संभावना है, जिससे देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में इन परियोजनाओं के योगदान का पता चलता है। बाकी सात परियोजनाओं, यतः असम में प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइप लाइन बिछाने, महाराष्ट्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज एवं विकास के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग से पूरे के पूरे किराए पर लिए जाने वाले अप-तटीय गहन ड्रिलिंग रिग्स प्राप्त करने, पश्चिम बंगाल, गुजरात और पंजाब में क्रमशः इलैक्ट्रानिक्स काम्पलेक्स, औद्योगिक काम्पलेक्स और चमड़ा काम्पलेक्स के विकास और तमिलनाडु में चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने से सम्बन्धित इकाइयों से भी आशा की जाती है कि वे भी अपने-अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान देंगी। इस संबंध में विस्तृत विवरण परिशिष्ट-III में अनुबद्ध है।

सारणी 12 : भा औविनि द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की वित्तपोषण प्रवृत्ति (करोड़ रुपये)

वित्तपोषण प्रवृत्ति	नई परियोजनाएं	विस्तार/ विशीकरण परियोजनाएं	आधुनिकी-करण परियोजनाएं	पुनर्स्थापन, सन्तुलन उपस्कर आदि के लिए सहायता	जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
परियोजनाओं की संख्या	203	40	135	68	446
I प्रवर्तक योगदान					
—शेयर पूंजी	549.70	102.87	29.53	10.38	692.48
	(15.9%)	(19.5%)	(3.8%)	(4.2%)	(13.8%)
—अप्रतिभूत गौण ऋण	9.40	12.65	7.86	3.68	33.59
	(0.3%)	(2.4%)	(1.0%)	(1.5%)	(0.7%)
—आन्तरिक प्रोद्भूत, आदि	138.67	89.41	168.70	50.95	447.73
	(4.0%)	(17.0%)	(21.5%)	(20.8%)	(8.9%)
II दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाले संस्थान अर्थात् भाऔविनि, भाऔविबैंक, भाऔसानिनि एवं भाऔपुबैंक द्वारा सहायता					
—ऋण तथा अग्रिम	1,882.63	286.37	532.93	124.02	2,825.95
	(54.5%)	(54.3%)	(67.7%)	(50.5%)	(56.4%)
—इक्विटी सहायता	219.02	5.68	6.81	2.83	234.34
	(6.3%)	(1.1%)	(0.8%)	(1.2%)	(4.7%)
III निवेश संस्थानों अर्थात् जीबीनि, साबीनि और भायूट्र द्वारा सहायता					
—ऋण तथा अग्रिम	19.40	0.90	9.53	11.22	41.05
	(0.5%)	(0.2%)	(1.2%)	(4.6%)	(0.8%)
— इक्विटी सहायता	82.23	—	2.60	—	84.83
	(2.4%)		(0.3)		(1.7%)
IV (क) बैंकों द्वारा सहायता (दीर्घकालीन वित्त)	151.14	8.69	10.84	14.34	185.01
	(4.4%)	(1.6%)	(1.4%)	(5.8%)	(3.7%)
(ख) बैंकों आदि द्वारा इक्विटी सहायता	123.90	0.57	1.38	1.18	127.03
	(3.6%)	(0.1%)	(0.2%)	(0.5%)	(2.5%)
V. (क) राज्य स्तरीय संस्थानों द्वारा सहायता	6.53	1.00	—	0.10	7.63
	(0.2%)	(0.2%)	(—)	(—)	(0.1%)
(ख) इक्विटी सहायता	23.12	—	—	—	23.12
	(0.7%)	(—)	(—)	(—)	(0.5%)
VI अधिकारिक निर्गम	43.57	8.17	6.05	1.50	59.29
	(1.7%)	(1.5%)	(0.8%)	(0.6%)	(1.2%)
VII आस्थगित अदायगियां	(—)	7.28	1.70	0.25	9.23
		(1.4%)	(0.2%)	(0.1%)	(0.2%)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VIII विदेशी संस्थानों से ऋण . . .	105.40	(—)	(—)	(—)	105.40
. . . . .	(3.1%)	(—)	(—)	(—)	(2.1%)
IX अन्य	99.85	3.54	8.50	25.03	136.92
	(2.9%)	(0.7%)	(1.1%)	(10.2%)	(2.7%)
जोड़	3,454.56	527.13	786.43	245.48	5,013.60
. . . . .	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े जोड़ के प्रतिशत के द्योतक हैं।

2. उपरोक्त में परियोजना लागत आदि में अधिव्यय को पूरा करने के लिए सहायता की मंजूरियों के मामले शामिल नहीं हैं।

पिछड़े जिलों की परियोजनाओं पर भाआवित्रि की सहायता का प्रभाव

2.72 प्रत्येक वर्ष भाआवित्रि की सहायता का लगभग 50% भाग पिछड़े जिलों (उद्योग-रहित जिलों सहित) में स्थापित परियोजनाओं को प्राप्त हो रहा है। 50 करोड़ रुपये तक की लागत वाली और उद्योग-रहित जिलों में स्थापित की जा रहीं नई परियोजनाओं को रियायती वित्त प्रदान किए जाने के अतिरिक्त उनकी निर्माण अवधि के दौरान 'परियोजना-विशिष्ट अवस्थापना सुविधाओं' के विकास के लिए ब्याज-मुक्त ऋण भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। परियोजना द्वारा उत्पादन आरम्भ किए जाने के बाद ही 'परियोजना-विशिष्ट अवस्थापना सुविधा ऋण', पर जो परियोजना लागत के 20% या 5.00 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, तक सीमित है, पिछड़े जिलों की परियोजनाओं के रुपया ऋणों पर लागू ब्याज की रियायती दर लगती है। परियोजना-विशिष्ट अवस्थापना सुविधा पर व्यय के सम्बन्ध में प्रवर्तक अंशदान की अपेक्षा नहीं की जाती। इसके अतिरिक्त, परियोजना-विशिष्ट अवस्थापना सुविधा ऋण, परियोजना वित्तपोषण ऋण के अलावा है, अन्य शब्दों में, उद्योग-रहित जिले में स्थापित की जा रही नई परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक रियायती ऋण का लाभ उठा सकती है जिसमें से 5.00 करोड़ रुपये परियोजना वित्तपोषण के लिए और 5.00 करोड़ रुपये परियोजना-विशिष्ट अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए हो सकते हैं। उद्योग-रहित जिलों/औद्योगिक रूप से पिछड़े अन्य क्षेत्रों की परियोजनाओं को भाआवित्रि की सहायता का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव का जायजा, स्थानीय लोगों के आर्थिक कल्याण में सुधार लाने तथा सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं को मजबूत बनाने में इन परियोजनाओं द्वारा सृजित 'विकासात्मक सचेतना' से लगाया जा सकता है। पिछड़े क्षेत्रों की परियोजनाओं से न केवल प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध हुआ, बल्कि अनेक अति लघु और लघु स्तर की इकाइयों तथा विभिन्न व्यापारिक दुकानें, मरम्मत सर्विस, आदि की स्थापना से सर्वाधिक उल्लेखनीय रूप से पर्याप्त रूप में अप्रत्यक्ष रोजगार भी उपलब्ध हुआ है।

सहकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को भाआवित्रि की सहायता का प्रभाव

2.73 इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सहकारी आन्दोलन ने भाआवित्रि के अवतरण से उद्योग में अपनी जड़ें जमाई हैं। अब तक 300 से अधिक औद्योगिक सहकारिताओं को भाआवित्रि की सहायता प्राप्त हुई है जिन्हें 379.43 करोड़ रुपये के ऋण सहायतार्थ प्रदान किये गये हैं। हालांकि, औद्योगिक क्षेत्र में सहकारी आन्दोलन के इतिहास में महाराष्ट्र अग्रणी रहा है, पर भाआवित्रि के लिए यह पर्याप्त संतोषजनक तथ्य है, कि सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को इसकी सहायता और प्राथमिकता से सहकारी आन्दोलन को अन्य राज्यों में भी संवेग प्राप्त हुआ है। इस समय, भाआवित्रि की सहायता प्राप्त 301 सहकारिताओं में से 108 महाराष्ट्र में हैं और उसके बाद 39 उत्तर प्रदेश में, 27 कर्नाटक में, 24 आन्ध्र प्रदेश में, 23 गुजरात में, 19 तमिलनाडु में, 15 पंजाब में, 10 उड़ीसा में, 8 हरियाणा में, असम, बिहार और मध्य प्रदेश प्रत्येक में 5, केरल और राजस्थान प्रत्येक में 4, पश्चिम बंगाल में 2, पांडिचेरी में 2 और गोआ में एक है। चूंकि, औद्योगिक क्षेत्र की लगभग सभी सहकारिताएं या तो कृषि आधारित हैं या कृषि को उत्पादेय उपलब्ध करवाती हैं, अतः भाआवित्रि ने उद्योग में सहकारी आन्दोलन को प्रोत्साहन प्रदान करके जहां कृषि और उद्योग के बीच अच्छा तारतम्य विकसित करने में सफल रहा है, वहां ग्रामीण क्षेत्रों में, आर्थिक विकास को भी इसने प्रोत्साहित किया है।

2.74 ग्रामीण और/अथवा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक सहकारिताओं ने, सहकारी आन्दोलन में ग्रामीणों के विश्वास को मजबूत बनाने और कृषि क्षेत्र की बचत को उत्पादक उपयोग के लिए जुटाने के अलावा बेहतर सड़कें बेहतर सिंचाई सुविधाएं, पीने के पानी की व्यवस्था, विद्यालय तथा स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करके क्षेत्र की अर्थ-व्यवस्था में आमूल परिवर्तन किया है। चीनी सहकारिताएं अनेक अनुषंगी इकाइयों और सम्बद्ध उद्योगों,

जैसे औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए डिस्टलरी, कन्फैक्शनरी इकाइयां, खोई आधारित कागज संयंत्र अथवा मिश्रित और दानेदार उर्वरकों का उत्पादन, आदि के प्रवर्तन में सहायक रही हैं। वस्त्र कताई सहकारिताओं ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैंडलूम के विकास के लिए अवसर प्रदान किए हैं। पठसन, उर्वरक, कृत्रिम रेशे, वनस्पति तेल, कोकोआ प्रोसैसिंग, कागज, औद्योगिक सम्पदा का विकास, आदि जैसे अनेक अन्य उद्योगों में सहकारी आन्दोलन का विस्तार, भाऔविनि से पर्याप्त वित्तीय सहायता से पिछले चार दशकों के दौरान समग्र देश में मध्यम और बड़े आकार की औद्योगिक सहकारिताओं द्वारा उपलब्ध सफलताओं और क्षमताओं का ज्वलन्त प्रमाण है।

(ख) संसाधन

2.75 भाऔविनि के संसाधन हैं, इसकी शेयर पूंजी रिजर्व, ऋणियों द्वारा ऋणों की पुनर्अदायगी, निवेशों, की बिक्री/विमोचन, बांड निर्गम द्वारा बाजार से उधार, भाऔविबैंक और केन्द्रीय सरकार से ऋण, विदेशी वित्तीय संस्थानों से प्राप्त विदेशी ऋण और अन्तरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों से उधार। 1986-87 में भाऔविनि की संसाधन सम्बन्धी गतिविधियां निम्नानुसार हैं।

शेयर पूंजी

2.76 औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उप-धारा (1ख) की व्यवस्थाओं के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने वर्ष के दौरान भा-औकिनि की प्राधिकृत पूंजी को 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए करने की अनुमति प्रदान की। केन्द्रीय सरकार ने 12.50 करोड़ रुपए की सीमा तक अतिरिक्त शेयर पूंजी के निर्गम की भी अनुमति दी। तदनुसार, पिछले वर्ष निर्गमित शेयरों की ग्यारहवीं सीरीज की 2,500 रुपए प्रति शेयर बकाया राशि की वर्ष के दौरान मांग की गई तथा 12.50 करोड़ रुपए की राशि के लिए शेयर पूंजी के लिए अतिरिक्त निर्गम (बारहवीं सीरीज) किया गया जिसमें 3,000 रुपए प्रति शेयर की मांग की गई। 30 जून, 1987 की स्थिति के अनुसार भाऔविनि की प्रदत्त पूंजी 57.50 करोड़ रुपए हो गई जबकि जून, 1986 के अन्त में यह 45.00 करोड़ रुपए थी।

रिजर्व

2.77 30 जून, 1987 को समाप्त वर्ष के लाभ में से 37.81 करोड़ रुपए के अन्तरण से और ब्याज अन्तर-जन्य निधि में 1.16 करोड़ रुपए की निबल वृद्धि की व्यवस्था करने के बाद तथा छिलकारी आरक्षित निधि के 1.68 करोड़ रुपए की सीमा तक के उपयोग को ध्यान में रखने के पश्चात् भाऔविनि के रिजर्व 144.88 करोड़ रुपए से बढ़कर 182.17 करोड़ रुपए हो गए। यह भाऔविनि की प्रदत्त पूंजी से 124.67 करोड़ रुपए अधिक हो गये।

ऋणों की पुनर्अदायगी और निवेशों की बिक्री/विमोचन

2.78 वर्ष के दौरान, ऋणियों द्वारा मूलधन की अदायगी के रूप में निबल नकद प्राप्ति 111.52 करोड़ रुपए हुई जबकि यह पिछले वर्ष 101.11 करोड़ रुपए थी।

2.79 निवेशों की बिक्री/विमोचन से वर्ष के दौरान 1.50 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई जबकि पिछले वर्ष यह 2.29 करोड़ रुपए थी।

2.80 1986-87 में (क) ऋणियों द्वारा ऋणों की पुनर्अदायगी, (ख) निवेशों की बिक्री/विमोचन, (ग) 2.19 करोड़ रुपए तक के ऋणों के इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तन के रूप में 115.21 करोड़ रुपए की कुल प्राप्ति, पिछले वर्ष के 103.21 करोड़ रुपए की प्राप्ति की तुलना में 11.6% अधिक है।

बांड निर्गम

2.81 भाऔविनि ने अपने रुपया साधनों में वृद्धि करने के लिए तीन सार्वजनिक बांड निर्गम किए, अर्थात् 25 नवम्बर, 1986 को 145.50 करोड़ रुपए के 11% बांड 2001 (45वीं सीरीज), 10 मार्च, 1987 को 36.75 करोड़ रुपए के 11% बांड 2002 (46वीं सीरीज) और 27 मई, 1987 को 100 करोड़ रुपए के 11% बांड 2002 (47वीं सीरीज)। तीनों निर्गमों में पूर्ण अभिदान हुआ, निर्गमों की उक्त राशियों से अधिक अनुमत्य अतिरिक्त अभिदान सहित जिसको कि भाऔविनि द्वारा रोके रखा जा सकता था, वर्ष के दौरान, बांडों के निर्गम द्वारा जुटाई गई कुल निधियां 310.20 करोड़ रुपए रही जबकि पिछले वर्ष के दौरान बांडों के द्वारा 300.68 करोड़ रुपए की निधियां जुटाई गई थीं।

2.82 संचयी रूप से, जून, 1987 के अन्त तक भाऔविनि 47 बांड निर्गम सीरीज के माध्यम से बाजार उधारों से 1,863.69 करोड़ रुपए की राशि जुटा चुका था तथा 30 जून, 1987 तक 267.03 करोड़ रुपए के अंकित मूल्य के बांडों का विमोचन किया जा चुका था।

भाऔविबैंक और केन्द्रीय सरकार से उधार

2.83 वर्ष के दौरान भाऔविबैंक या केन्द्रीय सरकार से कोई ऋण नहीं लिया गया। लेकिन, वर्ष के दौरान भाऔविबैंक और केन्द्रीय सरकार को क्रमशः 7.50 करोड़ रूपए और 0.68 करोड़ रुपए पुनर्अदा किए गए जिसके परिणामतः 30 जून, 1987 की स्थिति के अनुसार भाऔविबैंक तथा केन्द्रीय सरकार से निबल बकाया उधार 77.75 करोड़ रुपए और 2.76 करोड़ रुपए से कम होकर क्रमशः 70.25 करोड़ रुपए तथा 2.08 करोड़ रुपए रह गए।

2.84 जहां तक ब्याज अन्तर-जन्य निधियों के अन्तर्गत ऋण का सम्बन्ध है, वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार से

0.73 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई, और इस खाते में 0.38 करोड़ रुपए पुनर्अदा किए गए। अतः, केन्द्रीय सरकार को पुनर्देय ब्याज अन्तर-जन्य निधि के कुल ऋण 30 जून, 1987 की स्थिति के अनुसार 6.97 करोड़ रुपए के हो गए, जो 30 जून, 1986 की स्थिति के अनुसार 6.62 करोड़ रुपए के थे।

विदेशी मुद्रा ऋण

2.85 वर्ष के दौरान, क्रेदितांस्तल्त-फर-वाइडरफबाऊ (के०एफ०डब्ल्यू०) जर्मन संघीय मार्क ऋणों की कुल राशि 357.500 मिलियन हो गई जिसमें से भाऔविनि 30 जून, 1987 तक पात्र औद्योगिक संस्थाओं को 334.408 मिलियन जर्मन मार्क के उप-ऋण मंजूर कर चुका था। इसके अतिरिक्त जर्मन मार्क आवर्ती निधि से, जो कि जर्मन मार्क उप-ऋणियों से प्राप्त और के०एफ०डब्ल्यू० को उनकी पुनर्अदायगी होने तक, भारत सरकार के अनुमोदन से जर्मन मार्क में संपरिवर्तित राशियों का द्योतक है, 136.013 मिलियम मिलियन जर्मन मार्क के उप-ऋण मंजूर किए गए थे। 30 जून, 1986 की स्थिति के अनुसार के०एफ०डब्ल्यू० से भाऔविनि द्वारा लिए गए जर्मन मार्क ऋणों का बकाया शेष 197.671 मिलियन जर्मन मार्क था। वर्ष के दौरान, 15.443 मिलियन जर्मन मार्क के समकक्ष राशि का ऋण लिया गया और 6.527 मिलियन जर्मन मार्क की राशि के ऋण की पुनर्अदायगी की गई। 30 जून, 1987 की स्थिति के अनुसार के० एफ० डब्ल्यू से जर्मन मार्क में उधारों की बकाया राशि 206.587 मिलियन जर्मन मार्क थी, जो 30 जून, 1986 को तार-अन्तरण विक्रय दर पर 145.43 करोड़ रुपए के समकक्ष थी।

2.86 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में भाऔविनि द्वारा 15 मिलियन जर्मन मार्क की बांडों से प्राप्त राशि में भाऔवि बैंक से भागीदारी का उल्लेख किया था। यह राशि पूर्णतः वचनबद्ध हो गई, और 30 जून, 1987 तक इस लोन में से 3.646 मिलियन जर्मन मार्क संवितरित किए जा चुके थे।

2.87 वर्ष के दौरान, भाऔविनि ने एस०जी० वारबर्ग एण्ड कं० लन्दन (यू०के०) से 24 अक्तूबर, 1986 को पाउंड स्टर्लिंग ऋण लिया, जिसका 50 मिलियन अमरीकी डालर में विनिमय किया गया। इस ऋण पर लिबोर से 3/16% कम दर पर ब्याज लगेगा। यह ऋण भी 30 जून, 1987 की स्थिति के अनुसार उप-ऋणियों को पूर्णतः वचन-बद्ध हो चुका था।

2.88 संचयी किन्तु निवल रूप में 30 जून, 1987 की स्थिति के अनुसार भाऔविनि द्वारा लिये गये विदेशी मुद्रा वाणिज्यिक उधार 100 मिलियन अमरीकी डालर, 15 बिलियन जापानी येन और 15 मिलियम जर्मन मार्क थे।

निधियों के उपयोग

2.89 वित्तीय सहायता के संवितरण, बांडों की पुनर्अदायगी, उधारों की पुनर्अदायगी, लाभांश, कर की अदायगी तथा अन्य उपयोगों एवं अन्तिम नकद शेष के लिए निधियों की कुल आवश्यकता 1986-87 में कुल 808.08 करोड़ रुपए रही। निधियों की उपर्युक्त आवश्यकताएं (i) प्रदत्त शेयर पूंजी में 12.50 करोड़ रुपए की वृद्धि से, (ii) कराधान से पूर्व 61.62 करोड़ रुपए का लाभ अर्जन से, (iii) ऋणी संस्थाओं से ऋणों की मूलधन राशि की वसूलियों और निवेशों की बिक्री से 115.21 करोड़ रुपए, (iv) बांडों के निर्गम बाजार से 310.20 करोड़ रुपए के उधार से, (v) विदेशी मुद्रा में 96.53 करोड़ रुपए के समकक्ष उधार से, (vi) ब्याज अन्तर-जन्य निधियों के रूप में सरकार से 3.14 करोड़ रुपए की प्राप्ति से और (vii) 208.88 करोड़ रुपए के इति नकद शेष से पूरी की गई।

बकाया और अतिदेय राशियां

2.90 30 जून, 1987 की स्थिति के अनुसार 1,604 संस्थाओं से 2,117.10 करोड़ रुपए की ऋण सहायता बकाया थी। वित्तपोषित कम्पनियों के शेयरों और डिबेन्चरों में भाऔविनि की शेयरधारिता 72.83 करोड़ रुपए थी और 21.93 करोड़ रुपए की गारंटियां प्रवृत्त थीं।

2.91 वर्ष के अन्त में 260 संस्थाओं ने अदायगी में चूक की हुई थी और बकाया ऋण सहायता में उनकी कुल अतिदेय राशि (55.04 करोड़ रुपए मूलधन और 23.72 करोड़ रुपए ब्याज) 78.76 करोड़ रुपए थी। 30 जून, 1987 की स्थिति के अनुसार ये अतिदेय राशियां भाऔविनि के कुल बकाया ऋणों का लगभग 3.7% थीं।

2.92 वर्ष के दौरान, वसूली दर में मामूली 1% की ही वृद्धि हुई। हालांकि यह, पिछले वर्ष वसूली दर में उपलब्ध लगभग 7 प्रतिशत प्वाइंट वृद्धि के ऊपर थी।

2.93 वित्तपोषित संस्थाओं द्वारा देय राशियों की वसूली सहित उनके कार्यों के अनुवर्तन पर अग्रणीत संस्थान द्वारा अधिक ध्यान दिए जाने के लिए वित्तपोषित संस्थाओं के सम्बन्ध में ए०बी०सी० विश्लेषण धारणा आरम्भ की गई और उनकी स्थिति तथा हैसियत के आधार पर उन्हें विभिन्न श्रेणियों में रखा गया। वर्ष के दौरान आरम्भ की गई 'एकल बिन्दु संग्रह व्यवस्था' से आशा है कि अग्रणी संस्थान को यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी कि न केवल किसी एक अपितु सभी सम्बन्धित संस्थानों को देय राशियां वित्तपोषित संस्थाओं द्वारा समय पर अदा की जा रही हैं और समानुपातिक आधार पर इन्हें विभाजित किया जा रहा है। जान-बूझ कर चूक करने वाली ऋणी संस्थाओं की श्रेणी पर अधिक दबाव डालने के लिए वर्ष के दौरान लगातार अनुवर्तन उपाय किए गए। भाऔविनि के क्षेत्रीय, शाखा और अन्य कार्यालयों को वसूली लक्ष्य

प्राप्त करने में सक्रिय रूप से सम्बद्ध किया गया, और बकाया देयताओं की वसूली और/अथवा वित्तपोषित संस्थाओं के सामने आने वाली कठिनाइयों को समझने और दूर करने के उद्देश्य से निरीक्षण किए गए तथा तत्पश्चात् आवश्यकता अनुसार योजनाएं बनाई गई। वित्तपोषित संस्थाओं के बोर्डों के नामित निदेशकों के साथ भी समुचित सम्पर्क बनाए रखा गया, ताकि वे वित्तीय संस्थानों और सरकार को देय राशियों की अदायगी के मामलों को बोर्ड स्तर पर उठा सकें।

पुनर्स्थापन कार्यक्रम

2.94 लम्बे समय से समस्याओं का सामना कर रही इकाइयों के पुनर्स्थापन/पुनरुद्धार के लिए भाऔविनि के पुनर्स्थापन वित्त विभाग द्वारा उनका गहन अनुवर्तन किया गया। वर्ष के दौरान, पुनर्स्थापन वित्त विभाग ने भाऔविनि अग्रणी 4 मामलों में पुनर्स्थापन योजनाएं बनाईं, भाऔविनि अग्रणी चार मामलों में नियंत्रण हितप्रबन्धक वर्ग में परिवर्तन अनुमोदित किया तथा दो मामलों में कुछ राहतों और रियायतों के आधार पर देय राशियों के निपटान की व्यवस्था की। 7 मामलों में आधुनिकीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा राहतों और रियायतों के पैकेज सहित अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मंजूरी पर आधारित पुनर्स्थापन योजनाएं तैयार की गई और 11 मामलों में भाऔविनि को ऋणदाता संस्थानों के और स्वयं अपने हितों की रक्षा और बचाव करने के दृष्टिकोण से ऋण वापस मांगने पड़े। अन्य मामलों में, सम्बन्धित अग्रणी संस्थान द्वारा अन्य संस्थानों के साथ संयुक्त रूप से पुनर्स्थापन कार्यक्रमों अथवा अन्य उचित कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है।

रुग्णता का सामना करने के लिए उपाय

2.95 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 का उल्लेख किया गया था। उद्योग के क्षेत्र में बढ़ती हुई रुग्णता का सामना करने की सरकारी नीति में यह अधिनियम युगान्तरकारी सिद्ध हुआ है। वर्ष के दौरान, उक्त अधिनियम की धारा 15 से 34 के सिवाय अन्य प्रावधान 12 जनवरी, 1987 से प्रभावी हो गए और धारा 15 से 34 तक के प्रावधान 15 मई, 1987 से प्रभावी हो गए। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड भी 15 मई, 1987 से पूर्णतः कार्यरत हो गया।

2.96 औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने रुग्ण इकाइयों के मामले बोर्ड को भेजने के लिए उपायों की योजना तैयार करने और उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्यवाही करने तथा पुनरुद्धार उपायों को अंतिम रूप देने के लिए वित्तीय निगमों के प्रधानों के साथ बैठकें कीं। इन विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को विस्तृत मार्ग-निदेशक सिद्धान्त जारी किए, जिनमें रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार के मामले में उनके द्वारा अपनाए जाने वाले उपायों की सूचियां भेजी गई।

5—369GI/87

रुग्ण मामलों के सम्बन्ध में अपनाए जाने के लिए भाऔविनि के पुनर्स्थापन वित्त विभाग द्वारा भी इसी प्रकार की कार्यविधि अपनाई गई।

2.97 औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने 27 अप्रैल, 1987 को अपने नियम और विनियम घोषित किए तथा 27 मई, 1987 को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने भाऔविनि को, अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ, रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 तथा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण विनियम, 1987 के प्रावधानों के अनुसार एक परिचालन एजेन्सी के रूप में विनिर्दिष्ट किया।

बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों में समन्वय

2.98 वर्ष के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक ने, लघु और मध्यम तथा बड़े पैमाने के क्षेत्र में उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने, कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के निर्धारण, आदि के मामले में बैंकों और वित्तीय संस्थानों में प्रभावशाली समन्वय सुनिश्चित करने के लिए मार्ग-निदेशक सिद्धान्त जारी किए। इसके अतिरिक्त, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच समन्वय प्रक्रिया को सरल बनाने की दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किए जिनमें 'अन्य बातों के साथ-साथ, संभाव्यतः व्यावहार्य समझी जाने वाली रुग्ण इकाइयों के लिए बनाए गए पुनर्स्थापन कार्यक्रमों के अन्तर्गत अपनाए जाने वाली राहतों और रियायतों के प्रावधान के लिए मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं। अनुवर्ती उपाय के रूप में और राष्ट्रीय वित्त एवं साख परिषद् की 24 दिसम्बर, 1986 को हुई प्रथम बैठक में दी गई सर्व-सम्मति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने, बैंकों द्वारा वित्तीय संस्थानों के सहयोग से या उनकी भागीदारी के बिना, स्वस्थ एवं रुग्ण दोनों प्रकार की इकाइयों को दिए गए अग्रिमों से सम्बन्धित वर्तमान प्रणाली तथा मापदण्डों की जांच करने के लिए तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया को तीव्र करने की दृष्टि से उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए और ऋणियों को समय पर तथा पर्याप्त ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जनवरी, 1987 में कार्यकारी दल का गठन किया। इस दल ने, प्रारम्भ में, रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्स्थापन में वित्तीय संस्थानों और बैंकों के बीच समन्वय की समस्या पर ध्यान केन्द्रित किया। इस दल की सिफारिशों के आधार पर 25 जून, 1987 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को विस्तृत मार्ग-निदेशक सिद्धान्त जारी किए ताकि वे वित्तीय संस्थानों के साथ समन्वय तथा रुग्ण इकाइयों के लिए स्वीकृत रियायतों का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित कर सकें। रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार यथा-स्वीकृत, मध्यम और बड़ी औद्योगिक इकाइयों के कार्य का अनुवर्तन करने में और संभाव्यतः व्यवहार्य रुग्ण इकाइयों के मामले में पुनर्स्थापन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के क्षेत्र

में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'अग्रणी बैंक' और 'अग्रणी वित्तीय संस्थान' के लिए जारी किए गए नए मार्ग-निदेशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जानी है।

उद्योग व्यवहार्यता/बाजार अध्ययन

2.99 अनुभव से सिद्ध हो चुका है कि किसी औद्योगिक परियोजना को बनाने या बिगाड़ने में बाजार की प्रमुख भूमिका है। परियोजना के वास्तविक रूप में मूल्यांकन के लिए भी इसके व्यवहार्यता पैमाने और बाजार के सम्बन्ध में सूचना नितान्त आवश्यक है। अतः वित्तीय संस्थान समय-समय पर विभिन्न उद्योगों के सम्बन्ध में उद्योग व्यवहार्यता/बाजार अध्ययन करते हैं ताकि नई इकाइयों को वित्तपोषण के लिए अथवा विद्यमान इकाइयों के सम्बन्धित क्षेत्रों में विस्तार और विशाखन कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए नीतियां बनाई जा सकें।

2.100 वर्ष के दौरान, भाग्रौविबैंक के तत्वावधान में संस्थानों ने कागज, सीमेंट, चीनी, कास्टिक सोडा, विस्फोटक, एच०डी०पी०ई०/पी०पी० बुने हुए बोरे, ई०पी०ए०बी० एक्स० सिस्टम, पुश बटन टेलीफोन यन्त्र, फ्लूयोरेसेंट ट्यूबें और लैम्प, मल्टी-वाल पेपर सैक, मध्यम घनत्व वाले फाइबर बोर्ड, डिस्पोज़ेबल सिरिंज/कलैपसब्ल, प्लास्टिक ट्यूबें, सिरेमिक टाइलें, खाद्य ग्रेड चावल की भूसी का तेल, कम्प्यूटर, हल्के वाणिज्यिक वाहन, आटोमोबाइल टायर, बाल बेयरिंग्स, इस्पात टूल्स, मत्स्य-उद्योग, सोयाबीन प्रोसैसिंग, शीट ग्लास, आदि उद्योगों के विभिन्न उत्पादों के सम्बन्ध में अनेक बाजार मूल्यांकन अध्ययन किए। उपयुक्त में से कुछ अध्ययन विशेष रूप से चीनी, सोयाबीन प्रोसैसिंग, शीट ग्लास, आदि से सम्बन्धित अध्ययन भाग्रौविनि द्वारा किए गए।

2.101 भाग्रौविनि के बाजार सूचना प्रभाग को और अधिक मजबूत बनाने के लिए अब प्रयास किए जा रहे हैं ताकि परियोजना मूल्यांकन विभाग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पाद/उद्योग के अनुसार अधिक संगत कम्प्यूटरीकृत सूचना आंकड़ा आधार बनाया जा सके, और नए उद्यमियों/उद्यमों को अवसर मार्गदर्शन उपलब्ध करवाया जा सके।

(ग) कार्य-परिणाम

2.102 वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा और 30 जून, 1986 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र वाले लेखा-परीक्षित लेखों, जो कि इस रिपोर्ट के साथ अनुबद्ध हैं, से पता चलता है कि वर्ष 1985-86 के 48.81 करोड़ रुपए के मुकाबले इस वर्ष भाग्रौविनि का कर-पूर्व लाभ 61.62 करोड़ रुपए हो गया, जिससे 26.2% की वृद्धि परिलक्षित हुई। 18.14 करोड़ रुपए की कराधान व्यवस्था करने के बाद 1986-87 में निवल लाभ 43.48 करोड़ रुपए हुआ, जबकि 1985-86 में यह 34.18 करोड़ रुपये था। यह पिछले वर्ष के निवल लाभ से 27.2% अधिक है।

2.103 भाग्रौविनि के निदेशक बोर्ड द्वारा लाभ में से किए गए विनियोजन नीचे सारणी 13 में दिए गए हैं :—

सारणी 13 : निवल लाभ और विनियोजन

(करोड़ रुपये)

	इस वर्ष (जुलाई-जून)		पिछला वर्ष (जुलाई-जून)	
(1)		(2)		(3)
वर्ष के लिए निवल लाभ		43.48		34.18
विनियोजन				
निम्नलिखित को अन्तरित—				
(क) सामान्य आरक्षित निधि	10.82		9.04	
(ख) हितकारी आरक्षित निधि	1.50		1.50	
(ग) विशेष रिज़र्व [आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन)]	25.49		19.50	
		37.81		30.04
कर्मचारी कल्याण निधि को आवंटन		0.15		0.15
लाभांश की अदायगी		5.52		3.99
जोड़		43.48		34.18

2.104 सन्तोषजनक कार्य-परिणामों को देखते हुए भाग्रौविनि के निदेशक बोर्ड ने शेयरों पर 11% वार्षिक की दर से लभांश अदा करने का अनुमोदन किया, जबकि पिछले वर्ष यह 10% वार्षिक घोषित किया गया था।

कार्य परिणामों की प्रवृत्ति

2.105 30 जून, 1987 को समाप्त वर्ष को सम्मिलित करते हुए पांच वर्षों के भाग्रौविनि के कार्य-परिणाम सारणी 14 में संक्षेप में दिए गए हैं।

सारणी 14 : पांच वर्षों के दौरान भाग्रौविनि के कार्य-परिणाम

(करोड़ रुपये)

विवरण	30 जून को समाप्त वर्ष				
	1983 रु०	1984 रु०	1985 रु०	1986 रु०	1987 रु०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दिए गए उधारों पर ब्याज . . .	78.56	99.83	129.78	167.74	225.48
घटाइए : लिए गए उधारों की लागत . .	51.56	65.40	85.62	119.92	160.78
निवल ब्याज राजस्व	27.00	34.43	44.16	47.82	64.70
अन्य आय . .	4.86	5.14	5.22	9.40	8.00
निवल आय	31.86	39.57	49.38	57.22	72.70
व्यय					
—कार्मिक व्यय	3.09	3.57	4.44	4.85	6.55
—निवेशों से हानि . . .	0.44	0.14	0.19	0.37	0.18
—निदेशकों तथा समिति सदस्यों के शुल्क तथा व्यय	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03
—अन्य व्यय व अनुदान	1.16	1.51	2.29	2.67	3.14
—मूल्य ह्रास	0.12	0.29	0.34	0.50	1.18
कर-पूर्व लाभ	27.02	34.03	42.09	48.81	61.62
कराधान	9.71	10.14	12.78	14.63	18.14
निवल लाभ	17.31	23.89	29.31	34.18	43.48
लाभांश (दर)	8.0%	8.5%	9.0%	10.0%	11.0

2.106 उपर्युक्त से स्पष्ट है कि—

*उधार कार्यों से प्राप्त ब्याज आय में 34.4% की वृद्धि हुई।

*"उधार लागत" में 34.0% की वृद्धि हुई।

*"निवल आय", "कर-पूर्व लाभ" और "निवल लाभ" में क्रमशः 27.0%, 26.2% और 27.2% की वृद्धि हुई।

*उधार लागत जो 1985-86 में "उधारों पर ब्याज आय" का 71.5% थी, 1986-87 में 71.3% हो गई।

*निवल आय की प्रतिशतता के रूप में कर-पूर्व लाभ 1986-87 में 84.7% रहा, जो पिछले वर्ष 85.3% था।

*निवल आय की प्रतिशतता के रूप में निवल लाभ 1986-87 में 59.8% रहा, जो पिछले वर्ष 59.7% था।

वित्तीय स्थिति

2.107 30 जून, 1987 की स्थिति के अनुसार परिसम्पत्तियों और देयताओं की स्थिति सहित पांच वर्षों के भाग्रौविनि के तुलन-पत्र के अनुसार वित्तीय स्थिति सारणी 15 में दी गई है।

सारणी 15 : पांच वर्षों के दौरान भाऔविनि की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं की स्थिति (करोड़ रुपये)

विवरण	30 जून को समाप्त वर्ष 1983 रु०	1984 रु०	1985 रु०	1986 रु०	1987 रु०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
परिसम्पत्तियां					
नकद व बैंक शेष	39.83	53.68	142.13	208.88	137.00
निवेश					
—सहायता प्राप्त संस्थाओं में	44.60	52.25	57.16	58.68	72.83
—अन्य संस्थानों में	1.21	1.21	0.21	0.21	2.81
सहायता प्राप्त संस्थाओं को ऋण	864.73	1,054.93	1,307.31	1,649.11	2,117.10
परिसर, उपकरण तथा अन्य परिसम्पत्तियां	34.96	44.46	65.68	93.25	132.73
स्वीकृतियों के लिए ग्राहक देयताएं	2.40	4.11	7.87	17.88	21.93
	987.73	1,210.64	1,580.36	2,028.01	2,484.40
देयताएं					
उधार					
(क) बांड	689.30	881.54	1,107.00	1,452.88	1,729.40
(ख) सरकार तथा भा०औ०वि० बैंक से	96.60	93.24	124.70	80.51	72.33
(ग) विदेशी मुद्राओं में	59.67	62.76	94.25	169.87	292.75
चालू देयताएं और प्रावधान	46.90	49.39	92.36	110.74	120.29
निर्धारित निधियां	3.43	4.01	4.86	6.25	8.03
स्वीकृतियों पर देयता	2.40	4.11	7.87	17.88	21.93
	898.30	1,095.05	1,431.04	1,838.13	2,244.73
निम्नलिखित के रूप में निवल मूल्य					
शेयर पूंजी	22.50	27.50	35.00	45.00	57.50
रिजर्व तथा आरक्षित निधि	66.93	88.09	114.32	144.88	182.17
ऋण : इक्विटी	9.5:1	9.0:1	8.9:1	8.9:1	8.7:1
निवल मूल्य : निवल लाभ	5.2:1	4.8:1	5.1:1	5.6:1	5.5:1

लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

2.108 औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 34(1) की व्यवस्थाओं के अनुसार भाऔविबैंक द्वारा 1986-87 के लिए मैसर्स एन०एम० रायजी एंड कं०, सनदी लेखापाल, बम्बई को सांविधिक लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। भाऔविबैंक से भिन्न, भाऔविनि के शेयरधारियों ने मैसर्स टी०आर० चड्ढा एण्ड कं०, सनदी लेखापाल, नई दिल्ली को उसी अवधि के लिये लेखा-परीक्षक चुना। औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 34(3) की व्यवस्थाओं के अनुसार वर्ष 1986-87 के लिए लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट इस वर्ष के लेखे के साथ संलग्न है। आय-कर अधिनियम, 1961 (वित्त अधिनियम 1984 द्वारा यथा संशोधित) की धारा 44(कख) के अनुसार 30 जून, 1987 को समाप्त अवधि के लिए भाऔविनि की कर लेखा-परीक्षा करने के लिए मैसर्स टाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड कं०, सनदी लेखापाल, नई दिल्ली, कर लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त रहे।

अध्याय 3

उत्प्रेरक दायित्व-नये आयाम

भाऔविनि का उत्प्रेरक दायित्व

3.01 कई वर्षों से, भाऔविनि के उत्प्रेरक दायित्व ने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। भाऔविनि द्वारा विभिन्न सहायक उपायों जैसे विशेषत: लघु और मध्यम क्षेत्र की परियोजनाओं के अभि-निर्धारण, संवर्धन, आयोजन और निष्पादन के लिए गैर-वित्तीय उपादेय उपलब्ध कराना, उद्यमीयता के आधार को विस्तृत करना, उद्योग के प्रौद्योगिकीय आधार में सुधार, प्रबंध दक्षताओं के विकास और उन्नयन में सहायता करना, उद्योग-रहित जिलों के विकास पर विशेष ध्यान देते हुए संतुलित क्षेत्रीय विकास, ग्रामीण विकास की वृद्धि, और अति लघु, लघु, सहायक और मध्यम आकार के उद्योगों के विकास पर विशेष बल देते हुए स्व-नियोजन के अवसरों के सृजन, आदि, के लिए इसकी उत्प्रेरक भूमिका और औद्योगिक विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया में इसके योगदान के प्रभावपूर्ण प्रमाण हैं।

प्रवर्तन गतिविधियां—समीक्षा

3.02 वर्ष 1986-87 में भाऔविनि प्रवर्तन गतिविधियों का मुख्य जोर, देश में उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों को सहायता और गति प्रदान करना, अधिक और उदार जोखिम सहायता प्रदान करते हुए उद्यमीयता आधार को विस्तृत करना, तकनीकी परामर्श संगठनों की सहायता करना और देश में प्रबन्ध विकास के प्रयोजन हेतु सहायता करने, पर रहा। भाऔविनि की प्रवर्तन योजनायें निरन्तर आधुनिकीकरण, विपणन-अनुसंधान, विपणन सहायता, प्रदूषण नियंत्रण आदि सहित ग्रामीण, कुटीर, अति लघु और लघु क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहित, उद्योगों के प्रौद्योगिकीय अनुसंधान और विकास के संवर्धन को उत्प्रेरित और इससे भी अधिक भौतिक और मानव संसाधनों की उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ महिला उद्यमियों और समाज के कमजोर वर्गों से सम्बन्धित उद्यमियों को सहायता प्रदान करती रही।

3.03 वर्ष के दौरान, विभिन्न प्रवर्तन गतिविधियों के लिए उपयोग की गई राशि 446.06 लाख रुपए रही जो कि पिछले वर्ष उपयोग की गई 206.29 लाख रुपए की राशि से 61.4% अधिक है। आगामी पृष्ठों पर सारणी 16 और 17 में भाऔविनि द्वारा इसकी प्रवर्तन गतिविधियों के लिए उपयोग की गई राशि तथा जिन स्रोतों से इसे जुटाया गया, का ब्यौरा दिया गया है।

प्रवर्तन योजनाएं

3.04 वर्ष के दौरान, भाऔविनि ने लघु आकार के क्षेत्रों में गुणवत्ता नियंत्रण उपायों के लिए ब्याज उप-सहायता देने की एक और प्रवर्तन योजना प्रारम्भ की, जिसने परिणामस्वरूप जून, 1987 के अंत में भाऔविनि स्वयं अपने सामर्थ्य पर निम्नलिखित सात सलाहकारी शुल्क उप-सहायता योजनाएं, चार ब्याज उप-सहायक योजनाएं और एक सहायता योजना चला रहा था :—

सारणी 16 : प्रवर्तन गतिविधियों पर भाऔविनि द्वारा उपयोग की गई राशि (रुपये लाखों में)

भाऔविनि द्वारा सहायता प्रदान की गई गतिविधियों का स्वरूप	1986-87 (जुलाई-जून) राशि रुपये		1987	30 जून, तक संचयी राशि रुपये
(1)		(2)		(3)
(i) प्रवर्तन योजनाएं				
—उप-सहायता	30.08		229.08	
—ऋण सहायता	—	30.08	23.50	252.58
(ii) औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण				
उद्योग रहित जिलों सहित पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए		1.09		9.25
(iii) तकनीकी सलाहकारी संगठनों के लिए सहायता				
—तकनीकी सलाहकारी संगठन	0.27		56.05	
—औद्योगिक परामर्शदाताओं की निर्देशिका	—	0.27	0.43	56.48
(iv) जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान के माध्यम से जोखिम पूंजी सहायता के लिए मदद		213.00		982.92
(v) प्रबन्ध विकास संस्थान आदि की प्रबन्ध विकास गतिविधियों के लिए मदद		149.44		630.53

(1)	(2)		(3)	
(vi) उद्यमीयता विकास के लिए सहायता				
——उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों की लागत में हिस्सेदारी	9.03		27.01	
——भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान को सहायता	29.75		72.50	
——उद्यमीयता विकास संस्थानों को सहायता	8.50	47.28	8.50	108.01
(vii) अनुसंधान आदि का प्रवर्तन				
——भाऔविनि पीठें	1.90		25.18	
——विशेष अनुसंधान अध्ययन रिपोर्टें आदि	——		10.63	
——इण्डियन इकनॉमिक जर्नल को सहायता	——	1.90	0.10	35.91
(viii) अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों और सेमिनारों के लिए सहायता				
——ग्रामीण विकास पर अन्तरराष्ट्रीय प्रतिपादन	——		1.00	
——गुट निरपेक्ष और अन्य विकासशील राष्ट्रों के लिए अनुसन्धान और सूचना व्यवस्था	3.00		5.00	
——विश्व आर्थिक कांग्रेस	——	3.00	4.00	10.00
(ix) पुनश्चर्या कार्यक्रम और राज्य स्तरीय संस्थानों को सहायता				4.30
(x) अन्य				
(परियोजना के प्रत्यक्ष वित्त के लिए प्रयुक्त)		——		59.36
जोड़		446.06		2,149.34

सारणी 17 : भाऔविनि की प्रवर्तन गतिविधियों के लिये वित्तीय स्रोत (लाख रुपये)

निधि	1986–87 (जुलाई–जून) राशि रुपये	30 जून 1987 तक संचयी राशि रुपये
(1)	(2)	(3)
हितकारी आरक्षित निधि (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32ख के अधीन भाऔविनि के लाभों में से बनाई गई)	168.04	484.00
ब्याज अन्तर्-जन्य निधियां (भाऔविनि, ऋदितांस्तल्त फर वाइडरफबऊ, भारत सरकार और जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार के बीच हुए करारों की शर्तों के अधीन के०एफ०डब्ल्यू० ऋणों के लिए भाऔविनि द्वारा अदा किए गए ब्याज में से भारत सरकार से प्राप्त धन के द्योतक है)	278.02	1,665.34
जोड़	446.06	2,149.34

शुल्क उप-सहायता योजनाएं, चार ब्याज उप-सहायता योजनाएं और एक सहायता चला रहा था:—

सलाहकारी शुल्क उप-सहायता योजनाएं

— व्यवहार्यता अध्ययन, आदि की लागत को पूरा करने के लिए ग्रामीण, कुटीर, अति लघु और लघु क्षेत्र के लघु उद्यमियों को उप-सहायता देना।

— सहायक और लघु क्षेत्र के उद्योगों के प्रवर्तन के लिए उप-सहायता योजना।

— बाजार अनुसंधान/सर्वेक्षण आदि लागत को पूरा करने के लिए नए उद्यमियों को उप-सहायता योजना।

— लघु क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को बाजार सहायता उपलब्ध कराने के लिए उप-सहायता योजना।

— अति लघु तथा लघु क्षेत्र में रुग्ण इकाइयों के पुनर्स्थापन के लिए उप-सहायता योजना।

— अति लघु, लघु और सहायक इकाइयों के आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए उप-सहायता योजना।

— लघु और मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उप-सहायता योजना।

ब्याज उप-सहायता योजनाएं

— बेरोजगार युवा व्यक्तियों के लिये स्व-विकास और स्व-नियोजन योजना।

— महिला उद्यमियों के लिए ब्याज उप-सहायता योजना।

— लघु क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज उप-सहायता योजना।

— देशी तकनीक को ग्रहण करने को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज उप-सहायता योजना।

सहायता योजना

— आन्तरिक अनुसंधान और विकास प्रयासों के माध्यम से टेक्नोलॉजी विकास के लिए सहायता योजना।

3.05 सलाहकारी शुल्क उप-सहायता योजनाओं का उद्देश्य तकनीकी सलाहकारी संगठनों के माध्यम से अति लघु, लघु तथा सहायक क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयों को कम दर पर सलाहकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है। ब्याज उप-सहायता योजनाओं का लक्ष्य बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को प्रोत्साहन देना, गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को ग्रहण करना, उपलब्ध देशीय प्रौद्योगिकी को काम में लाना है; और जहां तक लघु क्षेत्र में इन योजनाओं के परिचालन का सम्बन्ध है, इन का संचालन राज्य वित्तीय निगमों के माध्यम से किया जा रहा है। सहायता योजना, अर्थात् आन्तरिक अनुसंधान और विकास प्रयासों के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास योजना, भाऔविनि स्वयं संचालित कर रहा है।

प्रवर्तन योजनाओं के अधीन उप-सहायता और ऋण प्रदान करने के माध्यम से सहायता

3.06 वर्ष के दौरान, भाऔविनि ने अपनी प्रवर्तन योजनाओं के अधीन 30.08 लाख रुपये की उप-सहायता का संवितरण किया, जिससे 1,132 परियोजनाओं को लाभ हुआ, जिनमें अधिकतर लघु और सहायक उद्योग क्षेत्र की हैं। पहली बार वर्ष के दौरान लघु क्षेत्र की इकाइयों को बाजार सहायता, लघु क्षेत्र की इकाइयों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उप-सहायता और महाराष्ट्र में एक महिला उद्यमी को ब्याज उप-सहायता प्रदान की गई। 30 जून, 1987 तक भाऔविनि द्वारा संचयी रूप से, अपनी प्रवर्तन योजनाओं के अधीन उप-सहायता ऋणों के रूप में 252.58 लाख रुपये की सहायता का संवितरण कर चुका था, जिससे 5,180 औद्योगिक इकाइयां लाभान्वित हुई थीं, जिनमें से अधिकतर लघु और सहायक औद्योगिक क्षेत्रों से सम्बन्धित थीं।

श्रेणी 'क' (उद्योग रहित/विशेष क्षेत्र) जिलों के औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षणों के लिए सहायता

3.07 उद्योग रहित/विशेष क्षेत्र जिलों के लिए संस्थानात्मक गहन विकास प्रयास कार्यक्रम के अधीन पिछले वर्ष तक 47 उद्योग रहित जिलों/विशेष क्षेत्र जिलों के लिए औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण कार्य सौंपे जा चुके थे। वर्ष के दौरान, भाऔविनि बैंक द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों की ओर से एक तकनीकी सलाहकारी संगठन को एक और उद्योग रहित जिले/विशेष क्षेत्र जिले की औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण का कार्य सौंपा गया। वर्ष 1986-87 के अन्त तक तकनीकी सलाहकारी संगठनों से 45 उद्योग रहित जिलों/विशेष क्षेत्र जिलों के सम्बन्ध में रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी थीं, जिनके आधार पर 122 परियोजना विचारों को भाऔविबैंक, भाऔविनि और भाऔसानिनि के वरिष्ठ अधिकारियों को एक छानबीन समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जा चुका था, जिनसे 362.83 करोड़ रुपये का निवेश होने तथा लगभग 19,591 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। इन परियोजना विचारों को आवश्यक कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों/राज्य स्तर की प्रवर्तन एजेंसियों को भेज दिया गया था। 22 परियोजना विचारों के लिए उद्यमियों का अभिनिर्धारण किया जा चुका था और वर्ष के अन्त में उनकी कार्यान्वयन योजनाएं पूरी किए जाने हेतु विभिन्न अवस्थाओं में थीं।

तकनीकी सलाहकारी सेवाओं के लिए सहायता

3.08 वर्ष 1986-87 के आरम्भ तक, सत्रह तकनीकी सलाहकारी संगठन—भाऔवि बैंक के अग्रणी दायित्व में आठ, भाऔविनि के अग्रणी दायित्व में पांच, भाऔसानिनि के अग्रणी दायित्व में तीन और कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित एक—विशेषकर ग्रामीण, अति लघु, लघु और मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाइयों, उद्यमियों, राज्य सरकारों, राज्य स्तर की वित्तीय और प्रवर्तन एजेंसियों आदि को परामर्श एवं उद्यमीयता विकास के क्षेत्र में विस्तृत सेवाएं प्रदान कर रहे थे। इन तकनीकी सलाहकारी संगठनों ने

1986-87 के दौरान कुल मिलाकर 3,509 दस्तकार्य पूरे किए थे, और संचयी रूप से 30 जून, 1987 तक 23,826 दस्तकार्य पूरे किए जा चुके थे, जिनका विवरण नीचे सारणी 18 में दिया गया है :—

सारणी 18 : सभी तकनीकी सलाहकारी संगठनों की प्रगति का सार

दस्तकार्यों की प्रगति	पूरे किये गए दस्तकार्यों की संख्या	
	1986-87 (जुलाई-जून)	प्रत्येक तकनीकी सलाहकारी संगठन के आरम्भ से 30 जून, 1987 तक
(1)	(2)	(3)
I. निवेश-पूर्व सलाहकारी दस्तकार्य		
—व्यवहार्यता, व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन/परियोजना रिपोर्टें, आदि	1,829	10,055
—औद्योगिक सम्भावना/क्षेत्र विकास सर्वेक्षण	43	425
—बाजार सर्वेक्षण	110	435
—परियोजना रूपरेखा	947	7,605
—प्रारम्भिक तथ्य निरूपण अध्ययन	6	92
—मूल्यांकन	29	988
—अन्य	184	1,626
उप-जोड़ (i)	3,148	21,226
II. निवेश-पश्चात् सलाहकारी दस्तकार्य		
—निदानात्मक अध्ययन	78	697
—रुग्ण इकाइयों का पुनर्स्थापन	74	406
—अन्य	53	851
उप-जोड़ (ii)	205	1,953
टर्नकी दस्तकार्य/कार्यात्मक औद्योगिक काम्पलैक्स, आदि	14	56
IV. उद्यमीयता विकास कार्यक्रम	142	591
कुल जोड़ (I—II—III—IV)	3,509	23,826

3.09 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा स्थापित 16 तकनीकी सलाहकारी संगठनों (कर्नाटक सरकार द्वारा प्रवर्तित तकनीकी सलाहकारी संगठन को छोड़कर) का कुल सलाहकारी कारोबार 1981-82 में 142 लाख रुपये था, जो 1985-86 में बढ़कर 363 लाख रुपये हो गया, जिसकी वार्षिक चक्रवृद्धि विकास दर 21% बैठती है। तकनीकी सलाहकारी संगठनों द्वारा अर्जित की गई सम्पूर्ण अधिशेष राशियां इस अवधि के दौरान 3.31 लाख रुपये से बढ़कर 12.68 लाख रुपये हो गई जिससे उनके परिचालनों की बेहतर व्यावहार्यता परिलक्षित होती है।

3.10 तकनीकी सलाहकारी संगठनों के गुणनात्मक निष्पादन से भी अधिक प्रभावपूर्ण तथ्य यह है कि उन्होंने ग्रामीण, अति लघु, लघु और लघु मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाइयों को रियायती सलाहकारी सेवाएं प्रदान करते हुए सलाहकारी संस्कृति का विकास किया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों के अनुरूप, अधिकांश तकनीकी सलाहकारी संगठनों ने वर्ष के दौरान, लघु क्षेत्र की चुनी हुई इकाइयों के प्रौद्योगिकीय उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए समेकित कार्यक्रम बनाए हैं। इन कार्यक्रमों के अधीन विभिन्न राज्यों में प्रमुख लघु क्षेत्र के उद्योगों के

विशेष उप-क्षेत्रों का अध्ययन किया गया, ताकि उनकी आधुनिकीकरण आवश्यकता का अभिनिर्धारण किया जा सके और आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए एक-मुश्त सेवाएं निर्धारित की जा सकें।

3.11 वर्ष के दौरान, उत्तर-पूर्वी औद्योगिक कंसलटेन्ट्स् लिमिटेड (नेकान) नामक एक नये तकनीकी सलाहकारी संगठन की स्थापना की गई, जो विशेषत: मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के उद्यमियों को सलाहकारी सेवाएं प्रदान करेगा। जुलाई, 1973 में स्थापित उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विद्यमान तकनीकी सलाहकारी संगठन, अर्थात्, उत्तर-पूर्वी औद्योगिक और तकनीकी सलाहकारी संगठन लिमिटेड (नीटको) अब असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की आवश्यकताओं को समग्र रूप से सेवाएं प्रदान करेगा।

3.12 भाआविनि का वर्ष के दौरान तकनीकी सलाहकारी संगठनों के गुणात्मक पहलुओं में सुधार करने, उचित बोध का विकास करने और सातवीं योजना अवधि और उसमें निर्दिष्ट लक्ष्यों के साथ सह-सामंजस्य के अनुरूप उनकी नियमित परियोजनाओं की संरचना करने में सहायता करने और विशेषकर, ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्रों में उद्योगों के विकास में, इसके लक्ष्यों को पूरा करने पर लगातार जोर रहा। वर्ष के दौरान, 13 मार्च, 1987 को भाआविबैंक के तत्वावधान में तकनीकी सलाहकारी संगठनों के प्रबन्ध निदेशकों का एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें भाआविबैंक, भाआविनि और भाआसानिनि के अध्यक्षों ने भाग लिया और अपने प्रवर्तित तकनीकी सलाहकारी संगठनों के लिए उचित निदेश एवं मार्ग-दर्शन देने में सहायता की। तकनीकी सलाहकारी संगठनों के प्रबंध निदेशकों के सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया, कि यद्यपि प्रत्येक तकनीकी सलाहकारी संगठन स्वतंत्र रूप से अपनी परिचालनात्मक नीतियां और योजना बना सकता है, परन्तु यह सुनिश्चित करना अत्यन्त आवश्यक है, कि प्रत्येक तकनीकी सलाहकारी संगठन के कुल सलाहकारी कारोबार में लघु क्षेत्र के उद्योग का अंशदान संख्यावार 75% और सलाहकारी आय-वार 35% से कम न हो। यह विचारा गया है कि इससे तकनीकी सलाहकारी संगठन अपनी वाणिज्यिक व्यावहार्यता बनाए रख सकेंगे, और साथ ही उन क्षेत्रों के लघु उद्यमियों को उस दर पर सलाहकारी सेवाएं अर्पित कर सकेंगे, जिस दर पर संभवत: अन्य सलाहकार सेवाएं प्रदान न कर सकें। सम्मेलन में कम्प्यूटर की मदद से बेहतर लेखा सम्बन्धी आन्तरिक कार्य, डाटा मेनेजमेंट, परिचालनों के यांत्रिकीकरण की आवश्यकता पर भी बल दिया गया, ताकि तकनीकी सलाहकारी संगठन गुणात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें।

औद्योगिक परामर्शदाताओं की निर्देशिका

3.13 भाआविबैंक के अग्रणी दायित्व में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों ने औद्योगिक सलाहकारों का पेनल बनाये रखा, और उन्हें औद्योगिक परामर्शदाता निर्देशिका में सूचीबद्ध करते रहे। वर्ष के दौरान, 77 नए परामर्शदाताओं को इस सूची में शामिल किया गया और पहले से सूचीबद्ध 26 परामर्शदाताओं को अतिरिक्त क्षेत्रों में शामिल किया गया। इससे, 30 जून, 1987 तक निर्देशिका में सूचीबद्ध परामर्शदाताओं की कुल संख्या 654 हो गई।

जोखिम पूंजी वित्त के लिए सहायता

3.14 भाआविनि द्वारा 1975 में प्रवर्तित जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान ने प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को जोखिम पूंजी सहायता के रूप में ब्याज-मुक्त व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने में अपनी सेवा के 11 वर्ष पूरे कर लिए। सारणी 19 में, 31 दिसम्बर, 1986 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष, इसके बाद 30 जून 1987 को समाप्त हुए अर्ध-वर्ष की अवधि और इसके प्रारम्भ से लेकर 30 जून, 1987 तक के जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान के परिचालनों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

सारणी 19 : जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान की मंजूरियां और संवितरण

जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान की जोखिम पूंजी सहायता से सम्बन्धित विवरण	1986 (जनवरी-दिसम्बर)	1987 (जनवरी-जून)	30 जून 1987 तक संचयी
(1)	(2)	(3)	(4)
(i) मंजूर की गई परियोजनाएं (संख्या)	20	14	127
(ii) उपर्युक्त (1) से सम्बन्धित उद्यमी (संख्या)	37	21	213
(iii) निवल मंजूरियां (लाख रुपये)	302.84	200.50	1,404.18
(iv) संवितरण (लाख रुपये)	267.77	81.25	974.49

3.15 वर्ष 1986 के दौरान जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान द्वारा की गई मंजूरियां और संवितरण पिछले वर्षों की तुलना में सर्वाधिक ऊंचे रहे। प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों की सहायता करते हुए जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान निस्सन्देह देश में उद्यमीयता के आधार को सशक्त एवं विस्तृत करने में समर्थ रहा है।

3.16 अपने हितोपभोगियों से विचारों का आदान प्रदान करने, उनकी समस्याओं को समझने और सहायता का मूल्यांकन करने के लिए जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान ने वर्ष के दौरान, 9 सितम्बर, 1986 को अपने हितोपभोगियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में बहुत से हितोपभोगियों और प्रतिष्ठित आमन्त्रित व्यक्तियों ने भाग लिया। उस विचार-विमर्श और जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान द्वारा अपने परिचालनों के दौरान प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर वर्ष के दौरान, योजना को और उदार बनाकर कुछ और परिवर्तन किए गए, जो इस प्रकार है :

(i) प्रत्येक आवेदन पर 2,000— रुपये के आवेदन शुल्क की अदायगी की अपेक्षा समाप्त कर दी गई।

(ii) हितोपभोगियों को दी गई जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान की सहायता हेतु संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में उनके जीवन पर ली जाने वाली बंधक विमोच्य बीमा पालिसियां लेने की प्रक्रिया भी समाप्त कर दी गई।

(iii) जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान से सहायता के लिए पात्र परियोजना लागत की निम्न सीमा 3 करोड़ रुपये से घटाकर 2 करोड़ रुपये कर दी गई।

(iv) विशेष मामलों में, जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान ऐसे प्रवर्तकों के आवेदनों पर भी विचार कर सकता है, जिन्हें परियोजना लागत में वृद्धि के वित्तपोषण के लिए उनके द्वारा लगाए जाने वाले प्रवर्तक अंशदान के भाग को पूरा करने या विशाखन करने या परियोजना की सम्पूर्ण व्यावहार्यता में सुधार करने के लिए अपनी औद्योगिक इकाइयों के विस्तार के लिए पहले से ही सहायता नहीं दी गई हो। विशेष मामलों के लिए, जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान गुणावगुण आधार पर ऋण दे सकेगा ताकि प्रवर्तकों द्वारा चलाए गए विस्तार/विशाखन कार्यक्रमों की लागत के भाग को वित्तपोषित करने के लिए उनकी कम्पनियों द्वारा जारी की गई अतिरिक्त इक्विटी पूंजी में अपने 'अधिकारिक निर्गम' में अंशदान करने में समर्थ हो सकें।

(v) प्राईवेट लिमिटेड कम्पनियों को भी जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान से आवेदन करने की अनुमति दी गई बशर्ते कि वे स्वयं को जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान निर्धारित उपर्युक्त अवधि में पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रुप में परिवर्तित करवाने को वचन-बद्ध हों, और करवालें।

(vi) संवितरण से पूर्व शर्त के रुप में शेयरों के सार्वजनिक निर्गम की अपेक्षा को उपयुक्त मामलों में छूट देते हुए ऋण के संवितरण की प्रक्रिया को और भी सरल और उदार बनाया गया। उचित मामलों में, जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान उन परियोजनाओं को भी सहायता देने पर विचार कर सकता है, जिन्हें केवल राज्य स्तरीय विकास/वित्तीय संस्थानों बैंकों द्वारा ही सहायता मंजूर की गई हो।

3.17 भारत सरकार की पूर्व-अनुमति के अधीनस्थ, वर्ष के दौरान, जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान को लिमिटेड कम्पनी के रुप में संपरिवर्तित करने का निर्णय लिया गया ताकि प्रौद्योगिकी वित्त एवं जोखिम पूंजी सहायता, अर्थात, नए उद्योगों को उधार ऋण, प्रौद्योगिकी के विकास के लिए वित्त, परियोजना की इक्विटी में प्रत्यक्ष इक्विटी भागीदारी आदि के रूप में विभिन्न प्रकार की सहायता दी जा सके।

3.18 अभी तक भा०औ०वि०नि० ही जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान को सम्पूर्ण निधि सहायता प्रदान करता रहा है। 30 जून, 1987 तक भा०औ०वि०नि० ने, 1,150 लाख रुपए की निधि आबंटित की थी, जिसमें, से 973 लाख रुपए की निधि जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान को संवितरित की जा चुकी थी।

प्रबंध विकास के लिए सहायता

3.19 भा०औ०वि०नि० द्वारा वर्तित प्रबंध विकास संस्थान (अपने विकास बैंकिंग केन्द्र सहित) सरकारी विभागों के अतिरिक्त वाणिज्यिक और विकास बैंकों और सरकारी, निजी संयुक्त और सहकारी क्षेत्रों में प्रबंधकीय दक्षता के विकास का प्रयास कर रहा है। प्रबंध विकास संस्थान द्वारा की गई सेवाओं ने शैक्षिक और व्यावहारिक अनुस्थापन के अद्वितीय सम्मिश्रण—पूर्ण कार्यक्रमों द्वारा एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है।

3.20 वर्ष 1986 के दौरान और इसके बाद 30 जुन, 1987 को समाप्त हुई 6 मास की अवधि के दौरान प्रबंध विकास संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की संख्या क्रमशः 87 और 31 रही जिनमें 2,555 भागीदारों ने हिस्सा लिया। संचयी रुप से प्रबंध विकास संस्थान ने 30 जून, 1987 तक 794 प्रबंध विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जिसमें 19,340 भागीदार लाभान्वित हुए और जिसमें से 536 भागीदार अन्य विकासशील देशों से थे।

3.21 सलाहकारी और अनुसंधान के क्षेत्र में प्रबंध विकास संस्थान की उपलब्धियों की विशेषताएं थीं (क) नेवेली लिग्नाईट कारपोरेशन के लिए व्यापक मानव शक्ति योजना अध्ययन, (ख) दो चुनी हुई सार्वजनिक उपयोगिताओं, अर्थात, बिजली बोर्डों और राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों की आन्तरिक सलाहकारी सेवाओं की क्षमताओं में सुधार करने के उद्देश्य से योजना/आयोग अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन/संयुक्त राष्ट्र विकास योजना प्रबंध परामर्श में गहन प्रशिक्षणहेतु संस्थानात्मक प्रणाली की स्थापना के लिए आधार का उपबंध करना (ग) जम्मू व कश्मीर औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के संगठनात्मक ढ़ांचे का अध्ययन। प्रबंध विकास संस्थान द्वारा आरम्भ की गई अनुसंधान परियोजनाओं में (i) भा०औ० सा०नि०नि० द्वारा प्रवर्तित शेयरधारी सर्वेक्षण, भौगोलिक संवितरण (ii) आई० सी० एस०एस० आर० द्वारा प्रवर्तित औद्योगिक रूग्णता—प्रबंध पहलुओं का अध्ययन (iii) भा०औ०वि० बैंक द्वारा प्रवर्तित परियोजनाओं के मूल्यांकन और मानिटरिंग के साधन रुप में प्रयोग किया जाने वाला अन्तर-फर्म तुलनात्मक अध्ययन (iv) भारत में राज्य-स्तरीय वित्तीय संस्थानों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का सर्वेक्षण, और (v) जोखिम पूंजी/बीज पूंजी और विशेष पूंजी योजनाओं का प्रभाव; भी शामिल है। बाद की दो परियोजनाएं स्वयं प्रबंध विकास संस्थान द्वारा आरम्भ की गई थी।

3.22 प्रबंध विकास संस्थान ने देश में प्रबंध प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है अब यह अपने कार्यकलापों

में महत्वपूर्ण विस्तार के लिए तैयार है भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने प्रबंध विकास संस्थान को भारतीय प्रशासनिक सेवा/ग्रुप "क" सेवाओं से संबंधित सरकारी अधिकारियों और सरकारी तथा निजी क्षेत्र संगठनों के कार्यपालक, जिनमें उच्च स्थान प्राप्त करने की क्षमता है, के लिए हारवर्ड विश्वविद्यालय के संयोजन से 15 माह का गहन राष्ट्रीय प्रबंध कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक एजेन्सी के रुप में कार्य करनेहेतु अभिहित किया है । अगले कुछ वर्षों में कैम्पस के अतिरिक्त विस्तार और सुसज्जित कम्प्यूटर सेन्टर बनाने के लिए भी योजनाऐं कार्याधीन हैं । प्रबंध विकास संस्थान हेतु एक महत्वपूर्ण परिपेक्ष्य योजना बनाई गई है और प्रबंध विकास संस्थान को पूर्णतः नई दिशा देने के प्रयास किए जा रहे है ताकि देश में प्रबंधकीय साधनों का विकास किया जा सके और आगामी चुनौतियों का सामना करने के लिए आज के प्रबंधकों को प्रशिक्षित किया जा सके ।

3.23 प्रबंध विकास संस्थान को वर्ष 1986–87 में भा०औ० वि०नि०की वित्तीय सहायता 149.44 लाख रुपए रही । 30 जून 1987 तक, भा०औ०वि०नि० ने संचयी रुप से प्रबंध विकास संस्थान को 630.53 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी थी ।

उद्यमीयता विकास के लिए सहायता

3.24 यदि पिछले कुछ वर्षों से उद्यमीयता विकास अन्दोलन गति प्राप्त करने में समर्थ हुआ है, तो यह भा०औ०वि०नि० सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा किए जा रहे संरक्षण और उदार सहायता के ही कारण है । पिछले वर्ष के दौरान भा०औ० वि० बैंक और भा०औ०सा०नि०नि० सहित भा०औ०वि०नि० ने 203 उद्यमीयता विकास कार्यक्रमोंहेतु सहायता दी जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमियों के लिए 56 उद्यमीयता विकास कार्यक्रम शामिल थे । क्षेत्रीय अभियांत्रिकी कालेज, प्रौद्योगिकी संस्थान, समाजसेवी एजेन्सियों, भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान और राज्य स्तरीय उद्यमीयता विकास संस्थानों जैसी मान्य एजेन्सियों के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गये इससे, जून, 1987 तक, भा० औ० वि० बैंक और भा०औ०सा०नि०नि० सहित भा०औ०वि०नि० ने 747 उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी, जिससे 17,920 संभावित उद्यमी लाभान्वित हुए ।

3.25 भा०औ०वि०नि० सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रवर्तित भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान (भा० उ०वि०सं०) ने 31 मार्च, 1987 को अपने परिचालनों का चौथा वर्ष पूरा कर लिया । संसाधन उत्पादेयों की व्यवस्था करने, माडल उद्यमीयता विकास कार्यक्रम आरम्भ करने, तुलनात्मक रुप से पिछड़े क्षेत्रों में उद्यमीयता विकास कार्यक्रम आरम्भ करने और उद्यमीयता विकास के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करने के लिए उद्यमीयता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से स्थापित इस शीर्ष स्तरीय संस्थान ने वर्ष के दौरान उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में अपने उद्यमीयता विकास कार्यक्रम की गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित किया और असम, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आदि राज्यों में उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों की प्रभावोत्पादकता का सफलता पूर्वक प्रदर्शन किया । भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान ने चौथा प्रतिष्ठित उद्यमीयता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया और पहली बार प्रशिक्षण देने वालों एवं उत्साहित करने वाले प्रशिक्षकों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया । अपने सहायता कार्यकलापों में भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान ने हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आदि में उद्यमीयता विकास कार्यक्रम आयोजित करने वाली अनेक एजेन्सियों को संकाय और व्यवसायिक सहायता प्रदान की भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान ने मारीशस, मालावीह, अबिदजन, गिनी, नाईजीरिया, मलेशिया, सिनेगल, आदि देशों में भी आयोजित अनेक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहायता और सहयोग दिया । उद्यमीयता विकास कार्यों के विस्तार में शामिल अनेक एजेन्सियों के अवबोधन और क्षमताओं को प्रखर करने के लिए भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान ने विभिन्न संगठनों के लिए सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन किया और उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आदि में उद्यमीयता सम्मेलन भी आयोजित किए। वर्ष के दौरान, भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान की गतिविधियों की मुख्य विशेषता, एशिया और प्रशांत के चोगर्म सदस्यों के लिए उद्यमीयता विकासकार्यशाला का आयोजन था । भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान ने उद्यमीयता विशेषताओं, स्वनिर्मित प्राभोवोत्पादक उद्यमीय अध्ययन, ग्रामीण उद्यमीयता विकास परियोजना और मध्य प्रदेश में जनजातीय उद्यमीयता विकास कार्यक्रम अध्ययन जैसी अनेक, अनुसंधान परियोजनाएं आरम्भ की हैं । आगामी वर्षों में भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान द्वारा विभिन्न लघु और दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे, अनुभव बांटने के लिए राष्ट्रीय सेमिनार और कार्यशालाऐं ओयोजित करने और अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रयासों के माध्यम से उद्यमीयता विकास कार्यक्रम आयोजित करने वाले संगठनों की प्रभावशीलता और गति बढ़ाने पर बल दिया जाएगा ।

3.26 पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश, लखनऊ में राज्य स्तरीय उद्यमीयता विकास संस्थान की स्थापना का उल्लेख किया गया था । वर्ष के दौरान, उद्यमीयता विकास के क्षेत्र में दो और राज्य स्तरीय संगठन एक बिहार में और दूसरा उड़ीसा में, बनाए गए । उद्यमीयता विकास संस्थान, बिहार की स्थापना पटना में की गई और इसका औपचारिक उद्घाटन 7 मार्च, 1987 को किया गया । उद्यमीयता विकास संस्थान, उड़ीसा का भी पंजीकरण 13 मार्च, 1987 को हुआ और इसने मई, 1987 से अपना कार्य आरम्भ कर दिया ।

3.27 उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थित उद्यमीयता विकास संस्थान ने अपने परिचालन का पहला वर्ष पूरा कर लिया और वर्ष के दौरान इसने 14 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें विभिन्न लक्ष्यों वाले समूह प्रतिनिधित्व करने वाले 350 भागीदार शामिल हुए । उद्यमीयता विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश ने वर्ष के दौरान अपना पहला अन्तर संस्थानात्मक सेमिनार और उत्तर प्रदेश में उद्यमीयता विकास कार्यक्रम आयोजित करने वाली एजेन्सियों की पहली संस्थानात्मक बैठक भी आयोजित की । इसने वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में चार उद्यमीयता जागरुकता कैम्प भी आयोजित किए और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए भी पहला

उद्यमीयता विकास कार्यक्रम लखनऊ में सफलतापूर्वक आयोजित किया। आशा है कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों की सहायता से अन्य राज्यों में उभरते हुए और राज्य स्तरीय उद्यमीयता विकास संस्थानों के सहयोग से उद्यमीयता विकास गतिविधियां संस्थानात्मक और बेहतर रुप में विनियमित हो जाएंगी और इनकी उद्यमीयता कौशल से शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग को "नौकरी मांगने वाले" से "नौकरी देने वाला" बनाया जा सकेगा। जिससे देश की सम्पूर्ण औद्योगिक प्रक्रिया के विकास में सहायता मिलेगी।

3.28 भा०औ०वि० नि० ने संचयी रुप में वर्ष 1986–87 में उद्यमीयता विकास के लिए 47.28 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की और उद्यमीयता विकास गतिविधियों को चलाने के लिए स्थापित उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों और संगठनों/संस्थानों को 108.01 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्कों को सहायता

3.29 पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि भा औ०वि०नि० ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्कों की दो परियोजनाओं को, बिड़ला टेक्नालाजी इन्स्टीटयूट द्वारा प्रवर्तित रांची, बिहार में एक और सी० सी० शराफ रिसर्च इन्स्टीटयूट द्वारा प्रवर्तित महाराष्ट्र, तारापुर में दूसरी, को सहायता प्रदान करने की सहमति प्रदान की थी। वर्ष के दौरान, भा०औ० वि०नि० सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सिद्धांत क्षेत्रीय अभियांत्रिकी कालेज तिरुचिरापल्ली और हारकोर्ट बटलर टेक्नोलॉजी इन्स्टीयूट, कानपुर द्वारा स्थापित किए जा रहे दो विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्कों को वित्तीय सहायता देने की सहमति प्रदान की है। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्क सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अधीन पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं और क्षेत्रीय अभियांत्रिकी कालेज, तिरुचिरापल्ली, विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्क के मामले में राज्य सरकार ने भी पर्याप्त वित्तीय सहायता देने का आश्वासन दिया है। क्षेत्रीय अभियांत्रिकी कालेज, तिरुचिरापल्ली का विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्क यांत्रिकी, विद्युत और इलेक्ट्रानिक अभियांत्रिकी इकाइयों का विशेष अध्ययन करेगा। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्क इन क्षेत्रों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमियों को अनुसंधान और विकास और उत्पाद विकास सुविधाएँ प्रदान करेगा। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने भी उत्पाद अभिनिर्धारण और विकास में इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्क की सहायता करने में सहमति प्रदान की है। हाईकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान का कानपुर स्थित विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्क रसायन अभियांत्रिकी (पोलीमर्स एण्ड प्लास्टिक्स बायोकैमिकल्स आदि), खाद्येतर तेल और भोजन प्रौद्योगिकी का विशेष अध्ययन करेगा। आशा है कि दो से तीन वर्षों की अवधि में उपयुक्त सभी विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्क 'योग्यता' को 'पार्य', 'सुविधा' को 'अनुभव' और 'अनुसंधान के फलस्वरुप' 'औद्योगिक प्रक्रिया और उत्पाद' को अनुकूल बनाते हुए संभावित उद्यमियों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पृष्ठभूमि से आत्मविश्वासी उद्यमी बना सकेंगे।

अनुसंधान का प्रवर्तन

3.30 विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान प्रवर्तन के लिए भा० औ०वि०नि० ने, कई वर्षों से देश के विश्वविद्यालयों और प्रबंध संस्थानों से अच्छे संबंध बनाने के प्रयास किए हैं। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, गुवाहाटी और विश्वविद्यालयों में, प्रत्येक में एक तथा अहमदाबाद के भा[illegible] बंध संस्थान में एक पीठ की स्थापना करके, इस प्रकार कुल छः पाठों की स्थापना की गई है और वे सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं। वर्ष के दौरान, भा०औ०वि०नि० की पीठों के तत्वावधान के अधीन निम्नलिखित वार्षिक सार्वजनिक व्याख्यान दिए गए :—

—मानव संसाधन विकास : प्रौद्योगिकी की भूमिका

—डा० ए० एन० सक्सेना, दिल्ली विश्वविद्यालय

—भारत की बैंकिंग नीति के कुछ पहलू

—डा० आर० एस०, सबनीस, बम्बई विश्वविद्यालय

—भारतीय पूंजी बाजार में विकास बैंकों की भूमिका

—डा० एन० पी० श्रीनिवासन, मद्रास विश्वविद्यालय

3.31 कलकत्ता विश्वविद्यालय में, 'पूंजी—उत्पादेय अनुपात की प्रवृत्ति' और हल्के इंजीनियरी उद्योग की रूग्णता पर इसके कार्योत्पादक प्रभाव विषय पर एक अनुसंधान परियोजना पहले से ही चलाई जा रही है और अनुसंधान के आधार पर गुवाहाटी विश्वविद्यालय और भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद में ग्रामीण विकास पर बैंकों की भूमिका और 'पूंजी बाजार—सातवीं योजना के अधीन कार्य' विषयों पर शीघ्र ही वार्षिक व्याख्यान दिए जाएंगे।

मर्चेन्ट बैंकिंग सेवाएं

3.32 भा०औ०वि०नि० ने औद्योगिक विकास के लिए अपने उत्प्रेरक दायित्व के रुप में 1 जुलाई, 1986 से नई दिल्ली में एक मर्चेन्ट बैंकिंग प्रभाग और बाद में बम्बई में मर्चेन्ट बैंकिंग ब्यूरो की स्थापना करके औद्योगिक समुदाय को मर्चेन्ट बैंकिंग सेवाएँ, प्रदान करनी आरम्भ की। अपने परिचालन के प्रथम वर्ष के दौरान मर्चेन्ट बैंकिंग प्रभाग ने 12 निर्गमों की व्यवस्था की और इसे 30 जून, 1987 तक 32 कम्पनियों से निकट भविष्य में किए जाने वाले उनके सार्वजनिक निर्गमों की व्यवस्था हेतु आदेश पत्र प्राप्त हो चुके थे। व्यासिता दन्तकार्यों के अतिरिक्त, मर्चेन्ट बैंकिंग प्रभाग ने अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर पूंजी पुनर्संरचना, विलयन और समामेलन के लिए दत्तकार्य करने भी आरम्भ कर दिए हैं। भा०औ०वि०नि० का मर्चेन्ट बैंकिंग प्रभाग, परियोजना निरूपण और परियोजना लागत को पूरा करने के लिए साधन जुटाने के क्षेत्रों में उद्यमियों को अवसर मार्ग—निर्देश भी प्रदान कर रहा है।

नए प्रयास

3.33 भा०औ०वि०नि० उपयुक्त प्राधिकरियों के अनुमोदन से लीजिंग वित्त, प्रौद्योगिक वित्त और मशीनरी, उपस्कर और कम्प्यूटर बनाने वाली संस्थाओं को आस्थगित अदायगी आधार पर क्रेता संस्थाओं-वास्तविक उपभोक्ताओं को अपने उपस्कर बेचने के लिए अनावर्ती ऋण सुविधाएं देते हुए अपने उत्प्रेरक दायित्व में नए आयाम जोड़ेगा। भाऔविनि का

सेवाओं क्षेत्र, विशेषत: इंजीनियरी, तकनीकी, वित्तीय, बाजार और प्रबन्ध सेवाओं, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी दूर संचार और इलेक्ट्रानिक्स सेवाएं भी शामिल हैं, के क्षेत्रों को भी वित्तीय सहायता देने का विचार है ।

3.34 औद्योगिक विकास उत्प्रेरक के रूप में भाग्रौविनि का प्रयास संस्थानात्मक अवस्थापना अन्तरालों का अभिनिर्धारण करना और अपनी संविधि की सीमाओं में इन अन्तरालों को भरना रहा है । अनुभव साक्षी है, कि किसी भी मात्रा में राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहन और यहां तक कि वित्त की सहज सुलभता भी औद्योगिक प्रयासों को सफल नहीं बना सकती जब तक कि परियोजना चक्र की प्रत्येक अवस्था में परियोजना परामर्श सुविधाओं और प्रसार सेवाओं सहित अन्य उत्पादेय, जसे साधन सम्पन्न उद्यमीयता, नवीनतम और दक्ष प्रौद्योगिकी/जानकारी, व्यवसायीकृत प्रबन्ध वर्ग, सुप्रेरित एवं कुशल मानव शक्ति उपलब्ध न हो। अपनी प्रवर्तन और विकासात्मक भूमिका में भाग्रौविनि अपने स्रोतों और क्षमता के अनुरूप अधिकतम संभव सीमा तक गैर-वित्तीय उत्पादेयों को देने का प्रयास कर रहा है और निरन्तर करता रहेगा ।

अध्याय 4

आन्तरिक मामले

निदेशक बोर्ड की बैठकें

4.01 वर्ष के दौरान, निदेशक बोर्ड की बारह बैठकें हुई, जिनमें से दस नई दिल्ली में, एक बंगलौर तथा एक कलकत्ता में हुई ।

निदेशक बोर्ड में परिवर्तन

4.02 केन्द्रीय सरकार ने श्री पी० मुरारी के स्थान पर भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग, नई दिल्ली के अतिरिक्त सचिव, श्री ए० वी० गणेशन को 26 नवम्बर, 1986 से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के निदेशक बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया । लेकिन, वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (भाग्रौविबैंक) के नामित निदेशकों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ।

4.03 औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) अधिनियम, 1986 के बन जाने से, जो दिनांक 2 फरवरी, 1987 से प्रभावी हो गया, उस के फलस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक, (भारिबैंक) औविनि अधिनियम, 1948 की धारा 10(1) (ख) के अधीन भाग्रौविनि के बोर्ड में अपना एक नामित निदेशक नियुक्त कर सकता है । एतद् भारतीय रिजर्व बैंक ने, भाग्रौविनि के निदेशक बोर्ड में, दिनांक 4 जुलाई, 1987 से श्री एस० एन० बगई, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, को नामित किया ।

4.04 औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) अधिनियम, 1986 के द्वारा भाग्रौविनि के निर्वाचित निदेशकों की अवधि 4 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दी गई । उक्त संशोधन के परिणामस्वरूप भाग्रौविनि के निर्वाचित निदेशक, श्री जे० एस० वाष्णेय, श्री एस० के० सेठ तथा श्री बी० एस० थोरात, दिनांक 2 फरवरी, 1987 से निवृत्त माने गये, किन्तु 11 मई, 1987 को आयोजित विशेष महासभा में पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, श्री जे० एस० वाष्णेय, को औविनि अधिनियम, 1948 की धारा 10(1) (ग) के अन्तर्गत अनुसूचित बैंकों का प्रतिनिधित्व करने के लिये दोबारा भाग्रौविनि के निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया । श्री एस० के० सेठ, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लि०, को भी दिनांक 6 अप्रैल, 1987 को हुई विशेष महासभा में औविनि अधिनियम, 1948 की धारा 10(1)(घ) के अधीन बीमा कम्पनियों, आदि का प्रतिनिधित्व करने के लिये फिर से भाग्रौविनि निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया । इसी प्रयोजन के लिये, 6 अप्रैल, 1987 को बुलाई गई विशेष महासभा में सहकारी बैंकों का प्रतिनिधित्व करने के लिये औविनि अधिनियम, 1948 की धारा 10(1)(ङ) के अन्तर्गत श्री बी० एस० थोरात के स्थान पर श्री एस० एस० कदम अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लि०, बम्बई को निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया ।

4.05 निर्वाचित निदेशकों में से, बीमा कम्पनियों आदि के प्रतिनिधि श्री सी० आर० ठाकोर ने 30 मार्च, 1987 से (कार्य समापन पर) (भाग्रौविनि के निदेशक बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया। उनके स्थान पर 22 जून, 1987 को आयोजित हुई विशेष महासभा में भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबन्ध निदेशक, श्री एन० के० शिकर को निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया ।

4.06 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का निदेशक बोर्ड श्री पी० मुरारी, श्री बी० एस० थोरात तथा श्री सी० आर० ठाकोर द्वारा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से निदेशक के रूप में सम्बद्ध रहने के दौरान किए गए अमूल्य मार्गदर्शन, योगदान एवं सेवाओं की अति प्रशंसा करता है ।

सलाहकारों के तदर्थ समूह की बैठकें

4.07 भाग्रौविनि द्वारा समय-समय पर औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 15 के अन्तर्गत भाग्रौविनि के पास वित्त पोषण के लिये आये विशिष्ट प्रस्तावों पर निपुण एवं प्रवीण सलाह प्राप्त करने के लिये सलाहकारों के तदर्थ समूह की बैठकें बुलाई जाती है । वर्ष के दौरान होटलों, अस्पतालों तथा इलैक्ट्रानिक उद्योगों के प्रस्तावों पर विचार करने हेतु विशिष्ट सलाह के लिये सलाहकारों के तदर्थ समूह की छः बैठकें की गई ।

राज्य सलाहकार समितियां

4.08 वर्ष के दौरान, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 15 के अन्तर्गत गठित राज्य सलाहकार समितियों की छः बैठकें, क्रमशः कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश तथा बिहार में आयोजित की गई । यह बैठकें विशिष्ट क्षेत्रों और/अथवा उद्योगों के सम्बन्ध में उपलब्ध परिस्थितियों, योगदान तथा

गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए भाआवित्रि के लिये अपने योगदान और गतिविधियों के सम्बन्ध में बेहतर जानकारी देने और उसके मूल्यांकन करने, तथा सम्बन्धित राज्य में उद्योगीकरण की समस्याओं और संभावनाओं की मौके पर जानकारी देने में सहायक हुई। भाआवित्रि के क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा पदेन सचिवों की हैसियत से समिति के सदस्यों के साथ पूरे वर्ष सम्पर्क बनाये रखा गया।

राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के संस्थानों के साथ समन्वय

4.09 अन्तर संस्थानात्मक बैठकों, अन्तर संस्थानात्मक पुनर्स्थापन तथा वरिष्ठ कार्यपालकों की बैठकों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के वित्तीय संस्थानों के बीच अन्तर संस्थानात्मक समन्वय बनाये रखा गया। 1986–87 के दौरान अन्तर संस्थानात्मक मंच की 10, अन्तर संस्थानात्मक पुनर्स्थापन मंच की 9 और वरिष्ठ कार्यपालकों की 22 बैठकें हुई।

4.10 क्षेत्रीय स्तर पर भाआवि बैंक द्वारा आयोजित क्षेत्रीय कार्यपालकों की बैठकें क्षेत्रीय/राज्य स्तर पर संस्थानात्मक समन्वय बनाने में तथा इसके साथ ही कठिनाइयों से ग्रस्त वित्तपोषित संस्थाओं की प्रगति की समीक्षा करने, राज्य स्तर की औद्योगिक परियोजनाओं के लिये वित्तीय ढांचा तैयार करने, संवितरणों तथा वसूलियों पर, विशेष रूप से परियोजना वित्तपोषण भागीदारी योजना मामलों पर विचार करने तथा परियोजना अनुवर्तन, देयताओं की वसूली, बन्धक परिसम्पत्तियों का बीमा, बीमा राशियों आदि के समायोजन के आपसी हित के मामलों पर विचार-विमर्श करने में काफी उपयोगी सिद्ध हुई। वर्ष के दौरान 23 क्षेत्रीय कार्यपालक बैठकें हुई, जिनमें से 6 उत्तरी क्षेत्र की, 5 पश्चिमी क्षेत्र की, 5 पूर्वी क्षेत्र की, 3 उत्तर पूर्वी क्षेत्र की तथा 4 दक्षिणी क्षेत्र की थीं।

4.11 राज्य स्तर पर, भा औ वि नि द्वारा अन्तर-संस्थानात्मक समूहों, राज्य स्तरीय समन्वय समितियों, राज्य स्तरीय मार्गदर्शन तथा अनुवर्तन समितियों, और अन्य राज्य स्तरीय मंचों, आदि की बैठकों में अपने क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों के मुख्य अधिकारियों के माध्यम से भाग लेकर समन्वय बनाये रखा गया।

विदेश यात्रायें तथा अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भागीदारी

4.12 भाआवित्रि ने विदेशों के अन्य विकास वित्तीय संस्थानों और विश्व पूंजी बाजार में कार्यशील अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों के साथ घनिष्ट सम्पर्क तथा सम्बन्ध बनाये रखा।

4.13 भाआवित्रि के अध्यक्ष, श्री धर्मेन्द्र नाथ डाबर ने एस० जी० वरबर्ग एण्ड कम्पनी के साथ 50 मिलियन डालर के चौथे यूरो-डालर सिण्डीकेट ऋण के सम्बन्ध में समझौते पर हस्ताक्षर करने हेतु इंग्लैंड का दौरा किया। उन्होंने क्रेदितांस्तल्त-फ़र-वाइडरफबऊ के साथ परस्पर हित के मामलों पर विचार-विमर्श करने हेतु जर्मन संघीय गणराज्य का भी दौरा किया।

4.14 भाआवित्रि के कार्यपालक निदेशक, श्री आर० विश्वनाथन ने एशियन विकास बैंक की 27 से 29 अप्रैल, 1987 के दौरान 20वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिये तथा अन्तर्राष्ट्रीय बैंकरों से आपसी हितों के मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिये ओसाका (जापान) तथा सिंगापुर का दौरा किया।

4.15 श्री एफ० एम० पटनायक, महाप्रबन्धक ने 14 तथा 15 अप्रैल, 1987 को वियना (आस्ट्रिया) में आयोजित लघु तथा मध्यम उपक्रमों की विश्व महासभा की गवर्निंग बाडी की 8वीं बैठक में भाआवित्रि का प्रतिनिधित्व किया। इसी प्रकार, एशियन विकास बैंक तथा एशिया तथा प्रशान्त में विकास वित्तीय संस्थानों के संगठन द्वारा विकास वित्तीय संस्थानों की लेखा-विधि तथा वित्तीय नियंत्रण विधियों तथा लेखा-परीक्षा उपायों के लिये 6 से 8 अप्रैल, 1987 को मनीला (फिलिपीन्स) में आयोजित विचार-गोष्ठी/कार्यशाला में श्री हरिश्चन्द्र शर्मा, महाप्रबन्धक ने भा औ वि नि के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया।

10 वां भाआवित्रि रजत जयन्ती स्मृति व्याख्यान

4.16 भाआवित्रि का 10वां रजत जयन्ती स्मृति व्याख्यान दिनांक 4 मई, 1987 को श्री सुंग सांग पार्क गवर्नर, बैंक आफ कोरिया द्वारा आर्थिक विकास के लिये वित्तीय नीति विषय पर दिया गया। व्याख्यान की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, श्री आर०. एन० मल्होत्रा ने की। भाआवि बैंक के अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक, श्री एस० एस० नाडकर्णी इस व्याख्यान के अतिथि वक्ता थे, जिन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर इस विषय पर अतने विचार व्यक्त किये। विस्तृत समूह के प्रमुख श्रोताओं द्वारा व्याख्यान को रूचिपूर्वक सुना गया। श्री पार्क के व्याख्यान का तत्व सार यह था कि विकासशील देशों की औद्योगिक योजनाओं के अनुरूप ही वित्तीय नीतियां, औद्योगिक प्रक्रिया में सहायक होनी चाहियें। उन्होंने, प्रतिष्ठित आर्थिक विकास सिद्धान्तों को विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति के सन्दर्भ में लागू करने से पहले सतर्कता पर बल दिया, क्योंकि अधिकांशत यह सिद्धान्त उद्योकीगृत आर्थिक परिस्थितियों के प्रभाव में विकसित हुए थे। विकासशील अर्थव्यवस्था में वित्तीय संस्थानों का मुख्य कार्य किसी अर्थ व्यवस्था की भौतिक परिसम्पतियों को वित्तीय परिसम्पत्तियों में परिवर्तन द्वारा निवेश साधनों को जुटाना है। बैंकों सहित सभी वित्तीय संस्थानों को उन उद्योगों को अपनी सीमित निधियां सहायतार्थ देनी चाहिये जिनका राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान सुनिश्चित हो। कोरिया के सन्दर्भ में 'बि-निर्माण उद्योग' ने अधिक उच्च रोजगार गुणक प्रभाव दिखाया था, और यह कोरियाई अर्थव्यवस्था के विकास में इंजिन के रूप में सिद्ध हुआ। कोरियाई अर्थव्यवस्था ने उद्योगों के आयात प्रतिस्थापन के विकास के माध्यम से उद्योगीकरण के विकास कौशल को बड़ी निष्ठा से अपनाया, और बाद में यही आयात प्रतिस्थापन निर्यात उद्योगों के रूप में परिवर्तित

हो गया। वित्तीय नीति की पेचीदगियों पर चर्चा करते हुए श्री पार्क ने सुझाव दिया चूंकि मुद्रा स्वयं अपना नियंत्रण नहीं कर सकती अतः इसे नियंत्रित किया जाना अनिवार्य है। श्री पार्क ने कहा, "आग की भांति नियंत्रित मुद्रा ही उपयोगी होती है, नियंत्रण से निकल जाने पर इससे बड़ी क्षति भी हो सकती है।"

संगठनात्मक गतिविधियां

4.17 वर्ष के दौरान, योजना तथा कार्य के उत्तम निष्पादन तथा आवेदकों तथा विनपोषित संस्थाओं की आवश्यकताओं पर ध्यान देने के उद्देश्य से कार्यपालक निदेशक का एक और पद (जो बढ़कर दो हो गये हैं) सृजित किया गया। कार्यपालक निदेशक के एक पद का कार्य भार स्टेट बैंक आफ इण्डिया के स्थानीय प्रधान कार्यालय, गुवाहाटी के मुख्य महाप्रबन्धक, श्री आर० विश्वनाथन ने भाऔविनि में प्रतिनिधित्व आधार पर 22 सितम्बर, 1986 से संभाला उसी तारीख से श्री एस० के० ऋषि, महाप्रबन्धक को भाऔविनि के कार्यपालक निदेशक के दूसरे पद पर पदोन्नत किया गया।

4.18 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि भाऔविनि ऐसे सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में, जहां निगम का कोई कार्यालय नहीं है, भाऔविनि के ग्राहकों को बेहतर तथा अधिक व्यक्तिगत सेवायें प्रदान करने के उद्देश्य से, नये कार्यालय खोलने पर विचार रत था। तदनुसार, वर्ष 1986–87 के दौरान शिलांग (मेघालय), पणजी (गोवा) तथा शिमला (हिमाचल प्रदेश) में भाऔविनि के तीन कार्यालय खोले गये। आशा की जाती है कि वे कार्यालय सम्बन्धित राज्यों में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने में सहायक होंगे।

प्राधिकार प्रत्यायोजन

4.19 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में, भाऔविनि के क्षेत्रीय शाखा/कार्यालयों को, परिचालन मामलों का अवस्थानुसार कार्य विकेन्द्रीकरण करने के उद्देश्य से पहली जनवरी, 1986 से विस्तृत शक्तियों के प्रत्यायोजन करने के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया था। वर्ष के दौरान, जबकि क्षेत्रीय शाखा कार्यालयों को प्रत्यायोजित प्राधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वर्तमान प्रणाली के परिचालन में आई कठिनाइयों को दूर करने के लिये कई कदम उठाये गये।

4.20 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के वरिष्ठ कार्यपालकों की गठित विभिन्न समितियों ने प्रशिक्षण, कम्प्यूटरीकरण, स्टाफ से सुझाव, कार्य सरलीकरण, रिकार्ड रखने तथा उनका रख-रखाव, माइक्रो फिल्मिंग, स्टाफ कल्याण, लाइब्रेरी, जड़-सम्पत्ति का अधिग्रहण, उत्पादकता सुधार, आदि से सम्बन्धित पहलुओं की योजना निष्पादन तथा जांच करने के लिये अपना कार्य जारी रखा, तथा समय-समय पर भाऔविनि के कार्य क्षेत्र सम्बन्धी परिचालनों में प्रभावशाली कदम उठाने के लिये बैठकें आयोजित की। सतर्कता से सम्बन्धित मामले एक कार्यपालक निदेशक द्वारा देखे जाते रहे, जिन्हें मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

वरिष्ठ अधिकारियों के सम्मेलन

4.21 वर्ष के दौरान, भाऔविनि के वरिष्ठ अधिकारियों की दो बैठकें नवम्बर, 1986 तथा मई, 1987 के महीने में आयोजित की गई। इनमें भाऔविनि की वर्तमान तथा प्रस्तावित गतिविधियों को और सुदृढ़ बनाने के सम्बन्ध में समीक्षा की गई। क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों की शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए निष्पादन गतिविधियों पर विचार किया गया, ताकि निगमित कार्यालयों की अपेक्षाओं, नियमों तथा विनियमों आदि की सीमाओं के अधीन संगठन की समग्र उत्पादकता और बेहतर समझ तथा सौहार्द का विकास किया जा सके। इन सम्मेलनों में भाऔविनि के क्षेत्र कार्यालयों से प्राप्त हुए कई सुझावों पर भी ध्यान दिया गया। बाद में उक्त सुझावों पर भाऔविनि के कार्यपालक निदेशक; श्री आर० विश्वनाथन की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त गठित एक समिति द्वारा गहराई से विचार किया गया, और इसके परिणामस्वरूप संगठन एवं पद्धति की दृष्टि से विशिष्ट क्षेत्रों में विद्यमान कार्य पद्धतियों और अतिरिक्त सुधारों को लागू करने में उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त हुई।

4.22 वरिष्ठ अधिकारियों के एक सम्मेलन में भागीदारों को सतर्कता और सुरक्षा की दृष्टि से अपनाये जाने वाले सुरक्षा पहलुओं और अपेक्षाओं के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने का अवसर प्राप्त हुआ, और उन्हें भारत सरकार के केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य सतर्कता आयुक्त से भी विचार विमर्श करने का सुअवसर मिला। जोखिम प्रबन्ध और बीमे के सम्बन्ध में निगमित नीति के विषय पर भी यूनाइटेड इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी के कार्यपालकों के साथ विचार विमर्श करने का अवसर प्राप्त हुआ। वरिष्ठ कार्यपालक सम्मेलन, जो कि अब नियमित प्रक्रिया का हिस्सा बन गये हैं, निगमित और भाऔविनि के क्षेत्र-कार्यालयों से आपस में संचार अन्तरालों को दूर करने तथा लक्ष्यों और आयामों, विशेषकर मंजूरियों, संवितरणों और वसूलियों के क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त करने में काफी उपयोगी सिद्ध हुए हैं।

कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम

4.23 भाऔविनि को पिछले वर्ष की रिपोर्ट में प्रधान कार्यालय में अपेक्षित अनुषंगी सामान सहित एक आधुनिक "आई० सी० आई० एम० 6000 माडल 40 सिस्टम कम्प्यूटर प्राप्त करने तथा लगाने एवं भाऔविनि के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में एक पर्सनल कम्प्यूटर (आई० सी० आई० एम० पी० सी०) लगाने के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया था। वर्ष के दौरान, अमरीका के मैसर्स रैकल मिलगो से आयात किये गए मौडेमों के माध्यम से महानगर टेलीफोन निगम लि० नई दिल्ली से पट्टे पर लेकर प्रधान कार्यालय और दिल्ली

क्षेत्रीय कार्यालय में लगाये गये कम्प्यूटर सिस्टम को आपस में जोड़ा/मिलाया गया जिससे, आंकड़े और फाइलों का आपस में अन्तरण तथा रिमोट जॉब एन्ट्री करना संभव हो गया।

4.24 इसके अतिरिक्त, एक ओर भाऔविनि के बढ़ते हुए कारोबार और नई गतिविधियां शुरू करने के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए और दूसरी ओर विद्यमान सिस्टम की क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से, भाऔ विनि के प्रधान कार्यालय में लगाये गये आई० सी० आई० एम० 6000 माडल 40 कम्प्यूटर सिस्टम की मुख्य मशीन में एक एम० बी० मेमोरी, एक 640 एम० बी० फिक्स्ड डिस्क ड्राइव, 5 अतिरिक्त वर्क स्टेशन और एक मैगनेटिक टेप ड्राइव को इसके साथ जोड़कर क्षमता बढ़ाई गई। दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में लगाए गये आई० सी० आई० एम० बिजनेस पी० सी० को भी आई० सी० आई० एम० क्वैटरों पी० सी० से एक एम० बी० मेमरी, 3 वी० डी० यू०, एक 20 एम० बी० डिस्क ड्राइव और एक 5 1/4" फ्लापी डिस्क ड्राइव सुविधाओं सहित शक्तिशाली प्रोफेसर से प्रतिस्थापित किया गया है।

4.25 वेतन चिट्ठे, सामान्य वित्तीय लेखांकन, रुपया ऋण, लेखांकन, निवेश कार्य प्रबन्ध और प्रबन्ध व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में जो समानान्तर अभ्यास वर्ष 1985-86 में प्रारम्भ किये गये थे, वर्ष के दौरान उन्हें और सुदढ़ बनाया गया। वर्ष के दौरान, परियोजना मूल्यांकन और तुलन-पत्र विश्लेषण की कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था को चालू किया गया। वर्ष की समाप्ति के समय विदेशी मुद्रा ऋण लेखांकन एवं मानिटरिंग व्यवस्था, विदेशी मुद्रा स्त्रोत, सांख्यिकी सूचना, प्रबन्ध सूचना और रिपोर्टिंग व्यवस्था, परियोजना सूचना एवं मानिटरिंग व्यवस्था नामित निदेशक व्यवस्था, के सम्बन्ध में साफ्टवेयर के विकास का कार्य तेजी से चल रहा था, और इन प्रणालियों में समानान्तर अभ्यास शीघ्र ही लागू किये जाने के लिये सुनिश्चित थे।

4.26 क्षेत्रीय शाखा कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण करने हेतु भी वर्ष के दौरान कार्य किया गया। गहन अध्ययन कर विचार करने और भारत सरकार के इलैक्ट्रानिक्स विभाग के साथ विचार/विमर्श करने के पश्चात् भाऔविनि के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में कम्प्यूटर व्यवस्था का चयन करने के प्रयोजन के लिये वत्तकार्य मैसर्स टेली कम्यूनिकेशन्स कन्सलटेन्ट्स इण्डिया लि० को सौंपा गया। वर्ष 1987-88 के दौरान भाऔविनि के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में उक्त कम्प्यूटर व्यवस्था के लगाये जाने की संभावना है। इस दौरान अवस्थापना सुविधाओं तथा कम्प्यूटर व्यवस्था के लगाने के लिये भाऔविनि के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के स्थान के निर्माण हेतु कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर व्यवस्था की मुख्य मशीन को विद्यमान स्थान, से स्कोप काम्पलेक्स में स्थानान्तरण करने का भी निर्णय लिया गया है जहां पर भाऔविनि ने मलकीयत के आधार पर कार्यालय स्थान अधिग्रहण किया है। अपेक्षा की जाती है कि इस स्थानापन्न से परिचालन कार्यों में अधिक लोच और क्षमता में अधिक वृद्धि हो जायेगी।

मानव संसाधन

4.27 जून, 1987 की समाप्ति तक भाऔविनि में (इसके क्षेत्रीय शाखा एवं उप कार्यालयों सहित) 1,132 कर्मचारी कार्यरत थे। इनमें 383, अधिकारी, 535 सहायक कर्मचारी और 214 अधीनस्थ कर्मचारी थे। अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 156, 35 तथा 14 थी। जून, 1987 की समाप्ति के समय भाऔविनि में महिला कर्मचारियों की संख्या 177 थी।

जन शक्ति विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

4.28 मानव संसाधन का सर्वोत्तम लाभ उठाने और उच्च दायित्वों को निभाने तथा विभिन्न दत्तकार्यों को पूरा किये जाने को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान उचित दृष्टिकोण तथा सकारात्मक कार्य-संस्कारों सहित मानवीय साधनों के विकास और समृद्धि पर बहुत जोर दिया गया। स्टाफ के सदस्यों के लिये विभिन्न स्तरों पर कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। भाऔविनि में कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से कम्प्यूटर बोध और साफ्टवेयर विकास पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किये गये। वर्ष 1986-87 के दौरान कुल 46 इन हाऊस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। इनमें से प्रधान कार्यालय में 38, पटना, कार्यालय के प्रशिक्षण केन्द्र में 4, हैदराबाद कार्यालय प्रशिक्षण केन्द्र में 3 और बम्बई कार्यालय-प्रशिक्षण केन्द्र में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्न स्तरों के 772 स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया।

4.29 इन हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त, देश के अन्य व्यावसायिक संस्थानों द्वारा आयोजित बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी स्टाफ के 48 सदस्यों को भेजा गया। विकास बैंकिंग केन्द्र सहित प्रबन्ध विकास संस्थान द्वारा आयोजित अधिकारी विकास कार्यक्रमों में स्टाफ के सत्रह सदस्यों को भेजा गया।

4.30 अन्तराष्ट्रीय सामूहिक ऋण व्यवस्था, निगमित वित्त और मर्चेन्ट बैंकिंग, प्रौद्योगिकी विकास, सहकारिता और वित्तपोषण, विकास बैंकों का प्रबन्ध, वित्तीय प्रबन्ध और निवेश मूल्यांकन आदि विषयों के सम्बन्ध में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा सेमिनारों में नौ उच्च-स्तरीय अधिकारियों को विदेशों में भेजा गया।

4.31 भाऔविनि ने वर्ष के दौरान प्रशिक्षण गतिविधि में विकेन्द्रीकरण से तेजी लाने और इसके प्रसार प्रभाव को अधिक परिलक्षित बनाने की दृष्टि से पश्चिमी क्षेत्र में बम्बई, दक्षिणी क्षेत्र में हैदराबाद और पूर्वी क्षेत्र में पटना में प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का निर्णय लिया।

4.32 गहन आन्तरिक तथा कार्य-दौरान प्रशिक्षण के अतिरिक्त, संगठन की समग्र उत्पादकता में सुधार लाने के

लिये कर्मचारी सुझाव योजना के अधीन स्टाफ को निरन्तर सुझावों को देने के लिये प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाता है। सुझाव योजना समिति सदस्यों द्वारा दिये गये प्रत्येक सुझाव को भली प्रकार मूल्यांकन करती है और यदि कोई सुझाव कार्यान्वयन हेतु स्वीकार कर लिया जाता है तो सुझाव योजना समिति की सिफारिशों के आधार पर सम्बन्धित स्टाफ सदस्य को नकद पुरस्कार/प्रशंसा पत्र दिये जाते हैं।

मानवीय सम्बन्ध और कल्याण कार्य

4.33 भाआवित्रि में नियोक्ता कर्मचारी सम्बन्धों में अच्छा तालमेल रहा, जिसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण वर्ष स्टाफ के सम्बन्ध सौहार्द और सदभावपूर्ण बने रहे। कर्मकार स्टाफ की पदोन्नति के सम्बन्ध में कर्मचारी संघ तथा प्रबन्धक वर्ग के बीच 3 नवम्बर, 1986 को एक समझौता ज्ञापन भी किया गया।

4.34 स्टाफ कल्याण निधि के अतिरिक्त जो कि विविध प्रकार की स्टाफ कल्याण गतिविधियों जैसे, कर्मचारियों द्वारा स्व-विकास, स्व-विवाह, आश्रित बच्चों के विवाह, घरेलू टिकाऊ सामान खरीदने, छात्रवृत्ति प्रदान करने, खेलों तथा मनोरंजन क्लबों को अनुदान देने, शिमला, श्रीनगर, गोवा, पुरी, ऊटी, बंगलौर तथा दार्जिलिंग के अवकाश गृहों के रख-रखाव करने, पश्चिम विहार, नई दिल्ली स्थित शिशु गृह के रख-रखाव करने आदि का मूलभूत आधार रही है विकलांगता तथा वित्तीय सहायता योजना, 1985 तथा स्वैच्छिक कल्याण योजना, 1986 उन कर्मचारियों के लिये जो विकलांग रिटायर हो गये या जिनकी लम्बी बीमारी या दुर्घटना के कारण समय-पूर्व मत्यु हो गई, बहुत लाभदायक सिद्ध हुई।

आवास

4.35 भाआवित्रि की स्टाफ कल्याण गतिविधियों की प्रमुख प्राथमिकता आवास रही। जून, 1897 के अन्त तक भाआवित्रि के पास स्टाफ की विभिन्न श्रेणियों के लिये दिल्ली, कानपुर, अहमदाबाद, बम्बई, पुणे तथा बंगलौर में अपने फ्लैट थे। दिल्ली में स्टाफ की विभिन्न श्रेणियों के लिये अतिरिक्त 152 फ्लैट बनाने के करार पर हस्ताक्षर किये गये। वर्ष 1988 के अन्त तक संभवतः इन फ्लैटों का निर्माण पूरा हो जाने के पश्चात् स्टाफ को कब्जा प्राप्त हो जायेगा।

4.36 वर्ष के दौरान, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को स्टाफ क्वार्टर बनाने के लिए दिया गया कार्य, कई स्थानों, जैसे, कलकत्ता, चण्डीगढ़, कोचीन, हैदराबाद, जयपुर तथा मद्रास में प्रारम्भ हो गया। भोपाल में स्टाफ क्वार्टर बनाने का कार्य मध्य प्रदेश हाऊसिंग बोर्ड को सौंपा गया। वर्ष के अन्त में, पटना तथा गुवाहाटी में फ्लैटों के निर्माण के प्रबन्ध को अन्तिम रूप देने का प्रयास किया जा रहा था।

कार्यालय परिसर

4.37 जून, 1987 के अन्त तक, भाआवित्रि के अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, मद्रास, पटना तथा पुणे के पास अपने कार्यालय परिसर थे। कोचीन तथा चण्डीगढ़ के कार्यालय परिसरों का निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया था, तथा इस कार्य के वर्ष 1987 के अन्त तक तेजी से गति पकड़ लेने की आशा है।

खेल-कूद

4.38 भाआवित्रि के कर्मचारियों में खेलों तथा खेल भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से पिछले वर्ष पहली अखिल भारतीय खेल-कूद प्रतियोगिता की शुरूआत की गई थी दूसरी अखिल भारतीय खेल-कूद प्रतियोगिता इस वर्ष पहली मार्च, 1987 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। इस वर्ष की प्रतियोगिताओं की मुख्य विशेषताएं (क) और अधिक एथलेटिक खेलों का आयोजन, (ख) बड़ी संख्या में पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों द्वारा सक्रिय रूप से भाग लेना तथा (ग) भाआवित्रि के कर्मचारियों के बच्चों द्वारा बड़ी संख्या में दौड़ प्रतियोगिताओं में भाग लेना, रहीं। भाआवित्रि ने भाआविबैंक द्वारा नई दिल्ली में 18 से 21 जून, 1987 के दौरान आयोजित की गई अन्तर वित्तीय संस्थान टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भी भाग लिया और टेबल टेनिस (डबल) में प्रथम तथा द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किए तथा टीम प्रतियोगिता ट्राफी भी जीती।

भाआवित्रि कर्मचारी मनोरंजन क्लब का वार्षिक समारोह

4.39 भाआवित्रि कर्मचारी मनोरंजन क्लब के रजत जयन्ती समारोह का उल्लेख पिछले वर्ष किया गया था। इस वर्ष क्लब ने अपना वार्षिक समारोह आल इण्डिया फाइन एंड क्राफ्ट सोसाइटी आडिटोरियम में 26 दिसम्बर, 1986 को आयोजित किया और इस अवसर पर एक स्मारिका 'नव ज्योति' निकाली गई। क्लब, जिसे भाआवित्रि द्वारा उदारतापूर्वक वित्तीय अनुदान दिए जाते रहे हैं, मनोरंजन गतिविधियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मनोरंजन भ्रमण, सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए विदाई समारोह, आन्तरिक खेल, खेल प्रतियोगिताएं, अन्तर-बैंक खेल प्रतियोगिताएं, बिजली और खेल के सामान के वितरण, आदि का आयोजन करता रहता है।

जन-सम्पर्क

4.40 भाआवित्रि के, प्रधान कार्यालय स्थित जन-सम्पर्क विभाग ने वर्ष के दौरान, भाआवित्रि के कार्य निष्पादन, राज्य सलाहकार समितियों की बैठकों, बांड निर्गम तथा विदेशी मुद्रा संसाधन जुटाने आदि से सम्बन्धित 21 प्रेस विज्ञप्तियां जारी कीं। इसने आन्तरिक परिचालन के लिए प्रतिमास इकॉनामिक एंड फाइनेनशियल न्यूज डाइजेस्ट' निकालना भी जारी रखा, तथा वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अनेक प्रकाशन निकालने में सहायक रहा। इस वर्ष भाआवित्रि के जन-सम्पर्क विभाग द्वारा 'चीनी' सहकारिताएं : 'समस्याएं तथा भावी संभावनाएं' नामक महत्वपूर्ण प्रकाशन निकाला, जो कि अप्रैल,

1985 में आयोजित भाग्रौविनि की वित्तपोषित चीनी सह-कारिताओं के सम्मेलन की कार्य-सूची तथा कार्य-विवरण पर आधारित था।

4.41 जन-सम्पर्क विभाग ने 10 नवम्बर, 1986 को नैशनल एसोसिएशन आंफ कन्सलटिंग इंजीनियर्स, नई दिल्ली के साथ मिलकर 'परियोजना कार्यान्वयन: प्रभावशाली दृष्टिकोण' विषय पर एक कार्यशाला के आयोजन की व्यवस्था की। इस कार्यशाला में निजी तथा सरकारी क्षेत्र के व्यवसायी परामर्शदाता इंजीनियरों ने भाग लिया और यह परियोजना के स्थापित करने की प्रारम्भिक अवस्था से लेकर परामर्शदाताओं की भूमिका के निरूपण की दृष्टि से लाभकारी सिद्ध हुई। इस अवसर पर योजना आयोग के सदस्य श्री आबिद हुसैन मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने इंजीनियरिंग परामर्श समुदाय और वित्तीय संस्थानों के बीच सहयोग की भावना की प्रशंसा की और आग्रह किया कि परामर्शदाता विभिन्न विकास और औद्योगिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अधिक दक्ष तथा लागत बचत तकनीकों के सम्बन्ध में अपना परामर्श प्रदान करें। उन्होंने परामर्शदायी संगठनों से अनुरोध किया कि वे ठोस तकनीकी और जनतान्त्रिक संस्कार का विकास करें, जिसके फलस्वरूप राजकोषीय नियन्त्रणों के स्थान पर विभिन्न भौतिक नियन्त्रणों के सम्बन्ध में अधिक महत्व दिया जा सके।

विकास उन्मुख कार्यक्रमों और अन्य सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों के लिए योगदान

4.42 वर्ष के दौरान, भाग्रौविनि ने अहमदाबाद के गुजरात इन्स्टीच्यूट आंफ एरिया प्लानिंग संस्था को 2 लाख रुपये की राशि का अनुदान दिया। यह संस्था लोगों, विशेषकर, समाज के कमजोर वर्गों के लिए कार्यक्रमों से सम्बद्ध विकास कार्यों में जुटी है और यह सहायता उक्त सोसाइटी को प्रांगण, प्रशिक्षण केन्द्र और पुस्तकालय के निर्माण के लिए दी गई। बंगलौर के इण्डियन इन्स्टीच्यूट आंफ साईंस को इसके प्रांगण में विज्ञान काम्प्लैक्स की स्थापना हेतु एक लाख रुपये का अंशदान दिया गया। भाग्रौविनि ने बम्बई के डा० अर्नेस्ट बोरगस मेमोरियल फंड को शहर से बाहर के गरीब रोगियों के लिए होम निर्माण और बम्बई में उनके कैन्सर उपचार हेतु 50,000- रुपये का दान दिया। नई दिल्ली के इण्डियन इन्स्टीच्यूट आंफ कैमिकल इंजीनियर्स, उत्तरी क्षेत्र केन्द्र के लिए संस्थान के काम्प्लैक्स में इसके पुस्तकालय, सम्मेलन कक्ष और कम्प्यूटर केन्द्र हेतु 25,000- रुपये का योगदान किया गया। इतनी ही राशि नई दिल्ली के भारत कृषक समाज को किसान काम्प्लैक्स जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, किसानों के लिए एक होस्टल, एक अध्ययन कक्ष एक अनुसंधान प्रयोगशाला और एक सभा भवन का निर्माण करने के लिए दी गई। स्पोर्टस् अथॉरिटी आंफ इण्डिया को दो निरूपित स्कूलों में खेल-कूद सुविधाओं का विकास करने के लिए 20,000- रूपये की राशि प्रदान की गई। अपने इन अल्प योगदानों के माध्यम से भाग्रौविनि ने, स्वयसेवी संगठनों और संस्थानों द्वारा किए जा रहे सम्बन्धित विकास कार्यक्रमों में योगदान करने का भरसक प्रयास किया है।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

4.43 शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में तीव्रता लाने के उद्देश्य से भाग्रौविनि के प्रधान कार्यालय के हिन्दी कक्ष और क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में हिन्दी स्टाफ को सुदृढ़ किया गया। भाग्रौविनि के कर्मचारियों के लाभ के लिए हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में तीन कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान, यह निर्णय लिया गया कि हिन्दी में मूल पत्र-व्यवहार बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मास का अन्तिम शुक्रवार हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाए। इस सम्बन्ध में प्रगति का अनुवर्तन राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा किया जाता रहा है।

4.44 वर्ष के दौरान, सभी प्रशासन परिपत्र, परिचालन परिपत्र, प्रेस विज्ञप्तियां, अधिसूचनाएं, विज्ञापन, सामान्य आदेश आदि द्विभाषीय रूप में जारी किए गये। भाग्रौविनि की वार्षिक रिपोर्ट भी द्विभाषीय रूप, अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी में जारी की गई। इस वर्ष से यह निर्णय लिया गया है कि वार्षिक रिपोर्ट के अतिरिक्त परिचालन आंकड़े नामक प्रकाशन को भी द्विभाषीय रूप में छापा जाये। मानक अभिव्यक्तियों, वाक्यों आदि की एक शब्दावली (अंग्रेजी-हिन्दी) छपवाई गई, और यह स्टाफ के सभी सदस्यों को उपलब्ध कराई गई ताकि वे अपना कार्य हिन्दी में सुविधाजनक रूप से कर सकें। वर्ष के दौरान, एक अखिल भारतीय प्रतियोगी लिखित परीक्षा भी आयोजित की गई जिसमें भाग्रौविनि के सभी कार्यालयों से 53 स्टाफ के सदस्यों ने भाग लिया। सफल प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

4.45 नीति निर्देशों के अनुसार, सभी लघु पुस्तिकाओं, नियमों और विनियमों को साथ-साथ हिन्दी में भी जारी करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस वर्ष की उल्लेखनीय उपलब्धि यह रही है कि प्रशासन और कार्मिक विभाग के सेवा प्रभाग द्वारा अपना अधिकतर कार्य हिन्दी में किया गया। विभिन्न हिन्दी परीक्षाएं उत्तीर्ण किए जाने वाले मानदेय को भी पहली जनवरी, 1985 से भूतलक्षी प्रभाव सहित बढ़ाया गया। इसके अतिरिक्त, भाग्रौविनि में हिन्दी के कार्य की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक उचित द्विभाषीय शब्द संसाधक (हिन्दी और अंग्रेजी) को प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

37वीं वार्षिक रिपोर्ट (1984-85) को रजत वैजयन्ती

4.46 वर्ष के दौराद, नई दिल्ली के इन्स्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टैंट्स आंफ इण्डिया ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त हुई प्रविष्टियों में से भाग्रौविनि की 30 जन, 1985 को समाप्त हुए वर्ष की 37वीं वार्षिक रिपोर्ट को सर्वोत्तम घोषित किया और भाग्रौविनि को रजत वैजयन्ती प्रदान करने का निर्णय लिया। यह पहला अवसर है कि भाग्रौविनि को यह प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है।

आभार प्रदर्शन

4.47 निदेशक बोर्ड, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों निवेशालयों, विभागों, भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैंक), भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (भाऔविबैंक), अन्य सहयोगी वित्तीय संस्थानों, विभिन्न राज्य सरकारों, राज्य स्तर के वित्तीय एंव विकास संस्थानों और मर्चेन्ट बैंकिंग संस्थाओं के प्राप्त हुई सहायता, और सहयोग और सद्भाव के लिए अपना आभार प्रकट करता है।

4.48 निदेशक बोर्ड, तकनीकी सलाहकारों संगठनों, जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान, प्रबन्ध विकास संस्थान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यम पार्कों, भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थानों, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के उद्यमीयता विकास संस्थानों और भाऔविनि से सक्रिय रूप से संबद्ध अन्य संस्थानों के समूह के अध्यक्षों और मुख्य कार्यपालकों द्वारा अपने-अपने संगठनों की गतिविधियों और भूमिकाओं को बढ़ाने के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करता है।

4.49 भाऔविनि की क्षेत्रीय/आंचलिक और राज्य सलाहकार समितियों तथा तकनीकी सलाहकार/तदर्थ समिति के सदस्यों, समय-समय पर उनके अमूल्य सहयोग और सलाह के लिए आभारी है तथा उनका धन्यवाद करता है। निदेशक बोर्ड, विभिन्न संगठनों और सहायता प्राप्त संस्थाओं के बोर्डों में भाऔविनि की ओर से नामित गैर-शासकीय सदस्यों का भी आभारी है।

4.50 निदेशक बोर्ड, भाऔविनि द्वारा विदेशों में स्थित विभिन्न विकास वित्तीय संस्थानों से प्राप्त निरन्तर सहायता तथा सक्रिय सहयोग, विशेष रूप से विश्व बैंक, आर्थिक विकास संस्थान, एशियन विकास बैंक, जर्मन संघीय गणराज्य के कादितास्तल्ति-फर-वाइडरफबऊ, और विदेशों में समवर्ती और अन्य बैंकों आदि से प्राप्त सहायता के लिए भी आभार प्रकट करता है।

4.51 अन्त में, निदेशक बोर्ड, निगम के सभी स्तर पर, समस्त कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान की गई निष्ठावान और समर्पित सेवा के लिए उनकी अत्याधिक सराहना करता है।

निदेशक बोर्ड की ओर से
(डी० एन० डावर)
अध्यक्ष

परिशिष्ठ 1

1986-87 के दौरान चुने हुए उद्योगों की विस्थापित क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग का विवरण

(कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े इकाइयों की संख्या के द्योतक है)

क्रम सं०	उत्पाद	माप इकाई	1986-87 में विस्थापित क्षमता और उत्पादन					
			सम्पूर्ण देश के सम्बन्ध में			निगम की वित्तपोषित संस्थाओं के सम्बन्ध में		
			विस्थापित क्षमता और इकाइयों की संख्या	1986-87 (अप्रैल-मार्च) में उत्पादन	प्रतिशत क्षमता उपयोग	विस्थापित क्षमता और इकाइयों की संख्या	1986-87 (अप्रैल-मार्च) में उत्पादन	प्रतिशत क्षमता उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	चीनी	लाख टन	77.83 (377)	83.82	107.7	19.17 (116)	17.97	93.7
2.	सूती धागा (मिल क्षेत्र)	मिलियन तकुए	26.12 (1027)*	1471 मिलियन कि० ग्राम	—	7.11 (209)**	570.18 मिलियन कि० ग्राम	—
3.	सूती वस्त्र (मिल क्षेत्र)	लाख खड्डियां	2.06	3295 मिलियन मीटर	—	0.37 लाख खड्डियां	674.68 मिलियन मीटर	—

*283 संयुक्त मिलें सम्मिलित हैं।
**51 संयुक्त मिलें सम्मिलित हैं,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.	पटसन वस्त्र . .	लाख टन	16.00 (70)	13.93	87.1	2.91 (8)	2.77	95.2
5.	कागज और गत्ता .	लाख टन	27.36 (285)	16.00	58.5	15.45 (51)	13.80	89.3
6.	प्लाईवुड . .	मिलियन वर्ग मी०	117.51 (59)	80.00	68.1	6.70 (4)	2.60	38.8
7.	सीमेंन्ट . .	मिलियन टन	53.54 (144)	33.64	62.8	42.88 (86)	33.91	79.1
8.	नाइट्रोजन उर्वरक	लाख टन	68.80 (40)	54.10	78.6	34.51 (12)	26.35	76.4
9.	फास्फेटिक उर्वरक .	लाख टन	20.70 (17)	16.60	80.2	14.08 (5)	7.53	53.5
10.	कास्टिक सोडा .	लाख टन	9.92 (39)	7.50	75.6	4.17 (10)	2.87	68.8
11	सोडा एश . .	लाख टन	10.05 (6)	9.50	94.5	1.32 (3)	0.94	71.2
12.	केल्सियम कार्बाइड	लाख टन	2.18 (8)	0.70	32.1	0.44 (3)	0.18	40.9
13.	एसिटिक एसिड	लाख टन	0.81 (19)	0.35	43.2	0.03 (1)	0.03	93.0
14.	कार्बन ब्लैक	लाख टन	1.55 (7)	0.90	58.1	0.17 (1)	0.11	64.7
15.	तरल क्लोरीन	लाख टन	7.70 (29)	3.10	40.3	2.49 (10)	1.23	49.4
16.	विस्कोज फिलामेन्ट धागा	हजार टन	45.18 (8)	44.64	98.8	4.64 (1)	6.11	131.7
17.	नायलोन फिलामेंट धागा	हजार टन	43.52 (11)	36.72	84.4	44.29 (5)	27 20	61.4
18.	नायलोन टायर कार्ड	हजार टन	N.A.	24.40	N.A.	22.29	19.39	86.9
19.	पालिएस्टर फिलामेंट यार्न	हजार टन	70.84 (14)	81.32	114.8	9.16 (2)	4.99	54.5
20.	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर	हजार टन	128.51 (8)	65.63	51.1	14.07 (2)	13.53	96.2
21.	विस्कोस स्टेपल फाइबर	हजार टन	112.70 (4)	96.30	85.0	78.00 (1)	86.66	111.1
22.	आटो टायर .	लाख संख्या	160.58 (23)	130.00	80.9	79.26 (7)	48.87	61.3
23.	आटो टयूबें . .	लाख संख्या	171.45 (25)	103.00	60.0	62.96 (7).	36.57	58.1
24.	रबर गर्भरोधक .	मिलियन संख्या	713.00 (3)	600.00	84.1	200.00 (1)	161.59	80.8
25.	पुर्नप्रयोग की गई रबर	हजार टन	36.58 (11)	25.00	68..3	6.80 (2)	3.97	58.4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
26.	खालों से तैयार चमड़ा	लाख संख्या	113.00 (44)	47.00	41.6	13.50 (3)	3.95	29.3
27.	कांच की शीटें	मिलियन वर्ग मी०	48.41 (8)	40.00	82.6	18.11 (3)	17.64	97.4
28.	फाइबर ग्लास	हजार टन	5.29 (3)	4.00	75.6	1.75 (1)	1.21	69.1
29.	कांच की बोतलों और विविध कांच का सामान	लाख टन	5.80 (31)	5.30	91.4	1.00 (3)	0.73	73.0
30.	कृत्रिम डिटर्जेन्ट	हजार टन	323.46 (21)	200.00	61.8	38.37 (2)	22.23	57.9
31.	साबुन	हजार टन	365.40 (48)	390.00	106.7	84.30 (3)	105.14	124.7
32.	फैटी एसिड	हजार टन	130.65 (18)	65.00	49.8	6.95 (3)	4.43	63.7
33.	ग्लिसरीन	हजार टन	22.58 (19)	11.50	50.9	4.10 (4)	2.04	49.7
34.	बिक्री योग्य स्टील (मुख्य संयंत्र)	लाख टन	104.35 (6)	81.40	78.0	17.40 (1)	19.07	109.5
35.	स्टील इंगोट्स (मुख्य संयंत्र)	लाख टन	140.20 (7)	93.26	66.5	23.40 (2)	22.42	95.8
36.	स्टील इंगोट्स/बिल्लेट्स (मिनी स्टील संयंत्र)	लाख टन	48.00 (160)	22.67	47.2	4.42 (13)	3.92	88.7
37.	स्टील गढ़ाई	हजार टन	325.00 (90)	190.00	58.5	26.15 (4)	6.19	23.7
38.	स्टील ढलाई	हजार टन	200.00	90.00	45.0	27.75 (7)	19.94	71.8
39.	शीत कृत इस्पात पत्तियां	लाख टन	13.00 (63)	1.90	14.6	2.08 (7)	1.55	74.5
40.	एल्युमीनियम	लाख टन	3.62 (4)	2.57	71.0	1.45 (2)	1.34	92.4
41.	जिंक	लाख टन	0.96 (2)	0.76	79.2	0.14 (1)	0.17	121.4
42.	मोटर साइकिल	लाख संख्या	4.11 (8)	3.20	77.9	1.70 (2)	1.36	80.0
43.	स्कूटर	लाख संख्या	10.50 (11)	6.25	59.5	4.77 (3)	3.73	78.2
44.	मोपेड	लाख संख्या	7.00 (13)	4.37	62.4	3.27 (4)	2.04	62.4
45.	वाणिज्यिक वाहन	लाख संख्या	2.65 (12)	0.82	30.9	0.50 (4)	0.30	60.0
46.	तिपहिया	लाख संख्या	0.63 (4)	0.52	82.5	0.50 (1)	0.31	62.0
47.	पंखा और वी बेल्ट	लाख संख्या	183.71 (16)	165.00	89.8	12.00 (1)	11.24	93.7

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
48.	कन्वेयर बेल्टस	हजार टन	8.91 (8)	7.50	84.2	2.37 (1)	2.51	105.9
49.	जी०एल०एस० लैम्प	मिलियन संख्या	342.69 (19)	295.00	86.1	46.55 (2)	28.04	60.2
50.	फ्लोरेसेन्ट ट्यूबें	मिलियन संख्या	41.93 (15)	44.00	104.9	5.00 (1)	5.21	104.2
51.	पावर ट्रांसफार्मर	मिलियन किलोवाट्स	32.50 (31)	28.54	87.8	1.80 (1)	1.50	83.3
52.	डीजल इंजिन	हजार संख्या	501.00 (34)	175.00	34.9	35.50 (4)	69.1	19.5
53.	ट्रैक्टर (कृषि)	हजार संख्या	112.00 (19)	76.00	67.8	17.00 (2)	6.45	37.9
54	पावर टिलर	हजार संख्या	16.00 (5)	3.80	23.7	5.00 (1)	2.10	42.0
55.	होटल	लाख संख्या*	113.41 (455)	78.82	69.5	3.93 (8)	2.53	64.4

@कालम 4 और 7 तथा 5 और 8 में क्रमशः किराये के लिए खाली कमरों तथा भरे हुए कमरों की संख्या दी गई है।

परिशिष्ट-II

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 (1948 का 15) में 17 वें संशोधन अधिनियम अर्थात् औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) अधिनियम, 1986 (1986 का 50) के द्वारा किए गए संशोधन

औविनि अधिनियम 1948 की धारा	औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) अधिनियम, 1986 (1986 का 50) के द्वारा किए गए संशोधन
(1)	(2)
2	निम्नलिखित गतिविधियों को सम्मिलित करने के लिए 'औद्योगिक समुत्थान' की परिभाषा में विस्तार: —ऊर्जा का भंडारण; —औद्योगिक क्षेत्र अथवा आद्योगिक सम्पदा का विकास; —उद्योग के लिए इंजीनियरिंग, तकनीकी, वित्तीय, प्रबन्धकीय, मार्केटिंग या अन्य सेवाएं अथवा सुविधाएं प्रदान करना; —चिकित्सा, स्वास्थ्य अथवा अन्य समवर्गीय सेवाएं प्रदान करना; —सूचना प्रौद्योगिकी, दूर संचार या इलेक्ट्रानिकी से संबंधित सेवाएं प्रधान करना; —लीजिंग, सब-लीजिंग या किराया खरीद आधार के संबंध में सेवाएं प्रदान करना
	—केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य गतिविधि।
4	भाऔविनि की प्राधिकृत पूंजी 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा में इतनी राशि तक करना जितनी केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाए।
10	एक प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति के लिए प्रावधान करना परन्तु एक ही व्यक्ति को अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक दोनों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जा सकना।
	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक निदेशक के नामांकन के लिए प्रावधान।
10क	अध्यक्ष की नियुक्ति की पदावधि, पुनर्नियुक्त किए जा सकने की पात्रता की शर्त के अधीन 4 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष से अनधिक करना। प्रबन्ध निदेशक को ऐसी शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करना जो बोर्ड अध्यक्ष अथवा अधिनियम के अधीन प्रत्यायोजित की जाएं। ऐसे मामलों के संबंध में जो बोर्ड की सक्षमता में हैं और जो भाऔविनि के हित में हैं तथा जिन पर

(1)	(2)
	तुरन्त कारवाई करनी आवश्यक है, बोर्ड की आगामी बैठक में रिपोर्ट किए जाने की शर्त के अधीन अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में प्रबन्ध निदेशक द्वारा किए जाने के लिए प्राधिकृत करना ।
11	निर्वाचित निदेशकों की पदावधि को 4 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष करना।
19	भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से भारत से बाहर के किसी बैंक में निक्षेप खाता खोलने के लिए भाग्रौविनि के लिए विशेष प्रावधान।
20	भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों तथा वित्तीय अथवा विकास संस्थान अथवा संगठन में बांड एंव डिबेंचर द्वारा निवेशों के लिए प्रावधान।
21	भारतीय रिजर्व बैंक से अल्पकालीन उधार लेने के संबंध में 15 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा को हटाना।
	केन्द्रीय सरकार, भाग्रौविबैंक, भाजीबीनि, भायूट्र अथवा केन्द्रीय सरकार के सामान्य पर अथवा विशिष्ट अनुमोदन से ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी करार पाई जाएं, भारत में या भारत के बाहर किसी प्राधिकरण, संस्थान, संगठन, न्यास से उधार लेने का प्रावधान।
23	भाग्रौविनि के प्राधिकृत कारोबार में निम्न-लिखित अनुसार प्रसार किया जाना—
	—किसी सहकारी बैंक द्वारा दिए गए ऋण की गारन्टी देने के लिए भाग्रौविनि को प्राधिकार।
	—भाग्रौविनि अन्तराष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक या किसी अन्तरराष्ट्रीय संस्था या राष्ट्रीय संस्थान या संगठन के अभिकर्ता के रूप में कार्य कर सकने का प्रावधान।
	—किसी उद्योग के प्रवर्तन, प्रबन्ध, अथवा विस्तार के लिए किसी औद्योगिक समुत्थान को तकनीकी एंव प्रशासकीय सहायता के अतिरिक्त वित्तिक एंव मार्केटिंग सहायता प्रदान करना।
	—भारत अथवा भारत के बाहर सलाहकारी और मर्चेन्ट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना।
30क और 30ख	किसी औद्योगिक समुत्थान में प्रशासक की नियुक्ति के लिए प्रावधान ।
अनुसूची	धारा 39 (3) द्वारा विनिर्धारित विश्वस्तता और गोपनीयता की घोषणा से संबंधित अनुसूची में संशोधन।

परिशिष्ट III

1986-87 (जुलाई-जून) के दौरान भाग्रौविनि द्वारा वित्तपोषित नई विस्तार तथा विशाखन परियोजनाओं का प्रत्यक्ष आर्थिक योगदान

(करोड़ रुपये)

उद्योग	परियोजनाएं (संख्या)	कुल पूंजी लागत (रु०)	सम्भावित प्रत्यक्ष रोजगार (संख्या)	उत्पादन का मूल्य (रु०)	सकल मूल्य वृद्धि (रु०)	प्रति वर्ष क्षमता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
चीनी . .	11	107.05	4878	89.86	32.18	1.95 लाख टन चीनी
फलों का रस .	5	20.95	554	40.44	11.89	एससेप्टिक पैकटों में शीतल पेय आधारित 28.56 मिलियन लिटर फलों के रस की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग 45.72 लाख पैकेजों में फलों के रस की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वस्त्र . .	15	103.67	5,166	68.07	24.33	1.54 लाख तकुए, 168 रोटरें और 325 लाख मीटर कपड़े की प्रोसेसिंग ।
कागज उत्पाद .	5	22.74	715	34.16	12.86	900 लाख मल्टीवाल पेपर सैक्स, 475 लाख अंडे की ट्रे या 238 लाख सेब की ट्रे, 2400 टन वैक्यूम धातुकृत कागज/गत्ता/फिल्म, 6,600 टन भूसा पल्प और रद्दी कागज पल्प ।
उर्वरक और कीटनाशक	6	660.69	1,968.	315.84	164.55	4.95 लाख टन यूरिया, 2.97 लाख टन अमोनिया, 1.32 लाख टन सिंगल सुपर फास्फेट, 0.66 लाख टन सल्फ्यूरिक एसिड, 180 टन सोडियम सिलीको फ्लोराइड, 375 टन फोरेट टेक्नीकल, 200 टन मोनोक्रोटोफॉस, 100 टन क्लोरो-पाइरीफॉस टेक्नीकल और 450 टन ब्यूटाक्लोर टेक्नीकल ।
रसायन और रसायन उत्पाद	28	372.19	5,274	433.61	164.80	8,250 टन कॉस्टिक सोडा, 16,500 टन ऑक्सीजन, 5.43 लाख टन सोयाबीन की पिराई, 550 टन डे-लाइट फॉसफोरस (फ्लोरेसेंट पाउडर), 6,900 टन सोरबीटकेल, 5,000 टन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 6,000 टन रेफ्रिजिरेंट गैसें, 3,500 टन अल्युमीनियम फ्लोराइड, 42 टन सिफालेक्सिन, 23,100 टन हाइड्रोजेनेटिड राइस ब्रान तेल, 3,000 टन दूर-संचार की तार के खोल, 10,000 टन औद्योगिक रोगन, 20,000 टन तरल ग्लूकोज, 9,500 टन डेक्स-ट्रोस मोनोहाइड्रेट, 3,650 टन माल्टोडेक्सीट्रिन, 9,000 टन स्टार्च, 50 टन 6-एपीए, 10 टन एन-जाइम्स, 30 टन 7-एडीसीए, 60 लाख बोतलें/इन्ट्राविनस ट्रांसफ्यूशन सोल्युशन के एम्प्यूल्स, 400 टन पालीमेराइजेशन इनीशियेटर्स, 1,000 टन सेलिसिलिक एसिड, 1,000 टन एसपिरिन, 350 टन एसिटिक एसिड, 3,000 टन एन-हाइड्रस हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, 500 टन फ्यूमरिक एसिड, 5,000 टन क्लारोफ्लोरोकार्बन रैफ्रिजरेंट गैसें, 95 मिलियन डेटोनेटर्स और 28.75 मिलियन मीटर डिटो-नेटिंग फ्यूजेज ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आटोमोबाइल टायर और ट्यूबें	2	18.18	550	26.05	13.04	दुपहियों/तिपहियों के लिए 22.5 लाख टायर और 22.5 लाख ट्यूबें
कृत्रिम रेशे .	5	365.47	1,375	354.25	153.70	15,000 टन आंशिक रूप से चमकीला पॉलियस्टर फिलामेंट धागा, 20,000 टन पॉलियस्टर स्टेपल धागा ।
कृत्रिम रेसिन्स और प्लास्टिक का सामान	10	109.07	1,947	104.23	43.92	7,500 टन पालीथर पालियल्स, 2,500 टन थर्मोप्लास्टिक पोलीयूरेथेन रेसिन्स/कम्पाऊन्ड, 10 लाख मोल्डिड लगेज, 10 लाख सोफ्ट लगेज, 2000 टन औद्योगिक लेमिनेट्स, 121 मिलियन डिस्पोजेबल सिरिंज, 8,600 टन रेड मड कोरूगेटेड शीटें और फिटिंग, 1,000 टन बी०ओ०पी०पी० फिल्म और 2,450 टन एच०डी०पी०ई०/पी०पी० बोवन सैक्स ।
सीमेंट और सीमेंट उत्पाद .	5	202.88	844	842.49	44.52	11.33 लाख टन सीमेंट और 45,000 टन एसबेसटस सीमेंट शीटें
कांच और कांच उत्पाद	3	14.01	522	10.62	5.70	3.5 मिलियन वर्ग मीटर वायर्ड और फिगर्ड कांच, 18,000 टन सोडा लाइम कांच की बोतलें, 19,800 टन कांच की बोतलें और 2,000 टन बोरोसिलिकेट कांच की वायल्स ।
विविध अधातु खनिज उत्पाद .	11	113.65	2,813	82.24	51.21	81,000 टन मृत्तिका शिल्प दीवार और फर्श की टाइलें, 23,600 टन वायट्रियस चाइना सेनेटरीवेयर्स, 600 टन सिलिकोन कार्बाइड क्रसिबल्स, 6,000 टन सिलिकोन कार्बाइड और 4,000 टन अल्युमीनियम आक्साइड ।
लोहा और इस्पात	18	358.11	3,520	465.07	152.12	1.5 लाख टन डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन, 35,000 टन जी०पी० जी०सी० शीटें, 1.45 लाख टन इगनाट्स/ बिल्लेट्स 24,000 टन रोल्ड उत्पाद, 10,000 टन उच्च अलॉय और विशेष इस्पात कास्टिंग्स, 24,500 टन कोल्ड रोल्ड स्टील स्ट्रिप्स, 9,000 टन प्रिसिशियन क्लोल्ड डाई प्रैस फोरजिंग्स, 16,800 टन प्रिसिशियन स्टील ट्यूबें, 1.25 लाख

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						टन कोल्ड रोल्ड कार्बन स्टील क्वायल्स, 700 टन स्टेनलेस स्टील और हार्ड फेसिंग अलाय वायर राड्स, 10,000 टन स्टील और उच्च अलॉय सी०आई० कास्टिंग, 13,000 टन सीमलेस स्टील ट्यूबें, 1,590 टन एम्यूनीशन स्टील बाडी, 50,000 टन मध्यम और हल्के स्ट्रक्चरल्स और स्प्रिंग स्टील, 6,000 टन लोहे का पाउडर, 2,500 टन कॉस्टिंग पाइप, 50,000 टन प्रोडक्शन ट्यूबिंग और 10,000 टन ड्रिल पाइप ।
मशीनरी और उपांग्	13	149.61	1,940	171.53	64.66	200 कम्प्यूटर अंक नियंत्रण मशीनें, 20 छोटे हाइड्रो-टरबाइन, 36 टेप लाइनें, 18 लेमिनेटिड इक्विपमेंट, 15,000 साइकिल रिडक्शन गीयर्स, 2,800 टन स्टील कार्ड रीइन्फोर्सड और कृत्रिम रेशे रीइन्फोर्सड कन्वेयर बेल्टिंग्स, 1500 आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट, 3000 टन वेल्डिंग उपभोग्य और 16,0000 डीजल इंजिन ।
बिजली और इलेक्ट्रानिक उपस्कर	42	569.84	10.924	780.56	327.55	11 लाख इलैक्ट्रानिक पुश बटन टेलीफोन उपकरण, 23.90 लाख रंगीन टी०वी० पिक्चर ट्यूबें, 6 लाख ब्लैक एण्ड वाइट वी०वी० पिक्चर ट्यूबें, 2.5 लाख इलैक्ट्रोनिक प्राइवेट ऑटोमैटिक टेलीफोन एक्सचेंज लाइनें, 1.88 लाख पोर्टेबल जेनेरेटिंग सेट, 1.24 लाख वर्ग मीटर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, 6.25 लाख कंडक्टर किलोमीटर पॉलिथिलीन इन्सुलेटेड जेली फिल्ड टेलीफोन केबल्स, 1.25 लाख सिंगल और डबल साइड के फ्लापी डिस्क ड्राइव्स, 360 मिलियन एम० आई०सी० आर० चेक और 60 मिलियन कम्प्यूटर स्टेशनरी, 12,000 बैंक प्लेन्स और 4,000 कम्प्यूटर हेतु बोर्ड लेवल प्रोडक्ट्स 2,500 मिलियन मोटर आडियो मैग्नेटिक टेप, 0.60 लाख वीडियो डेक्स, 3 लाख छत के पंखे, 2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						लाख रंगीन टी०वी०, 2 लाख इलैक्ट्रानिक ट्यूनर्स, 2 लाख एक्स-ट्रा हाई टेंशन ट्रांसफार्मर्स, 2.7 मिलियन वर्ग इंच हाइब्रिड माइक्रो सर्किट, 2,000 रिकार्डर्स, इंडी-केटर्स, एक्टीवेटर्स, कन्वर्टर्स और कन्ट्रोलर्स, 60 डाटा एक्विजी-शन और डिस्ट्रिब्यूटेड कन्ट्रोल सिस्टम, 2,000 ग्रुप फिक्वेंसी डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग-वायस चेनल की लाइन ट्रांसमिशन हेतु एम० यू एक्सइक्विपमेंट, 10 मिलियन निक्कल केडमियम पाकेट प्लांट बैटरी के ए०एच० 3,000 सामान्य प्रयोजन आवेदन हेतु ब्रशलैस आल्टरनेटर्स, आटोमोशबाइल्स हेतु एक लाख ब्रशलैस आल्टरनेटर्स, 8,500 सिंगल फेस आयल फिल्ड ट्रांसफार्मर्स, 16,500 सिंगल फेस कास्ट रेसिन ट्रांसफार्मर्स, 0.60 लाख हर-मेटिकली सील किए हुए कम्प्रैशर, एक लाख हीट ट्रांसफर क्वाल्यस, 1,020 ट्रैक चैन, 240 रोलर एसेम्बलीज और 500 पल्स कोड मोड्युलेशन मल्टीप्लेक्स टर्मिनल ।
परिवहन उपस्कर	22	556.66	5,624	396.55	204.41	1.5 लाख मोपेड, 1.2 मिलियन बाइसिकल, 1.0 लाख स्कूटर, 550 टन अलौह डाईकास्ट आटो-मोटिव कास्टिंग्स, 5 लाख फ्लाई व्हील मैगनेट्स, 6.25 लाख डैस बोर्ड मीटर्स, 12.50 लाख हैड लेम्प एसेम्बली, 6.25 लाख आटोमोटिव स्विच, 2,900 टन आटोमोटिव एक्सल शाफ्ट, 135 टन इंजिन टाइमिंग गीयर्स, 340 टन स्ट्रेट लेवल गीयर्स, 7.50 लाख कनेक्टिंग राड एसेम्बलीज, वाणिज्यिक वाहनों हेतु 30,000 फ्रंट एण्ड स्ट्रक्चर्स, 1,200 ट्रिपर्स, 400 इन्टेग्रल और निर्यात बसों, हेतु बाडी बिल्डिंग 6 मिलियन आटोमोटिव स्पार्क प्लग, 2,700 टन विभिन्न प्रेस्ड मेटल कम्पोनेन्ट्स/ एसेम्बलीज, 6 लाख पिस्टन और पिस्टन पिनें, 1.90 लाख सेमी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						फिनिश्ड मशीन गीयर पार्टस, 1,000 टन एक्सट्रा हैवी ड्यूटी प्लास्टिक कम्पोनेंट्स 1.5 लाख कम्बीनेशन स्विच के सेट 1.7 लाख डोर लेचिस सेट, 4.7 लाख तालों के सेट, 0.50 लाख आटो-मोबाइल एयर-कंडीशनर, 2.2 लाख क्लचशाफ्ट के सेट, 2.20 लाख कनेक्टिंग राड के सेट, 1.1 लाख शाफ्ट और ट्रांसमिशन गीयर असेम्बली सेट, साइकिलों के लिए 10,000 टन प्रिसिशियन स्टील ट्यूबें और 2,400 टन हेलिकल स्प्रिंग।
लकड़ी उत्पाद .	2	15.50	381	14.68	8.04	1.5 मिलियन वर्ग मीटर प्लाईवुड, 7.8 मिलियन वर्ग मीटर वीनीअर, 9.15 लाख वर्ग मीटर मध्यम घनत्व का एक तह वाला प्रवर्तित पारटिकिल बोर्ड।
होटल . .	6	49.53	1,327	34.50	30.50	680 कमरे
अन्य . .	27	180.26	4,398	238.19	83.08	
जोड़ . .	236	3,989.97	54,720	4,502.94	1,593.06	

वार्षिक लेखे 1986-87
लेखा-परीक्षकों रिपोर्ट

सेवा में,

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के शेयरधारी

हम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अधोहस्ताक्षरी लेखा-परीक्षकों ने निगम के 30 जून, 1987 के संलग्न तुलन-पत्र और लेखों का लेखा-परीक्षण किया है और शेयर-धारियों को निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं :—

1. तुलन-पत्र और लेखे, लेखा-पुस्तकों के साथ तालमेल में हैं।
2. हमारे द्वारा मांगी गई आवश्यक सूचनाएं और स्पष्टीकरण हमें दिए गए हैं और वे संतोषजनक पाए गए हैं।
3. हमारे विचार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, तुलन-पत्र और तुलन-पत्र पर दी गई टिप्पणियां पूर्ण और निष्कपट हैं, और इसमें सभी सम्बन्धित जानकारी दी गई है तथा यह औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 और निगम के नियमों के अनुसार तैयार किया गया है तथा इससे निगम के कार्यों के सच्चे और सही रूप का पता चलता है।

एन० एम० रायजी एण्ड कम्पनी टी० आर० चड्ढा एण्ड कम्पनी

सनदी लेखापाल

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 अगस्त, 1987

30 जून, 1987 को तुलन-पत्र

विवरण	अनुसूची	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
(1)	(2)	(3)	(4)
परिसम्पत्तियां			
रोकड़ और बैंक शेष	1	13,700.00	20,888.48
वित्तपोषित संस्थाओं में निवेश	2	7,283.36	5,867.64
अन्य संस्थानों में निवेश	—	281.00	21.00

(1)	(2)	(3)	(4)
वित्तपोषित संस्थाओं को ऋण	3	2,11,709.56	1,64,910.52
परिसर एवं उपस्कर	4	2,245.75	1,306.32
अन्य परिसम्पत्तियां	5	11,027.48	8,018.76
स्वीकृतियों के लिए ग्राहक देयता	—	2,193.35	1,788.16
जोड़		2,48,440.50	2,02,800.00
देयताएं और शेयरधारी निधि			
शेयर पूंजी	6	5,750.00	4,500.00
रिजर्व और आरक्षित निधियां	7	18,216.74	14,488.08
दीर्घकालीन ऋण	8	2,09,448.78	1,70,325.80
चालू देयताएं तथा व्यवस्थाएं	9	12,028.81	11,073.83
स्वीकृतियों पर देयताएं	—	2,193.35	1,788.16
निर्दिष्ट निधियां	10	802.82	625.01
जोड़		2,48,440.50	2,02,800.88

हरिश्चन्द्र शर्मा　आर० विश्वनाथन　डी० एन० डावर　एम० एन० बगई　ए० वी० गणेशन　बी० आर० पंचमुखी
महाप्रबन्धक　कार्यपालक निदेशक अध्यक्ष　पी० एम० करिहाल　डी० एम० पटेल

निदेशक

नई दिल्ली: 18 अगस्त, 1987　इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार　टी० आर० चड्ढा एण्ड कम्पनी
एन० एम० रायजी एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल

30 जून, 1987 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा

विवरण	अनुसूची	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
ऋणों, अग्रिमों और जमा में ब्याज (अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों और सामान्य तथा आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए घटाकर)	11	22,548.04	16,774.42
ऋणों की लागत	12	16,077.89	11,992.59
निवल ब्याज राजस्व		6,470.15	4,781.83
अन्य परिचालनों में आय	13	799.86	940.48
जोड़		7,270.01	5,722.31
कार्मिक व्यय	14	654.88	485.32
निदेशकों और समिति सदस्यों की फीस	—	2.55	2.05
परिसर एवं उपस्कर—किराया, अनुरक्षण तथा मूल्यह्रास	15	278.60	171.40
अन्य व्यय	16	167.27	177.14
प्रबन्ध विकास संस्थान को अनुदान	—	5.00	5.00
कराधान के लिए व्यवस्था	—	1,813.59	1,463.00
जोड़		2,921.89	2,303.91

विवरण	अनुसूची	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
समायोजन :			
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32 के अधीन सामान्य आरक्षित निधि . . .		1,082.19	904.12
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(i) (vii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि		2,548.52	1,950.65
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32ख के अधीन हितकारी आरक्षित निधि . .		150.00	150.00
कर्मचारी कल्याण निधि		15.00	15.00
लाभांश		552.41	398.63
		4,348.12	3,418.40
लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां जो लेखे का भाग है	17		

हरिश्चन्द्र शर्मा महाप्रबन्धक | आर० विश्वनाथन कार्यपालक निदेशक | डी० एन० डावर अध्यक्ष | एस० एन० बगई पी० एल० करिहालू | ए०वी० गणेशन | वी० आर० पंचमुखी डी० एम० पटेल

निदेशक

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार टी० आर० चड्ढा एण्ड कम्पनी
एन० एम० रायजी एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल

नई दिल्ली: 18 अगस्त, 1987

अनुसूची 1

30 जून, 1987 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

रोकड़ और बैंक शेष

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
रोकड़ और बैंक शेष		
हाथ में नकदी	1.33	0.77
हाथ में चैक/ड्राफ्ट एवं वसूली हेतु प्रस्तुत	792.28	580.25
भारत में बैंकों में शेष		
चालू खातों में	5,609.39	6,326.53
(टिप्पणी नं० 7 देखें) . .		
अल्पावधि जमा में	6,695.00	3,502.50
भारत के बाहर बैंकों में		
चालू खातों में	481.60	356.18
अल्पावधि जमा में	120.40	10,122.25
जोड़	13,700.00	20,888.48

अनुसूची 2

30 जून, 1987 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

वित्तपोषित संस्थाओं में निवेश (लागत पर)

विवरण	धारा के अन्तर्गत*			इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
	23(घ)	23(च)	23(छ)		
(i) इक्विटी शेयर	3,724.52	1,019.19	1,448.09	6,191.80	5,085.44
(ii) अधिमान शेयर	328.75	67.00	0.01	395.76	418.60
(iii) डिबेन्चर	34.91	379.07	245.60	669.58	349.91
(iv) शेयरों और डिबेन्चरों पर आवेदन राशि	31.22	5.00	—	36.22	13.69
	4,119.40	1,470.26	1,693.70	7,283.36	5,867.64
30 जून, 1986 को जोड़	3,601.85	759.25	1,506.54		
कथित					
—बही मूल्य				3,941.08	3,232.95
—बाजार मूल्य				7,735.44	9,517.21
निवेश जिनके लिए दरें उपलब्ध नहीं हैं (बही मूल्य)				3,306.07	2,621.00

*औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 से सम्बन्धित

अनुसूची 3

30 जून, 1987 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

वित्तपोषित संस्थाओं को ऋण

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
(i) भारतीय रुपयों में	1,78,597.91	144,892.88
(ii) विदेशी मुद्रा में	33,111.65	20,017.64
जोड़	2,11,709.56	1,64,910.52

टिप्पणियां :

(i) संस्थाओं द्वारा देय ऋण जिनमें निगम के निदेशक (नामितों को छोड़कर) निदेशक की हैसियत से हितबद्ध हैं।	204.42*	215.57
(ii) वर्ष के दौरान उन संस्थाओं को संवितरित ऋण की कुल राशि जिनमें निगम के निदेशक (नामितों को छोड़कर) निदेशक की हैसियत से हितबद्ध हैं।	—*	23.00
(iii) उन संस्थाओं से मूलधन अथवा ब्याज की कुल अतिदेय राशि, जिनमें निगम के निदेशक (नामितों को छोड़कर) निदेशक की हैसियत से हितबद्ध हैं।	—*	83.60

*कमी निगम के निदेशक बोर्ड में परिवर्तनों के कारण है।

अनुसूची 4

परिसर एवं उपस्कर

30 जून, 1987 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	मूल लागत	संचित मूल्यह्रास	निवल मूल्य	
			इस वर्ष	पिछले वर्ष
	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये
(i) फ्री होल्ड भूमि तथा भवन . . .	466.99	66.57	400.42	306.00
(ii) पट्टे पर भूमि तथा भवन . . .	482.55	75.94	406.61	325.60
(iii) फर्नीचर तथा फिटिंग . . .	89.56	32.51	57.05	38.42
(iv) कार्यालय उपस्कर . . .	177.76	82.64	95.12	72.70
(v) बिजली की फिटिंग . . .	16.36	9.81	6.55	8.42
(vi) वाहन	18.20	9.31	8.89	5.09
उप-जोड़ . .	1,251.42	276.78	974.64	756.23
पूंजीगत कार्यों के लिए अग्रिम . .	1,271.11	—	1 271.11	550.09
जोड़ . . .	2,522.53	276.78	2 245.75	1,306.32
30 जून 1986 को	1,471.35	165.03		

अनुसूची 5

30 जून 1987 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

अन्य परिसम्पत्तियां

विवरण	इस वर्ष	पिछले वर्ष
	लाख रुपये	लाख रुपये
प्रोद्भूत ब्याज, परन्तु देय नहीं	6,619.90	4,631.16
जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान को अग्रिम	627.29	506.38
कर्मचारियों को अग्रिम	152.11	134.12
जमा राशियां	101.57	86.53
विनिमय अन्तर उचन्त खाता	177.25	—
कर्मचारी कल्याण निधि की निवल परिसम्पत्तियां	12.50	12.50
अन्य परिसम्पत्तियां	3,336.86	2,648.07
जोड़	11 027.48	8,018.76

अनुसूची 6

30 जून 1987 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

शेयर पूंजी

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
अधिकृत		
प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपय के 2,00,000 शेयर (पिछले वर्ष 1,00,000) .	10,000.00	5,000.00
जारी और अभिदत्त		
प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 1,25,000 शेयर (पिछले वर्ष 1,00,000 शेयर) .	6,250.00	5,000.00
(औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अन्तर्गत मूलधन की पुनर्अदायगी और न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी के सम्बन्ध में भारत सरकार की गारन्टी प्राप्त)		
प्रदत्त		
(i) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर .	500.00	500.00
(ii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 4,000 शेयर (द्वितीय सीरीज)	200.00	200.00
(iii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 2,692 शेयर (तृतीय सीरीज)	134.60	134.60
(iv) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 3,308 शेयर (चतुर्थ सीरीज)	165.40	165.40
(v) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर (पांचवी सीरीज)	500.00	500.00
(vi) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 5,000 शेयर (छठी सीरीज)	250.00	250.00
(vii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 5,000 शेयर (सातवीं सीरीज)	250.00	250.00
(viii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर (आठवीं सीरीज)	500.00	500.00
(ix) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर (नौवीं सीरीज)	500.00	500.00
(x) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 20,000 शेयर (दसवीं सीरीज)	1,000.00	1,000.00
(xi) पूर्णयता प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 20,000 शेयर (ग्यारहवीं सीरीज)	1,000.00	5000.00
(xii) प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 25,000 शेयर (बारहवीं सीरीज)		(अंशत: प्रदत्त)
रुपये 3,000/– प्रति शेयर राशि मांगी गई और प्रदत्त	750.00	—
जोड़	5,750.00	4,500.00

अनुसूची 7

30 जून 1987 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

रिजर्व और आरक्षित निधियां

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32 के अधीन सामान्य आरक्षित निधि	6,076.25	4,994.06
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32क के अधीन आरक्षित निधि	100.00	100.00
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32ख के अधीन हितकारी आरक्षित निधि	278.00	296.04
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(i) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि	11,499.17	8,950.65
क्रिदितास्तल्त-फर-वाइडरफबऊ के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार भारत सरकार से विशेष अनुदान	263.32	147.33
जोड़	18,216.74	14,488.08

अनुसूची 8 — 30 जून, 1987 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

दीर्घकालीन ऋण

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
बांड (अप्रतिभूत—औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 के अधीन जारी भारत सरकार द्वारा गारन्टी प्राप्त)		
(a) 6% बांड	2,539.46	7,774.06
(b) 6¼% बांड	6,801.54	6,801.54
(c) 6¾% बांड	7,500.00	7,500.00
(d) 6¾% बांड	7,810.00	7,810.00
(e) 7¼% बांड	10,050.22	10,050.22
(f) 7½% बांड	10,995.00	10,995.00
(g) 8¼% बांड	7,975.00	7,975.00
(h) 8¾% बांड	8,004.80	8,004.80
(i) 9% बांड	19,701.00	19,701.00
(j) 9.75 % बांड	32,269.13	32,269.13
(k) 11 % बांड	46,020.00	15,000.00
(l) 7.6 % बांड (येन मुद्रा)	4,424.78	3,802.28
(m) 6.9 % बांड (येन मुद्रा)	4,424.78	3,802.28
(n) 6.3 % बांड (येन मुद्रा)	4,424.78	3,802.28
	1,72,940.49	1,45,287.59
उधार		
(क) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21(4) के अधीन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से	7,025.00	7,775.00
(ख) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21(4) के अधीन भारत सरकार से	208.12	276.21
(ग) क्रेदितांस्तल्त-फर-याइडरफबऊ के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार भारत सरकार से	697.34	662.37
(घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा जारी किए गये विदेशी बांडों में से विदेशी मुद्रा में	1,055.97	849.38
(ङ) विदेशी ऋण संस्थानों से विदेशी मुद्रा में	27,521.86	15,475.25
जोड़	2,09,448.78	1,70,325.80

अनुसूची 9

30 जून, 1987 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

चालू देयताएं और व्यवस्थाएं

विवरण			इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
(क) चालू देयताएं				
फुटकर लेनदार			6,348.52	6,439.83
प्रोद्भूत ब्याज परन्तु देय नहीं				
(क) बांडों पर			1,369.11	1,018.15
(ख) सरकार से उधार			16.06	14.71
(ग) विदेशी ऋण संस्थानों से उधार			293.20	142.97
(घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा अन्यों से उधार			176.23	108.93
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 22 की शर्तों के अनुसार जमा राशि			500.00	500.00
अग्रिम पावतियां			12.38	12.40
दावा न किया गया लाभांश			0.28	0.09
विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋणों पर लगाए गए ब्याज में से उप-ऋणियों को लौटाई जाने वाली राशि/ भारत सरकार को देय राशि			919.98	712.95
(ख) व्यवस्थाएं				
विनिमय उच्चंत खाते में अन्तर			—	174.82
उच्चंत में डाली गई राशियां				
(क) ब्याज			398.37	406.21
(ख) वचनबद्धता प्रभार			0.05	0.05
(ग) प्रासंगिक प्रभार			2.38	2.38
कराधान के लिए व्यवस्था		5,772.83		
घटाइये : स्रोत पर काटा गया कर	276.44			
भुगतान किया गया अग्रिम कर	4,056.55	4,332.99	1,439.84	1,142.25
लाभांश के लिए व्यवस्था			552.41	398.63
जोड़ (ख)			2,393.05	2,123.80
जोड़ (क) + (ख)			12,028.81	11,073.83

अनुसूची 10

30 जून, 1987 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विशेषकार्य के लिए निर्धारित निधि

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि	744.01	582.51
कर्मचारी कल्याण निधि	58.81	42.50
जोड़	802.82	625.01

अनुसूची 11

30 जून, 1987 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

ऋणों और अग्रिमों से ब्याज

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
ब्याज आय	20,656.98	15,955.62
अल्पावधि जमा आदि पर ब्याज	1,566.61	568.01
वचनबद्धता प्रभार	324.45	250.79
जोड़	22,548.04	16,774.42

अनुसूची 12

30 जून, 1987 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

उधार लागत

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रूपये
ऋणों और उधारों पर ब्याज	15,872.37	11,719.81
लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों पर वचनबद्धता प्रभार	6.46	8.30
बांड जारी करने की लागत	199.06	264.48
जोड़	16,077.89	11,992.59

अनुसूची 13

30 जून, 1987 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

अन्य परिचालनों से आय

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
कारोबार सेवा शुल्क	136.74	103.97
लाभांश	326.11	271.01
निवेशों की बिक्री से लाभ	214.11	515.68
अन्य विविध आय	122.90	49.82
जोड़	799.86	940.48

अनुसूची 14

30 जून, 1987 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

कार्मिक व्यय

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
वेतन एवं भत्ते (पिछले वर्ष के 62.27 लाख रुपये सहित)	621.46	458.04
कर्मचारी कल्याण निधि व्यय	3.55	2.83
अन्य कार्मिक व्यय	29.87	24.45
जोड़	654.88	485.32

अनुसूची 15

30 जून, 1987 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

परिसर एवं उपस्कर—किराया, अनुरक्षण एवं मूल्यह्रास

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
किराया, कर, बीमा और रोशनी (पिछले वर्ष के 16.65 लाख रुपये वापस लिखने के बाद)	127.85	99.92
मरम्मत एवं अनुरक्षण	32.82	21.08
मूल्यह्रास	117.93	50.40
जोड़	278.60	171.40

अनुसूची 16

30 जून, 1987 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

अन्य व्यय

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
लेखा परीक्षण शुल्क	1.25	1.00
यात्रा व विराम व्यय	26.57	25.07
संचार व्यय	31.71	24.24
निवेशों पर हानि	17.85	36.75
अन्य व्यय	89.89	90.08
जोड़	167.27	177.14

अनुसूची 17

30 जून 1987 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां

(क) उल्लेखनीय लेखांकन नीतियाँ

1. राजस्व मान्यता

(क) जिन मामलों में ब्याज, वचनबद्धता प्रभार एवं कमीशन, आदि की वसूली संदिग्ध समझी जाती है उनमें निगम इन्हें आय के रूप में गणन नहीं करता। ऋण करारों का निष्कर्ष होने के पश्चात् ही वचनबद्धता प्रभारों को आय के रूप में गणन किया जाता है।

(ख) जिन मामलों में निगम ने न्यायालय आदेश प्राप्त किए हैं उन ऋणों और अग्रिमों के सम्बन्ध में ब्याज का गणन इस के प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जाता है।

2 निवेश

2.1 मूल्यांकन :

निवेशों का सकल बाजार मूल्य/वितरण मूल्य के संदर्भ में अंकित मूल्य की तुलना सार्वभौमिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

2.2 लेन-देन :

(क) निवेशों की बिक्री से लाभ अथवा हानि का परिमाप बेचे गए निवेशों की औसत लागत के आधार पर किया जाता है।

(ख) परिसमापन अथवा रुग्ण कम्पनियों के शेयरों के मूल्य में यदि कोई हानि हो जिनका विलीनीकरण अन्य स्वस्थ कम्पनियों के साथ किया जाना है, उनका गणन विलीनीकरण पूरा होने पर अन्तिम अदायगी प्राप्त होने के पश्चात् किया जाता है।

3. विदेशी मुद्रा लेन-देन

(क) राशियां जो कि—

(i) निगम द्वारा लिए गए विदेशी मुद्रा ऋण

(ii) उनमें से उप-ऋणियों को प्रदान किए गए ऋण

(iii) बैंकों में विदेशी मुद्रा खातों में शेष, और

(iv) विदेशी मुद्रा में दी गई गारन्टियों सम्बन्ध में प्रासंगिक देयताओं की हैं,

उनकी अभिव्यक्ति 30 जून 1987 को तार अन्तरण विक्रय दरों पर भारतीय मुद्रा में की जाती है।

(ख) विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव होने के कारण हुआ लाभ, यदि कोई हो, प्रत्येक ऋण के सम्बन्ध में तभी गणन किया जाता है जब विदेशी मुद्रा संस्थानों को ऋण की पूरी अदायगी कर दी हो और उन ऋणों में से वित्तपोषित संस्थाओं को दिए गए ऋण पूर्ण रूप से वसूल कर लिए गए हों। इस प्रकार के उतार-चढ़ाव से हुई हानि का, यदि कोई हो, तभी गणन किया जाता है जब उस ऋण का भुगतान कर दिया गया हो। इस दौरान :

(i) विदेशी मुद्रा ऋणों की वसूली और पुन-भुगतान

(ii) वर्ष के अन्त में विदेशी मुद्रा शेष का संपरिवर्तन, और

( ) बैंकों में विदेशी मुद्रा खातों के परिचालन, से संबंधित विनिमय अन्तर का गणन विनिमय अन्तर उचन्त खाते में किया जाता है। केन्द्रीय सरकार से अन्तिम रूप में प्राप्त अंशदान विनिमय से हुई हानि की प्रतिपूर्ति को भी उक्त खाते में जमा किया जाता है।

4. परिसर एवं उपस्कर

भूमि और भवन के मूल्यह्रास के सम्बन्ध में निम्न-लिखित सिद्धांत लागू होते हैं—

(i) जहां कहीं लागू हो, भवन और उनमें हुए परि-वर्द्धनों का अवलिखित मूल्य आधार पर 5%, 10% और 120% की दर से मूल्यह्रास।

(ii) फर्नीचर और उपस्करों का मूल्यह्रास अवलिखित मूल्य आधार पर क्रमशः 10% और $33\frac{1}{3}\%$ की दर से किया जाता है और इनकी लागत मूल्य-ह्रास घटा कर लिखी जाती है।

(ख) लेखे का भाग टिप्पणियां

(कोष्ठकों में पिछले वर्ष के आंकड़े है)

1. निगम, तुलन-पत्र में दर्शायी गई देयताओं के अति-रिक्त निम्नलिखित के सम्बन्ध में प्रासंगिक रूप से उत्तरदायी है :

(क) बकाया हामीदारी संविदा (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23(घ) के अधीन) 751.50 लाख रुपये (53.10 लाख रुपये), और

(ख) निवेश के रूप में अंशतः प्रदत्त शेयरों के लिए आयाचित राशि (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 20, धारा 23(घ) तथा धारा 23(च) के अधीन) 263.65 लाख रुपये (27.05 लाख रुपये)

(ग) लगभग 694.40 लाख रुपये (प्रदत्त निवल अग्रिम) के पूंजी लेखे पर संविदाओं की अनुमानित राशि निष्पादित की जानी है।

2. निगम के पक्ष में/विरुद्ध कुछ मामलों के सम्बन्ध में आयकर विभाग/निगम ने अपील/संदर्भ किया है। इस सम्बन्ध में विवादास्पद देयता 55.39 लाख रुपये (55.39 लाख रुपये) है। वर्ष के लिए कर देयता की व्यवस्था निगम द्वारा अपनाये गए दृष्टिकोण अनुसार की गई है।

3. फुटकर लेनदारों में 1,445.62 लाख रुपये (2,409.92 लाख रुपये) की राशि उन बांडों से सम्बन्धित है जो परिपक्व हो गए हैं किन्तु जिनका दावा नहीं किया गया है अथवा अदा नहीं किए गए हैं।

4. औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23(घ) और 23(च) के अधीन निवेशों में 163.58 लाख रुपये की राशि (65.60 लाख रुपये) जो कुछ कम्पनियों की शेयर पूंजी में निवेश की गई है और जिन्होंने या तो परिसमापन कर दिया है अथवा 'रुग्ण' और उनका स्वस्थ कम्पनियों के साथ विलीनीकरण का प्रस्ताव है।

5. हितकारी आरक्षित निधि तथा भारत सरकार से प्राप्त विशेष अनुदान में से 30 जून, 1987 तक 43.86 लाख रुपये (45.38 लाख रुपये) का आंशिक उपयोग निगम के प्रवर्तन कार्यों के रूप में कुछ तकनीकी सलाहकारी संगठनों की शेयर पूंजी में अभिदान कर के किया गया है। अतः इस राशि का निगम के 'निवेशों' में गणन नहीं किया गया है।

6. तुलन-पत्र की तारीख को कुछ कम्पनियों से 1,705.88 लाख रुपये (1,765.10 लाख रुपये) की राशि बकाया थी, जिनको कि केन्द्रीय/राज्य सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है। अभी यह तय नहीं हो पाया है कि मुआवजे में से अथवा गारंटी-कर्ताओं से उक्त राशि का कितना हिस्सा वसूल हो सकेगा। इसके अतिरिक्त तुलन-पत्र की तारीख को 171.84 लाख रुपये (171.84 लाख रुपये) की राशि कुछ कम्पनियों पर बकाया है जिनकी देयताएं उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन अवरुद्ध कर दी गई हैं।

7. बैंकों के चालू खातों में 2,804.36 लाख रुपये की राशि शामिल है जिसको कि निगम की सहमति से केन्द्रीय और/या राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में बैंकों ने निवेश किया हुआ है।

8. निगम द्वारा अधिग्रहण किए गए कुछ परिसरों के सम्बन्ध में हस्तान्तरण की औपचारिकताएं पूरी किये जाने की प्रक्रिया जारी है।

9. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनात्मक बनाने के उद्देश्य के लिए आवश्यकतानुरूप पुनः एकत्रित किया गया है।

STATE BANK OF TRAVANCORE
(ASSOCIATE OF THE STATE BANK OF INDIA)
HEAD OFFICE

Trivandrum, the 20th November 1987

NOTICE

No. MD.42/1152.—Further to our Notice of 7th November, 1987 and in pursuance of Regulation 34 of the Subsidiary Banks General Regulations, the following persons have been declared elected as Directors on the Board of the State Bank of Travancore under Section 25 (1) (d) of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 :—

1. Shri N. S. Srinivasan,
TC 41/983,
Kutticaud,
Manacaud P.O.,
TRIVANDRUM-695 009.

2. Shri C. P. Gopalan Nayar, I.A.S. (Retd.),
No : 36, Block V-A,
Koramangala,
BANGALORE-560 034.

B. GUPTA
Managing Director

STATE BANK OF INDORE
(ASSOCIATE OF THE STATE BANK OF INDIA)
HEAD OFFICE

Indore-452 003, the 28th November 1987

NOTICE

NOTICE is hereby given that a General Meeting of the shareholders of the State Bank of Indore will be held at Ravindra Natya Grah, R. N. T. Marg, Indore on Thursday the 14th Jan., 1988 at 11.00 a.m. (Standard Time) for the purpose of electing two persons to be Directors of the Board of the Bank in pursuance of Section 25(1) (d) of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act. 1959, in place of (1) Shri P. S. Bapna, and (2) Shri Lakshman Prasad Bhargava, Directors of the Board of the Bank, who will retire in terms of Section 26 (2) of the said act on the 15th January, 1988 but are eligible for re-election under Section 26 (3) of the said Act.

PREM PRAKASH
Managing Director

PUNJAB NATIONAL BANK
PERSONNEL DIVISION
HEAD OFFICE

New Delhi, the 6th November 1987

No. WIE-II-MISC-6.—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970). The Board of Directors of Punjab National Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Punjab National Bank (Officers') Service Regulations, 1979.

2. Short title and commencement :—(1) These regulations may be called the Punjab National Bank (Officers) Service (Amendments) Regulations, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. *Regulation* 19(1) :

The age of retirement of an officer employee shall be as determined by the Board in accordance with the guidelines issued by the Government from time to time—

Provided that the Bank may, at its discretion, on review by the Special Committee/Special Committees as provided hereinafter in sub-regulation (2) retire an officer employee on or at any time after the completion of 55 years of age or on or at any time after the completion of 30 years of total service as an officer employee or otherwise whichever is earlier;

Provided further that before retiring an officer employee, at least three months' notice in writing or an amount equivalent to three months' substantive salary/pay and allowances, shall be given to such officer employee;

Provided further that an officer aggrieved by the order of the Competent Authority, as provided in Sub-Regulation (2), may within one month of the passing of the order, give in writing a representation to the Board of Directors against the decision of Competent Authority, and on receipt of such representation from the concerned officer, the Board of Directors shall consider his representation and take a decision within a period of three months. Where the Board of Directors decides that the order passed by the Competent Authority is not justified, the concerned officer shall be reinstated as though the competent authority has not passed the order.

Provided also that nothing in this regulation shall be deemed to preclude an officer employee from retiring earlier pursuant to the option exercised by him in accordance with the rules in the Bank.

EXPLANATION :

An Officer employee will retire on the last day of the month in which he completes his age of retirement.

Regulation 19(2) :

The Bank shall constitute a Special Committee/*Special Committees* consisting of not less than three members, to review, whether an officer employee should be retired in accordance with the first proviso to this regulation. Such Committee/*Committees* shall from time to time, review the case of each officer employee and no order of retirement shall be made unless the special Committee/Special Committees recommends in writing to the Competent Authority the retirement of the Officer employee.

Regulation 12(1) :

Notwithstanding anything contained in these regulations, an officer in the service of the Bank immediately before the appointed date shall have the option to continue even after that date in the scale of pay applicable to him immediately before the appointed date by communicating to the Bank within 30 days of the receipt of the intimation regarding his fitment in the new scale of pay.

Provided that such option shall continue to have effect only till the officer is promoted to a scale in the scales of pay set out in regulation 4 higher than the scale of pay to which the scale of pay under his entitlement immediately before the appointed date corresponds in accordance with regulation 7.

Regulation 12(2) :

Save as provided in sub-regulation (3), where an officer has exercised such option, he shall continue to draw pay and allowances according to his entitlement in the service of the Bank immediately prior to the appointed date :

Provided that in any case the officer shall not be eligible for the perquisites under such entitlement but shall be entitled only to such perquisites as are admissible to him under these regulations.

Regulation 12(3) :

Any officer who has exercised option referred to in sub-regulation (1) and continues to draw pay and allowances according to his entitlement in the service of the Bank immediately prior to the appointed date, in terms of sub-regulation (2) shall be allowed to opt for pay and allowances as applicable under these regulations on and from 1-2-1984. On exercising such option, he will be fitted notionally on the appointed date into the new scale of pay in the manner referred to in Regulation 8 and after granting him the increments he would have received in terms of these regulations upto 31-1-1984, he shall be fitted in the scale of pay set out in Regulation 4(1) as on 1-2-1984 in accordance with the guidelines of the Government issued thereunder.

Provided that if the aggregate of pay and allowances payable under these regulations to the officer after fitment as above is lower than the aggregate of pay and allowances that were payable to him as on 31-1-1984 before such fitment, the difference shall be paid to him as a Personal Allowance which shall be paid to him as a Personal Allowance which shall be absorbed in the future increments to the extent of 33-1/3 percent of each such increment or 33-1/3 percent of the increase in the salary as a consequence of such increment, whichever is lower.

Regulation 6(2) :

For the purposes of categorisation of posts under Sub-Regulation (1) every branch of the Bank shall be classified by the Bank, in accordance with the criteria to be approved by the Government, as small medium, large, very large or exceptionally large category."

Regulation 41(1)

(i) An officer drawing of pay of Rs. 2925/- p.m. and above may travel by train AC 1st Class or by air. Where he travels by air, he shall, unless otherwise provided by a general or special decision of the Board, be eligible only for economy class fare.

(ii) An Officer drawing pay of *Rs.* 2650/- p.m. and above but less than *Rs.* 2925/- p.m. may travel by 1st Class, by train.. He may, however, travel by A.C. 1st Class, if the distance to be travelled is more than 500 kms. or an overnight journey is involved, or with the prior permission of the competent authority, by air. Where he travels by air, he shall be eligible only for economy class fare.

(iii) An officer drawing pay of less than *Rs.* 2650/- p.m. may travel by 1st class by train. He may, however, travel by air if so permitted by the competent authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

(iv) An officer drawing pay of *Rs.* 2925/- above may travel by car between places not connected by air or rail, provided that the distance does not exceed 500 kms.

However, when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail, only the rest of the distance should normally be covered by car.

Regulation 22(3)(ii) :

Where an officer resides in his own accommodation he shall be eligible for a house rent allowance on the same basis as mentioned in Sub-regulation (2) as if he were paying by way of monthly rent a sum equal to one-twelfth of the higher of A or B below :—

A : The aggregate of (i) Municipal taxes payable in respect of the accommodation; and

(ii) 12% of the capital cost of the accommodation including the cost of the land and if the accommodation is part of a building, the proportionate share of the capital cost of the land attributable to that accommodation, excluding the cost of special fixtures, like air-conditioners; or

B : The annual rental value taken for Municipal assessment of the accommodation.

Regulation 41(4) :

On and from 1-1-87 an Officer in the Grades/Scales set out in Column 1 of the Table below shall be entitled to Halting Allowance at the corresponding rates set out in Column 2 thereof :—

Grades/Scales of Officers	Daily Allowance (Rupees)		
	Major 'A' Class Cities	Area-I	Other Places
1	2	3	4
Scale VI & VII	100·00	80·00	60·00
Scale IV & V	100·00	80·00	60·00
Scale II & III	70·00	60·00	50·00
Scale I	70·00	60·00	50·00

Provided that :

(a) Where the total period of absence is less than 8 hours,but more than 4 hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

(b) Officers in various Grades/Scales may be reimbursed the actual hotel expenses, restricting to single room accommodation charges in ITDC Hotels, subject to the limits as given below :—

Grades/Scale of Officers	Eligibility to stay	Boarding charges (Rupees)		
		Major 'A' Class Cities	Area-I	Other Places
1	2	3	4	5
Scale VI & VII	4* Hotel	100·00	80·00	60·00
Scale IV & V	3* Hotel	100·00	80·00	60·00
Scale II & III	2* Hotel (Non-A.C.)	70·00	60·00	50·00
Scale-I	1* Hotel (Non-A.C.)	70·00	60·00	50·00

(c) Where free lodging is provided at the place of halt, 3/4th of the halting allowance will be admissible.

(d) Where free boarding is provided at the place of halt, 1/2 of halting allowance will be admissible.

(e) Where free lodging and free boarding are provided at the place of halt, 1/4th of the halting allowance will be admissible.

(f) A supplementary diem. allowance of Rs. 10/- per day of halt outside headquarters on inspection duty may be paid to all inspecting officers.

Explanation :

For the purpose of computing halting allowance per diem shall mean each period of 24 hours or any subsequent part thereof reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel, and the scheduled time of departure in other cases to the actual time of arrival. Where the total period of absence is less than 24 hours, 'per diem' shall mean a period of not less than 8 hours.

Regulation 23 (v) :

If an officer is deputed to serve outside the bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed. Alternatively, he may, in addition to his pay, draw a deputation allowance of 15% of pay and such other allowances as he would have drawn had he been posted in the bank's service at that place.

Proviso-I

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 7½% of his pay.

Proviso-II

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the bank as a faculty member or to BSRB shall be eligible for deputation allowance @ 7½% of his pay.

Regulation 23 (xi)

It has further been decided to delete Regulation 23 (xi) of the PNB Officers' Service Regulations.

Regulation 5(1)

The increment specified in the various scales of pay set out in regulation 4 shall, subject to the sanction of the competent authority accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which it falls due.

"Provided that on and from 1-1-85 those officers in Junior Management Grade Scale I and Middle Management Grade Scale II and III who reach the maximum of their pay scale shall be granted stagnation increment for every five completed years of service after reaching the maximum in the respective scales, subject to a maximum of two such increments for Officers in Junior Management Grade Scale I and one such increment for Officers in Middle Management Grade Scale-II and III.

In case of those Officers who have completed more than 5 years of service at the maximum of the respective scales the first such stagnation increment will be granted effective from the date on which it falls due or from 1st January, 1985, whichever is later, but the second such increment shall be granted to those eligible not earlier than 1st January, 1987."

Regulation 5(2)

An additional increment shall be granted in the scale of pay for passing each part of CAIIB examination.

"Provided that on and from 1-2-84, those officers who have reached the maximum of their pay scales, professional qualification allowance of Rs. 100/- p.m. shall be granted for passing Part I of CAIIB Examination after they complete one year at the maximum in the scale of pay and Rs. 200/- p.m. for passing both parts of CAIIB examination after they complete two years at the maximum in the scale of pay."

Regulation 22(2)

On and from 1-2-84, where an officer is not provided with residential accommodation by the bank, he shall be eligible for house rent allowance being a sum equivalent to the excess of the actual rent paid by him for his residential accommodation over 10% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed, such sum being subject to the following rates :—

Where the place of work is in	HRA payable shall be
(i) Major 'A' Class Cities specified as such from time to time by the Board in accordance with the guidelines of the Government *and Project Area Centres in Group 'A'.*	17·1/2% of the basic pay subject to a maximum Rs. 500/- p.m.
(ii) Area I not covered by item (i) above *and Project Area Centres in Group 'B'*	15% of the basic pay subject to a maximum of Rs. 400/- p.m.
(iii) Area II and State Capitals and Capitals of Union Territories not covered by (i) and (ii) above.	12·1/2% of the basic pay subject to a maximum of Rs. 300/- p.m.
(iv) Area III	10% of the basic pay subject to a maximum of Rs. 250/- p.m.

NOTE : House Rent Allowance as above shall be paid on Production of rent receipts except that an Officer may claim house rent allowance on certificate basis a tthe above rates subject to maximum as under :—

Major 'A' Class Cities and Project Area Centres in Group 'A'	Maximum Rs. 275/-
Other places in Area I and Project Area Centres in Group 'B'	Maximum Rs. 225/-
Area II and State Capitals and Capitals of Union Territories	Maximum Rs. 165/-
Area III	Rs. 110/- (fixed)

Regulation 23(iv)

On and from 1-1-87, if an Officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or College, in the former place, a mid-academic year transfer allowance of Rs. 150/- p.m. from the date he reports to the later place upto the end of the academic year in respect of all the children provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.

Regulation 23(vi)

On and from 1-1-1985 if he is required to officiate in a post in a higher scale for continuous period of not less than 7 days at a time or an aggregate of 7 days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to *10% of his pay, subject to a maximum of Rs. 250/- pm. for the* period for which he officiates. Officiating Allowance will rank as pay for purposes of Provident Fund and not for other purposes.

Provided that where an Officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorisation of posts under Regulation 6, he shall not be eligible for the Officiating Allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorisation takes effect.

Regulation 23(x)

On and from 1-1-85, if he is serving in a place mentioned in column 1 of the Table below, a Hill and Fuel Allowance at the rate mentioned in column 2 thereof against that place :—

TABLE

Places	Rates
Offices at altitudes of and over 1500 meters above Mean Sea Level	10% of pay subject to a maximum of Rs. 130/- p.m.
Offices at altitudes of and over 1000 meters but below 1500 meters above Mean Sea Level	8% of pay subject to a maximum of Rs. 100/- p.m.

Regulation 24(1)(b)(v) :

On and from 1-1-87, Medical Expenses incurred in respect of the following diseases which need domiciliary treat-

ment as may be certified by the recognised hospital authorities and bank's medical officer shall be deemed as hospitalisation expenses and reimbursed to the extent of 75% in case of an Officer and 50% in case of his family members :—

Cancer, Tuberculosis, Paralysis, Cardiac Ailment, Tumour, Small Pox, Pleuresy, Diptheria, Leprosy, Kidney Ailment.

Regulation 242(2)(ii) :

On and from 1-1-87, if an Officer eligible for full wagon avails of the facility of 'Container Service' by railways, he will be reimbursed actual charges for one container if he is in Junior or Middle Management Grade and for two containers if he is in Senior or Top Management Grade. If the baggage is transported by road between places connected by rail, the reimbursement will be limited to the actual freight charges against submission of bills subject to the cost not exceeding the cost of transport of the maximum permissible quantity by goods train. If there is no railway station or railway out-agency at the old or new place of posting, the Officer will be paid the actual cost of transporting the baggage by road up to the nearest railway station or railway out-agency. If both the places do not have railway station/out-agency, the Officer will be paid actual cost of transporting the baggage by road up to the stipulated weights by an approved transport operator.

Regulation 42(3) :

On and from 1-1-87, an Officer on transfer will be eligible to draw a lump sum amount as indicated below for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc.

Grade	Lump sum
Top Management & Sr. Management	Rs. 1500/-
Middle Management & Jr. Management	Rs. 1000/-

Regulation 44(ii) :

On and from 1-1-87, once in every four years, when an Officer avails of Leave Travel Concession, he may be permitted to surrender and encash his privilege leave not exceeding one month at a time. For the purpose of leave encashment *all the emoluments payable for the month during which the availment of the Leave Travel Concession commences shall be admissible.*

Provided that an Officer at his option shall be permitted to encash one day's additional privilege leave for donation to the Prime Minister's Relief Fund subject to his giving a letter to the Bank to that effect and authorising the Bank to remit the amount to the Fund.

RASHID JILANI
Executive Director.

ALLAHABAD BANK

HEAD OFFICE

Calcutta-700 001, the 20th November 1987

No. Legal/6/87-GSR.—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Allahabad Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulation further to amend the Allahabad Bank (Officers') Service Regulations, 1979.

2. Short title and commencement : (1) These regulations may be called the Allahabad Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 1987. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. The Regulation 41(4) of Allahabad Bank (Officers') Service Regulations, 1979 shall be substituted by the following :—

"41(4) On and from 1-1-1987 an officer in the Grades/Scales set out in Column 1 of the Table below shall be entitled to Halting Allowance at the corresponding rates set out in Column 2 thereof :

Grades/Scales of Officers	Daily Allowance (Rupees)		
	Major 'A' class cities	Area I	Other places
1	2	3	4
Scale VI & VII	100/-	80/-	60/-
Scale IV & V	100/-	80/-	60/-
Scale II & III	70/-	60/-	50/-
Scale I	70/-	60/-	50/-

Provided that—

(a) Where the total period of absence is less than 8 hours, but more than 4 hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

(b) Officers in various Grades/Scales may be reimbursed the actual hotel expenses, restricting to single room accommodation charges in ITDC Hotels, subject to the limits as given below :—

Grades/Scales of Officers	Eligibility to stay	Boarding Charges (Rupees)		
		Major 'A' class cities	Area I	Other places
1	2	3	4	5
Scale VI & VII	4* Hotel	100/-	80/-	60/-
Scale IV & V	3* Hotel	100/-	80/-	60/-
Scale II & III	2* Hotel (non-A.C.)	70/-	60/-	50/-
Scale I	1* Hotel (non-A.C.)	70/-	60/-	50/-

(c) Where free lodging is provided at the place of halt, ¼th of the Halting Allowance will be admissible.

(d) Where free boarding is provided at the place of halt, ½ of the Halting Allowance will be admissible.

(e) Where free lodging and free boarding are provided at the place of halt, ¼th of the Halting Allowance will be admissible.

(f) A supplementary Diem Allowance of Rs. 10/- per day of halt outside headquarters on inspection duty may be paid to all inspecting officers.

Explanation :

For the purpose of computing Halting Allowance "per diem" shall mean each period of 24 hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival. Where the total period of absence is less than 24 hours, "per diem" shall mean a period of not less than 8 hours.

M. R. SARBADHIKARI
Asstt. General Manager (Law).

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Madras-600 034, the 18th November 1987

(CHATERED ACCOUNTANTS)

No. 3 SCA(8)/8/87-88.—In pursuance of Regulation 10(1)(iv) of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from dates mentioned against their names, as they had not paid their annual fees for Certificate of Practice.

S. No.	M. No.	Name & Address	Dates
1.	6843	Shri A. Jagannathan, FCA 8407, Paige Glen Ave Springfield VA-22152-USA.	01-08-1986
2.	19209	Shri Abraham Mohan Jos, ACA Kottoorathu Jose Villa Temple Road Chenganoor Post-689121.	01-08-1986
3.	23156	Shri Gunuputi Subba Rao, ACA Manager Andhra Bank Adoni Kurnool Dist., A.P.	01-08-1985
4.	43391	Shri V. Chandrasekaran, ACA 38, Motilal Street T. Nagar Madras-600017.	01-08-1986

No. 3 SCA(8)/9/87-88.—In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10(1) of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled from the dates mentioned against their names as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

S. No.	M. No.	Name & Address	Dates
1	2	3	4
1.	2063	Shri T Doraiswamy, ACA Flat No 18/1 First Street Abhiramapuram Madras-600018	01-04-1987
2.	2476	Shri S.T. Vanchinathan, FCA "Karpaka" 97, Royapettah High Road Mylapore Madras-600004	19-10-1987
3.	11937	Shri G. Balasubramanian, ACA B-4, Ram Leela 33, Third Street Abhiramapuram Madras-600018.	31-10-1987
4.	18672	Shri R. Bhaskar, ACA AJ, 63, Anna Nagar Madras-600040.	31-07-1987
5.	18729	Shri V. Sekar, ACA 27, Rosary Church II Lane Santhome Madras-600004.	01-04-1987
6.	20027	Shri Manukonda Anjaneyulu, ACA Plot No. 71 Madhusudhana Nagar Malkajgiri Hyderabad-500047.	31-05-1987
7.	20282	Shri A.N. Lakshmanan, FCA 3/7, Welcome Colony Anna Nagar West Madras-600101.	16-08-1987
8.	22797	Shri M. Abdul Kasim, ACA Mumtaz Cottage P.H. Road Cochin-682018.	24-02-1987
9.	23712	Shri T. Sesha Vikramaditya Sarma, ACA Accounts Officer Hindustan Zinc Ltd. WB-62, Western Colony Visakhapatnam-530015.	01-04-1987
10.	24747	Shri N. Seetha Raman, ACA 10, Swamy Mudaliar Street Bangalore-560001.	21-10-1985

1	2	3	4
11.	25557	Shri P.S. Narayanan, ACA 49, Car Street Triplicane Madras-600005	31-07-1987
12.	26026	Shri A. Shah Nawaz, ACA 13, Veeraswamy Main Street Aynavaram Madras-600023.	01-07-1987
13.	26226	Shri C.G. Muralidharan, ACA X-49, Kovaipudur Coimbatore-641042.	24-09-1987
14.	26741	Shri C. Srinivas, ACA 30/3, RT Prakasham Nagar Hyderabad-500016.	18-09-1987

The 19th November 1987

No. 3SCA(5)/9/87-88.—With reference to this Institute's Notification No. 3SCA(4)/7/85-86 dated 30th September 1985, it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from 15th October 1987 the name of Shri N. V. N. Ram Sai, ACA, 49, Doctor's Colony, Seethammadhara, Visakhapatnam 530013. His Membership Number is 200/22398.

No. 3-SCA(5)/10/87-88.—With reference to this Institute's Notification No. 4SCA(1)/9/79-80 dated 15th March 1980, it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restorted to the Register of Members with effect from 2nd November 1987 the name of Shri T. Srinivasa Charlu, ACA, Chartered Accountant, 686, 10th A Maip Road, 4th Block, Jayanagar, Bangalore-560 011. His Membership Number is 9502.

The 23rd November 1987

No. 3 SCA(4)/6/87-88.—In pursuace of Regulation 16 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Clause (a) Sub-Secion (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on acount of death with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen :

S. No.	M. No.	Name & Address	Date of Removal
1	2	Employees Provident Fund	
1.	1971	Shri S. Srinivasa Iyer Ajantha Thirunakkara Kottayam-686001.	14-07-1987
2.	8903	Shri C.G. Rajagopalan Chathapuram Palghat-3	16-09-1987
3.	25409	Mrs. Shyamala Sankara Narayanan Flat No. 19, Cnaara Complex" 21, Venkatanarayanan Road T. Nagar Madras-600017	12-07-1987

R. L. CHOPRA,
Secretary

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 20th November 1987

CORRIGENDUM

No. R-12/19/9/84-INS.I.—In the Notification No. R-12/19/9/84-INS.I Dated the 24th February, 1987 regarding authorising the Chairman of the Peripatetic Medical Board to co-opt any other Specialist, Published at page 1084 in Part III Section IV of Gazette of India dated 7-3-1987, the following correction shall be made namely :—

On page 1084 in line 3 the figure '150' should be corrected as '1950'.

On page 1084 in line 8 the word 'authorities' should be corrected as 'authorises'.

N. VYAS
Insurance Commissioner.

GUJARAT REGIONAL OFFICE

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

Ahmedabad-14, the 23rd November 1987

No. 37.V/253(Consti)/'87-Estt.—It is hereby notified that Local Committee set up vide this office Notification of even no. dated 21-7-1984 for *Havsari* area, under Regulation 10-A of E.S.I. (General) Regulations, 1950 is reconstituted with following members from the date of this notification :—

1. The Collector, Office of the District Collector, Valsad.	Chairman [Under Regulation 10-A 1(a)].
2. Senior Inspector of Factories, Valsad.	Representative nominated by the State Government. [Under Regulation 10-A 1(b)].
3. The Administrative Medical Officer, D-1, ESI Scheme Dispensary Navsari.	Representative nominated b the Director of Medical Services ESI Scheme, Ahmedabad, [Under Regulation 10-A 1(cc)].
4. Shri Babubhai Lakhani, (President, Navsari Chamber of Commerce & Industry), Lakhani Store, Sattapir, Navsari.	Employers' Representative [Under Regulation 10-A 1(dd)].

5.	Shri Ravindrabhai Jamnadas Kansara, Vice-President, C/o. Navsari Udyog Nagar Sahkari Sangh, Udyognagar, Navsari.	Do.
6.	Shri Arvindbhai Maganbhai Barot, Secretary, C/o. Manzoor Mahajan Mandal, Maharani Shantadevi Road, Navsari.	Employees' Representative. (Under Regulation 10-A 1(cc)).
7.	Shri Dinkarbhai Desai, (General Secretary, Rural Labour Association, Navsari), C/o. 6-A Navsari High School Shopping Centre, Navsari.	Do.
8.	The Manager, Local Office, ESI Corporation, Navsari.	Member-Secretary [Under Regulation 10-A 1(f)].

By Order
S. GOPALAN,
For Regional Director
& Member-Secretary

OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

New Delhi-110001, the

No. P. IV/1(10)/84/Allotment Rules.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 5D of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Board with the approval of Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Employees' Provident Funds Central Board Employees (Allotment of Residences) Rules, 1972, namely :—

1. (1) These rules may be called the Employees' Provident Funds Central Board Employees' [Allotment of Residences (Amendment)] Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. In the Employees' Provident Funds Central Board Employees (Allotment of Residences) Rules, 1972,—

(a) For the Table below Rule 5, the following Table shall be substituted, namely :—

TABLE

Type of residence	Monthly emoluments of employees as on the firs day of allotment year in which allotment is made categories of officers eligible.
I	Less than Rs. 950/-.
II	Less than Rs. 1500/- but not less than Rs. 950/-
III	Less than Rs. 2800/- but not less than Rs. 1500/-
IV	Less than Rs. 3600/- but not less than Rs. 2800/-
V	Less than Rs. 4500/- but not less than Rs. 3600/
VI	Financial Adviser and Chief Accounts Additional Central Provident Fund Commissioner.
VII	Central Provident Fund Commissioner

(b) in Schedule 'A', in the end, for the existing table, the following shall be substituted, namely :—

Categories of Officers eligible/Pay range	Type of residence
Central Provident Fund Commissioner	VII
Financial Adviser and Chief Accounts Officer/ Additional Central Provident Fund Commissioner.	VI
Less than Rs. 4500/- p.m. but not less than Rs. 3600/- p.m.	V
Less than Rs. 3600/- p.m. but not less than Rs. 2800/- p.m.	IV
Less than Rs. 2800/- p.m. but not less than Rs. 1500/- p.m.	III
Less than Rs. 1500/- p.m. but not less than Rs. 950/- p.m.	II
Less than Rs. 950/- p.m.	I

B. K. BHATTACHARYA
Central Provident Fund Commissioner
and
Secy, Central Board of Trustees Employees' Provident Fund.

FOOT NOTE :

1. Orginal rules published in Part II, section 3(i) of the Gazette of India, dated the ..... vide notification G.S.R. No.....

AMENDED VIDE

2. G.S.R. No. 1318 dated 1st Dec. 1973 published in Part-II, section 3(i) of the Gazette of India.

3. Notification No. Z-17011/(7)/74, P.F.I dated 24-12-75, published in Part-II, section 3(i) of the Gazette of India.

AIR INDIA

CORRIGENDUM

No. Advt/III.IV(24)3/87.—Read Air India instead All-India in item 2 line 1 of Air-India Employees Service (Amendment) Regulations. 1987 published in column 2 at page 3559 of the Gazette of India Part III Sec. IV issue No. 42 Dated 17 October 1987.

S. NARAYANSWAMY
Secy.

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

39th Annual Report 1986-87

Report of Board of Directors under Section 35 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948

CHAPTER 1

Operational Environment and Outlook

1.01 The Board of Directors of IFCI have pleasure in presenting the 39th Annual Report on the operations of IFCI together with the audited Statement of Accounts for the financial year ended the 30th June, 1987.

1.02 As a backdrop to the operations, performance and working results of IFCI in 1986-87, it may be relevant to have a synoptic view of the operating economic and industrial environment, the performance of industry, in general, and the outlook for the future.

(A) *Economic Scenario*

1.03 Indian economy, despite certain disquieting features, was able to demonstrate in 1986-87, that it was on a high growth path. The major economic indicators for 1986-87 showed significant improvement over the economic levels attained in the previous years, and a number of them happened to be quite close or equal to the targets laid down for the year.

1.04 Despite three successive weak monsoons, the food situation remained comfortable. Industrial production was better than last year, and the growth rate is estimated to be marginally higher than the last year's growth rate. Inflation remained under control and trade deficit came down. Despite turbulence in the capital market, the capital formation process remained unaffected. The rate of gross domestic capital formation as percentage of Gross Domestic Product at current market prices in 1986-87 is expected to be slightly better than the rate of 24.1% achieved in 1985-86.

1.05 Table 1 presents some selected indicators of Indian economy both for 1985-86 and 1986-87 alongwith the percentage change in 1986-87 over 1985-86 :—

Table 1 : Selected Indicators of Indian Economy

Basic Economic Indicators	Unit	1985-86 (April-March)	1986-87 (April-March)	Percentage variation in 1986-87 over 1985-86
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Population	Crores	75·4	77·0*	2·1*
Gross National Product (GNP) (At 1970-71 prices)	Rs. Crores	64,583	67,750*	5·0*
GNP per capita (At 1970-71 prices)	Rs.	856	880*	2·8*
Agricultural Production Index	1969-70=100	158·0	159·6	1·0
Foodgrains Production	Mill. tonnes	150·5	151·0	0·7
Fertiliser Production (NPK in terms of nutrients)	Mill. tonnes	5·7	7·1	23·0
Power Generation	Billion Kwh.	170·0	187·6	10·3
Coal Production	Mill. tonnes	154·2	165·8	7·5
Oil Production	Mill. tonnes	30·1	30·4	1·0
Cement Production	Mill. tonnes	33·1	36·5	10·2
Saleable Steel Production	Mill. tonnes	7·7	8·2	5·7
Revenue Earning Goods Traffic on Railways	Mill. tonnes	258·5	277·4	7·3
Cargo handled at major ports	Mill. tonnes	120·0	12·47	3·9
Industrial Production (General Index)	1980-81=100	142·1	154·7*	8·9*
Exports	Rs. Crores	11,012	12,550	14·0
Imports	Rs. Crores	19,766	20,063	1·5
Trade Balance	Rs. Crores	(—)8,754	(—)7,513	(—)14·2
Foreign Exchange Reserves (Excluding gold and SDRs)	Rs. Crores	7,384	7,645	3·5
External Assistance (Disbursements at the close of year)	Rs. Crores	2,938	3,841	30·7
Debt Servicing	Rs. Crores	1,367	1,600	17·0
Money Supply (M^3)	Rs. Crores	1,18,330	1,39,320	17·7
Bank Credit	Rs. Crores	56,067	62,757	11·9
Aggregate Deposits of Commercial Banks	Rs. Crores	85,404	1,02,127	19·6
Wholesale Price Index (Average)	1970-71=100	357·8	377·4	5·4
Consumer Price Index for Industrial workers (Average)	1960=100	620	674	8·7
Rate of Inflation (Based on CPI-W) (On point to point basis)	(In percentage terms)	8·9	7·5	—

*Extimates only.

1.06 A significant achievement in 1986-87 was increase in the exports by 14.0% surpassing the export target for the year. So also, the import growth rate at 1.5% was the lowest during the last ten years. Both these factors resulted in reducing the trade deficit by 14.2% as against a rise of 62.4% witnessed in 1985-86.

(B) *Investment Climate*

1.07 Table-2 below gives data about selected indicators of industrial investment climate for 1985 and 1986.

Table 2 : Selected Indicators of Industrial Investment Climate

Indicators	Unit	1985 (January-December)	1986 (January-December)	Percentage variation in 1986 over 1985
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Foreign collaborations	Nos.	1,024	957	(—) 6·5
Foreign Investments approved	Rs. Crores	126·86	106·90	(—) 15·7
Letters of Intent issued	Nos.	1,457	1,130	(—) 22·4
Industrial Licences granted	Nos.	985	618	(—) 37·3
Industrial Registrations	Nos.	1,961	1,162	(—) 40·7
Capital Goods Clearances	Rs. Crores	747	1,111	48·7
Consents for Capital Issues (including Bonus issues)	Rs. Crores	2,579	6,168	139·2
Capital Issues of Shares and Debentures	Rs. Crores	2,111	4,576	116·8

1.08 While the strengthening of technological base of Indian industry and liberalised licensing policies of the Government aimed at delicensing of a number of industries and broadbanding of industrial products had their own impact in 1986-87 by causing a decline in the number of foreign collaborations, and the number of Letters of Intent/Industrial Licences issued; insofar as new issues are concerned, there was an impressive step-up in the total capital issued by way of shares and debentures by 116.8%. These investments formed around 11% of total net domestic savings, while about five years back, these investments used to form just 2 to 3% of total net domestic savings.

1.09 Another significant feature of capital issues of shares and debentures in 1986 was the dominance of the non-convertible debenture issues (Rs. 2,556 crores) over the convertible debenture and the equity share issues. Never before in the history of capital market, such a vast amount by way of non-convertible debentures was raised.

1.10 The stock market situation, also remained by and large, buoyant till February 1987. The slump and bearish conditions witnessed in the stock market from February 1987 onwards were brought under control by timely measures taken by the Government, the Reserve Bank of India, the Stock Exchanges and by Public Financial Institutions, with the result that markets were again able to regain the investors' confidence. Both Government and the Reserve Bank of India have also constituted separately 'High Power Working Groups' with a view to making an indepth study of the capital market, examining the causes of instability and seeing how best and in what form, the attempts could be made to ensure a sustained growth and minimise the recurring volatility in the capital market.

(C) *Industrial Performance*

Trends in Industrial Production

1.11 The following factors contributed significantly to the performance of industry in 1986-87 :

— Growing emphasis in the Government policies on better capacity utilisation, technology upgradation, more economic scales of production and healthy competition coupled with liberalisation of existing policies and continuous streamlining and simplifying the procedures;

— Growth-oriented fiscal, monetary and credit policies;

— Easy flow and dispensation of credit followed by reduction in all bank lending rates abve 15% by 1% effective from the 1st April, 1987;

— Key infrastructure sector giving an improved performance with a sustained average growth rate of around 10% in the last three years;

— Better and improved industrial relations evidenced by a 24.7% reduction in the number of mandays lost by way of strikes and lock-outs compared to the previous year.

1.12 The average general index of industrial production (Base : 1980-81 = 100) which was 120.4 for 1983-84, 130.7 for 1984-85, 142.1 for 1985-86, went up to an estimated 154.7 for 1986-87. The estimated industrial growth in 1986-87, was 8.9% compared to 8.5% and 8.70% achieved in 1984-85 and 1985-86.

1.13 Trend-wise, the monthly Official Index of Industrial Production, showed a continuous rise and comparatively better performance than in the corresponding period of the previous month, as is evident from Table 3.

Table 3 : Index Nos. of Industrial Production

			1980-81=100
Month	1985-86	1986-87	%age Variation
(1)	(2)	(3)	(4)
April	128·9	137·4	6·7
May	131·5	139·9	6·4
June	134·8	141·8	5.2
July	133·1	144·0	8·2
August	135·5	144·7	6·8
September	135·5	149·7	10·5
October	141·1	152·8	8·3
November	141·5	150·8	6·6
December	159·4	164·5	3·1
January	152·5	174·1	14·1
February	146·1	169·2	15·8
March	165·1	186·9	13·2
Average during April to March	142·1	154·7	8·9

1.14 The sectoral trends in industrial production during 1985-86 (actual) and 1986-87 (estimated) are given in Table 4 on the following page.

Table 4 : Sectoral Trends in Industrial Production

		1980-81-100	
		%age increase over the previous year	
Weight	Sector	1985-86 (April-March)	1986-87 (April-March)
(1)	(2)	(3)	(4)
11·5	Mining and Quarrying	4·2	6·2
77·1	Manufacturing	9·7	9·0
11·4	Electricity	8·5	10·3
100	All industries	8·7	8·9

1.15 A feature of considerable significance in the growth of industrial production is the rise in index in the mining and quarrying sector and electricity generation. The deceleration in the growth rate in 1986-87 has been mainly in the manufacturing sector, which accounts for more than three-fourth of the aggregate weight in the index.

1.16 In the manufacturing sector, the performance of electrical machinery, apparatus and appliances (which includes electronics) has, however, been most spectacular with a growth rate of 17.8%. Of this, computers and their peripherals registered a growth of 35.5%. The automobile industry in the engineering group has shown, a mixed trend. While the production of commercial vehicles, in general, and that of medium and heavy commercial vehicles, in particular, declined in 1986-87, production of light commercial vehicles increased by 7%. The production of passenger cars was higher by 21.3% and of jeeps by 2.9%. Amongst two and three wheelers, while the production of motor-cycles and scooters went up by 13.5% and 37.4% respectively, those of mopeds went down by 2.6%. The production of three wheelers showed, however, an increase of 12% over the previous year.

1.17 In the chemicals and chemical products industry group, the fetrilisers glut notwithstanding, the production of fertilisers increased by 23%, DMT production registered the largest growth, viz., 163.3%. Calcium carbide showed a growth of 25.1% and high density polyethylene of 14.9%. Amongst man made fibres, the growth in the production of polyester fibre and polyester filament yarn was to the extent of 49.7% and 22.8% respectively.

1.18 The cotton textile industry continued to stagnate with a poor growth of less than 3%. The production and despatches of jute in 1986-87 showed a decline by more than 4% the number of jute mills closed down during jute year 1986-87 in West Bengal went up to 14.

1.19 The performance of sugar industry was good in 1986-87, the expectation being that the estimated production of sugar would be able to exceed the peak figure of 8.4 million tonnes production attained in 1981-82.

Trends in Capacity Utilisation

1.20 The policy measures initiated by Government for maximising production by optimum utilisation of installed capacity, e.g., re-endorsement of capacity, broad-banding of industries, minimum economic scales of operation, encouragement to export promotion, etc., resulted in slightly better capacity utilisation than last year. This is evident from the fact that the advantage under the re-endorsement of licensed capacity was taken by 131 industrial undertakings during April-December, 1986 against 52 units during the period from April-December, 1985. However, the improvement in capacity utilisation remained largely confined to well-to-do large industrial concerns operating on a diversified scale. The industrial concerns which were either operating on a mini scale like mini steel, mini cement, mini paper, etc., or which were on the margin, could not improve their capacity utilisation to an appreciable extent. Marginal industrial units, according to an assessment, continued to suffer from a feeling of insecurity following their incapability to penetrate in the growing competitive market and sell their products, particularly when the end-users had the option to import them from abroad at highly competitive prices. In fact, the main constraints before majority of medium and medium-large scale industrial units were the inability to produce the required kind of goods at the price which market was willing to pay and the consumer preferences for high quality-oriented products.

N.B.—Data in paras 1.16, 1.17 and 1.18 is based on production figures for the period April-December, 1986.

1.21 The industrial units in power deficit State like Bihar, Karnataka, Orissa, Uttar Pradesh, Haryana, West Bengal, Tamil Nadu and even Kerala could not increase their production levels, largely due to severe power cuts and erratic power supply position. The generation of power through diesel for their captive use, though allowed and adopted by many industrial units could, no doubt sustain the production, but added, to the production costs.

1.22 *Appendix-I* to this Report gives the installed capacity, production, capacity utilisation percentage of 55 selected industries for the year 1986-87 and in relation thereto, the corresnonding data relating to 645 assisted concerns of IFCI based on the performance reports received from them.

Financial Performance of Industries

1.23 According to the available data, the financial performance of most of the industrial units (leaving the top giant companies) in 1986-87 remained subdued, compared to the growth rates achieved in 1985-86. The shift from a protected and controlled environment to a more competitive one, in short run, presented certain problems of adjustment with the result that a sizeable number of the assisted industrial units could not give a better account of their financial performance in 1986-87. Profitability margin could not show much improvement, particularly in industries with administered and/or regulated price structure due to increase in the cost of production and the immediate incapability of the industry to reduce its costs by adopting better and improved technology or process.

(D) Policy Developments and Outlook

1.24 The process of liberalising the industrial sector from controls and regimented approach, which was started from the beginning of the Seventh Five-Year-Plan, is expected to continue, with emphasis on rationalisation and restructuring of the policy framework. Already minimum economic capacities have been determined and specified for 73 industries. The delicensing scheme, which was extended to 17 chemical industries, with a view to helping them update technology and modernise their plants, has, by now, covered 44 broad groups of industries and 82 bulk drugs. The exemption to MRTP companies from Sections 21 and 22 of Monopoly and Restrictive Trade Practices Act, 1969 stands extended to 52 more industries and this now applies to 79 industries excluding shipping and hotel industries. Outside Appendix I industries, MRTP and FERA companies are permitted to set up industrial units in notified backward areas with no export obligation in Category 'A' (No-Industry/Special Region) districts and reduced export) obligation of 25% in Category 'B' and 'C' districts, even where the items to be manufactured are reserved for small scale sector. The scheme of re-endorsement of licensed capacities stands liberalised to allow availability of this facility to even units achieving 80% capacity utilisation, instead of earlier limit of 94%. This scheme is to remain effective during the entire Seventh Plan period. The scheme of broad-banding of industries stands extended to more than 32 broad industry groups including glass, steel pipes and tubes, synthetic fibres and filament yarns, electric cables and wires, ball and roller bearings, specified agricultural machinery, soya products, chemical products and textile machinery.

1.25 A new drug policy was announced on the 18th December, 1986. Under this policy, creation of a National Drug and Pharamaceutical Authority, an apex body to advise on matters of development of drug and pharmaceutical industries, has been envisaged. The entire procedure for fixation of drug prices and their revision under the con-

trol price system, is to be streamlined soon. The Department of Chemicals and Petro-Chemicals along with the Bureau of Industrial Costs and Prices, is working out a system to expedite the disposal of applications from drug manufacturers for price fixation and its revision. A National Development Council for Petro-chemicals has been set up to look into the growth and development of petro-chemicals industry with special emphasis on the use of latest technology, economies of scale, conservation of energy, etc.

1.26 With a view to improving the profitability of cement industry, the Government reduced the levy obligation of all cement units by 10% from the 15th December, 1986. The levy obligation of new units, which commenced production on or after the 1st April, 1986, was further reduced by 15%.

1.27 A new Sugar Policy was announced on the 12th December, 1986 for the period from 1986-90. The policy of partial control on sugar with a dual pricing mechanism, is to continue and the proportion of free-sale sugar quota stands stepped up from 45% to 50%. A 'Sugar Development Fund has been created in terms of the provisions of the Sugar Development Fund Act, 1982 for facilitating rehabilitation and modernisation of sugar mills, making grants for research & development (R&D) aimed at development of sugar industry, undertaking of any scheme for development of sugar cane, defraying expenditure for the purpose of building and maintenance of buffer stocks of sugar with the objective of stabilising sugar prices, etc.

1.28 For modernisation of textile units, a 'Textile Modernisation Fund Scheme', with IDBI as nodal agency, has become operational with effect from the 1st August 1986. For jute industry, in terms of 'package of assistance' announced by the Central Government on the 18th September, 1986, a 'Jute Modernisation Fund Scheme' has been put into operation, with IFCI as nodal agency, with effect from the 1st November, 1986. Separately, a special 'Jute Development Fund' of Rs. 100 crores has been created directly by the Government for providing assistance to the agricultural sector, research & development rationalising the labour, etc., with a view to reviving the economy of the jute industry.

1.29 A Computer Software Policy was announced in December, 1986 to boost exports. The Government have already given permission for the import of computers valued at Rs. 434 crores in past three years to various Government, semi-Government, and other organisations.

1.30 The licensing procedures have also been considerably streamlined. In May, 1987, the Government announced a series of measures designed to streamline the procedures and quicken implementation of projects. Letter of Intent which remain unimplemented, even after five years are to lapse automatically, unless revalidated within the period. A special emphasis is now being laid on ancillarisation and the applications for industrial licences have now to stipulate the nature and extent of ancillarisation to be undertaken by them. The Consumer Protection Act, 1986 and the Environment Protection Act, 1986 which were passed in 1986-87 are expected to be implemented vigorously in the coming years. Stricter implementation of the provisions of Foreign Exchange Regulation Act, 1973, is expected to be enforced.

1.31 The Reserve Bank of India in consultation with Government, has set up a National Finance & Credit Council (NFCC) with a view to taking an overall view of the flow of finance and credit, both short-term and long-term, for industry, agriculture and trade. NFCC, which considers, developments in capital and money markets with a view to enhancing their role and efficiency, has had its first meeting on the 24th December, 1986. The fiscal, monetary and credit policies are expected to have a pragmatic approach in the light of recommendations of NFCC, of the Committee constituted to review the working of the Monetary System, and, of the Working Group, constituted by NFCC on Money Market.

1.32 For promoting exports, a new 'Cash Compensatory Support Scheme' has been introduced with effect from the 1st July, 1986. The cash compensatory support for 220 items for the period upto March, 1990 has already been announced. Duty drawback rates have been reviewed and several steps have been taken to making exports competitive through reduced costs, upgradation of technology and more effective promotion of Indian goods in overseas markets.

1.33 To provide greater flexibility to investors and also improving the liquidity of the capital invested in shares, the minimum holding period for the purpose of computing capitals gains tax has been reduced from three years to one year. Government have decided to set up a separate Board for the regulation and orderly functioning of Stock Exchanges and the securities for protecting the investors' right and to prevent trading malpractices. The Banking Regulation Act has been amended to enable banks to set up Mutual Funds. The State Bank of India (SBI) has decided to set up a Mutual Fund on the lines similar to the one set up by Unit Trust of India (UTI) last year. In order to develop secondary market in the bonds issued by public sector units, SBI has also set up an institutional facility for the sale and purchase of these public sector bonds. New savings instruments such as India Vikas Patra, 10% tax free bonds and 14% bonds enjoying 80L tax benefits by public sector units have been introduced.

1.34 To enable industry to replace and modernise capital equipment faster, liberalised depreciation rates have been made effective from the 1st April, 1987. The import duty structure for capital goods has been restructured and rationalised. Import duties on certain imported inputs used by capital goods producing industries, such as, textile machinery, boilers and turbines have been reduced.

1.35 A wide range of support policies and programmes have been introduced by the Government for the growth and development of Village & Small Industries (VS) sector, Establishment of the 'Small Industries Development Fund' (SIDF) in May, 1986 and the latest addition of 'National Equity Fund Scheme' from August, 1987 by IDBI are significant steps which would further catalyse not only the growth of new units but also the expansion, diversification, modernisation and rehabilitation of existing units in cottage, tiny and small scale sector.

(E) *Prospects*

1.36 In the light of the aforesaid developments, the general economic environment has become conducive to achieving a reasonably higher industrial growth rate. Though, unprecedented drought in large parts of the country due to elusive monsoons in 1987-88 coupled with unprecedented floods in the North-Eastern and parts of Eastern Region, may affect, to some extent, the growth rate of agricultural production, and consequently the fortunes of agro-based industries, the overall situation is likely to remain under control due to comfortable food stocks position and buffer stocks of sugar. For the last three years, agricultural production has demonstrated commendable resilience despite three successive below-average monsoons and has concretely proved the success of the "green revolution" All the same, the situation would require to be tackled with care.

1.37 While the impact of agriculture on the industrial sector cannot be ruled out, the industrial sector, can still witness an upward movement, if it continues to carry forward with full vigour the productivity and quality improvement drive coupled with well studied and well-formulated marketing strategies with focus on accelerating the exports.

1.38 The infrastructure sector has performed well in 1986-87 and the same trend is likely to continue during 1987-88. Power situation in the coming years would hopefully show a distinct improvement, though in terms of demand and supply, the gap might continue to exist for some years to come. It is, however, encouraging to observe that the average Plant Load Factor (PLF) of the thermal power stations in the country in 1986-87 touched 53.2%, the highest level achieved in the last ten years. This may improve in the coming years. Hydel Power generation may not be upto the targetted level, following inadequate rainfall, but nuclear power system is expected to show better results. The need, however, is to take concrete energy conservation measures and greater utilisation of alternate and renewable energy sources.

1.39 In the process of growth and development from out of a sheltered and protected market to an open competitive environment requiring a more quality-conscious industrial base, some difficulties in the initial years are bound to be faced by the industry, but sooner the industry pledges itself for meeting the known challenges successfully with a degree

of innovativeness, the earlier it can rise from the existing situation of insecurity and uncertainty and look forward to the future full of prospects.

1.40 With regard to the economic outlook, it can be stated that the aggregate economic growth in the first two years of the Seventh Five-Year Plan has averaged around 5% per annum and the momentum of development is likely to be sustained by a steady expansion of resources allocated for developmental expenditure. It is expected that in the course of first three years of the Seventh Five-Year Plan, the country would be able to achieve more than 60% of the Plan targets in real terms, and if this happens, it would be a feat, never accomplished in previous Five-Year Plans.

1.41 With strong and sustained growth of exports, of both goods and services, more emphasis on import substitution and better as also efficient management of resources, the balance of payments position may remain managable. Inflationary pressures are also expected to remain under control in view of comfortable supply position of food-grains and several steps taken by the Government to control non-Plan expenditure, and otherwise judicious utilisation of available resources.

CHAPTER 2

Operations, Resources and Working Results

(1) *Operations*

Overall Operations

2.01 The operations of IFCI showed significant progress in 1986-87. *Sanctions* for the year crossed Rs. 800 crores mark, for the first time, portraying rise of more than Rs. 270 crores in one year. Growth rate of sanctions during 1986-87 worked out to 47.2%—the highest ever achieved in any year during IFCI's existence. *Disbursements*, for the first time, crossed Rs. 500 crores mark and were 22.5% higher than the disbursements recorded in 1985-86. The average *loans recovery ratio*, despite subdued overall financial performance of industry, also improved, but marginally by 1% only. This was, however, on the top of 7 percentage points improvement in recovery ratio achieved last year.

Operational Developments

2.02 The significant institutional developments, which contributed to growth in IFCI's operations were :

— Enactment of *Industrial Finance Corporation (Amendment) Act, 1986 (50 of 1986)* which came into force from the 2nd February, 1987 and enlarged considerably the scope and coverage of IFCI's activities. The nature and extent of amendments made to IFCI's Charter, viz., Industrial Finance Corporation Act, 1948, are given, in brief, in *Appendix II* to this Report.

— Streamlining *Consortium financing arrangements* with effect from the 1st September, 1986 and rationalising the same again as at the close of the year.

— *Refinements in the project evaluation techniques* in the light of the experience gained and guidelines received from the Government and computerising most of the project appraisal work, in particular, Analysis of Balance Sheets and Working Results, Sensitivity Analysis, computation of Domestic Resource Cost, Internal Rate of Return and various other norms and ratios, and using computerised standard formats for referring proposals to the inter-institutional for as also to competent authority for sanction of assistance.

— *Introducing the concept of ABC analysis in monitoring mechanism* by categorising all assisted concerns based on their health and status, so that greater attention could be bestowed to assisted concerns requiring intensive monitoring or to those units which were undergoing programmes relating to their expansion diversification, modernisation, rehabilitation or revival.

— *Deepening of 'lead institution' concept* aimed at providing to entrepreneurs 'single-window clearance of projects', 'single-documentation', 'single point monitoring and follow-up' and 'single point collection of dues'.

— *Enlarging the scope of 'Project Finance Participation Scheme' (PFPS)* with effect from the 6th February, 1987 so as to bring all Public Financial Institutions, viz., IDBI, IFCI, ICICI, IRBI, LIC, GIC and its four subsidiaries, as also UTI under the Scheme of Participation in Project Financing in the form of Rupee terms loans, underwritings and/or direct subscription to shares/debentures/bonds/other securities, guarantees and counter-guarantees (collectively known as financial assistance).

— Introducing with effect from the 1st October, 1986 a *Simplified Standard Common Loan Agreement* and also streamling in the procedures for the issue of Common Loan Agreements.

2.03 Apart from the above, some of the existing Schemes, mainly *Equipment Finance Scheme* and *Modernisation Assistance Scheme* were reviewed during the year and *specific schemes for the development and modernisation of Sugar, Textiles and Jute industries* were made operational. A Scheme for *'Financing of Corporate Hospitals/Multi-Disciplinary Health Centres'* was finalised and introduced from the 1st February, 1987.

2.04 With a view to giving further boost to industrial units to improve their export performance, a new *Scheme of giving rebate of interest on Rupee loans based on the export performance of industrial units* was introduced with effect the 1st December, 1986 covering not only 100% Export-oriented Units, but all industrial units. Hotels were also covered under the Scheme with effect from the 24th March, 1987.

2.05 For mitigating the hardship to those assisted industrial units which were sanctioned financial assistance by the Financial Institutions prior to the 1st March, 1987 and whose capital goods and/or equipment had not been cleared through customs prior to that date and, as a result, whose capital cost had gone up due to enhancement of customs duty rates, a *Scheme of Automatic Standby Credit* was introduced, in terms of which term loan assistance to the extent of 90% of the additional duty payable, subject to a ceiling of Rs. 5 crores was available on an automatic basis.

2.06 The several innovative schemes mentioned above, the emphasis on business development and growth, continuous efforts towards streamlining the existing systems and procedures, removal of redundancy in operations and inculcating a positive but firm problem-solving approach, were some of the other steps that contributed to the overall improvement in the productivity and performance of IFCI.

Flow of Applications for Financial Assistance

2.07 IFCI processed during 1986-87 a record number of applications for financial assistance from 548 eligible concerns for an aggregate assistance of Rs. 3,285.68 crores either on its own or on joint financing basis. Applications from 5 concerns for an aggregate assistance of Rs. 17.82 crores were either withdrawn by the applicants or treated as closed for want of progress or lack of viability of the proposed projects. As at the end of the year, applications from 41 concerns (35 on joint financing basis) under IFCI lead for an aggregate assistance of Rs. 184.08 crores were pending for consideration. All other applications from 502 concerns were sanctioned financial assistance during the year—the disposal in 94.9% cases having been made in less than four months' period from the date of receipt of complete information and data.

2.08 Apart from applications from 41 concerns pending under IFCI's lead as on the 30th June, 1987, applications from 133 concerns for an aggregate assistance of Rs. 2,806.26 crores, (mostly on joint financing basis) were pending for consideration under the lead of IDBI and ICICI, in which also IFCI's involvement and participation was expected in the succeeding period.

2.09 Insofar as flow of applications is concerned, IFCI received applications from all States and Union Territories during the year, except from Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Andaman & Nicobar Islands, Daman & Diu and Lakshadweep. The maximum number of applications for financial assistance emanated from Maharashtra, followed by Gujarat, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh

and Tamil Nadu. Industrywise, applications from textile industry maintained the lead, followed by electrical machinery & appliances (which includes electronics) chemicals and chemical products, iron & steel, transport equipment & parts, cement, synthetic resins and plastics, miscellaneous food products and sugar.

Sanctions and Disbursements

2.10 The aggregate net *sanctions* (after accounting for cancellations) during the year, under all schemes of financial assistance of IFCI amounted to Rs. 853.02 crores for 556 projects of 493 eligible concerns. Growth in sanctions for the year 1986-87 was 47.2% over the sanctions of Rs. 579.45 crores for 365 projects in 1985-86. The number of projects assisted also witnessed an increase by 52% over the last year's figure.

2.11 The total *disbursements* of IFCI in 1986-87 amounted to Rs. 506.85 crores. These were higher by 22.5% over the disbursements aggregating Rs. 413.92 crores made during 1985-86.

2.12 Cumulatively, *sanctions* accorded by IFCI upto the end of June, 1987 aggregated Rs. 4,042.58 crores to 2,541 projects. The *disbursements* upto the 30th June, 1987 were of the order of Rs. 2,886.54 crores, of which 'cash disbursements' i.e., disbursements excluding guarantees issued, were of the order of Rs. 2,819.78 crores. The total cumulative assistance disbursed upto the 30th June, 1987 formed 71.4% of the total cumulative sanctions uptill the said date. The *outstandings* as on the 30th June, 1987, net of repayment by the borrowers, amounted to Rs. 2,211.86 crores.

Facility-wise Classification of Sanctions and Disbursements

2.13 Table 5 gives the facility-wise classification of sanctions and disbursements of IFCI during 1986-87, as also, cumulative operations upto the 30th June, 1987, indicating sanctions, disbursements and outstandings as on that date.

Table 5 : Facility-wise Classification of Sanctions, Disbursements and Outstandings

(Rs. crores)

Facility	1986-87 (July-June)		Cumulative up to the 30th June, 1987		Outstandings as on the 30th June, 1987
	Sanctions Rs.	Disbursements Rs.	Sanctions Rs.	Disbursements Rs.	Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rupee Loans	600·64 (70·5%)	389·27 (76·8%)	2,886·06 (71·4%)	2,276·48 (78·9%)	1,785·98 (80·7%)
Foreign Currency Loans	194·49 (22·8%)	103·77 (20·5%)	748·41 (18·5%)	460·83 (16·0%)	331·12 (15·0%)
Underwritings	54·58 (6·4%)	5·88 (1·2%)	276·74 (6·9%)	63·88 (2·2%)	41·19 (1·9%)
Direct Subscriptions	2·06 (0·2%)	6·69 (1·3%)	20·13 (0·5%)	18·59 (0·6%)	31·64* (1·4%)
Guarantees					
For deferred payments	1·25 (0·1%)	1·24 (0·2%)	74·27 (1·8%)	38·85 (1·3%)	17·17 (0·8%)
For foreign loans	—	—	36·97 (0·9%)	27·91 (1·0%)	4·76 (0·2%)
Total	853·02 (100%)	506·85 (100%)	4,042·58 (100%)	2,886·54 (100%)	2,211·86 (100%)

Notes : (i) Figures in brackets denote percentage to the total.
(ii) *Includes shares/debentures acquired by way of conversion of loans/debentures into shares and debentures.

2.14 An emerging trend in facility-wise assistance granted by IFCI is the rising share of foreign currency loans in its assistance portfolio. While the share of sanctions and disbursements of foreign currency loans in IFCI's sanctions and disbursements for the year 1986-87 was 22.8% and 20.5% respectively, both showed an increase of 26.9% and 19.2% over the corresponding sanctions and disbursements of foreign currency loans in the previous year.

Special Features of IFCI's Assistance (1986-87)

(a) Assistance to New Projects

2.15 Out of the total assistance sanctioned by IFCI in 1986-87, 60.3% (Rs. 514.51 crores) was claimed by 203 *new projects*. Of these, 17 projects had a capital outlay upto Rs. 3 crores each; 47 projects individually had a capital outlay between Rs. 3 crores to Rs. 5 crores; 61 projects were in capital outlay range of Rs. 5 crores; to Rs. 10 crores; 52 projects had capital outlay between Rs. 10 crores and Rs. 20 crores and 26 projects were those, whose capital outlay per project was above Rs. 20 crores.

(b) Assistance for Expansion and Diversification Schemes

2.16 Assistance of the order of Rs. 69.70 crores (8.2% of the total) went to 40 projects for their *expansion and diversification programmes* in 1986-87. This was higher by 13.9% over the assistance sanctioned for similar purposes last year.

(c) Assistance for Modernisation Programmes

2.17 Assistance for *modernisation* purposes during the year amounting to Rs. 128.71 crores (15.1% of the total) went to 135 projects as against Rs. 84.62 crores to 104 projects in 1985-86, indicating a rise of 52.1% in financial assistance approved for the purpose. Project-number-wise also, there was an increase of 29.8% over the level recorded last year.

2.18 Scheme-wise classification of modernisation assistance sanctioned by IFCI in 1986-87 is given in Table 6.

Table 6 : Scheme-wise classifiction of Modernisation Assistanc

(Rs. crores)

Schemes relating to Moderuisation	No. of projects	Amount (Rs.)
1)	(2)	(3)
Soft Loans Scheme . . .	61	58·20
	(45·2%)	(45·2%)
Textile Modernisation Fund Scheme	49	33·36
	(36 3%)	(25·9%)
Jute M dernisation Fund Scheme .	1	0·98
	(0·7%)	(0·8%)
Other assistance for modernisation purposes	24	36·17
	(17·8%)	(28·1%)
To tal	135	128·71
	(100%)	(100%)

2.19 The assistance under the *Soft Loans Scheme* during the year 1986-87 did show some improvement. Some liberalisation in the scope of the Soft Loans Scheme was under contemplation at the close of the year. Under the new proposals, for conversion of caustic soda units to membrane cell technology, the assistance on soft terms could go upto Rs. 6 crores as against normal limit of Rs. 4 crores. So also, in respect of sugar units, those going in for expansion upto 2,500 TCD (against 1,500 TCD earlier) could be allowed on a case to case basis, assistance under the Soft Loans Scheme, upto Rs. 6 crores as against the earlier limit of Rs. 4 crores.

2.20 The *Textile Modernisation Fund Scheme*, introduced with effect from the 1st August, 1986, initially for a period of two years and subject to a review thereafter, picked up during the year. While the nodal responsibility for operation of the scheme and making available special loans towards a part of promoters' contribution remained vested with IDBI, IFCI shared a part of the modernisation loans sanctioned under the Scheme.

2.21 The *Jute Modernisation Fund Scheme*, introduced with effect from the 1st November, 1986 on the pattern of Textile Modernisation Fund Scheme, with IFCI designated as a nodal agency for its operation, could not evoke much response from the existing jute mills (largely in West Bengal) because of supportive factors for such mills in matters like clearance of sales tax, raw jute tax dues, rationalisation of labour etc., remaining to be settled. During the year, only one jute mill could take advantage of the facilities of Special Loan (towards promoters' contribution) and Modernisation Loan (towards modernisation/renovation of plant, machinery and equipment) under the Scheme. The position has been under review at the institutional and Governmental levels.

(*d*) *Overrun Assistance inclusive of Automatic Standby Credit*

2.22 Assistance of the order of Rs. 111.08 crores was sanctioned for 133 projects for meeting part of overrun in their project costs, and for balancing equipment, rehabilitation, etc. The assistance also included 'Automatic Standby Credit' being provided to the extent of 90% of the additional duty payable on account of increase in the rates of customs duty on machinery and equipment, etc., with effect from the 1st March, 1987 in the light of the budget proposals for the year 1987-88.

(*e*) *Assistance under Equipment Finance Scheme*

2.23 The Equipment Finance Scheme, which was given a fresh look during the year, and which allowed loan assistance to existing industrial concerns having satisfactory record of performance and sound financial position, for acquiring any equipment (not forming part of a distinct project or a scheme) either indigenously or from abroad, evoked considerable response and assistance of the order of Rs. 29.02 crores to 45 units was sanctioned under the Scheme. This was more than double the assistance sanctioned under the Equipment Finance Scheme, last year, the increase being of the order of 130.9%.

(*f*) *Assistance to Projects Promoted by New Entrepreneurs/ Non-Resident Indians*

2.24 Out of 203 new projects assisted during the year, 26 projects were those which were promoted by new technician entrepreneurs. These claimed assistance of the order of Rs. 42.96 crores. The number of projects and the amount of assistance was more than double the last year's record, which indicates impressive growth in the development of first-generation entrepreneurs and broadening of entreprenurial base in the country. These projects promoted by new entrepreneurs pertained to industries, like plastic products, chemical products, electronics, transport equipment, non-metallic mineral products, misc. food products etc. Three projects out of the new ones assisted during the year happened to be promoted by Non-Resident Indians.

(g) *Assistance to Projects envisaging Pollution Control and Abatement Measures*

2.25 With the growing emphasis on environmental protection, and maintenance of ecological balance, IFCI in all its sanctions for new and existing projects, laid special emphasis on pollution control and abatement measures being undertaken by the industry. Several projects assisted during the year carried provision in their costs, for treatment of waste, control of air, soil and water pollution, environmental protection and conservation of natural resources.

(h) *Assistance to Projects envisaging Manufacture or Use of Alternate and Renewable Energy Systems*

2.26 With a view to giving encouragement to the manufacture as well as use of alternater/renewable energy systems, a scheme of providing concessional finance has already been in vogue in IFCI from September, 1981. During the year, of the projects sanctioned assistance, six projects were those which involved/envisaged, in one way or other, either manufacture or use of alternate/renewable energy systems, based largely on solar, wind or biomass energies.

(i) *Assistance to Export-orlented and Import-substitutive Projects*

2.27 While considering suitability of an industrial project for institutional financing, considerable attention was paid during the year on the export performance of the existing units and export potential of new units. Likewise, those projects which aimed at import substitution leading to savings in foreign exchange were given special attention. Such export-oriented and import-substitutive industrial projects assisted during the year numbered 27, involving financial assistance of the order of Rs. 113.01 crores.

(j) *Assistance to Projects involving Technology Transfer from Abroad*

2.28 Out of 556 projects assisted during the year, 47 projects, which were sanctioned assistance of the order of Rs. 239.10 crores, involved foreign collaboration, and/or technology transfer from abroad. Of the above, 15 projects had both technical and financial collaboration, while the remaining 32 projects involved only technical collaboration. The countries from where and the number of projects for which the technology was obtained were : Federal Republic of Germany (13), Japan (9), U.S.A. (8), Sweden (5), U.K. (4), Italy (3), Switzerland (1), Spain (1), Australia (1) France (1) and Taiwan (1). The remaining projects were based on the indigenously available technologies, technical processes, etc., or upon indigenously developed technologies, which demonstrated the technological strengths and capabilities of the country.

Special characteristics of certain IFCI assisted Projects (1986-87)

2.29 The Industrial Finance Corporation (Amendment) Act, 1986 made it possible, for IFCI to provide assistance *'inter-alia'*, for medical, health or other allied services. In pursuance of this, IFCI sanctioned, during the year, assistance to one Medical Centre & Hospital to be set up at Coimbatore and one Health Care Centre to be established at Delhi, both in the private corporate sector. So also, under its scheme of financing industrial estates, IFCI accorded, for the first time,

sanction to financing of an industrial estate in Gujarat in the co-operative sector and for development of an electronics complex in West Bengal being set up by the State Electronics Corporation. A few projects assisted during the year envisaged manufacturing some of the products for the first time in the country, as e.g., Thermoplastic Poly-urethanes Resins/Compounds, Core Rod for special purpose electrodes, Video Decks, Electronic Push Button Telephones, Multiwall Paper Sacks for packing of Tea and Cement, Brushless Alternators, etc. A number of other projects assisted by IFCI during the year envisaged fuel efficient or power efficient technology, full utilisation of by-products or waste material or introducing, for the first time, a better and improved technology developed in the country indigenously.

Area-wise Classification of Assistance

2.30 The institutional scheme for the development of backward areas, which is based on the Scheme of incentives announced by the Central Government on the 27th April, 1983 continued to remain in operation till the 31st March, 1987 and also thereafter, subject to the condition that the assistance sanctioned from the 1st April, 1987 onwards for projects in backward areas was subject to the review in the light of the revised Scheme as might be announced by the Central Government. The announcement was however, awaited from the Central Government as at the close of the year.*

2.31 IFCI's assistance to projects in notified/backward districts/areas during the year 1986-87 amounted to Rs. 426.39 crores in respect of 296 projects. This constituted 50% of the aggregate amount of net financial assistance sanctioned during the year.

2.32 As per the existing scheme of classification of backward districts/areas under Category 'A', 'B' and 'C', 76 projects located in Category 'A' (No-Industry/Special Region) districts, secured assistance of the order of Rs. 127.05 crores, 128 projects located in Category 'B' districts/areas claimed assistance to the extent of Rs. 189.54 crores, and 92 projects in Category 'C' districts/areas had assistance aggregating Rs. 109.80 crores. The percentage share of each category of notified backward district, i.e., Category 'A', 'B' and 'C' in the total assistance sanctioned to projects in backward areas worked out to 29.8%, 44.5% and 25.7% respectively.

2.33 Compared with the last year's record, the financial assistance to projects in Category 'A' (No-Industry/Special Region) districts in 1986-87 showed a rise of 38.2%. The number of assisted projects in 1986-87 at 76 as against 40 in 1985-86 in Category 'A' (No-Industry/Special Region) districts/areas recorded a rise of 90.0%. Considerable attention was thus paid to projects coming up in No-Industry/Special Region Districts/Areas. The increase in the quantum of assistance to projects in notified Category 'B' and Category 'C' Districts/Areas in 1986-87 over that in 1985-86 was of the order of 43.2% and 10.5% respectively.

2.34 Cumulatively, upto the 30th June 1987, IFCI had sanctioned financial assistance aggregating Rs. 2,109.87 crores to 1,184 projects located in notified Backward Districts/Areas, which constituted 52.2% of IFCI's total net cumulative sanctions.

Sector-wise Classification of Assistance

2.35 Table 7 gives the sector-wise classification of projects and assistance sanctioned to them both during the year and cumulatively upto the 30th June, 1987.

Table 7 : Sector-wise Classification of Assistance Sanctioned and Disbursed

(Rs. crores)

Sector	1986-87 (July-June)			Cumulative up to the 30th June, 1987		
	Sanctions		Disbursements	Sanctions		Disbursements
	No. of projects	Amount Rs.	Amount Rs.	No. of projects	Amount Rs.	Amount Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Private . . .	428	620·65 (72·8%)	358·29 (70·7%)	1,765 (69·5%)	2,684·58 (66·4%)	1,856·18 (64·3%)
Joint	62	93·35 (10·9%)	67·52 (13·3%)	221 (8·7%)	534·74 (13·2%)	364·12 (12·6%)
Public	40	93·71 (11·0%)	37·87 (7·5%)	254 (10·0%)	443·83 (11·0%)	324·96 (11·3%)
Co-operative . . .	26	45·31 (5·3%)	43·17 (8·5%)	301 (11·8%)	379·43 (9·4%)	341·28 (11·8%)
Total	556	853·02 (100%)	506·85 (100%)	2,541 (100%)	4,042·58 (100%)	2,886·54 (100%)

Note : Figures in brackets denote percentage to total.

(a) *Assistance to Co-operative Sector*

2.36 During the year, IFCI sanctioned assistance of the order of Rs. 45.31 crores to 26 projects in the co-operative sector. These included 13 sugar co-operatives claiming assistance of the order of Rs. 17.88 crores, 11 textile co-operatives recording assistance to the extent of Rs. 10.43 crores, one fertiliser co-operative with an assistance of Rs. 15.00 crores and one for setting up an industrial complex, with an assistance level of Rs. 2 crores. The aggregate assistance sanctioned to industrial co-operatives in 1986-87 was higher by 3.7% over the assistance sanctioned to industrial co-operatives in 1985-86.

2.37 Cumulatively, upto the 30th June 1987, IFCI had sanctioned assistance of the order of Rs. 379.43 crores to 301 projects in the co-operative sector, against which, Rs. 341.28 crores (89.9%) had already been disbursed. Table 8 gives the industry-wise classification of assistance sanctioned and distributed to industrial co-operatives upto the 30th June, 1987.

*According to the information received, the Central Government have extended the validity of the existing scheme till the 31st January 1988.

Table 8 : Assistance to Industrial Co-operatives (1948-87)

(Rs. crores)

Nature of Industry	No. of Projects	Amount sanctioned Rs.	Amount disbursed Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)
Sugar	200	224·25	217·73
Textiles	86	84·90	71·23
Jute	1	0·79	0·79
Paper	4	4·45	4·34
Fertilisers	4	47·75	42·60
Synthetic fibres	2	13·00	2·50
Vegetable oil	1	0·22	0·22
Cocoa processing	1	1·87	1·87
Chemicals	1	0·20	—
Industrial Estate	1	2·00	—
Total	301	379·43	341·28

(b) *Assistance to the Corporate Sector*

2.38 Assistance to the Corporate Sector, during the year, aggregated Rs. 807.71 crores for 530 projects. The private sector which has always been the largest beneficiary of the financial assistance from IFCI claimed assistance of the order of Rs. 620.65 crores (72.8% of the total) for 428 projects which was higher by 55.5% over the assistance of Rs. 399.23 crores sanctioned to 284 projects last year.

2.39 In the joint sector, while the number of projects claiming assistance during the year was 62 compared to 40 in the last year, the amount of assistance sanctioned aggregated Rs. 93.35 crores, as against Rs. 97.68 crores sanctioned in 1985-86. Assistance to projects in the public sector numbering 40 was Rs. 93.71 crores as against 21 projects with an assistance level of Rs. 38.86 crores last year. This showed an increase of 141.1%.

2.40 Cumulatively, the share of assistance of corporate sector projects in IFCI's total assistance portfolio as on the 30th June, 1987 was 90.6%, the share of private, joint and public sector projects *inter-se* being 66.4%, 13.2% and 11.0% respectively. The cumulative disbursement against the aggregate assistance sanctioned to the corporate sector worked out to 69.5%.

Industry-wise Coverage of Assistance

2.41 Industry-wise coverage of assistance during the year and cumulatively upto the 30th June, 1987 is given in Table 9 below.

Table 9 : Industry-wise Coverage of Assistance

(Rs. crores)

Industry	1986-87 (July-June)			Cumulative up to the 30th June, 1987		
	No. of Projects	Amount sanctioned Rs.	% to the total	No. of Projects	Amount sanctioned Rs.	% to the total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sugar :						
Co-operatives	13	17·88	2·1	200	224·25	5·5
Others	11	12·42	1·4	72	70·73	1·8
Textiles	106	85·60	10·0	496	533·98	13·2
Jute manufacturers	2	1·36	0·2	28	20·82	0·5
Chemicals :						
Basic chemicals	26	40·65	4·8	120	254·01	6·3
Fertilisers & pesticides	17	79·37	8·2	64	266·35	6·6
Synthetic fibres	12	51·30	6·0	51	232·45	5·8
Synthetic resins, plastic, materials and products	14	12·45	1·5	61	69·49	1·7
Other chemicals & chemical products	35	43·62	5·1	120	124·23	3·1
Cement	30	61·02	7·1	138	416·47	10·3
Paper & Paper products	17	15·99	1·9	110	195·38	4·8
Rubber products	5	8·41	1·0	37	71·79	1·8
Iron & steel	37	55·68	6·5	167	260·49	6·4
Machinery	24	26·97	3·2	139	138·77	3·4
Transport equipment & parts	31	69·02	8·1	122	215·60	5·3
Electrical machinery & appliances (Including Electronics)	53	123·30	14·5	162	255·28	6·3
Non-ferrous metals	4	7·39	0·9	35	71·19	1·8
Non-metallic mineral products	26	33·91	4·0	92	149·32	3·7
Hotels	19	19·08	2·2	63	80·76	2·0
Miscellaneous other Industries	74	96·60	11·3	264	391·22	9·7
Total	556	853·02	100·0	2,541	4,042·58	100·0

2.42 Industries of high national priority and other selected industries of importance (generally known as Appendix-I industries to Industrial Policy Statement of 2nd February, 1973 as amended from time to time) accounted for 78.9% of the total assistance sanctioned during the year. By and large, more than 80% of the assistance sanctioned by IFCI during the decade (1977-87) had gone to industries of high national priority and other selected industries of importance.

2.43 Industries which claimed a significant share in IFCI's assistance portfolio during 1986-87 were : electrical machinery, appliances and parts including electronics (14.5%), textiles (10.0%), chemicals and chemical products (9.9%), fertilisers & pesticides (8.2%), transport equipment and parts (8.1%), cement (7.1%), iron and steel (6.5%), synthetic fibres (6.0%), miscellaneous food products (4.2%), sugar (3.6%), etc. By and large, it may be said that electronics, transport equipment and food products have started taking a significant position in the industrial scene of the country. The textile industry, during the year, took considerable advantage under the Textile Modernisation Fund Scheme and it also took a good position project-number-wise in IFCI's assistance portfolio in 1986-87.

2.44 In the cumulative picture, textiles, cement and chemicals and chemical products emerged as the largest beneficiaries of IFCI's assistance having claimed together 32.9% of assistance in IFCI's total assistance portfolio followed by sugar (7.3%), fertilisers and pesticides (6.6%), iron & steel (6.4%), electrical machinery & appliances (6.3%), synthetic fibres (5.8%), transport equipment (5.3%), paper (4.8%), etc.

2.45 The industry-wise distribution of assistance sanctioned during the year 1986-87 as also cumulative assistance as on the 30th June, 1987, according to the use-based classification of products, is given in Table 10.

2.46 Compared with the previous year, there was phenomenal increase of 250.3% in the share of assistance claimed by capital goods industries in 1986-87, followed by increase of 143.7% in service industries, 97.1% in consumer goods industries and 28.3% in intermediate goods industries. The increase in the number of assisted projects was highest during the year in consumer goods industries, viz., 88.4%, followed by service industries 69.2%, capital goods industries 68.7%, intermediate goods industries 56.5% and basic industries 6%.

Table 10 : Industry-wise Distribution of Assistance according to use-based classification of products

(Rs. crores)

Industry	1986-87 (July-June)			Cumulative up to the 30th June, 1987		
	No. of Projects	Amount sanctioned Rs.	% to the total	No. of Projects	Amount sanctioned Rs.	% to the total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Basic industries						
(viz., basic metal industries, basic industrial chemicals, fertilizers, cement, mining, power generation, etc.)	122 (115)	249·30 (276·41)	29·2 (47·7)	555 (509)	1,406·77 (1,167·34)	34·8 (36·1)
Capital goods industries						
(viz. machinery and accessories, electrical machinery and appliances, transport equipment, etc.) .	108 (64)	219·29 (62·60)	25·7 (10·8)	423 (345)	609·65 (400·31)	15·1 (12·4)
Intermediate goods industries						
(viz., chemical products, metal products, non-metallic mineral products, jute, tyres and tubes, etc.)	108 (69)	175·09 (136·44)	20·5 (23·5)	479 (430)	770·37 (610·63)	19·0 (18·9)
Consumer goods industries						
(viz., sugar, other food products, cotton/woollen textiles, paper and other miscellaneous industries)	196 (104)	186·63 (94·68)	21·9 (16·4)	1,020 (929)	1,174·89 (990·82)	29·1 (30·6)
Service industries						
(viz., hotels, medical services, shipping, etc.)	22 (13)	22·72 (9·32)	2·7 (1·6)	64 (59)	80·90 (62·5)	2·0 (2·0)
total	556 (365)	853·02 (579.45)	100·0 (100.0)	2,541 (2,272)	4,042·58 (3,231·67)	100·0 (100·0

Note : Figures in brackets relate to the previous year, or are as on the 30th June, 1986.

State-wise Spread of Assistance

2.47 The State-wise spread of IFCI's assistance in 1986-87 and cumulatively upto the 30th June, 1987 is set out in Table 11.

Table 11 : State/Territory-wise Spread of Assistance

(Rs. crores)

State/Territory	1986-87 (July-June)			Cumulative up to the 30th June, 1987		
	No. of Projects	Amount sanctioned Rs.	% to the total	No. of Projects	Amount sanctioned Rs.	% to the total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Andhra Pradesh	60	143·30	16·8	223	433·71	10·7
Arunachal Pradesh	—	—	—	1	0·16	—
Assam	9	8·87	1·0	28	36·81	0·9
Bihar	9	15·33	1·8	68	82·69	2·1
Goa	3	4·15	0·5	14	15·91	0·4
Gujarat	74	98·00	11·5	246	458·34	11·3
Haryana	24	29·67	3·5	116	132·92	3·3
Himachal Pradesh	9	7·17	0·8	29	39·95	1·0
Jammu & Kashmir	3	7·54	0·9	18	21·65	0·5
Karnataka	32	28·30	3·3	179	233·01	5·8
Kerala	11	15·87	1·9	72	98·40	2·4
Madhya Pradesh	26	58·00	6·8	106	195·76	4·8
Maharashtra	73	112·40	13·2	442	597·91	14·8
Meghalaya	1	1·71	0·2	4	5·25	0·1
Nagaland	—	—	—	3	2·09	0·1
Orissa	12	21·76	2·5	58	121·38	3·0
Punjab	32	44·87	5·2	107	192·96	4·8
Rajasthan	32	28·32	3·3	111	225·59	5·6
Sikkim	—	—	—	2	1·90	—
Tamil Nadu	38	45·57	5·3	215	314·85	7·8
Tripura	1	1·47	0·2	2	2·63	0·1
Uttar Pradesh	70	153·14	18·0	286	590·88	14·6
West Bengal	23	15·07	1·8	163	175·88	4·4
Andaman & Nicobar Islands	—	—	—	1	0·91	—
Chandigarh	1	0·75	0·1	3	1·30	—
Dadra & Nagar Haveli	1	0·65	0·1	3	2·14	0·1
Delhi	7	6·32	0·7	26	41·48	1·0
Pondicherry	5	4·79	0·6	15	16·12	0·4
Total	556	853·02	100·0	2,541	4,042·58	100·0

2.48 During the year-quantum-wise, the States of Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh claimed first five positions in IFCI's assistance portfolio, though, project-number-wise, the first five positions were taken by Gujarat, Maharashtra, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh and Tamil Nadu.

2.49 Compared with the previous year, the States of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Jammu & Kashmir, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Meghalaya and Orissa were able to improve their shares in IFCI's total assistance during the year.

2.50 The States of Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Nagaland, Sikkim and the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, Daman & Diu, Lakshdweep did not obtain any assistance from IFCI during 1986-87 for want of application for financial assistance from these States/Union Territories : otherwise, in almost every State/Union Territory, the assistance both quantum-wise and project-number-wise, showed a significant increase in 1986-87. In respect of Punjab, not only there was increase in the quantum of assistance from Rs. 39.20 crores in 1985-86 to Rs. 44.87 crores in 1986-87, but the number of projects getting assistance also went up from 26 in 1985-86 to 32 in 1986-87. The Institutions continued their policy of according preferential treatment, concessional assistance for new industries in Punjab and this facility was agreed to be extended upto the 31st March, 1988.

2.51 Cumulatively, the States of Maharashtra, Uttar Pradesh, Gujarat, Andhra Pradesh and Tamil Nadu occupied the first five positions in IFCI's total assistance portfolio as on the 30th June, 1987. The next in order were Karnataka, Rajasthan, Madhya Pradesh, Punjab and West Bengal.

Plan-wise sanctions and disbursements

2.52 During the Sixth Plan period (1980-85), IFCI's total sanctions and disbursements amounted to Rs. 1,510.51 crores and Rs. 1,119.84 crores, which were higher by 156.1% and 189.2% respectively over those in the Fifth Five Year Plan period and subsequent two years, viz., 1978-79 and 1979-80. In 1985-86 and 1986-87, the first two years of the Seventh Plan period, the total sanctions and disbursements of IFCI were higher by 210.9% and 186.0% over relative figures of the first two years of the Sixth Plan period..

Investment Operations

2.53 IFCI sanctioned during the year, the facility of underwriting of equity shares to 123 concerns for an aggregate amount of Rs. 52.48 crores and of debentures to 3 concerns for a total amount of Rs. 2.10 crores. This was 36.0% higher than the total underwriting facility sanctioned last year. There was also a marked increase of 72.6% in the number of concerns sanctioned underwriting facility during 1986-87 over the last year.

2.54 The sanctions relating to direct subscription during the year also showed a significant increase over the previous year's record. While in 1985-86 the sanctions relating to direct subscription of shares amounted to Rs. 0.41 crore for 6 concerns, in 1986-87, the sanctions for direct subscription

amounted to Rs. 2.06 crores towards shares of 14 concerns indicating a rise of 402.4% in the total amount and 133.3% in the number of concerns.

2.55 During the year, 51 issues of shares and one equity-linked debenture issue underwritten by IFCI for Rs. 24.33 crores in aggregate were placed on the market. The shares devolved on IFCI, pursuant to the underwriting obligations, amounted to Rs. 7.73 crores. In addition, IFCI actually subscribed to shares and debentures of 22 companies amounting to Rs. 6.69 crores, as against Rs. 0.98 crore in 1985-86.

2.56 Keeping in view the significant increase in the cost of public issues in recent years and the difficulties faced by smaller new companies in raising capital through public issue, IFCI as at the close of the year, decided, along with other Financial Institutions, to raise the limit of direct subscription facility to equity capital in lieu of public issue to such companies by Institutions from the existing limit of Rs. 50 lakhs to Rs. one crore.

2.57 With a view to regulating orderly functioning of capital market and providing encouragement to the industry, the Government of India, during the year, reviewed and issued fresh/supplementary guidelines relating to underwriting of capital issues, issue of bonus shares, sale of existing shares/issued capital, issue of debentures by public limited companies, procedure governing privately placed debentures with Financial Institutions, servicing of debentures, protection of interest of the debenture holders, creation of Debenture Redemption Reserve, listing of securities, etc.

2.58 As one of the initial subscribers of the Shipping Credit and Investment Corporation of India Ltd. (SCICI), IFCI subscribed to its equity share capital to the extent of Rs. 5.00 crores against which Rs. 2.50 crores were paid during the year. IFCI also subscribed to the initial share capital of Hindustan Oil Exploration Company Ltd. (HOEC) to the extent of Rs. 10.00 lakhs. SCICI is expected to provide the finance to the shipping industry, while HOEC is expected to intensify the oil exploration work in the country.

Convertibility Guidelines

2.59 There was no change during the year in the convertibility guidelines issued by the Government earlier.

2.60 In respect of sanctions accorded during the year, convertibility clause was stipulated as per extant guidelines in 80 cases. The convertibility right was exercised during the year in 8 cases and waived in 36 cases.

2.61 Cumulatively, since the introduction of convertibility guidelines, IFCI had stipulated the convertibility clause in 1,125 cases, had exercised the convertibility option in 114 cases and had waived the same after taking into account all the relevant factors, in 439 cases.

Nominee Directors

2.62 During the year, IFCI appointed/replaced nominee directors (officials as well as non-officials) on the Boards of 229 assisted concerns, including 76 concerns where fresh appointments/rotational changes were made. Of the total number of 2,077 concerns assisted by IFCI, IFCI was lead in 834 cases. Of these, IFCI had appointed upto the 30th June, 1987, 298 nominees on the Boards of 576 assisted concerns, of which, 138 were officials and 160 were non-officials.

2.63 The Nominee Directors Cell constituted by IFCI in terms of the guidelines issued by the Government continued to devote its due attention to monitoring of the assisted concerns and act as an effective link between IFCI and the concerned nominee directors.

2.64 The system of nomination of directors by Financial Institutions was also reviewed during the year by the Parliamentary Committee on Public Undertakings (COPA) in their 27th Report. The Committee made certain recommendations/suggestions with regard to the system, which were under examination of the Government and of the Financial Institutions as at the close of the year.

Rates of Interest

2.65 There was no change in the basic lending rate of interest applicable to Rupee loans, during the year. However, effective from the 1st December, 1986, the rates of interest to be charged on the foreign currency loans covered by the loan agreements executed by the borrower concerns on or after the 1st December, 1986, were reduced as under :—

— Floating rate of Dollar Loan	:LIBOR plus 1.5% per annum
— DM Sub-loans again KFW Lines of Credit and DM Revolving Funds	: 9.5% per annum
— Sub-loans in Japanese Yen	: 8.5% per annum

2.66 With a view to bringing uniformity in the practice of computation of interest, it was decided to compute interest in all cases (whether rupee loans or sub-loans in foreign currencies) on actual number of days basis, taking 365 days a year factor.

Amendments to General Regulations of IFCI

2.67 During the year, certain amendments were carried out to IFCI General Regulations, 1982 after obtaining the prior approval of Industrial Development Bank of India in terms of Section 43 of the IFC Act, 1948. The important amendments related to (a) the number of shareholders for the purpose of quorum at the Annual General Meeting/Special General Meeting and (b) providing for election of auditors by the shareholders, other than IDBI, out of panel of auditors approved by the Central Government/Reserve Bank of India. The quorum at the Annual General Meeting or any other Special General Meeting is now 1/3rd of the shareholders, or five shareholders, whichever is less, entitled to vote at such meeting duly present by proxy or by authorised representative at the commencement of such meeting. The other amendments and changes were either clarificatory explanatory or pertained to minor changes of editing nature.

Sanctions accorded in Public Interest

2.68 During the year, there was no case, where, because of Director(s) being interested in terms of Section 26(2) of the IFC Act, 1948, IFCI had to sanction assistance in 'public interest' in terms of Industrial Finance Corporation of India (Transaction of Business with Specified Industrial Concerns) Regulations, 1982.

Economic and Social Impact of IFCI's Operations

2.69 IFCI's operations reflect in a small but significant measure the pattern of industrial development and the structural changes that have taken place during the era of the planned economic development in the country. More than the quantum of assistance of the number of projects assisted by IFCI is its catalytic role, which has been instrumental in overall resource mobilisation of Rs. 32,558.91 crores for the completion of 2,541 projects assisted upto the 30th June 1987.

2.70 IFCI's operations in 1986-87, according to a study made of the funding pattern of 446 projects (excluding 110 cases of sanctions of additional assistance during 1986-87 for financing purely overrun in the cost of projects, etc.) reveals that IFCI's assistance helped in mobilising resources for investment in such industrial projects to the extent of Rs. 5,013.60 crores as per details given in Table 12.

2.71 From the direct economic contribution point of view, a study of 236 out of 243 new and expansion/diversification projects assisted by IFCI in 1986-87 indicates that IFCI's assistance, during the year, is expected to create substantial capacities in a wide variety of industries. The aforesaid projects are expected to create direct employment for about 54,720 persons. The value of annual output from these projects is estimated to be in the range of Rs. 4,502.94 crores. The gross valued added is likely to be of the order of Rs. 1,593.06 crores, which indicates the contribution of these projects to the Gross National Product of the country. The remaining seven projects which pertain to laying of pipeline

for transport of natural gas in Assam, acquiring off-shore deep drilling rigs to be placed on charter hire with Oil & Natural Gas Commission for exploration and development of oil and natural gas in Maharashtra, development of an electronics complex, an industrial complex and a leather complex in West Bengal, Gujarat and Punjab respectively and for providing medical health services in Tamil Nadu are also expected to make a significant economic contribution in their respective fields. A detailed statement in this regard is annexed *vide* Appendix III.

Table 12 : Funding Pattern of Projects Assisted by IFCI

(Rs. crores)

Financing Pattern	New Projects	Expansion/ diversification projects	Modernisation projects	Assistance for rehabilitation, balancing equipment, etc.	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Number of Projects	203	40	135	68	446
(i) Promoters' contribution —Share Capital	549·70 (15·9%)	102·87 (19·5%)	29·53 (3·8%)	10·38 (4·2%)	692·48 (13·8%)
—Unsecured subordinated loans	9·40 (0·3%)	12·65 (2·4%)	7·86 (1·0%)	3·68 (1·5%)	33·59 (0·7%)
Internal accruals, etc.	138·67 (4·0%)	89·41 (17·0%)	168·70 (21·5%)	50·95 (20·8%)	447·73 (8·9%)
(ii) Assistance by term lending Institutions viz., IFCI, IDBI, ICICI & IRBI					
—Loans and Advances	1,882·63 (54·5%)	286·37 (54·3%)	532·93 (67·7%)	124·02 (50·5%)	2,825·95 (56·4%)
—Equity Support	219·02 (6·3%)	6·58 (1·1%)	6·81 (0·8%)	2·83 (1·2%)	234·34 (4·7%)
(iii) Assistance by investment Institutions, viz., LIC, GIC & UTI					
Loans & Advances	19·40 (0·5%)	0·90 (0·2%)	9·53 (1·2%)	11·22 (4·6%)	41·05 (0·8%)
Equity support	82·23 (2·4%)	—	2·60 (0·3%)	—	84·83 (1·7%)
(iv) (a) Assistance by Banks (term finance)	151·14 (4·4%)	8·69 (1·6%)	10·84 (1·4%)	14·34 (5·8%)	185·01 (3·7%)
(b) Equity support by Banks etc.	123·90 (3·6%)	0·57 (0·1%)	1·38 (0·2%)	1·18 (0·5%)	127·03 (2·5%)
(v) (a) Assistance by State-level Institutions	6·53 (0·2%)	1·00 (0·2%)	— (—)	0·10 (—)	7·63 (0·1%)
(b) Equity Support	23·12 (0·7%)	— (—)	— (—)	— (—)	23·12 (0·5%)
(vi) Rights Issues	43·57 (1·2%)	8·17 (1·5%)	6·05 (0·8%)	1·50 (0·6%)	59·29 (1·2%)
(vii) Deferred Payments	(—)	7·28 (1·4%)	1·70 (0·2%)	0·25 (0·1%)	9·23 (0·2%)
(viii) Loans from Foreign Institutions	105·40 (3·1%)	— (—)	— (—)	— (—)	105·40 (2·1%)
(ix) Others	99·85 (2·9%)	3·54 (0·7%)	8·50 (1·1%)	25·03 (10·2%)	136·92 (2·7%)
Total	3,454·56 (100%)	527·13 (100%)	786·43 (100%)	245·48 (100%)	5,013·60 (100%)

Notes : 1. Figures in brackets denote percentages to the total.

2. The above exclude the cases of sanction of assistance for meeting the over-run in the cost of projects, etc.

Impact of IFCI's Assistance to Projects in Backward Districts

2.72 Around 50% of IFCI's assistance every year has been going to projects set up in backward areas (including No-Industry Districts). New projects costing upto Rs. 50 crores and set up in No-Industry Districts, apart from being provided concessional finance, are also being provided loans for the development of 'project-specific infrastructure' interest-free during the construction period. After the project has gone into production, the 'project-specific infrastructure loan' which is limited to 20% of the project cost or Rs. 5.00 crores, whichever is lower, carries the prevailing concessional rate of interest on Rupee loans for projects in backward areas. No promoters' contribution is expected in respect of expenditure on project-specific infrastructure. Further, project-specific infrastructure loan is over and above the project finance loan, in other words, a new project being set up in No-Industry District can avail itself of concessional finance upto a maximum of Rs. 10 crores, Rs. 5.00 crores for project finance and another Rs. 5.00 crores for project-specific infrastructure development. The economic and social impact of IFCI's assistance to projects in No-Industry Districts/

other industrially backward areas can be judged by the 'developmental consciousness' created by these projects in improving the economic welfare of the local people and strengthening of the social infrastructure. The projects in these backward areas have provided not only the direct employment, but more significantly considerable indirect employment as well, by establishment of a number of tiny and small scale units and varied business shops, repair services, etc.

Impact of IFCI's Assistance to Projects in the Co-operative Sector

2.73 It would be no exaggeration to state that co-operative movement took roots in the industry with the advent of IFCI. By now, more than 300 industrial co-operatives are in the IFCI's assistance portfolio which have been provided assistance of the order of Rs. 379.43 crores. While, Maharashtra has been fore-runner in the history of co-operative movement in the industrial sector, it is a matter of considerable satisfaction for IFCI that through its support and priority treatment accorded to co-operative sector ventures, co-operative movement has gathered momentum in other States as well. Presently, out of 301 co-operatives in IFCI's portfolio, while 108 are in Maharashtra, 39 in Uttar Pradesh, 27 in Karnataka, 24 in Andhra Pradesh, 23 in Gujarat, 19 in Tamil Nadu, 15 in Punjab, 10 in Orissa, 8 in Haryana, 5 each in Assam, Bihar and Madhya Pradesh, 4 each in Kerala and Rajasthan, 2 in West Bengal, 2 in Pondicherry and one in Goa. Since almost all the co-operatives in the industrial sector are either agro-based or provide inputs to agriculture, IFCI has been able to develop, by providing impetus to the co-operative movement in the industry, a good nexus between agriculture and industry, besides inducing economic growth, in general, of rural areas.

2.74 Industrial co-operatives set up in rural and/or semi-urban areas have brought a sea-change in the economy of the area by providing improved roads, better irrigation facilities, provision of drinking water, establishment of schools and health centres, apart from strengthening the villagers' faith in the co-operative movement and mobilising the savings of the agricultural sector for productive purposes. Sugar co-operatives have been instrumental in promoting a number of ancillary and associate industries like distilleries for the manufacture of industrial alcohol, confectionary units, bagasse-based paper plants or production of mixed and granulated fertilisers, etc. Textile spinning co-operatives have afforded opportunities for the development of the handloom sector in the rural and semi-urban areas. The spread of the co-operative movement in many other industries like jute, fertilisers, synthetic fibres, vegetable oil, cocoa processing, paper, development of industrial estates etc., is an eloquent testimony to the success and strengths achieved by the medium and large-sized industrial co-operatives all over the country during the last four decades, with substantial financial assistance from IFCI.

(B) RESOURCES

2.75 The resources of IFCI comprise its share capital, reserve, repayment of loans by the borrowers, and sale/redemption of investments, borrowings from the market by issue of bonds, loans from IDBI and the Central Government, foreign credits secured from foreign financial institutions and borrowings in the international capital markets. Developments on the resources scene of IFCI in 1986-87 are reported below.

Share Capital

2.76 The Central Government in terms of sub-section (1B) of Section 4 of IFC Act, 1948, allowed, during the year, the Authorised Capital of IFCI to be raised from Rs. 50 crores to Rs. 100 crores. It also allowed the issue of additional share capital to the extent of Rs. 12.50 crores. Accordingly, during the year, in the eleventh series of shares issued last year, the balance amount of Rs. 2,500 per share was called and additional issue of share capital (twelfth series) for an amount of Rs. 12.50 crores was made in which, Rs. 3000/- per share was called up. The paid-up capital of IFCI as on the 30th June, 1987 was Rs. 57.50 crores as against Rs. 45.00 crores at the end of June, 1986.

Reserves

2.77 With the transfer of Rs. 37.81 crores out of the profits for the year ended the 30th June, 1987 and after providing for net increase in the Interest Diffrenetial Funds (IDFs) to the extent of Rs. 1.16 crores and after taking into consideration the utilisation of the Benevolent Reserve Fund (BRF) to the extent of Rs. 1.68 crores, the reserves of IFCI increased from Rs. 144.88 crores to Rs. 182.17 crores. This exceeded the paid-up capital of IFCI by Rs. 124.67 crores.

Repayment of the Loans and Sale/Redemption of Investments

2.78 During the year, the net cash receipts on account of repayment of principal made by the borrowers amounted to Rs. 111.52 crores as against Rs. 101.11 crores in the previous year.

2.79 The receipts from sale/redemption of investments amounted to Rs. 1.50 crores during the year, as against Rs. 2.29 crores in the previous year.

2.80 With in the total receipts on account of (a) repayment of loans by the borrowers, (b) sale/redemption of investments, (c) loans converted into equity shares to the extent of Rs. 2.19 crores, aggregating Rs. 115.21 crores, the increase in 1986-87 over the previous year receipts of the order of Rs. 103.21 crores worked out to 11.6%.

Bond Issues

2.81 For augmenting its rupee resources, IFCI made three public issues of Bonds, viz., 11% Bonds 2,001 (45th Series) for Rs. 145.50 crores on the 25th November, 1986, 11% Bonds 2,002 (46th Series) for Rs. 36.75 crores on the 10th March, 1987, and 11% Bonds 2,002 (47th Series) for Rs. 100 crores on the 27th May, 1987. All the three issues were fully subscribed and including permissible extra subscription over the above amounts of the issues, which could be retained by IFCI, the total funds mobilised by issue of bonds during the year amounted to Rs. 310.20 crores as against Rs. 300.68 crores raised through bonds during the previous year.

2.82 Cumulatively, upto the end of June, 1987, IFCI had raised an amount of Rs. 1,863.69 crores by way of market borrowings through 47 series of Bond Issues. Bonds with the face value of Rs. 267.03 crores had been redeemed uptil the 30th June, 1987.

Borrowings from IDBI and the Central Government

2.83 No loans were raised either from IDBI or from the Central Government during the course of the year. However, Rs. 7.50 crores and Rs. 0.68 crore were repaid to IDBI and the Central Government respectively, during the year, with the result that net outstanding borrowings from IDBI and the Central Government came down from Rs. 77.75 crores and Rs. 2.76 crores to Rs. 70.25 crores and Rs. 2.08 crores respectively as on the 30th June, 1987.

2.84 Insofar as the loans portion under the Interest Differential Funds (IDFs) is concerned, during the year, a sum of Rs. 0.73 crore was obtained from the Central Government and a sum of Rs. 0.38 crore was repaid on this account. Thus, the total loans portion of IDFs repayable to the Central Government aggregated Rs. 6.97 crores as on the 30th June, 1987 as against Rs. 6.62 crores as on the 30th June, 1986.

Foreign Currency Borrowings

2.85 During the year, Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau (KFW), Federal Republic of Germany allocated 25th Line of Credit of DM 30 million bringing the total amount of DM lines of Credit from KFW to 357.500 million, against which IFCI had sanctioned sub-loans to eligible industrial concerns aggregating DM 334.408 million upto the 30th June, 1987. In addition, sub-loans for DM 136.013 million had been sanctioned from and out of DM Revolving Fund which represented the amounts recovered from the DM sub-borrowers and converted with the approval of the appropriate authorities into DM, pending repayment of the same to KFW. As on the 30th June, 1986, the outstanding balance of DM Lines of Credit availed of by IFCI from KFW was DM 197.671 million. During the year, a sum equivalent to DM 15.443 million was availed of and an amount of DM 6.527 million was repaid. Outstanding amount against borrowings in DM from KFW as on the 30th June, 1987 was DM 206.587 million equivalent to Rs. 145.43 crores at TT Selling rate prevailing on the 30th June, 1987.

2.86 A mention was made in the last year's Report about IFCI sharing the bond proceeds of DM 15 million with IDBI.

This amount was fully committed and an amount of DM 3.646 million had already been disbursed till the 30th June, 1987 out of this source.

2.87 During the year, IFCI raised Pound Sterling Loan swapped into US $ 50 million on the 24th October, 1986 from S. G. Warburg & Co., London (U.K.). This loan carried interest at the rate of 3/16% below LIBOR. This loan had also been fully committed to the sub-borrowers as on the 30th June, 1987.

2.88 The net cumulative commercial borrowings in foreign currencies as on the 30th June ,1987 stood at US $ 100 million, Japanese Yen 15 billion and DM 15 million.

Uses of Funds

2.89 The total requirement of funds for disbursement of assistance redemption of bonds, repayment of borrowings, payment of dividend and tax, and for other uses inclusive of closing cash balance aggregated Rs. 808.08 crores in 1986-87. The aforesaid requirement of funds was met by (i) increase in the paid-up share capital to the extent of Rs. 12.50 crores, (ii) generation of profit before tax of Rs. 61.62 crores, (iii) recoveries of principal amount of loans from borrowers and sale of investments etc., to the extent of Rs. 115.21 crores, (iv) borrowings from market by way of bonds of Rs. 310.20 crores, (v) borrowings in foreign currency equivalent to Rs. 96.53 crores, (vi) receipt of Rs. 3.14 crores under IDFs from Government and (vii) opening cash balance of Rs. 208.88 crores.

Outstandings and Overdues

2.90 As at the end of 30th June, 1987, loan assistance of Rs. 2,117.10 crores was outstanding from 1,604 concerns. The holdings of IFCI in shares and debentures of assisted companies were of the order of Rs. 72.83 crores and guarantees for an aggregate amount of Rs. 21.93 crores were in force.

2.91 Against the outstanding loan assistance as at the end of the year, 260 concerns were in default with total overdues (comprising principal Rs. 55.04 crores and interest Rs. 23.72 crores) aggregating Rs. 78.76 crores. These overdues formed about 3.7% of IFCI's total outstanding loans portfolio as on the 30th June, 1987.

2.92 Recovery ratio during tkhe year was also higher but marginally by 1%. This was, of course, on the top of improvement by about 7 percentage points already achieved in the recovery rate last year.

2.93 To enable the lead institution to devote greater attention to monitoring the affairs of the assisted concerns including recovery of dues, the concept of ABC analysis in respect of assisted concerns was introduced and they were put in various categories depending upon their health and status. The 'Single Point Collection System' which was introduced, during the year, it is expected, would also help the Lead Institution in ensuring that the dues of not one but all the involved Institutions are paid by the assisted concerns in time and are shared on a prorata basis. Vigorous follow-up measures were initiated to lay greater emphasis on the category of wilful defaulters. The Regional, Branch and other Offices of IFCI were actively involved in achieving recovery targets and also undertaking site visits so as to recovery outstanding dues and/or to assimilate and appreciate the genuine difficulties of the assisted concerns to be followed by formulation of need-based action plans. Adequate liaison was also maintained with the nominee directors on the Boards of assisted concerns so that they could take up the matter of payment of dues of Institutions and of the Government at the Board level.

Rehabilitation Programmes

2.94 The units which were facing long-term problems were intensively monitored for rehabilitation/revival by the Rehabilitation Finance Department (RFD) of IFCI. During the year, RFD evolved rehabilitation schemes in respect of four IFCI lead cases, approved/brought out changes in controlling interests/management in four IFCI lead cases and reached arrangements for settlement of dues based on certain reliefs and concessions in two cases. Rehabilitation schemes based on implementation of modernisation programmes and sanction of additional financial assistance together with package of reliefs and concessions were finalised in 7 cases, and in 11 cases, IFCI had to recall loans with a view to safeguarding and protecting the interests of the lending institutions and itself. In other cases, rehabilitation programmes or appropriate course of action were in the process of being formulated/sorted out by the concerned lead institution jointly with other institutions.

Measures to combat Sickness

2.95 A mention was made in the last year's Report about the enactment of Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act 1985, considered to be a landmark in the Government's policy to combat the problem of growing sickness in the industry. During the year, the provisions of the said Act, other than those relating to Sections 15 to 34, came into force from the 12th January, 1987 and those pertaining to Sections 15 to 34 from the 15th May, 1987. The Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) also became fully operational with effect from the 15th May, 1987.

2.96 BIFR had meetings with the Heads of Financial Institutions, Banks and State-level Financial Corporations for working out the modalities for referring sick units to the BIFR and for taking remedial/corrective action and finalisation of revival packages. In the light of these discussions, detailed guidelines were issued by Reserve Bank of India to commercial banks listing the measures to be adopted by them in the matter of revival of sick units. Similar procedure was evolved by the Rehabilitation Finance Department of IFCI to be followed in respect of sick cases.

2.97 On the 27th April, 1987, BIFR came out with its Rules and Regulations and on the 27th May, 1987, BIFR specified IFCI alongwith other Financial Institutions, as one of the operating agencies in terms of the provisions of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 and Board for Industrial and Financial Reconstruction Regulations, 1987.

Co-ordination between Banks and Financial Institutions

2.98 During the year, Reserve Bank of India issued guidelines for ensuring effective co-ordination between Banks and Financial Institutes in the matter of provision of financial assistance, evaluation of working capital requirements, etc., to industries in the small as well as medium and large scale sector. Further with a view to smoothening the process of co-ordination between Banks and Financial Institutions, RBI issued detailed guidelines to commercial banks setting out, parameters 'inter-alia', for provision of reliefs and concessions to be followed by banks under rehabilitation packages evolved for sick units considered potential viable. As a follow-up measure and in accordance with the consensus evolved at the first meeting of National Finance & Credit Council (NFCC) held on the 24th December, 1986, RBI constituted a Working Group in January, 1987 to examine the present system and norms relating to advances made both to healthy and sick units by banks in consortium with or without participation of Financial Institutions and to make appropriate recommendations from the viewpoint of speeding up the decision making process and ensuring availability of timely and adequate credit to borrowers. This Group initially concentrated on the problems of co-ordination between Financial Institutions and Banks in the rehabilitation of sick industrial units. Based on the recommendations of this Group, on the 25th June, 1987, RBI issued detailed guidelines to commercial banks to ensure co-ordination with Financial Institutions and quick implementation of agreed packages for turnaround of sick units. A very significant role has been envisaged under the new guidelines issued by RBI for the 'lead-bank' and 'lead Financial Institution in the area of monitoring the working of the medium and large industrial units and implementation of rehabilitation programmes in case of potentially viable sick units, as might be agreed to in accordance with the provisions of Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985.

Industry Viability/Market Studies

2.99 Experience has proved that 'market' plays a dominating role either in making or marring an industrial project. Even for a realistic appraisal of the project, information about its viability parameters and market is absolutely essential. Financial Institutions, therefore, have been carry-

ing out industry viability/market studies pertaining to various industries from time to time so that the strategies for financing new units or of supporting expansion and diversification programmes of the existing units in related areas, could be evolved.

2.100 During the year, the Institutions, under the lead of IDBI, undertook several market evaluation studies on various products in industries like Paper, Cement, Sugar, Caustic Soda, Explosives, HDPE/PP Woven Sacks, EPABX systems, Push Button Telephone Instruments, Fluorescent Tubes and Lamps, Multi-wall Paper Sacks, Medium Density Fibre Boards, Disposable Syringes/Collapsable Plastic Tubes, Ceramic Tiles, Edible grade Rice Bran Oil, Computers, Light Commercial Vehicles, Automobile Tyres, Ball Bearings, Tools Steel, Fishery, Soyabean Processing, Sheet Glass, etc. Some of the aforesaid studies, particularly relating to Sugar, Soyabean Processing, Sheet Glass, etc., were carried out by IFCI.

2.101 Endeavours are now being made to further strengthen the Market Intelligence Division of IFCI to build up even more streamlined computerised product/industry-wise information data base to cater to the needs of Project Appraisal Department and providing opportunity guidance to new entrepreneurs/enterprises.

(C) WORKING RESULTS

2.102 From the audited accounts comprising Profit & Loss Account for the year and the Balance Sheet as at the 30th June, 1987, which are annexed to this Report, it would be observed that the pre-tax profit of IFCI for the year amounted to Rs. 61.62 crores as against Rs. 48.81 crores for 1985-86 which showed an increase of 26.2%. The net profit for the year 1986-87, after providing Rs. 18.14 crores for taxation amounted to Rs. 43.48 crores as against Rs. 34.18 crores for 1985-86. This was 27.2% higher than the previous year's net profit.

2.103 The appropriations out of the net profit made by the Board of Directors of IFCI are given in Table 13 below :

Table 13—Appropriation of Net Profit

(Rs. crores)

	This year (1986-87) (July-June)		Preious year (1985-86) (July-June)	
(1)	(2)		(3)	
Net Profit for the year		43·48		34·18
Appropritions				
Transferred to—				
(a) General Reserve Fund	10·82		9·04	
(b) Benevolent Reserve Fund	1·50		1·50	
(c) Special Reserve (under section 36(1) (viii) of the Income Tax Act 1961)	25·49		19·50	
		37·81		30·04
Allocation to the Staff Welfare Fund		0·15		0·15
Payment of Dividend		5·52		3·99
Total		43·48		34·18

2.104 In view of the satisfactory working results, the Board of Directors of IFCI have approved the payment of dividend on shares at 11% per annum, as against 10% declared last year.

Working Result Trends

2.105 The working results of IFCI for five years inclusive of the year ended the 30th June, 1987, are summarised in Table 14 :

Table 14 —Working Results of IFCI for Five Years

(Rs. crores)

Particulars	Year ended the 30th June				
	1983 Rs.	1984 Rs.	1985 Rs.	1986 Rs.	1987 Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Interest on lendings	78·56	99·83	129·78	167·74	225·48
Less : Cost of Borrowings	51·56	65·40	85·62	119·92	160·78
Net Interest Revenue	27·00	34·43	44·16	47·82	64·70
Other Income	4·86	5·14	5·22	9·40	8·00
Net Income	31·86	39·57	49·38	57·22	72·70
Expenditure :					
Personnel Expenses	3·09	3·57	4·44	4·85	6·55
Loss on Investments	0·44	0·14	0·19	0·37	0·18
Directors' and Committee Members' Fees & Expenses	0·03	0·03	0·03	0·02	0·03
Other Expenses & Grants	1·16	1·51	2·29	2·67	3·14
Depreciation	0·12	0·29	0·34	0·50	1·18
Pre-tax Profit	27·02	34·03	42·09	48·81	61·62
Taxation	9·71	10·14	12·78	14·63	18·14
Net Profit	17·31	23·89	29·31	34·18	43·48
Dividend (Rate)	8·0%	8·5%	9·0%	10·0%	11·0 %

* Interest Income from lending operations increased by 34.4%.

* Increase in the 'Cost of Borrowings' was 34.0%.

2.106 It would be observed from the above—

* Increase in the 'Net Income', 'Pre-tax Profit' and 'Net Profit' was 27.0%, 26,2% and 27.2% respectively.

* Cost of Borrowings which formed 71.5% of the 'Interest Income on Lendings' in 1985-86 was 71.3% in 1986-87.

* Pre-tax Profit as percentage to Net Income was 84.7% in 1986-87 as against 85.3% last year.

Net Profit as percentage of Net Income was 59.8% in 1986-87 as against 59.7% last year.

Financial Position

2.107 The financial position as appearing from the Balance Sheet of IFCI for the five years, inclusive of the position of assets and liabilities as at the 30th June, 1987 is indicated in Table 15.

Table 15 : Position of Assets and Liabilities of IFCI for Five Years

(Rs. crores)

Particulars	Year ended the 30th June 1987				
	1983 Rs.	1984 Rs.	1985 Rs.	1986 Rs.	1987 Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ASSETS					
Cash & Bank Balances	39·83	53·68	142·13	208·88	137·00
Investments					
In assisted concerns	44·60	52·25	57·16	58·68	72·83
In other Institutions	1·21	1·21	0·21	0·21	2·81
Loans to Assisted concerns	864·73	1,054·93	1,307·31	1,649·11	2,117·10
Premises, Equipment & Other Assets	34·96	44·46	65·68	93·25	132·73
Customers, Liabilities for Acceptances	2·40	4·11	7·87	17·88	21·93
	987·73	1,210·64	1,580·36	2,028·01	2,484·40
LIABILITIES					
Borrowings					
(a) Bonds	689·30	881·54	1,107·00	1,452·88	1,729·40
(b) From Govt. & IDBI	96·60	93·24	124·70	80·51	72·33
(c) In Foreign Currencies	59·67	62·76	94·25	169·87	292·75
Current Liabilities & Provisions	46·90	49·39	92·36	110·74	120·29
Earmarked Funds	3·43	4·01	4·86	6·25	8·03
Liability for Acceptances	2·40	4·1	7·87	7·88	21·93
	89·30	1,095·05	1,431·04	1,838·13	2,244·73
Net worth represented by					
Share Capital	22·50	27·50	35·00	45·00	57·50
Reserves & Reserve fund	66·93	88·09	114·32	144·88	182·17
Debt : Equity	9·5 : 1	9·0 : 1	8·9 : 1	8·9 : 1	8·7 : 1
Net worth : Net Profit	5·2 : 1	4·8 : 1	5·1 : 1	5·6 : 1	5·5 : 1

Audit Report

2.108 For the year 1986-87, M/s. N. M. Raiji & Co., Chartered Accountants, Bombay, were appointed as Statutory Auditors by IDBI in terms of Section 34(1) of the IFC Act, 1948. The shareholders of IFCI (other than IDBI) elected M/s. T. R. Chadha & Co., Chartered Accountants New Delhi as Auditors for the same period. The Report of the Auditors in terms of Section 34(3) of the IFC Act, 1948 for the year 1986-87 is also given with the Accounts for the year in this Report. M/s. Thakur Vaidyanath Aiyer & Co., Chartered Accountants, New Delhi were the Tax Auditors of IFCI for conducting its tax audit in terms of Section 44(AB) of the Income Tax Act, 1961 as amended by the Finance Act, 1984) for the period ended the 30th June, 1987.

Catalytic Role—Newer Thrusts

IFCI's Catalytic Role

3.01 Over the years, IFCI's catalytic role has come to occupy a place of major significance. The several 'supportive measures' undertaken by IFCI in making available non-financial inputs for identification, promotion, planning and execution of projects, particularly in the small and medium scale sector, broadening of entrepreneurship, improving the technological base of the industry, helping in the development and upgradation of managerial sills, balanced regional development with special reference to development of Non-Industry Districts, promotion of rural development and creation of self-employment opportunities, etc., with adequate thrust on the development of industry in the tiny, small, ancillary and medium scale sectors, bear eloquent testimony to ICI's catalytic role and its contribution to the overall process of industrial development

Promotional Activities—A Review

3.02 In 1986-87, the major thrust in the area of promotional activities was on providing support and momentum to entrepreneurship development movement in the country, broadening of entrepreneurial base by providing more and liberalised risk capital assistance, support to technical consultancy organisations and assisting the cause of management development in the country. The Promotional Schemes of IFCI continued to give impetus to industries in the rural, cottage, tiny and small scale sectors including the much needed guidance in modernisation, market research, marketing assistance, control of pollution etc., catalysing the promotion of technological research and development in the industries and above all improving the productivity of material and human resources, ensuring at the same time, a better deal to the women entrepreneurs and entrepreneurs belonging to weaker sections of the society.

3.03 During the year, the amount utilised on various promotional activities totalled Rs. 446 06 lakhs, which was higher by 61.4% over the previous year's utilisation of Rs. 276.29 lakhs. Tables 16 and 17 on the following pages give the break-up of the amount utilised by IFCI on its promotional activities and the sources through which, the same was funded.

Promotional Schemes

3.04 During the year, IFCI added one more promotional scheme envisaging grant of interest subsidy for quality control measures in the small scale sector, with the result that as at the end of June, 1987, IFCI was operating, on its own, seven Consultancy :

Table 16 : Amount utilised by IFCI on Promotional Activities

(Rs. la khs)

Nature of Activities supported by IFCI	1986-87 (July/June) Amount/ Rs.		Cumulatively upto 30th June, 1987 Amount/ Rs.	
(1)	(2)		(3)	
(i) Promotional Schemes				
Subsidy	30·08		229·08	
Loan assistance	—	30·08	23·50	252·58
(ii) Industrial Potential Surveys				
For development of backward areas including No-Industry districts		1·09		9·25
(iii) Support for Technical Consultancy Services				
Technical Consultancy Organisations	0·27		56·05	
Directory of Industrial Consultants	—	0·27	0·43	56·48
(iv) Support for Risk Capital Assistance through RCF		213·00		982·92
(v) Support for Management Development activities of MDI, etc.		149·44		630·53
(vi) Support for Entrepreneurship Development				
Sharing of EDP costs	9·03		27·01	
Resources support to EDII	29·75		72·50	
Resources support to IEDs	8·50	47·28	8·50	108·01
(vii) Promotion of Research, etc.				
IFCI Chairs	1·90		25·18	
Special Research Studies	—		10·63	
Support to Indian Economic Journal	—	1·90	0·10	35·91
(viii) Support for International Conferences and Seminars				
International Exposition on Rural Development (IERD)	—		1·00	
Research & Information Systems for Non-aligned & other Developing Countries	3·00		5·00	
World Economic Congress	—	3·00	4·00	10·00
(ix) Orientation Programmes and Assistance to State-level Institutions		—		4·30
(x) Others				
Utilised for direct financing of projects		—		59·36
Total :		446·06		2,149·34

Table 17 : Sources of Funds for IFC I's Promotional Activities

(Rs. lakhs)

Fund	1986-87 (July-June) Amount/ Rs.	Cumulatively upto 30th June, 1987 Amount/ Rs
(1)	(2)	(3)
Benevolent Reserve Fund (Created out of profits of IFCI under Section 32B of I.F.C. Act, 1948)	168·04	484·00
Interest Differential Funds (Representing monies received from the Government of India out of interest paid by IFCI on KFW loans in terms of agreements amongst IFCI, Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau (KFW), Government of India and Government of Federal Republic of Germany)	278·02	1,665·34
Total	446·06	2,149·34

Fee Subsidy Schemes, four Interest Subsidy Schemes and one Assistance Scheme, as under :—

Consultancy Fee Subsidy Schemes

- — Scheme of Subsidy to Small Entrepreneurs in the Rural, Cottage, Tiny and Small Scale Sectors for meeting Cost of Feasibility Studies, etc.
- — Scheme of Subsidy for Promotion of Ancillary and Small Scale Industries.
- — Scheme of Subsidy to New Entrepreneurs for meeting Cost of Market Research/Surveys.
- — Scheme of Subsidy for providing Marketing Assistance to Small Scale Units.
- — Scheme of Subsidy for Revival of Sick Units in the Tiny and Small Scale Sectors.
- — Scheme of Subsidy for implementing the Modernisation Programmes of Tiny, Small Scale and Ancillary Units.
- — Scheme of Subsidy for Control of Pollution in the Small and Medium Scale Industrial Units.

Interest Subsidy Schemes

- — Scheme of Interest Subsidy for Self-Development and Self-Employment of Unemployed Young Persons.
- — Scheme of Interest Subsidy for Women Entrepreneurs.
- — Scheme of Interest Subsidy for encouraging Quality Control Measures in Small Scale Sector.
- — Scheme of Interest Subsidy for encouraging the Adoption of Indigenous Technology.

Assistance Scheme

- — Scheme of Assistance for Development of Technology Through In-House R&D Efforts.

3.05 The Consultancy Fee Subsidy Schemes are aimed at providing subsidised consultancy services to industrial units in identified areas to the tiny, small scale and ancillary units through Technical Consultancy Organisations (TCOs). The Interest Subsidy Schemes are intended to provide encouragement to unemployed youths, women entrepreneurs, adoption of quality control measures, harnessing the indigenously available technology, etc., and are being operated through the State Financial Corporations (SFCs), insofar as projects in the small scale sectors are concerned. The Assistance Scheme, i.e., the Scheme for the Development of Technology Through In-House R&D Efforts is being operated by IFCI directly.

Assistance by way of Subsidy and Loans granted under Promotional Schemes

3.06 During the year, IFCI disbursed, under its Promotional Schemes, subsidy amounting to Rs. 30.08 lakhs benefiting, 1,132 projects mostly in the small scale and ancillary industries sector. For the first time during the year, subsidy was granted for marketing assistance to small scale units, implementation of the modernisation programme of small scale units and interest subsidy to a woman entrepreneur in Maharashtra, Cumulatively, upto the 30th June, 1987, IFCI had disbursed subsidy and loans under its various Promotional Schemes aggregating Rs. 252.58 lakhs, benefiting 5,180 industrial units, largely in the small scale and ancillary industries sector.

Support for Industrial Potential Surveys of Category 'A' (No-Industry/Special Region) Districts

3.07 Under the Institutional Intensive Developmental Efforts Programme for No-Industry/Special Region Districts (NIDS), industrial potential surveys of 47 no-industry/special region districts, had been assigned till last year. During the year, the industrial potential survey work in respect of one more NID/Special Region District was assigned to one Technical Consultancy Organisation (TCO) on behalf of all-India Financial Institutions by IDBI. By the end of the year 1986-87, reports on 45 NIDs/Special Region districts had been received from the TCOs, based on which, 122 project ideas involving an investment of Rs. 362.83 crores and an estimated direct employment potential for about 19,591 persons had been cleared by the Screening Committee of the Institutions comprising senior executives of IDBI, IFCI, and ICICI. These project ideas were passed on to the concerned Governments/State-level promotional agencies for taking further steps and follow-up action towards their implementation. Entrepreneurs had been identified for 22 project ideas and implementation plans for them as at the end of the year were at various stages of completion.

Support for Technical Consultancy Services

3.08. As at the beginning of the year 1986-87, seventeen Technical Consultancy Organisations (TCOs)—eight under the lead of IDBI, five under the lead of IFCI, three under the lead of ICICI and one sponsored by Government of Karnataka—were providing a wide spectrum of consultancy services, including entrepreneurship development, particularly to the rural, tiny, small and medium scale industrial units, entrepreneurs, State Governments, State-level financial and promotional agencies, etc. These TCOs together, during the year 1986-87 had executed, 3,509 assignments and cumulatively 23,826 assignments upto the 30th June, 1987, as per details given in Table 18 below.

Table 18 : Summary of Operations of all Technical Consultancy Organisations (TCOs)

Nature of assignments	No. of assignments completed	
	1986-87 (July-June)	Since inception of each TCO and up to the 30th June, 1987
(1)	(2)	(3)
I. Pre-investment Consultancy Assignments		
Feasibility, Pre-feasibility Studies/Project Reports, etc.	1,829	10,055
Industrial Potential/Area Development Survey	43	425
Market Surveys	110	435
Project Profiles	947	7,605
Preliminary Fact Finding Studies	6	92
Appraisals	29	988
Others	184	1,626
Sub-total (I)	3,148	21,226
II. Post-investment Consultancy Assignments		
Diagnostic Studies	78	697
Rehabilitation of Sick Units	74	605
Others	53	851
Sub-total (II)	205	1,953
III. Turnkey Assignments/Functional Industrial Complexes, etc.	14	56
IV. Entrepreneurship Development Programmes	142	591
Grand Total (I+II+III+IV)	3,509	23,826

3.09. The total consultancy business of 16 TCOs (excluding the one sponsored by the Government of Karnataka), set up by all-India Financial Institutions, increased from Rs. 142 lakhs in 1981-82 to Rs. 363 lakhs in 1985-86, showing an annual compound growth rate of 21%. The overall surpluses generated by TCOs increased from Rs. 3.31 lakhs to Rs. 12.68 lakhs during this period reflecting improved viability of their operations.

3.10 Much more than the quantitative performance of the TCOs, is the on-going impact that they have created in developing a consultancy culture by providing subsidised consultancy services to the rural, tiny, small and small-medium industrial units. In line with the objectives of the Seventh-Five-Year Plan, most of the TCOs, during the year, took up integrated programmes for technological upgradation and modernisation of selected segments of the small scale sector. Under these programmes, studies were undertaken of specific sub-sectors of small-scale industry prominent in various States so as to identify their modernisation needs and draw up a package of services for implementation of modernisation programmes.

3.11. During the year, a new Technical Consultancy Organisation known as the North-Eastern Industrial Consultants Ltd., (NECON), was set up to provide consultancy services, specifically to entrepreneurs of Manipur, Mizoram, Nagaland and Tripura. The existing TCO for the North-Eastern Region, viz., North-Eastern Industrial & Technical Consultancy Organisation Ltd. (NEITCO), set up in July, 1973, would now be catering exclusively to the needs of States of Assam, Meghalaya and Arunachal Pradesh.

3.12. IFCI's emphasis during the year continued to be on improving the qualitative aspects of TCOs' services, building up proper perceptions and helping them in the formulation of their corporate plans, co-extensive with the Seventh Plan period and the objectives enshrined therein, particularly the development of industries in the village and small industries sector. A Conference of the Managing Directors of TCOs was also held during the year under the aegis of IDBI on the 13th March, 1987 in which the Chairman of IDBI, IFCI and ICICI participated and helped in building up proper directions for TCOs sponsored by the Institutions. An important decision taken at the Conference of the Managing Directors of TCOs was that while each TCO was free to evolve its own operational strategies and plans, it was to be ensured that the share of small scale industry in a TCO's total consultancy business was not to be less than 75% number-wise and 35% consultancy income-wise. This, it was felt, would enable TCOs to maintain their commercial viability, retaining at the same time, their focus on providing consultancy to small entrepreneurs in areas and at a price, which possibly other consultants might not be able to offer. The Conference also stressed the need for good house-keeping, data management, mechanisation of operations, even with the help of computers, so as to achieve qualitatively better results by TCOs.

Directory of Industry Consultants

3.13. The All-India Financial Institutions under IDBI's lead continued to maintain a panel of industrial consultants and list them in a Directory of Industrial Consultants. During the year, 77 new consultants were empanelled and enlistment in additional areas was granted to 26 consultants already empanelled. With this, the total number of consultants empanelled in the Directory as on the 30th June, 1987 stood at 654.

Support for Risk Capital Assistance

3.14. The Risk Capital Foundation (RCF), sponsored by IFCI in 1975, completed 11 years of its service to first generation new entrepreneurs by providing them interest-free personal loans, more or less in the form of venture capital assistance. Table 19 below gives a synoptic view of RCF's operations during its financial year ended the 31st December, 1986, thereafter for the half year ended the 30th June, 1987 and also cumulative data since its inception and upto the 30th June, 1987.

Table 19 : Sanctions and Disbursements of Risk Capita Foundation (RCF)

Particulars relating to RCF's Risk Assistance	1986 (Jan.-Dec.)	1987 Jan.-June)	Cumulative up to the 30th June, 1987
(1)	(2)	(3)	(4)
(i) Projects sanctioned (Nos.)	20	14	127
(ii) Entrepreneurs involved with (i) above (Nos.)	37	21	213
(iii) Net Sanctions (Rs. lakhs)	302·84	200·50	1,404·18
(iv) Disbursements (Rs. lakhs)	267·77	81·25	974·49

3.15 The sanctions and disbursements made by RCF during 1986 reached an all time high. By assisting the first generation entrepreneurs, RCF has been able to help in a big way the broadening of the entrepreneurial base in the country.

3.16. To exchange views with its beneficiaries and also to appreciate the problems and make an evaluation of its assistance, RCF convened its Second Conference of Beneficiaries during the year on the 9th September, 1986. The Conference was attended by a large number of beneficiaries and distinguished invitees. Based on the discussions, and the experience gained by RCF during its operations, certain further changes/liberalisations in its Scheme were made during the year, as follows :—

(i) The requirement of payment of application fee of Rs. 2,000/- per application was abolished.

(ii) The practice of requiring the beneficiaries to take out Mortgage Redemption Insurance Policies (MRIPs) on their lives as collateral security for RCF's assistance was also abolished.

(iii) The lower limit of project cost eligible for assistance from RCF was reduced from Rs. 3 crores to Rs. 2 crores.

(iv) In deserving cases, RCF could consider applications from promoters who had not been assisted by it earlier for meeting a part of the promoters' contribution required to be mobilised by them for financing overrun in the project cost or to undertake diversification or expansion of their industrial units for improving the overall viability of the projects. For special cases, RCF could consider on merits, grant of loans to enable the promoters to subscribe to their 'Rights' in the additional equity capital issued by their companies for financing a part of the cost of the expansion/diversification programmes undertaken by them.

(v) Private Limited Companies were also permitted to approach RCF provided they undertook to convert themselves into public limited companies within a reasonable period as might be stipulated by RCF.

(vi) The process of disbursement of loans was made easier and simplified by relaxing, in suitable cases, the requirement of a public issue of shares as a condition precedent to disbursement. In appropriate cases, RCF could also consider sanctioning assistance for projects which had been sanctioned assistance only by State-level developmental/financial institutions/banks.

3.17. It was decided during the year, subject to the approval of the Government, to convert RCF into a limited company with a view to providing technology finance and varied forms of other venture capital assistance, e.g., soft loans to the new ventures, finance for the development of technology, direct equity participation in the equity of the project, etc.

3.18. The funds support to RCF, so far, has been entirely provided by IFCI. Upto the 30th June, 1987, IFCI had allocated funds amounting to Rs. 1,150 lakhs, against which, Rs. 973 lakhs had already been disbursed to RCF.

Support for Management Development

3.19 The Management Development Institute (MDI) [with its Development Banking Centre (DBC)], sponsored by IFCI, continued its endeavour to serve the cause of development of managerial manpower in the public, private, joint and co-operative sectors in the industry and commercial and development banks, besides Government departments. Training programmes with a unique blend of academic and practical orientation continued to be an important area of the service rendered by MDI.

3.20. The number of programmes conducted by MDI during the year 1986 and thereafter during the six months' period ended the 30th June, 1987, was 87 and 31 respectively, in which the number of participants aggregated 2,555. Cumulatively, MDI had conducted, upto the 30th June, 1987, 794 management development programmes benefitting 19,340 participants, of whom 536 were from other developing countries.

3.21. In the area of consultancy and research, the highlights of MDI's achievements were (a) a comprehensive manpower planning study for Neyveli Lignite Corporation, (b) Planning Commission/ILO/ UNDP management consultancy assignment (Phase II) aimed at improving the capabilities of in-house consultancy services of two selected public utilities, viz., Electricity Boards and State Road Transport Undertakings and to provide the basis for the establishment of an institutional mechanism for intensive training in management consultancy in India and (c) studies of organisational set up of Jammu & Kashmir Industrial Development Corporation Ltd. Amongst the research projects, undertaken by MDI, mention may be made of (i) Shareholders' Survey—Geographic Distribution, sponsored by ICICI, (ii) Industrial Sickness—Management Aspects sponsored by ICSSR, (iii) Inter-firm Comparison Study to be used as a tool for appraisal and monitoring of projects sponsored by IDBI. (iv) Survey of Training Needs of State-level Financial Institutions in India, and (v) Impact of Risk Capital/Seed Capital and Special Capital Schemes. The latter two research projects were initiated by MDI itself.

3.22 MDI has considerably made a dent in the field of management training in the country. It is now poised for a significant expansion in its activities. MDI has been approved by the Government of India, Department of Personnel & Training as an agency for conducting an intensive 15-month National Management Programme with linkages from the Harvard University for Government officers belonging to IAS/Group 'A' services as well as executives of public and private sector organisations, who have potential to acquire top positions. Plans are under way to further develop the campus in the next few years and to have a well equipped Computer Centre. As perspective plan of MDI has been drawn up and efforts are afoot to give MDI a totally new direction so as to develop the managerial resources of the country and training the managers of today for meeting the challenges of tommorrow.

3.23 IFCI's financial support to MDI in 1986-87, was of the order of Rs. 149.44 lakhs. Cumulatively upto the 30th June, 1987, IFCI had provided financial support to MDI of the order of Rs. 630.53 lakhs.

Support for Entrepreneurship Development

3.24 If the movement of entrepreneurship development has been able to gain a momentum over the last few years, it is due to the patronage and liberalised support being provided by all-India Financial Institutions including IFCI. During the year, IFCI alongwith IDBI and ICICI, supported 203 Entrepreneurship Development Programmes (EDPs) which included 56 EDPs for Science & Technology (S&T) entrepreneurs. The programmes for Science & Technology personnel were conducted through accredited agencies, such as Regional Engineering Colleges, Technology Institutes, social service agencies, Entrepreneurship Development Institute of India (EDII) and State-level Institutes of Entrepreneurship Development. With this upto the end of June, 1987, IFCI, alongwith IDBI and ICICI, had provided/agreed to provide funds support to 747 EDPs benefitting 17,920 potential entrepreneurs.

3.25 The *Entrepreneurship Development Institute of India (EDII)*, sponsored by all-India Financial Institutions including IFCI, completed its fourth year of operations on the 31st March, 1987. This apex level institution, set up with the objective of training of EDP trainers, providing resource inputs, running model entrepreneurship development programmes, undertaking EDPs in relatively backward regions and carrying out research and development in the area of entrepreneurship development, concentrated its EDP activities, during the year, in the North-Eastern Region and successfully demonstrated efficacy of EDPs in States like Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Arunachal Pradesh, Sikkim, Orissa, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, etc. EDII also successfully concluded the Fourth Accredited EDP Trainers Course and had, for the first time, a National Programme on Entrepreneurial Motivation as also a National Meet of Entrepreneurship-Trainer-Motivators. In its support activities, EDII provided faculty and professional support to a number of EDP conducting agencies in Himachal Pradesh, Orissa, Bihar, Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, etc. In its endeavours towards sharing the experiences with other developing countries, EDII provided support and participation in a number of international programmes held in Mauritius, Malawi, Abidjan, Guinea, Nigeria, Malaysia, Senegal, etc. For sharpening perceptions and skills of various agencies involved in spreading the entrepreneurship development movement, EDII conducted seminars, workshops for various organisations and also organised Entrepreneurs' Meet in Orissa, Uttar Pradesh, West Bengal, etc. A special feature of EDII's activities during the year, was holding a workshop on Entrepreneurship Development for CHOGRM member countries of Asia and the Pacific. EDII has also taken up a number of research projects, e.g., Entrepreneurial Characteristics, Self-made Impact Generating Entrepreneurs Study, Rural Entrepreneurship Development Project, and study of Tribal EDPs in Madhya Pradesh. In the coming years, the emphasis of EDII would be on increasing the effectiveness and strengths of EDP conducting organisations through various short and long duration training programmes, holding national and international seminars and workshops for sharing experiences and mounting increased efforts on research and training.

3.26 A mention was made last year of establishment of a State-level *Institute of Entrepreneurship Development (IED) in Uttar Pradesh* at Lucknow. During the year, two more State-level organisations in the field of entrepreneurship development came into existence, one in Bihar and the other in Orissa. The *Institute of Entrepreneurship Development, Bihar,* was established at Patna and had its formal inauguration on the 7th March, 1987. The *Institute of Entrepreneurship Development in Orissa was also* registered on the 13th March, 1987 and became oprational from May, 1987.

3.27 The *Institute of Entrepreneurship Development (IED)*, set up in Uttar Pradesh at Lucknow, which completed its first year of operation, had a good start by conducting 14 training programmes during the year, covering 350 participants representing various target groups. The IED-UP also had its first Inter-Institutional Colloboration Seminar as also the first Institutional Meet of EDP conducting agencies in Uttar Pradesh during the year. It also organised four Entrepreneurship Awareness Camps during the year in the State of Uttar Pradesh and successfully conducted the first Entrepreneurship Development Programme exclusively for women in Uttar Pradesh at Lucknow. It is expected that with more State-level Institutes of Entrepreneurship Development coming up in other States with the support of all-India Financial Institutions, the entrepreneurship development activities would be institutionalised and regulated in a better way thereby turning the educated unemployed youths gifted with entrepreneurial traits from the position of 'job-seekers' to 'job-givers' and helping in the growth of the overall industrialisation process in the country.

3.28 IFCI's contribution to the cause of entrepreneurship development in 1986-87, was of the order of Rs. 47.28 lakhs and cumulatively, it had provided funds support to Entrepreneurship Development Programmes and Organisations/Institutes set up for carrying out Entrepreneurship Development activities, of the order of Rs. 108.01 lakhs.

Support to Science & Technology Entrepreneurs' Park

3.29 Mention was made in the last year's report about IFCI agreeing to support two project of Science & Technology Entrepreneurs' Parks (STEPs)—one at Ranchi (Bihar), sponsored by the Birla Institute of Technology (BIT) and the other at Tarapur (Maharashtra), shonsured by the E.C. Shroff Research Institute (CCSRI). During the year, the all-India Financial Institutions including IFCI, have agreed, *in principle*, to assist two more STEPs being set up by Regional Engineering College, Tiruchirapally (REC-Trichi STEP) and Harcourt Butler Technological Institute (HBTI-STEP), Kanpur. These STEPs have already been registered under the Societies Registration Act and in the case of REC-Trichi STEP, the State Government has also given assurance to provide adequate financial support. REC-Trichi STEP will specialise in providing facilities to mechanical, electrical and electronic engineering units. This STEP would

offer R&D and product development facilities to science and technology entrepreneurs in these areas. Bharat Heavy Electricals Ltd. (BHEL) has also agreed to assist this STEP in product identification and development. HBTI-STEP at Kanpur will specialise mainly in the field of chemical engineering (polymers and plastics, bio-chemicals, etc.), non-edible oils and food technology. It is expected that within a period of 2 to 3 years, all the aforesaid STEPs would be able to transform potential entrepreneurs with science and technology background into confident entrepreneurs by matching 'talents' with 'tasks', 'facilities' with 'experience' and 'result of the research' with the 'industrial process and products'.

Promotion of Research

3.30 For promoting research in specified areas, IFCI has endeavoured over the years to build up good nexus with the Universities and Management Institutes in the country. Six 'Chairs', one each at the University of Bombay, Calcutta, Delhi, Guwahati and Madras and one at the Indian Institute of Management, Ahmedabad (IIMA), have been created and are in operation. During the year, Annual Public Lectures under the auspices of IFCI Chairs, were delivered as under :—

— Human Resource Development : Role of Technology.

—Dr. A. N. Saxena, University of Delhi.

— Some Aspects of Banking Policy in India.

—Dr. R. S. Sabnis, University of Bombay.

— Role of Development Banks in the Indian Capital Markets.

—Dr. N. P. Srinivasan, University of Madras.

3.31 At Calcutta University, a research project on the subject of 'Behaviour of Capital-Output Ratio and Its Causative Influence of Sickness in Light Engineering Industry in West Bengal' is already going on and based on research, the Annual Lectures at Guwahati University and Indian Institute of Management, Ahmedabad, are likely to be held shortly on subjects relating to 'Rural Development and Role of Banks' and 'Capital Market—Tasks under the Seventh Plan.'

Merchant Banking Services

3.32 In its role as a catalyst for industrial growth, IFCI offered with effect from the 1st July, 1986, Merchant Banking Services to the industrial community by setting up a Merchant Banking Division at New Delhi and subsequently a Merchant Banking Bureau at Bombay. During the first year of its operation, the Merchant Banking Division, successfully managed 12 public issues and had with it as on the 30th June 1987, mandates from 32 companies for managing their public issues in the near future. The Merchant Banking Division had also undertaken assignments for capital restructuring, merger and amalgamations, syndication with other Financial Institutions, besides trusteeship assignments. The Merchant Banking Division of IFCI was also providing to the entrepreneurs opportunity guidance in areas of project formulation and raising resources for meeting the project cost.

Newer Thrusts

3.33 New dimensions in the catalytic role of IFCI are proposed to be added, subject to the appropriate authorities, by providing facilities of leasing finance, technology finance and facility of non-revolving line of credit to machinery, equipment and computer manufacturing concerns for sale of their equipment to actual user-purchaser concerns on deferred payment basis. IFCI also intends to provide finance to services sector, particularly in the areas of engineering, technical, financial, marketing and management services including services relating to information technology, tele-communications and electronics.

3.34 The endeavour of IFCI as a catalyst of industrial growth has been to identify the gaps in the institutional infrastructure and fill in the same within the limits of its Charter. Experience has proved that no amount of fiscal and financial intentives alone, or even easy availability of finance, can bring success in industrialisation efforts, unless other inputs like resourceful entrepreneurship, latest and efficient technology/know-how, professionalised management, well-motivated and skilled man-power, coupled with project counselling facilities and extension services are available at every stage during the life-cycle of a project. In its promotional and development role, it has been, and continues to be, the endeavour of IFCI to provide these non-financial inputs to the best possible extent, consistent with its resources and capability.

CHAPTER 4

IN-HOUSE MATTERS

Meeting of the Board of Directors

4.01. During the year, twelve meetings of the Board of Directors were held—ten at New Delhi, one at Bangalore and another at Calcutta.

Changes in the Board of Directors

4.02. The Central Government nominated Shri A. V. Ganesan, Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Industry, Department of Industrial Development, New Delhi, as a Director on the Board of Directors of IFCI, in place of Shri P. Murari, with effect from the 26th November, 1986. There was, however, no change, during the year, in the directors nominated by the Industrial Development Bank of India (IDBI).

4.03. With the enactment of the Industrial Finance Corporation (Amendment) Act, 1986, which came into force from the 2nd February, 1987, Reserve Bank of India (RBI) was authorised to nominate one director on IFCI's Board of Directors in terms of Section 10(1)(bb) of IFC Act, 1948. RBI nominated Shri S. N. Bagai, Executive Director, RBI, on the Board of Directors of IFCI with effect from the 4th July, 1987.

4.04 The Industrial Finance Corporation (Amendment) Act, 1986 also reduced the term of elected directors of IFCI from 4 years to 3 years. Consequent to the said amendment, Shri J. S. Varshneya, Shri S. K. Seth and Shri B. S. Thorat, elected directors of IFCI deemed to have retired on the 2nd February, 1987. However, at the Special General Meeting convened on the 11th May, 1987, Shri J. S. Varshneya, Chairman & Managing Director, Punjab National Bank was re-elected as Director of IFCI to represent scheduled banks in terms of Section 10(1)(c) of the IFC Act, 1948. Shri S. K. Seth, Chairman-cum-Managing Director, National Insurance Company Limited, was also re-elected at the Special General Meeting convened on the 6th April, 1987 as Director of IFCI to represent insurance concerns, etc., in terms of Section 10(1)(d) of IFC Act, 1948. In place of Shri B. S. Thorat, however, Shri S. S. Kadam, Chairman, Maharashtra State Co-operative Bank Limited, Bombay was elected to represent co-operative banks in terms of Section 10(1)(e) of IFC Act, 1948 at the Special General Meeting convened for the purpose on the 6th April, 1987.

4.05. Amongst elected directors, Shri C. R. Thakore, representing insurance concerns, etc., resigned from the Board of Directors of IFCI with effect from the 30th March, 1987 (close of business) and, in his place, Shri N. K. Shinkar, Managing Director, Life Insurance Corporation of India, Bombay was elected as Director at the Special General Meeting convened on the 22nd June, 1987.

4.06. The Board of Directors of IFCI place on record their appreciation of the valuable guidance received from and services rendered by Shri P. Murari, Shri B. S. Thorat and Shri C. R. Thakore, during the period of their association with IFCI as its directors.

Meetings of Ad-hoc Group of Advisers

4.07 Meetings of Ad-hoc Group of Advisers are convened by IFCI from time to time for securing their expert advice on specific proposals coming up to IFCI for financing in terms of Section 15 of the IFC Act, 1948. During the year, six meetings of the Ad-hoc Group of Advisers were held with a view to obtaining expert advice on proposals relating to hotels, hospitals and electronic industries.

State Advisory Committee Meetings

4.08. Six meetings of the State Advisory Committees constituted in terms of Section 15 of IFC Act, 1948, were held

during the year—one each for Karnataka, West Bengal, Uttar Pradesh, Kerala, Himachal Pradesh and Bihar. These meetings helped IFCI in promoting a better understanding and appreciation about its role, contribution and activities, as also understanding, on-the-spot, the problems and prospects of industrialisation in the concerned State, with due regard to the circumstances of, conditions prevailing in, and requirements of particular area and/or industries. The Heads of Regional/Branch Offices of IFCI, in their capacity as ex-officio secretaries continued to maintain liaison with the members of these Committees throughout the year.

Co-ordination with the Institutions at the National and State-level

4.09. Inter-Institutional co-ordination among the national-level Financial Institutions continued to be maintained through the forum of Inter-Institutional Meetings (IIMs), Inter-Institutional Rehabilitation Meetings (IIRMs) and Senior Executive Meetings (SEMs). During 1986-87, 10 IIMs, 9 IIRMs and 22 SEMs were held.

4.10. At Regional levels, meetings of the Regional Executives (REMs) under the convenorship of concerned Regional Office of IDBI have proved to be quite useful in achieving institutional co-ordination at Regional/State level as also in reviewing the progress of assisted concerns facing difficulties, settling financing pattern of State-level industrial projects, going over disbursements and recovery budgets, particularly in respect of PFPS cases and discussing other items of mutual interest concerning project monitoring, recovery of dues, insurance of mortgaged assets, adjustment of insurance monies, etc. During the year, 23 meetings of REMs took place, of which 6 were of Northern Region, 5 of Western Region, 5 of Eastern Region, 3 of North Eastern Region and 4 of Southern Region.

4.11. At the State-level, IFCI continued to maintain co-ordination by way of participation of the Heads of its Regional and Branch Offices in the meetings of Inter-Institutional Groups (IIGs), State-level Co-ordination Committee, State-level Guidance and Monitoring Committee and other State-level fora.

Foreign Visits and Participation in International Fora

4.12. IFCI continued to maintain close contacts and liaison with other Development Financing Institutions (DFIs) abroad as also the International Banks operating in the world market.

4.13. Shri D. N. Davar, Chairman, IFCI, visited United Kingdom for signing the agreement with S. G. Warburg & Company for the 4th Euro-Dollar Syndicated Loan of US $ 50 million at London. He also visited Federal Republic of Germany with a view to interacting on matters of mutual interest with Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau (KFW).

4.14. Shri R. Viswanathan, Executive Director, IFCI, visited Osaka (Japan) and Singapore in connection with the 20th Annual Meeting of the Asian Development Bank (ADB) held during the 27-29th April, 1987, and to have discussions with the international bankers on matters of mutual interest.

4.15. At the 8th Meeting of the Governing Body of the World Assembly of Small and Medium Enterprises (WASME) held on the 14th and 15th April, 1987 at Vienna (Austria), IFCI was represented by Shri F. M. Patnaik, General Manager. So also, Shri H. C. Sharma, General Manager, represented IFCI at the Regional S ymposium/Workshop on Accounting and Financial Control Practices and Auditing Arrangement of DFIs organised by the Asian Development Bank (ADBI) and the Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP) at Manila (Philippines) during the 6-8th April, 1987.

X IFCI Silver Jubilee Memorial Lecture

4.16. IFCI had its X Silver Jubilee Memorial Lecture delivered on the 4th May, 1987 by Mr. Sung Sang Park, Governor, Bank of Korea, on the subject of *Financial Policy for Economic Development*. The Lecture, which was well attended, was presided over by Shri R. N. Malhotra, Governor, Reserve Bank of India (RBI). Shri S. S. Nadkarni, Chairman & Managing Director of Industrial Development Bank of India (IDBI) was the Guest Speaker, who also commented on the subject in the light of its perception and experience. The *summom bonum* of Mr. Park's Lecture was that the financial policy should support industrialisation process in accordance with the industrial strategy of the developing country. He suggested caution before applying any of the established development economic theories of the real situation of a developing economy, because most of these theories were established under the influence of industrialised economic conditions. The main role of Financial Institutions in a developing economy was to mobilise the investment resources of the economy by transforming physical assets into financial assets. All Financial Institutions including banks, should finance their limited funds to the industries which promoted the nation's economic development. In Korean context, it was the 'manufacturing industry' which had shown a higher employment multiplier effect and proved to be an engine of growth for the Korean economy. Korean economy had faithfully followed the path destined by the development strategy of industrialisation via the growth of import substitution industries which later became export industries. Duscussing the nuances of the financial policy, Mr. Park suggested that money must be controlled since money could not manage itself. "Like fire, money was useful under control; but running wild, it could do great harm", Mr. Park added.

Organisational Developments

4.17. During the year, one more post of Executive Director (raising these to two) was created with a view to achieving better planning and execution of work and attending to the needs of the applicants as well as assisted concerns most expeditiously. Shri R. Viswanathan, erstwhile Chief General Manager of Guwahati Local Head Office of the State Bank of India, assumed charge as one of the Executive Directors of IFCI on deputation basis with effect from 22nd September, 1986. From the same date, Shri S. K. Rishi, General Manager, was promoted to the other post of Executive Director in IFCI.

4.18. A mention was made in the last year's Report about IFCIs plans to open new offices in all States/Union Territories, where it had none, in a phased manner so as to provide better and more personalized service to IFCI's clientele. Accordingly, in 1986-87, three offices of IFCI were opened at Shillong (Meghalaya), Panaji (Goa) and Shimla (Himachal Pradesh). These offices are expected to provide a fillip to the industrial development in the respective States in which they are situated.

Delegation of Authority

4.19. A mention was made in the last year's Report of the wide powers delegated with effect from the 1st January, 1986 to the Regional and Branch Offices of IFCI in respect of various operational matters with the objective of decentralisation of work in a phased manner. During the year, while there was no change in the authorities delegated to the Regional and Branch Offices, a number of steps were taken to remove difficulties experienced in the operation of the existing systems.

4.20. Various Committees of the Senior Executives of IFCI, constituted to plan, executive and look into the aspects relating to training, computerisation, suggestions from the staff, work simplification, record keeping and maintenance, micro filming, staff welfare, library, acquisition of dead stock, productivity improvement, etc. continued to function and held meetings from time to time with a view to taking effective steps in the related areas of IFCI's operations. Matters relating to vigilance continued to be looked after by an Executive Director, who is designated as Chief Vigilance Officer.

Conferences of Senior Officers

4.21. Two Conferences of the Senior Officers of IFCI were held during the year in the month of November, 1986 and May, 1987 with a view to building up adequate thrust in regard to IFCI's existing and proposed activities, reviewing the performance and achievements of the Regional and Branch Offices taking stock of strengths, weaknesses, opportunities and threats of each office with a view to improving the overall productivity of the organisation and promoting better understanding and appreciation about the expectations of the corporate office, rules and regulations, etc. These Conferences also helped in reviewing a number of suggestions which emanated from the field offices of IFCI. These were later examined in-depth by a High-level Committee under the Chairmanship of Shri R. Vishwanathan, Executive Director, IFCI

and resulted, to a considerable extent, in streamlining the existing procedures and making further improvements in specific areas from O & M angle.

4.22. At one of the Senior Officers' Conferences, the participants were also exposed to the requirements and safeguards necessary from the vigilance and security angle and had an opportunity to interact with Chief Vigilance Commissioner, Central Vigilance Commission, Governmen. of India. There was also interaction with the executives of United India Insurance Company Ltd., on the subject of risk management and corporate policy on insurance. The Senior Officers' Conferences, which have now become a regular feature, have proved quite useful in bridging the communication gap between the corporate and field offices of IFCI and achievement of set goals and targets, particularly, in areas relating to sanctions, disbursements and recovories.

Computerisation Programme

4.23. A mention was made in the last year's Report about IFCI acquiring and installing a modern "ICIM 6000 model 40 system computer" with required peripherals at Head Office and one Personal Computer (ICIMPC) at Delhi Regional Office of IFCI. During the year, the computer systems installed at Head Office and Delhi Regional Office of IFCI were linked/connected by dedicated communication lines taken on lease from Mahanagar Telephone Nigam Ltd., New Delhi, through modems imported from M/s. Racal Milgo, USA, thus enabling to and fro transfer of data/files and also remote job entry.

4.24. In addition, with a view to increasing the capacity of the existing system so as to take care of the growing volume of business of IFCI, on the one hand, and a number of new activities proposed to be taken, on the other, the system configuration of the ICIM-6000 Model 40 Computer System installed at IFCI's Head Office was enhanced by adding 1 MB on the Memory, 1 No. 640 MB Fixed Disc Drive, 5 Additional Work Stations and 1 No. Magnetic Tape Drive. The ICIM Business PC installed at Delhi Regional Office was also replaced by ICIM Quattro PC based on more powerful processor with enhanced facilities having 1 MB Memorary, 3 VDUs, 1 No. 20 MB Disc Drive and 1 No. 55-114" Floppy Disc Drive.

4.25. Parallel runs which were started in 1985-86 in areas covering Payroll, General Financial Accounting, Rupee Loan Accounting, Investment Portfolio and Management Systems were perfected during the year. The systems of computerised Project Appraisal and Balance Sheet analysis were also made operational during the year. As at the end of the year, software developmen. for Foreign Currency Loan Accounting and Monitoring System, Foreign Currency Funds, Statistical Information, Management Information and Reporting System, Project Information and Monitoring System, Nominee Director's System, were progressing at a faster pace and parallel runs of these systems were slated for implementation shortly.

4.26 Steps were also initiated during the year, for computerisation of Regional and Branch Offices. After considerable in-depth studies and in consultation with the Department of Electronics, Government of India, the assignment for selection of computer systems for Regional and Branch Offices of IFCI was awarded to M/s Telecommunication Consultants India Ltd. (TCIL). These computer systems are likely to be installed in the Regional and Branch Office of IFCI during 1987-88. Meanwhile, steps have already been initiated for making arrangements for infrastructure and preparation of site at the Regional and Branch Offices of IFCI for installation of computer systems. It has also been agreed to shift the existing main frame computer system to SCOPE complex, where IFCI has acquired office space on ownership basis. It is expected that the shifting would afford more flexibility in operations and enhancement in the capacity as and when required.

Human Resources

4.27 As at the end of June, 1987, IFCI has a complement of 1,132 employees (inclusive of staff strength at its Regional, Branch and other Offices). This consisted of 383 officers, 535 supporting staff and 214 subordinate staff. The number of employees in the category of Scheduled Castes/Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and physically handicapped persons was 156, 35 and 14 respectively. The number of women employees in IFCI as at the end of June, 1987 was 177.

Manpower Development and Training Programmes

4.28 Strong emphasis was laid, as in the past, on the development and enrichment of human resources with focus on appropriate attitudes and positive work ethics. A number of Training Programmes were organised for staff members at various levels, with a view to making them result-oriented as also exposing them to modern management techniques and modern office equipment. In order to facilitate the process of computerisation in IFCI, special programmes were conducted on computer appreciation and software development. In all 46 in-house training programmes were organised during the year 1986-87. Of these, 38 were conducted at Head Office, 4 at Patna Office Training Centre, 3 at Hyderabad Office Training Centre and one at Bombay Office Training Centre. These training programmes covered in all 772 staff members at various levels.

4.29 Apart from in-house training programmes, 48 staff members were deputed to external training programmes organised by other professional institutions in the country. Seventeen staff members were deputed to the executive development programmes organised by Management Development Institute (MDI) including its Development Banking Centre (DBC).

4.30 Nine Officers at a fairly senior level were sent abroad for attending various training programmes and seminars on the subject of International Syndicated Load, Corporate Finance and Merchant Banking, Technology Development, Co-operation and Finance, Management of Development Banks, Financial Management and Investment Appraisal, etc.

4.31 In order to decentralise the training activity and making its spread effect more visible, IFCI decided, during the year, to open Training Centres at Bombay in the Western Region, Hyderabad in the Southern Region and Patna in the Eastern Region.

4.32 Apart from intensive in-house, on-the-job and external training programmes, the members of staff are being continually encouraged and motivated to give suggestions under the Staff Suggestion Scheme for improving the overall productivity of the organisation. A Suggestion Scheme Committee continues to screen and evaluate each and every suggestion made by any member of the staff, and in the event of the suggestion being accepted for implementation, the concerned staff member is being given cash award/commendation certificate etc., as recommended by the Suggestion Scheme Committee.

Human Relations and Welfare Activities

4.33 The human relations aspects continued to govern the employer-employee relationship in IFCI with the result that the relations with the staff continued to be cordial and harmonious throughout the year. A Memorandum of Settlement of Promotional Avenues for workmen staff was entered into between the Employees Association and the Management on the 3rd November, 1986.

4.34 Apart from the Staff Welfare Fund, which continues to be the fundamental resource-base for staff welfare activities of miscellaneous nature, e.g. self-development of employees, self-marriage, marriages of dependent children, acquisition of household durables, grant of merit scholarships, grants to sports and recreation clubs, maintenance of IFCI Holiday Homes at Shimla, Srinagar, Goa, Puri, Ooty, Bangalore and Darjeeling, maintenance of Day Care Centre at IFCI Staff Colony in New Delhi, etc., Disability and Financial Assistance Scheme, 1985 and Voluntary Welfare Scheme, 1986 continued to prove useful to disabled/retired or those employees who had pre-mature death on account of prolonged sickness or accidents.

Housing

4.35 Housing continued to occupy the top priority in IFCI' staff welfare activities. As at the end of June, 1987, IFCI had its own flats for various categories of staff at Delhi,

Kanpur, Ahmedabad, Bombay, Pune and Bangalore. An agreement was also signed for construction of 152 more flats for various categories of staff at Delhi. These flats are likely to be ready for possession by the staff by the end of 1988.

4.36 During the year, the work for the construction of staff quarters which was entrusted to Central Public Works Department (CPWD) was started at several centres like Calcutta, Chandigarh, Cochin, Hyderabad, Jaipur and Madras. The construction of staff quarters at Bhopal was entrusted to the Madhya Pradesh Housing Board. As at the close of the year, endeavours were being made to finalise arrangements for construction of flats at Patna and Guwahati.

Office Premises

4.37 As at the end of June, 1987, IFCI had its own office premises at Ahmedabad, Bangalore, Bombay, Calcutta, Hyderabad, Madras, Patna and Pune. The construction of the office premises at Cochin and Chandigarh was entrusted, during the year, to CPWD and the same is likely to be in full swing by the end of 1987.

Sports Meet

4.38 A beginning was made last year to promote sports and sportsmanship amongst the employees of IFCI by organising the first All-India Sports Meet. The Second All-India IFCI Sports Meet, 1987, was concluded at a function held at Jawahar Lal Nehru Stadium, New Delhi this year on the 1st March, 1987. The special features of this year's Sports Meet were (a) introduction of more athletic events, (b) active participation in large numbers of both men and women athletes and (c) participation in large number of the children of the employees of IFCI in various races. IFCI also participated in the Third Inter-Financial Institutions Table Tennis Tournament organised by the Industrial Development Bank of India (IDBI) at New Delhi between the 18th and 21st June, 1987 and bagged first and second prizes in Table Tennis (Doubles) as also Team Events Trophy.

Annual Meet of IFCI Employees Recreation Club

4.39 A mention was made last year about Silver Jubilee Celebrations of IFCI Employees Recreation Club. This year, the club had its Annual Meet on the 26th December, 1986 at All India Fine Arts & Crafts Society Auditorium, on which occasion a Souvenir 'Nav Jyoti' was also brought out. The club which is being given generous funds support by IFCI has been instrumental in organising recreation activities, cultural functions, excursion tours, farewells to retired employees, indoor games, tournaments, inter-bank sports competitions, distribution of electric and sports goods, etc.

Public Relations

4.40 The Public Relations Department of IFCI at Head Office issued, during the year 21 Press Release relating to the performance of IFCI, deliberations at State Advisory Committee meetings, issue of bonds, raising of foreign currency resources, etc. It also continued to issue a monthly 'Economic and Financial News Digest for internal circulation and was instrumental in bringing out several revised and updated publications of IFCI during the year. This year's prestigious publication brought out by Public Relations Department was *'Sugar Co-operatives : Problems and Prospects'* based on the agenda papers and proceedings of the Conference of IFCI assisted Sugar Co-operatives held in the month of April, 1985.

4.41 The Public Relations Department also arranged on the 10th November, 1986, a Workshop on *'Project Implementation : An Effective Approach'*, jointly with the National Association of Consulting Engineers (NACE), New Delhi. The Workshop which was atended by the practising consulting engineers in the private as well as public sector, proved to be useful in identifying the role of consultants from the concept to the commissioning stage of the projects. Shri Abid Hussain, Member, Planning Commission, who was the Chief Guest on the occasion, appreciated the spirit of co-operation between the engineering consulting community and the Financial Institutions, and called upon the consulting engineers to advise more efficient and cost effective techniques for the implementation of the various developmental and industrial projects. He also made a plea to the consultancy organisations for developing a strong technical and democratic culture which was more imperative in the context of various physical controls giving way to fiscal controls.

Contributions to Development-oriented Programmes and Other Socio-Economic Activities

4.42 During the year, IFCI contributed a sum of Rs. 2 lakhs to Gujarat Institute of Area Planning, Ahmedabad, engaged in development related work programmes for the people, particularly the weaker sections of the society for construction of its campus, including training centre and library. A sum of Rs. one lakh was contributed to the Indian Institute of Science, Bangalore for establishment of a science complex in its campus. IFCI also donated Rs. 50,000/- to Dr. Earnest Borges Memorial Fund, Bombay for construction of a home for poor out-of-town patients during their cancer treatment period in Bombay. A contribution of Rs. 25,000/- was made to Indian Institute of Chemical Engineers, Northern Regional Centre, New Delhi for construction of Institute's complex for housing its library, conference room and a computer centre. An identical amount was donated to Bharat Krishak Samaj, New Delhi for the purpose of construction of a Farmers' Complex consisting *inter alia* a hostel for farmers, a reading room, a research laboratory and an auditorium. A sum of Rs. 20,000/- was donated to the Sports Authority of India for providing sports facilities in two identified schools. Through these modest contributions, IFCI endeavoured to participate in the development related programmes being carried out by voluntary agencies, organisations and institutes.

Progressive Use of Hindi

4.43 With a view to accelerating the progressive use of Hindi for official purposes, the Hindi Cell at Head Office and the Regional and Branch Offices of IFCI were adequately strengthened during the year. Three Workshops on the use of Hindi were conducted for the benefit of IFCI employees. It was decided, during the year, to observe last Friday of every months as Hindi Day with the objective of increasing the originating correspondence in Hindi, the progress in which behalf continued to be monitored by the Official Language Implementation Committee (OLIC).

4.44 All Administration Circulars, Operational Circulars, Press Releases, Notifications, Advertisements, General Orders, etc., were issued bilingually. The Annual Report of IFCI, was also issued in diglot form, i.e., in Hindi and English. From this year, apart from Annual Report, it has been decided to bring out the publication *Operational Statistics* also in diglot form. A glossary of standard expressions, phrases, etc., (English-Hindi) was got printed and was provided to all memers of staff with a view to facilitating them to work in Hindi. An all-India competitive written examination was also held, during the year, in which 53 staff members from all offices of IFCI participated. Cash prizes were awarded to the successful competitors.

4.45 According to the policy directions, endeavours were made to bring out all brochures, manuals, Rules and Regulations simultaneously in Hindi also. A notable achievement of the year was the execution and transaction of large part of the work of the Services Division of the Department of Administration and Personnel in Hindi language. The scale of honorarium for passing various Hindi examinations was also increased during the year with retrospective effect from the 1st January, 1985. There was also a proposal to have a suitable bilingual (Hindi and English) word processor to meet the increasing requirements of Hindi work in IFCI.

Silver Shield to the 37th Annual Report (1984-85)

4.46 The Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi, adjudged, during the year, the 37th Annual Report of IFCI for the year ended the 30th June, 1985 as best amongst the entries received from the Banks and Financial Institutions, and decided to award a Silver Shield to IFCI. It is for the first time that IFCI has been honoured with this distinction.

Acknowledgements

4.47 The Board of Directors of IFCI express their gratitude for the assistance, co-operation and cordiality received from the various Ministries, Directorates, Departments of the Government of India, Reserve Bank of India (RBI),

Industrial Development Bank of India (IDBI), the other sister all-India Financial Institutions, various State Governments, the State-level Financial and Developmental Institutions and Merchant Banking Organisations.

4.48 The Board of Directors also place on record their appreciation for the work done by the Chairman and/or Chief Executives of Technical Consultancy Organisations (TCOs), Risk Capital Foundation (RCF), Management Development Institute (MDI), Science & Technology Entrepreneurs' Parks (STEPs), Entrepreneurship Development Institute of India (EDII), Institute of Entrepreneurship Development (IED) of Uttar Pradesh, Bihar and Orissa, and a host of other institutions with which IFCI is actively involved, in furthering their activities and the role of their respective organisations.

4.49 The Board are also grateful to the members, who have served on the Regional/Zonal/State Advisory Committees (SACs) and Technical Advisory/Adhoc Committees of IFCI, and thank them for their valuable co-operation and counsel received from time to time. The Board of Directors are also grateful to several non-officials who have served as IFCI's nominees on the Boards of various organisations and assisted concerns.

4.50 The Board of Directors further acknowledge the continued support and active co-operation received by IFCI from various Development Financing Institutions (DFIs) abroad, particularly the assistance received from the World Bank, the Economic Development Institute. The Asian Development Bank, the Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau (KFW) of Federal Republic of Germany, and a host of correspondent and other international banks abroad.

4.51 Finally, the Board of Directors wish to record their deep sense of appreciation for the loyal and devoted services put in by all members of staff, at all levels, in IFCI, during the year.

On behalf of the Board of Directors
D. N. DAVAR
Chairman

Appended

Statement showing the Installd Capacities, Production and Capacity Utilisation of Selected Industries in 1986-87

(Figures in brackets denote the number of units)

S. No.	Product	Unit of measurement	Installed capacity and production in 1986-87					
			For the country			For IFCI assisted reporting concerns		
			Installed capacity and no. of units	Production 1986-87 (April-March)	Capacity Uutilisation %	Installed capacity and no. of units	Production 1986-87 (April-March)	Capacity utilisation %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Sugar	Lakh tonnes	77·83 (377)	83·82	107·7	19·17 (116)	17·97	93·7
2.	Cotton yarn (mill sector)		26·12 Million spindles (1027)*	1471 Million Kgs.	—	7·11 Million spindles (209)**	570·18 Million Kgs.	—
3.	Cotton cloth (mill sector)		2·06 Lakh looms	3295 Million metres	—	0·37 Lakh looms	674·68 Million metres	—
4.	Jute textiles	Lakh tonnes	16·00 (70)	13·93	87·1	2·91 (8)	2·77	95.2
5.	Paper and paper board	Lakh tonnes	27·36 (285)	16·00	58·5	15·45 (51)	13·80	89·3
6.	Plywood	Million sq. mtrs.	117·51 (59)	80·00	68·1	6·70 (4)	2·60	38·8
7.	Cement	Million tonnes	53·54 (144)	33·64	62·8	42·88 (86)	33·91	79·1
8.	Nitrogenous fertilisers	Lakh tonnes	68·80 (40)	54·10	78·6	34. 51 (12)	26·35	76·4
9.	Phosphatic fertilisers	Lakh tonnes	20·70 (17)	16·60	80·2	14·08 (5)	7·53	53·5
10.	Caustic Soda	Lakh tonnes	9·92 (39)	7·50	75·6	4·17 (10)	2·87	68·8
11.	Soda ash	Lakh tonnes	10·05 (6)	9·50	94·5	1·32 (3)	0·94	71·2
12.	Calcium carbide	Lakh tonnes	2·18 (8)	0·70	32·1	0·44 (3)	0·18	40·9
13.	Acetic acid	Lakh tonnes	0. 81 (19)	0·35	43·2	0·03 (1)	0·03	93·0
14.	Carbon black	Lakh tonnes	1·55 (7)	0·90	58. 1	0·17 (1)	0·11	64·7

*Includes 283 composite mills.

**Includes 51 composite mills.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15.	Liquidchlorine	Lakh tonnes	7·70 (29)	3·10	40·3	2·49 (10)	1·23	49·4
16.	Viscose filament yarn	Thousand tonnes	45·18 (8)	44·64	98·8	4·64 (1)	6·11	131·7
17.	Nylon filament yarn	Thousand tonnes	43·52 (11)	36·72	84·4	44·29 (5)	27·20	61·4
18.	Nylon tyre cord	Thousand tonnes	N.A.	24·40	N.A.	22·29 (4)	19·39	86·9
19.	Polyster filament yarn	Thousand tonnes	70·84 (14)	81·32	114·8	9·16 (2)	4·99	54·5
20.	Polyster staple fibre	Thousand tonnes	128·51 (8)	65·63	51·1	14·07 (2)	13·53	96·2
21	Viscose staple fibre	Thousand tonnes	112·70 (4)	96·30	85·4	78·00 (1)	86·66	111·1
22.	Auto tyres	Lakh nos.	160·58 (23)	130·00	80·9	79·26 (7)	48·57	61.3
23.	Auto tubes	Lakh nos.	171·45 (25)	103·00	60·0	62·96 (7)	36·57	58·1
24.	Rubber contraceptives	Million pieces	713·00 (3)	600·00	84·1	200·00 (1)	161·59	80·8
25	Reclaimed rubber.	Thousand tonnes	36·58 (11)	25·00	68·3	6·80 (2)	3·97	58·4
26.	Finished leather from hides	Lakh pieces	113·00 (44)	47·00	41·6	13·50 (3)	3·95	29·3
27.	Sheeet glass	Million sq. mtrs.	48·41 (8)	40·00	82·6	18·11 (3)	17·64	97·4
28.	fibre glass	Thousand tonnes	5.29 (3)	4.00	75.6	1.75 (1)	1.21	69·1
29.	Glass bottles and misc. glass-ware	Lakh tonnes.	5·80 (31)	5·30	91·4	1·00 (3)	0·73	73·0
30.	Synthetic detergents	Thousand tonnes	323·46 (21)	200·00	61·8	38·37 (2)	22·23	57·9
31.	Soaps	Thousand tonnes	365·40 (48)	390·00	106·7	84·30 (3)	105·14	124·7
32.	Fatty acid	Thousand tonnes	130·65 (18)	65·00	49·8	6·95 (3)	4·43	63·7
33.	Glycerine	Thousand tonnes	22·58 (19)	11·50	50·9	4·10 (4)	2·04	49·7
34.	Saleable steel (main plants)	Lakh tonnes	104·35 (6)	81·40	78·0	17·40 (1)	19·07	109·5
35.	Steel Ingots (main plants)	Lakh tonnes	140·20 (7)	93·26	66·5	23·40 (2)	22·42	95·8
36.	Steel Ingots/billets (ministeel plants)	Lakh tonnes	48·00 (160)	22·67	47·2	4·42 (13)	3·92	88·7
37.	Steel forgings	Thousand tonnes	325·00 (90)	190·00	58·5	26·15 (4)	6·19	23·7
38.	Steel Castings	Thousand tonne	200·00	90·00	45·0	27·75 (7)	19·94	71·8
39.	Cold rolled steel strips	Lakh tonnes	13·00 (63)	1·90	14·6	2·08 (7)	1·55	74·5
40.	Aluminium	Lakh tonnes	3·62 (4)	2·57	71·0	1·45 (2)	1·34	92·4
41.	Zinc	Lakh tonnes	0·96 (2)	0·76	79·2	0·14 (1)	0·17	121·4
42.	Motor cycle.	Lakh nos.	4·11 (8)	3·20	77·9	1·70 (2)	1·36	80·0
43.	Scooters	Lakh nos.	10·50 (11)	6·25	59·5	4·77 (3)	3·73	78·2
44.	Mopeds	Lakh nos.	7·00 (13)	4·37	62·4	3·27 (4)	2·04	62·4
45.	Commercial vehicles	Lakh nos.	2·65 (12)	0·82	30·9	0·50 (4)	0·30	60·0
46.	Three wheelers	Lakh nos.	0·63 (4)	0·52	82·5	0·50 (1)	0·31	62·0
47.	Fan and V Belts	Lakh nos.	183·71 (16)	165·00	89·8	12·00 (1)	11·24	93·7
48.	Conveyor Belts	Thousand tonnes	8·91 (8)	7·50	84·2	2·37 (1)	2·51	105·9
49.	G.L.S. Lamps	Million nos.	342·69 (19)	295·00	86·1	46·55 (2)	28·04	60·2
50.	Fluorescent Tubes	Million nos.	41·93 (15)	44·00	104·9	5·00 (1)	5·21	104·2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51.	Power transformers	Million K V A	32·50 (31)	28·54	87·8	1·80 (1)	1·50	83·3
52.	Diesel Engine	Thousand nos.	501·00 (34)	175·00	34·9	35·50 (4)	6·91	19·5
53.	Agricultural tractors	Thousand nos.	112·00 (19)	76·00	67·8	17·00 (2)	6·45	37·9
54.	Power tillers	Thousand nos.	16·00 (5)	3·80	23·7	5·00 (1)	2·10	42·0
55.	Hotels	Lakh nos.	@113·41 (455)	78·82	69·5	3·93 (8)	2·53	64·4

@Figures in columns 4 & 7 and 5 & 8 refer to the number of lettable room days and the number of room days occupied respectively.

Appendix II

Amendments made to INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION ACT, 1948 (15 of 1948) by the seventeenth amending act, viz., Industrial Finance Corporation (Amendment) Act, 1986 (50 of 1986)

Section of I.F.C. Act, 1948.	Amendments made by I.F.C. (Amendment) Act, 1986 (50 of 1986)
(1)	(2)
2.	Enlarging the definition of 'Industrial concern' to cover the following activities : — Storage of energy; — Development of an industrial area or an Industrial Estate; — Providing engineering, technical, financial, management, marketing or other services or facilities for industry; — Providing medical, health or other allied services; — Providing services relating to information technology, telecommunications or electronics; — Leasing, sub-leasing or hire-purchase; — Such other activity as the Central Government may specify.
4.	Increasing the Authorised Capital of IFCI from Rs. 100 crores to not exceeding Rs. 250 crores as the Central Government may notify.
10.	Provision for the appointment of a Managing Director with the proviso that the same person may be appointed to function both as Chairman and the Managing Director. Provision for nomination of a Director by Reserve Bank of India.
10A.	Increase in the term of appointment of Chairman from 4 years but not exceeding 5 years with eligibility for re-appointment.
(1)	(2)
	Managing Director authorised to exercise powers as may be delegated to him by the Board, the Chairman, or as assigned to him under the Act. Chairman, or in his absence, the Managing Director authorised to take immediate action in respect of any matter within the competence of the Board which is in the interests of IFCI and cannot be deferred, subject to the report being made to the Board at the next meeting.
11.	Reduction in the term of elected Directors from 4 to 3 years.
19	Specific provision for IFCI opening Deposit Account with any bank outside India with the approval of the Reserve Bank of India (RBI).
20.	Provision for investment in the units of Unit Trust of India (UTI) as also the bonds and debentures of any financial or developmental institution or organisation.
21.	Removal of the ceiling of Rs. 15 crores in respect of temporary borrowings from RBI. Provision for borrowing from the Central Government, IDBI, LIC, UTI or with the general or specific approval of the Central Government, from any other authority, institution, organisation, trust, within or outside India on such terms and conditions as may be agreed upon.
23	Authorised business of IFCI enlarged by— — Authorising IFCI to guarantee loans given by any Co-operative Bank. — IFCI to act as agent for IBRD or any other international or national institution or organisation. — Providing, in addition to technical and administrative assistance, legal and marketing assistance to any industrial concern for the promotion, management, or expansion of any industry. — Providing consultancy and merchant banking services in and outside India.
30A & 30B.	Provision for the appointment of Administrator in an industrial concern.
The Schedule	Amendment to the Schedule regarding Declaration of Fidelity and Secrecy, prescribed by Section 39(3).

Appendix III

Direct Economic Contribution of New, Expansion and Diversification Projects assisted by IFCI during 1986—87 July—June)

(Rs. Crores)

Industry	Projects (nos.)	Total capital cost (Rs.)	Expected direct employment (Nos.)	Value of output (Rs.)	Gross value added (Rs.)	Capacity per annum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sugar	11	107·05	4878	89·86	32·18	1·95 lakh tonnes of sugar
Fruit Juices	5	20·95	554	40·44	11·89	Processing and packging of 28·56 million litres of fruit juice based soft drinks in asceptic packets, processing and packing of fruit juices in 45·72 lakh cases.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Textiles	15	103·67	5,166	68·07	24·33	1·54 lakh spindles, 168 rotors and processing of 325 lakh metres of cloth.
Paper products	5	22·74	715	34·16	12·86	900 lakh nos. of multiwali paper scales 475 lakh nos. of egg trays or 238 lakhs nos. of apple trays, 2,400 tonnes of vacuum, metalised paper/board/film, 6,600 tonnes of straw pulp and waste paper pulp.
Fertilizers and Pesticides	6	660·69	1,968	315·84	164·55	4·95 lakh tonnes of urea, 2·97 lakh tonnes of ammonia, 1·32 lakh tonnes of single super phosphate 0·66 lakh tonnes of sulphuric acid, 180 tonnes of sodium silico fluoride, 375 tonnes of phorate technical, 200 tonnes of monocrotophos, 100 tonnes of chlorophynriphos technical and 450 tonnes of Butachlor technical.
Chemicals and Chemical products	28	372·10	5,274	433·61	164·80	8·250 tonnes of caustic soda, 16,500 tonnes of oxygen crushing of 5·43 lakh tonnes of soyabean, 550 tonnes of, day light phosphors (fluorescent powder), 6,900 tonnes of sorbitol, 5,000 tonnes of hydrogen peroxide, 6,000 tones of refrigerant gases, 3,500 tonnes of aluminium fluoride, 42 donnes of cephalexin, 23,100 tonnes of hydrogenerated rice bran oil, 3,000 tonnes of telecommunication cable sheathing compound 10,000 tonnes of industrial paints, 20,000 tonnes of liquid glucose, 9,500 tonnes of dextrose monohydrate, 3,650 tonnes of maltodextrin, 9,000 tonnes of strach, 50 tonnes of 6-APA, of 10 tonnes enzymes. 30 tonnes of 7-ADCA, 60 lakh bottle/ampules of intravenous transfusion solutions, 400 tonnes of polymetrilisation intiators, 1,000 tonnes of salicylic acid, 1,000 tonnes of aspirin, 350 tonnes of ascetic acid, 3,000 of anhydrous hydrofluoric acid, 500 tonnes of fumaric acid, 5,000 tonnes of chlorofluorocarbon refrigerant gases, 95 million nos. of detonators, and 18·75 million metres of detonating fuses.
Automobile tyres and tubes	2	18·18	550	26·05	13·04	22·5 lakh numbers each of tyres and tubes for two/three wheelers.
Synthetic Fibres	5	365·47	1,375	354·25	153·70	150,00 tonnes of partially oriented polyester filament yarn, 20,000 tonnes of polyester staple fibre.
Synthetic resins and plastic materials	10	109·07	1,947	104·23	43·92	7,500 tonnes of polyether polyols, 2,500 tonnes of thermoplastic polyurethane resins/compounds, 10 lakh numbers of moulded luggage, 10 lakh numbers of soft luggage, 2,000 tonnes of industrial lainates, 121 million numbers of disposable syringes, 8,600 tonnes of red mud corrugated sheets and fittings, 1,000 tonnes of BOPP film and 2,450 tonnes of HDPE/PP woven sacks.
Cement and Cement Products		202·88	844	842·49	44·52	11·33 lakh tonnes of cement and 45000 tonnes of asbestos cements sheets
Glass and Glass products		14·01	522	10·62	5·70	3·5 million square metres of wired and figured glass, 18,000 tonnes of sodalime glass bottles, 19,800 tonnes of glass container bottles, and 2,000 tonnes of borosilicate glass vials.
Misc. non-metallic mineral products	11	113·65	2,813	82·24	51·21	81,000 tonnes of ceramic wall and floor tiles, 23,600 tonnes of vitreous china sanitarywares, 600 tonnes of silicon carbide crucibles, 60,000 tonnes of silicon carbide and 4,000 tonnes of aluminium oxide.
Iron & Steel	18	358·11	3,520	465·07	152·12	1·5 lakh tonnes of direct reduced iron, 35,000 tonnes of GP/GC sheets, 1·45 lakh tonnes of ingots/billets, 24,000 tonnes of rolled products, 10,000 tonnes of high alloy and special steel castings, 24,500 tonnes of cold roled steel strips, 9,000 tonnes of procision closed die press forgings, 16,800 tonnes of precision steel tubes, 1·25 lakh tonnes of cold rolled carbon steel coils, 700 tonnes of stainless steel and hard facing alloy wire rods, 10,000 tonnes of steel and high alloy C.I. Castings, 13,000 tonnes of seamless steel tubes, 1,590 tonnes of ammunition steel bodies, 50,000 tonnes of medium and light structurals and spring steels, 6,000 tonnes of iron powder, 2,500 tonnes casting pipes, 50,000 tonnes production tubing and 10,000 tonnes drill pipes.
Machinery & accessories	13	149·61	1,940	171·55	64·66	200 numbers of computer numerical controlled machines, 20 numbers of small hydro-turbines, 36 numbers of tape lines, 18 numbers of laminated equipment, 15,000 number of cycle reduction gear 2,800 tonnes of steel cord reinforced and syntheti fabric reinforcsu conveed beltings, 1,500 numbers of arc welding equipment, 3,000 tonnes of weldiug consumables and 16,000 nos. of diesel engines.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Electrical and Electronic equipments	42	569·84	10,924	780·56	327·55	11 Lakh nos of eletronic push button telephone instruments, 23,90 lakh numbers of colour T V. picture tubes, 6 lakh numbers of black and white T V. picture tubes, 2·5 lakh lines of electronic private automatic telephone exchange, 1·88 lakh numbers of portable generating sets, 1·24 lakh square metres of printed circuit boards, 6·25 lakh conductor kilometres of polyethylene insulated jelly filled telephone cables, 1·25 lakh single sided and double sided floppy disc drives. 360 million MICR cheques and 60 million computer stationery, 12,000 nos. of back planes and 4,000 numbers of board level products for computers 2,500 million running metres of audio magnetic tapes, 0·60 lakh numbers of Video decks, 3 lakh numbers of ceiling fans, 2 lakh colour T. Vs., 2 lakhs numbers of electroni tuners, 2 lakh numbers of extra high tension transformers, 2·7 million square inches of hybrid micro circuits, 2,000 numbers of recorders, indicators, activators, convertors and controllers and 60 numbers of data acquisition and distributed control systems, 2,000 groups of frequency division multiplexing-MUX equipment for line transmission of voice channel, 10 million AH of nickel cadmium pocket plant batteries. 3,000 numbers of brushless alternators for general purpose application, one lakh numbers of brushes alternators for atuomobiles, 8,500 numbers of single phase oil filled transformers, 16,500 numbers of single phase cast resin transformer, 0·60 lakh numbers on hermatically sealed compressors, one lakh numbers of heat transfer oils, 1,020 numbers of track chains 240 numbers of roller assemblies and 500 pulse code modulation multiplex terminals.
Transport equipment	22	556·66	5,624	396·55	204·41	1·5 lakh nos. of mopeds, 1·2 million numbers of bicycles, 1·0 lakh numbers of scooters, 550 tonnes of non-ferrous diecast automotive castings, 5 lakh numbers of fly wheel magnetos, 6·25 lakh numbers of dash board metres, 12·50 lakh numbers of head lamp assembly, 6·25 lakh numbers of automotive switches 2,900 tonnes of automotive axle shafts, 135 tonnes of engine timing gears, 340 tonnes of straight level gears, 7·50 lakh pieces of connecting rod assemblies, 30,000 numbers of front end structures for commercial vehicles, body building of 1,200 numbers of trippers and 400 numbers of integral and export buses, 6 million numbers of automotive spark pluga, 2,700 tonnes of various pressed metal components/assemblies, 6 lakh numbers of pistons and pistonpins, 1·90 lakh sets of semi-finished machined gear parts, 1,000 tonnes of extra heavy duty plastic components, 1·5 lakh sets of combination switches, 1·7 lakh sets of door latches, 4·7 lakh sets of locks, 0·50 lakh numbers of automobile air-conditioners, 2·2 lakh sets of crankshafts, 2·20 lakh sets of connecting rod, 1·1 lakh sets of shafts and transmission gear assembly, 10,000 tonnes of precision steel tubes for bicycles and 2,400 tonnes of helical springs.
Wood Products	2	15·50	381	14·68	8·04	1·5 million square metres of plywood, 7·8 million square metres of veneer, 9·15 lakh square metres of medium density single layer graduated particle board.
Hotel . .	6	49·53	1,327	34·50	30·50	680 rooms
Others . .	27	180·26	4,398	238·19	83·08	
Total . .	236	3,989·97	54,720	4,502·94	1,593·06	

ANNUAL ACCOUNTS 1986-87

REPORT OF THE AUDITORS

To the Shareholders of the

Industrial Finance Corporation of India

We, the undersigned, auditors of the Industrial Finance Corporation of India, have audited the attached Balance Sheet and Accounts of the Corporation as at 30th June, 1987, and report to the shareholders as follows :—

1. The Balance Sheet and Accounts are in agreement with the books of account.

2. The necessary information and explanations called for by us have been given to us and have been found to be satisfactory.

3. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Balance Sheet together with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all necessary particulars and is properly drawn up in accordance with the Industrial Finance Corporation Act, 1948 and the Rules of the Corporation and exhibits a true and correct view of the state of affairs of the Corporation.

N. M. Raiji & Co. T. R. Chadha & Co.

Chartered Accountants

Place : New Delhi.
Dated : 18th August, 1987

BALANCE SHEET AS AT THE 30TH JUNE, 1987

Description	Schedule	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
ASSETS			
Cash and Bank Balance	1	13,709·00	20,883·45
Investments in Assisted Concerns	2	7,283·36	5,867·64
Investments in other Institutions	—	281.00	21.00
Loans to Assisted Concerns	3	2,11,709·56	1,64,910·52
Premises and Equipment	4	2,245·75	1,306·32
Other Assets	5	11,207·48	8,018·76
Customers' Liability for Acceptances	.	2,193·35	1,788·16
Total		2,48,440·50	2,02,800·88
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' FUND			
Share Capital	6	5,750·00	4,500·00
Reserves and Reserve fund	7	18,216·74	14,488·08
Long Terms Borrowings	8	2,09,448·78	1,70,325·80
Current Liabilities and Provisions	9	12,028·81	11,073·83
Liability on Acceptances	—	2,193·35	1,788·16
Earmarked Funds	10	802·82	625·01
Total		2,48,440·50	2,02,800·88

H.C. Sharma, General Manager; R.Viswanathan, Executive Director; D. N.Davar, Chairman; S. N. Bagai, P. L. Karihaloo, A.V. Ganeshan, V. R. Panchamukhi, D.M. Patel, Directors

As per our Report of even date

N. M. Raiji & Co. T. R. Chadha & Co.

Chartered Accountants

New Delhi : 18 August, 1987

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED THE 30TH JUNE, 1986

Description	Schedule	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
Interest from loans, Advances and Deposits (less provision for bad and doubtful debts and other usual and necessary provisions)	11	22,548·04	16,774·42
Cost of Borrowings	12	16,077·89	11,992·59
Net Interest Revenue		6470·15	4,781·83
Income from other Operations	13	799·86	940·48
Total		7,270·01	5,722·31
Personnel Expenses	14	654·88	485.32
Directors' and Committee Members' fees	—	2·55	2·05
Premises and equipment—Rental, maintenance and Depreciation	15	278·60	171·40
Other Expenses	16	167·27	177·14
Grant to Management Development Institute	—	5.00	5·00
Provision for Taxation		1,813·59	1,463·00
Total		2,921·89	2,303·91
Appropriated to :			
General Reserve Fund under Section 32 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948		1,082·19	904 12
Special Reserve Fund under Section 36 (i) (viii) of the Income Tax Act 1961		2,548·52	1,950·65
Benevolent Reserve Fund under Section 32B of the Industrial Finance Corporation Act. 1948		150·00	150·00
Staff Welfare Fund		15·00	15·00
Dividend		552·41	398·63
		4,348·12	3,418·40
Accounting Policies and Notes forming part of Accounts	17		

H. C. Sharma, General Manager; R. Viswanathan, Executive Director; D. N. Davar, Chairman; S. N. Bagai, P. L. Karihaloo, A. V. Ganeshan, V. R. Panchamukhi, D. M. Patel, Directors

As per our Reports of even date

N. M. Raihi & Co. T. R. Chadha & Co.

Chartered Accountants

New Delhi : 18 August, 1987

Schedule I

Cash and Bank Balances

Annexed to and forming part of the Balance sheet as at 30th June, 1987

Description	This years Rs. Lakhs	Previous year Rs. Lakhs
Cash and Bank Balances		
Cash in Hand	1·33	0·77
Cheques/Drafts in Hand and lodged for collection	792·88	580·25
Balances with Banks in India		
In Current Accounts (See Note No. 7)	5,609·39	6,326·53
In Short Terms Deposits	6,695·00	3,502·50
Balances with Banks outside India		
In Current Accounts	481·60	356·18
In Short Term Deposits	120·40	10,122·25
Total	13,700·00	20·888·48

Schedule 2

Investments in Assisted Concerns (At Cost)

Annexed to and forming part of the Balance sheet as at the 30th June, 1987

Description	Under Section			This year	Previous year
	23 (d)	(23) (f)	(23) (i)	Rs. Lakhs	Rs. Lakhs
(i) Equity shrares	3,724·52	1,019·10	1,448·09	6,191·80	5,085·44
(ii) Preference Shares	328·75	67·00	0·01	395·76	418·60
(iii) Debentures	34·91	379·07	245·60	659·58	349·91
(iv) Application money on shares and Debentures	31·22	5·00	—	36·22	13·69
	4,119·40	1,470·26	1,693·70	7,283·36	5,867·64
Total as at the 30th June, 1986	3,601·85	759·25	1,506·54		
Quoted					
—Book value				3,941·08	3,232,95
—Market Value				7,735·44	9,517·21
Investments for which quotations are not available (Book Value)				3,306·07	2,611·00

(v) Relates to industrial Finance Corporation Act. 1948

Schedule 3

Loans to Assisted concerns

Annexed to and forming part of the Balance sheet as at the 30th June, 1987

Description	This years Rs. Lakhs	Previous year Rs. Lakhs
(i) In Indian Rupees	1,78,597·91	1,44,892·88
(ii) In Foreign Currencies	33,111·65	20,017·64
Total	2,11,709·56	1,64,910·52

Notes :

(i) Debts due by concerns in which the Directors (other than nomineess of the corporation are interested as Directors	204·42*	215·57
(ii) Total amount of loans disbursed during the year to concerns in which the directors (other than nominees) of the Corporation are interested as Directors.	—	23·00
(iii) Total amount of instalments whether of principal or interest overdue by concerns in which the Directors (other than nominees) of the Corporation are interested as Directors	—	83·60

*The decrease is due to -changes in the Board of Directors of the Corporation.

Schedule 4

Premises and Equipments

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1987

Description	Original Cost	Depreciation to date	Net Value	
	Rs. Lakhs	Rs. Lakhs	This years Rs. Lakhs	Previous years Rs. Lakhs
(i) Freehold land and Buildings	466·99	66·57	400·52	306·00
(ii) Leasehold Land and Building	482·55	75·94	406·61	325·60
(iii) Furniture and Fixtures	89·56	32·51	57·05	38·42
(iv) Office Equipments	177·76	82·46	95·12	72·70
(v) Electrical Installations	16·36	9·81	6·55	8·42
(vi) Vehicles	18·20	9·31	8·89	5·09
Sub-total	1,251·42	276·78	974·64	756·23
Advances against capital expenditure	1,271·11	—	1,271·11	550·09
Total	2,522·54	276·78	2,245·75	1,306·32
As at the 30th June, 1986	1,471·35	165·03		

Schedule 5

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1987

Other Assets

Description	This year Rs. lakhs	Previous Year
Interest accrued but not due	6,619·90	4,631·16
Advances to Risk Capital Foundation	627·29	506·38
Advances to Employees	152·11	134·12
Deposits	101·57	86·53
Difference in Exchange Suspense Account	177·25	—
Net Assets of Staff Welfare Fund	12·50	12·50
	3,336·86	2,648·07
Other Assets		
Total	11,027·48	8,018·76

Schedule 6

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1987

Share Capital

Description	This year Rs. lakhs	Previous Year Rs. lakhs
Authorised		
2,00,000 shares of Rs. 5,000/- each (Previous year, 1,00,000)	10,000·00	5,000·00
Issued and Subscribed		
1,25,000 shares of Rs. 5,000/- each (Previous year, 100,000 shares)	6,250·00	5,000·00
(Guaranteed by Government of India as to the repayment of principal and payment of minimum annual dividend under Sections 5 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948).		
Paid-up		
(i) 10,000 shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	500·00	500·00
(ii) 4,000 (Second Series) shares of Rs. 5000/- each fully paid-up	200·00	200·00

Description	This year Rs. Lakhs	Previous year Rs. Lakhs
(iii) 2,692 (Third Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	134·60	134·60
(iv) 3,308 (Fourth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	165·40	165·40
(v) 10,000 (Fifth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	500·00	500·00
(vi) 5,000 (Sixth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	250·00	250·00
(vii) 5,000 (Seventh Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	250·00	250·00
(viii) 10,000 (Eighth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	500·00	500·00
(ix) 10,000 (Ninth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	500·00	500·00
(x) 20,000 (Tenth Series) shares of Rs. 5,000 each fully paid-up	1,000·00	1,000·00
(xi) 20,000 (Eleventh Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	1,000·00	500·00 (partly paid-up)
(vii) 25,000 (Twelfth Series) shares of Rs. 5,000/- each Rs. 3,000/- per share called and paid-up	750·00	—
Total :	5,750·00	4,500·00

Schedule 7

Reserves & Reserve Fund

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1987

Description	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
General Reserve under Section 32 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	6,076·25	4,994·06
Reserve Fund under Section 32A of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	100·00	100·00
Benevolent Reserve Fund under Section 32B of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	278·00	296·04
Special Reserve Fund under Section 36(i) (viii) of the Income Tax Act 1961	11,499·17	8,950·65
Specific Grant from Government of India in terms of agreement with Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau	263·32	147·33
Total :	18,216·74	14,488·08

Schedule 8

Long Term Borrowing

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June 1987

Description	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
1	2	3
Bonds (Unsecured—Issued under Section 21 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 guaranteed by the Government of India)		
(a) 6% Bonds	2,539·46	7,774·06
(b) 6¼% Bonds	6,801·54	6,801·54
(c) 6½% Bonds	7,500·00	7,500·00
(d) 6¾% Bonds	7,810·00	7,810·00
(e) 7¼% Bonds	10,050·22	10,050·22
(f) 7½% Bonds	10,995·00	10,995·00
(g) 8¼% Bonds	7,975·00	7,975·00
(h) 8½% Bonds	8,004·80	8,004·80
(i) 9% Bonds	19,701·00	19,701·00
(j) 9·75% Bonds	32,269·13	32,269·13
(k) 11% Bonds	46,020·00	15,000·00
(l) 7·6% Bonds (Yen Currency)	4,424·78	3,802·28
(m) 6·9% Bonds (Yen Currency)	4,424·78	3,802·28
(n) 9·3 % Bonds (Yen Currency	4,424·78	3,802·28
	1,72,940·49	1,45,287·59

1	2	3
Borrowings		
(a) From Industrial Development Bank of India under Section 21(4) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	7,025·00	7,775·00
(b) From Government of India under Section 21(4) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	208·12	276·21
(c) From Government of India in terms of Agreement with Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau	697·34	662·37
(d) From Industrial Development Bank of India in Foreign Currency out of proceeds of their foreign bond issue	1,055·97	849·38
(e) From Foreign Credit Institution in Foreign Currencies	27,521·86	15,475·25
Total :	2,09,448·78	1,70,325·80

Schedule 9

Current Liabilities and Provisions

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1987

Description			This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
(A) Current Liabilities				
Sundry Creditors			6,348·52	6,439·83
Interest accrued but not due				
(a) On Bonds			1,369·11	1,018·15
(b) on Borrowings from Government			16·06	14·71
(c) on Borrowings from Foreign Credit Institutions			293·20	142·97
(d) On Borrowings from Industrial Development Bank of India and others			176·23	108·93
Deposits in terms of Section 22 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948			500·00	500·00
Advance receipts			12·38	12·40
Unclaimed Dividend			0·28	0·09
Amount refundalel to sub-borrowers/payable to Govrnment of India out of interest on borrowings in Foreign Currency			919·98	712·95
(B) Provisions				
Difference in exchange suspense account			—	174·28
Amount held in suspense				
(a) Interest			398·37	406·21
(b) Commitment charges			0·05	0·05
(c) Incidental charges			2·38	2·38
Provision for taxation		5,772·83		
Less : Tax deducted at Source	276·44			
Advance Tax paid	4,056·55	4,332·99	1,439·84	1,142·26
Provision for dividend			552·41	398·63
Total (B) :			2,393·05	2,123·80
Total (A)+(B)			12,028·81	11,073·83

Schedule 10

Earmarked Funds

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1987

Description	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
Industrial Finance Corporation Employees' Provident Fund	744·01	582·51
Staff Welfare Fund	58·81	42·50
Total :	802·82	625·01

Schedule 11

Interest from Loans & Advances

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30ht June, 1987

Description	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
Interest Income	20,656·98	15,955·62
Interest on Short term deposits, etc.	1,566·61	568·01
Commitment Charge	324·45	250·79
Total :	22,548·04	17,774·42

Schedule 12

Cost of Borrowings

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1987.

Description	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
Interest on Loans and Borrowings	15,872·37	11,719·81
Commitment Charges on Foreign Currency Loans availed	6·46	8·30
Cost of issue of Bonds	199·06	264·48
Total :	16,077·89	11,992·59

Schedule 13

Income from ther Operations

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1987

Description	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
Business Service Fee	136·74	103·97
Dividend	326·11	271·01
Profit on Sale of Investments	214·11	515·68
Other Miscellaneous Income	122·90	49·82
Total	799·96	940·48

Schedule 14

Personnal Expenses

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1987

Description	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
Salary and Allowances (Includes Rs. 62·27 lakhs for Previous year)	621·46	458·04
Staff Wefare Fund Expenses	3·55	2·83
Other Personnel Expenses	29·87	24·45
Total :	654·88	485·32

Schedule 15

Premises and Equipment—Rental, Maintenance and Depreciation

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1987

Description	This year Rs.lakhs	Previous year Rs. lakhs
Rent, Taxes— Insurance and Lighting (Net of write-bach for previous year Rs. 16·65 lakhs)	127·85	99·92
Repairs & Maintenance	32·82	21·08
Depreciation	117·93	50·40
Total :	278·60	171·40

Schedule 16

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1987

Other Expenses

Description	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
Audit Fees	1·25	1·00
Travelling and Halting Expenses	26·57	25·07
Communication Expenses	31·71	24·24
Loss on Investments	17·85	36·75
Other Expenses	89·89	90·08
Total	167·27	177·14

Schedule 17

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1987

Accounting Policies and Notes

(A) *Significant Accounting Policies*

1. *Revenue recognition*

(a) The Corporation does not account for Income by way of Interest, Commitment Charges and Commission, etc., in cases where the possibility of recovery is considered remote. Commitment Charges are accounted for as income only on conclusion of the loan agreements.

(b) Interest on those loans and advances where Court orders have been obtained by the Corporation is accounted for only when such amount is received.

2. *Investments*

2.1 Valuation :

Aggregate market value/break-up value of investments is compared to Book Value thereof on a global valuation basis.

2.2 Transactions :

(a) Gains or losses on sale of investments are measured against the average cost of investments sold.

(b) Loss, if any, in the value of shares of companies in liquidation or sick companies which are proposed to be merged with other healthy companies is accounted for when the final payments is received or the merger is complete.

3. *Exchange Transactions*

(a) The balances of—

(i) foreign currency loans availed of by the Corporation,

(ii) the loans granted to sub-borrowers therefrom,

(iii) the balances in foreign currency accounts with banks, and

(iv) contingent liabilities in respect of guarantees undertaken in foreign currency.

are all expressed in Indian Currency at TT selling rates prevailing as on the 30th June, 1987.

(b) Profit, if any, arising on account of fluctuations in currency exchange rates is accounted for respect of each line of credit only after the borrowings are fully repaid to the foreign lending institutions and the loans granted out of such borrowings to assisted concerns are fully recovered. Loss, if any, on account of such fluctuations in respect of each line of credit is accounted for when such line is fully repaid by the Corporation. Meanwhile, the exchange difference relating to :

(i) the recovery and repayment of foreign currency loans

(ii) conversion of year-end foreign currency balances, and

(iii) operation in the foreign currency accounts with Banks,

are accounted for in Difference in Exchange Suspense Account. The contribution received from Central Government, in part reimbursement of exchange losses incurred, has also been credited to the said account.

4. *Premises and equipment*

Following principal depreciation rates are applied on written down values :

(i) Buildings and improvements thereto are depreciated at the rate of 5%, 10% and 20%, wherever applicable.

(ii) Furniture and equipment are depreciated at the rate of 10% and 33-1/3%, respectively and the assets are stated at cost less depreciation.

(B) *Notes Forming part of Accounts*

(Figures in brackets relate to the previous year)

1. The Corporation has contingent liabilities in respect of the following in addition to such liabilities appearing in the Balance Sheet :

(a) Outstanding underwriting contracts [under Section 23(d) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948] Rs. 751.50 lakhs (Rs. 53.10 lakhs), and

(b) Uncalled amount in respect of partly paid-up shares held as Investment [under Section 20, Section 23 (d) and Section 23(f) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948] Rs. 263.65 lakhs (Rs. 27.05 lakhs).

(c) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account, Approx. Rs. 694.40 lakhs (net of advances paid).

2. The Income Tax Department/the Corporation have gone in appeal/reference on certain matters in which the earlier orders have gone in favour of/against the Corporation. The disputed liability in this regard amounts to Rs. 55.39 lakhs (Rs. 55.39 lakhs). The provision for taxation for the year has been made on the basis of the stand taken by the Corporation.

3. Sundry Creditors include Rs. 1,445.62 lakhs (Rs. 2,409.92 lakhs) in respect of Bonds which have matured but have remained unclaimed/unpaid.

4. Investments under Section 23(d) and 23(f) of the Industrial Finance Corporation Act. 1948, include a sum of

Rs. 163.58 lakhs (Rs. 65.60 lakhs) in the share capital of some companies which have either gone into liquidation or which are 'sick' and are proposed to be merged with the healthy companies.

5. Up to the 30th June, 1987 a sum of Rs. 43.86 lakhs (Rs. 45.38 lakhs) has been utilised partly out of Benevolent Reserve Fund and partly out of Specific Grant from Government of India for subscribing to the share capital in certain Technical Consultancy Organisations as part of the promotional activities of the Corporation. Hence, these investments have not been included in the 'Investments' of the Corporation.

6. An aggregate amount of Rs. 1,705.88 lakhs (Rs. 1,765.10 lakhs) was due on the date of the Balance Sheet from certain companies, the undertakings of which have been acquired by the Central/State Government. It has not been possible to determine as to what portion of the said amount can be recovered either out of the compensation or from the guarantors. Besides, a sum of Rs. 171.84 lakhs (Rs. 171.84 lakhs) is due on the Balance Sheet date from certain companies whose liabilities have been frozen under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

7. Balances with banks in India in Current Accounts include Rs. 2,804.36 lakhs invested by bankers in Central and/or State Government securities with the concurrence of Corporation.

8. In respect of some of the premises acquired by the Corporation, formalities regarding conveyancing are in the process of completion.

9. Previous year figures have been recast, wherever necessary, to make these comparable to those of the current year.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1987